#### QUEDATESUD GOVT. COLLEGE, LIBRARY

#### KOTA (Rai.)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DTATE	SIGNATURE
ļ		
	,	
ļ		

## आय-कर विधानतथा खाता

(INCOME-TAX LAW AND ACCOUNTS)

िभारतीय विश्वविद्यालयों के बीठ कॉमठ तथा एमठ कॉमठ कलाओं के विद्यार्थियों के हेतु एक विस्तारपूर्वक श्रध्ययन ]

लेखक

एस० एम० शुक्ल, एम० ए०, एम० कॉम०, एल-एल० थी०, वाणिज्य विभाग, डी० ए० वी० कॉलिज, कानपुर।

पष्टम सशोधित एव परिवर्द्धित सस्करगा

१८६०

श्रागरा

नवयुग साहित्य सदन, उब कोटि के शिक्षा सम्बन्धी साहित्य के प्रकाशक मूल्य: ६१) या ६ रुपये २५ नवे पैते

#### प्रथम संस्करण की भूमिका

झाय कर विधान तथा खाता की यह पुस्तक भारतीय विश्वविद्यालयों के बी० काँम० के पाठन के प्रमुखार लिखी गई है, परन्तु प्रह पुस्तक निश्वित रूप से उन सब लीगों अपन्त का स्वादन सहायक होगी जो इस विध्य का प्रस्ययन करना चाहते हैं। पुस्तक के विषय का प्रत्यवन करना चाहते हैं। पुस्तक के विषय का प्रतिपादन इतने सुरल व स्पष्ट रूप में किया गया है कि इस विषय के निय खात्र को भी कोई कठिनाई प्रमुखन न होगों और पुस्तक स्वय शिक्षक का काम देगी। विषय-स्तु को छुदयाम कराने के लिसे प्रविक्त से खावक उदाहरण दिये गये हैं व रोचक भागा का प्रयोग किया गया है। यथास्वानों पर विधान को प्रायाभी की सहया तथा सम्बन्धन व्यावाधीयों के निर्णांग का उत्सेल किया गया है।

वचा कानान्यत न्यायाच्या का निर्ह्णय का उरुवा किया निर्माक र अधिनियम में किये सन् १९५७ के फाइनेन्स एक्ट (न०२) द्वारा ध्याय कर अधिनियम में किये गये सप्तीषनों के आधार पर हो इस पुस्तक की विषय सामग्री लिखी गई है और इसी फाइनेन्स एक्ट की आप कर से सम्बन्धित प्रमुख धाराग्री का पुस्तक के ग्रन्त में उल्लेख किया गया है।

पुस्तक मे आगरा विख्वविद्यालय व प्रग्य विश्वविद्यालयों के बीठ कॉमठ ' परीक्षा में पूछे गये प्रमुख क्रियात्मक प्रश्तों को भी हल किया गया है, ताकि विद्यार्थियों को परीक्षा में पूछे गये प्रश्तों के बारे में बवित ज्ञान हो सके।

को परीक्षा में पूछे गये प्रक्तों के बारे में उतित ज्ञान हो सके।

म्राचा है कि यह पुस्तक विद्यापियो तथा श्रन्य पाठको के लिए श्रवस्य ही उपयोगी सिद्ध होगी। प्रत्येक सुकाद का हृदय से स्वागत किया जायेगा।

कानपुर ३१ मगस्त, १६५७

---लेखक

#### SOME JUDICIAL OBSERVATIONS

("Income-Tax, if I may be pardoned for saying so, is a tax on income. It is not meant to be a tax on anything else. It is one tax, not a collection of taxes essentially distinct."

-Per Lord Magnaghten, London County Council v Attorney-General 1901 A C. 26, 35/6 (H. L ' 4 T. C 265, 293

("There are three stages in the imposition of a tax, there is the declaration of liability, that is the pirt of the statute which determines v hat persons in respect of what property are hable. Next, there is the assessment. Liability does not depend on assessment. That ex, hypothesis has already been fixed. But assessment particularises the exact sum which a person liable has to pay. Lastly, come the methods of recovery, if the person taxed does not voluntarily pay.")

Per Lord Dunedin, Whitney V. I. R. 10 T C 88 110 (H L ), approved by the Federal Court, Chatturam V C I. T 1947 I T.R 302, 308, and by the Supreme Court Chatturam Hornam Ltd, V. C. I. T [1955] 27 I. T. R. 709, 716

## विषय सूची

श्रध्याय		पृष्ठ-संख्या
श्रुपाय	विषय-प्रवेश (Introduction)	<b>8−</b> €
` ?	परिभाषाएँ (Definitions)	80-74
à	पू जी और आप (Capital and Revenue)	२६–३₹
Ŷ	करदाता (Assessee)	33-8E
¥	कर-मुद्ध आय (Exempted Income)	89-60
Ę	वेतन (Salaries)	€ ₹-७७
, 6	प्रतिमृतियो पर व्याज (Interest on Securities)	95-55
5	सम्पत्ति की आप (Income from Property)	509-3×
£	व्यापार, पेशा या व्यवसाय से ग्राय (Income from	
	Business, Profession or Vocation)	207-88X
Ŷo.	अन्य साधनो से आय (Income from other	1.1.11.
("	Sources)	<b>११</b> ६-१३०
११	हास (Depreciation)	248-885
22	करदाता—१ (Assessee—1)	\$84-840
<b>2</b> 3	सम्मिलत हिन्दू परिवार (Joint Hindu Family)	
{¥	करदाता—-२ (Assessee—2)	१ <b>५६</b> —१ <b>५</b> ०
2×	कर निर्धारण करने की विधि तथा अपील	644-640
**	(Assessment Procedure and Appeal)	9-9-5-5
१६	कर निर्धारण (Computation of Tax)	१८१-२०३
\$ 19		₹ <b>०४</b> –₹१७
₹.« ₹¤	च्य-कर (Expenditure-tax)	₹₹=-₹₹₹
3.5 3.5	धन-कर (Wealth-tax)	258-535
10	उपहार कर (Gift-tax)	₹₹-₹₹
	क्रियात्मक प्रश्न (Practical Questions)	₹3€-30%
22.	Muscellaneous Theoretical Questions	₹04~}05
पाराश्रष्ट	-वित्त-प्रधिनियम, १९६० (Finance Act, 1960)	

#### ऋधाय १

## विषय प्रवेश

(Introduction)

ग्राय-कर (Inome tax) का भ्राज्ञन भ्रान (Income) पर सरकार हारा कर लगाने से हैं। यह कर मुख्यतया दो उद्देश्यों से लगाया जाता है .-

(1) सरकार की आय प्राप्त करने के लिए जो कि प्रजा की मलाई के लिए भिन्न भिन्न मदो पर व्यय की जाती है।

( 11) ग्राय की ग्रसमानताग्रो को दर करने के लिए 1

भारतवर्ष में कुछ व्यक्ति बहुन घनवान हैं और कुछ व्यक्ति बहुत निर्धन, अत: यह कर धनवान व्यक्तियो पर इसलिए भी लगाया जाता है कि उनकी श्राय नम हो ग्रीर देश की ग्राय की ग्रसमानतायें दर हो।

ऊपर लिखे दोनो उदृश्यों में से बास्तव में प्रथम उद्देश्य ही मन्त्वपुरा है। ब्राय कर भारतीय नरकार की ब्राय का ही महत्त्वपूर्ण साधन नहीं है वरन यह कर दनियां के अन्य देनों म भी लगाया जाता है, जैसे इ ग्लंड, अमेरिका खादि। इ ग्लंड मे यह कर सर्वे प्रथम सन १७६६ में लगाया गया था।

ग्राय कर का विस्तत ग्रव्ययन करने से पहले यह प्रश्न स्थभावत: उठता है कि यह कर सर्व प्रथम भारतवर्ष म कब और क्यो गुरू हुआ ? क्या जिस दना म आजकल म्राय-कर लगाया जाता है, उसी दशा में यह उस समय भी था जबकि धाय वर प्रथम बार भारत में गुरू हमा और यदि नहीं, तो प्रारम्भ से ग्रव तक इसमें क्या क्या और कव कव मुख्य परिवर्तन हुए ? इन सब प्रश्नो का उत्तर देने के लिए यह ग्रधिक अच्छा होगा कि हम आय कर के इतिहास का सुद्भ अध्ययन करें। सुविधा के हिसाब से इस इतिहास को नीचे लिखे द भागों में दौटा गया है :--

- (१) सन् १८६० से मन् १८६५ तक.
- (२) सन् १८६७ से सन् १८७३ तक.
- (३) सन् १८७७ से सन् १८८६ तक.
- (४) सन् १८८६ से सन् १८०३ तक.
- (प्र) सन् १६०३ से सन् १६२२ तक.

-Per Lord Macnaghten, London County Council V. Attorney General 1901 A. C. 26 35/6 (H L ), 4 T. C. 265, 293.

<sup>\*</sup> Incme tax if I may be pardoned for saying so, is a tax on income. It is not meant to be a tax on anything else. It is one tax, not a collection of taxes essentially distinct

- (६) सन् १६२२ से सन् १६३६ तक,
- (७) सन् १६३६ से सन् १६४३ तक
- ( प ) सन् १६५३ से आज नक।

#### सन १८६० से सन १८६४ तक—

सन् १०५७ के गदर में सरकार को बहुत रकम व्यय करनी पड़ी थी। उस पर इतना प्राधिक बोभा या गया था कि इसकी साधारण तरीनो से उठाना मतम्बन्न प्रतिल हुआ, अदः प्रथम बार सन् १०६० में सर केस्स वित्सन (Sir James Wilson) के प्रथमों के कारण श्राय-कर की गद्धति आधिक बोभा हरना करने के विश् भवनाई गई, जो कि ११ जुलाई सन् १०६५ तक चलती रही और इसके बाद बाद कर दी गई। यह तर पद्धति इस प्रकार थी:—

- ( छ ) २०० रुपये से कम भ्राय वालो पर कोई कर नहीं लगता था।
- (ब) २०० रुपये से ४६६ तक को ब्राय बालो पर २ रुपये प्रति सैकडा कर समका पा।
- (स) ४६६ रुपये से जिन लोगों की अधिक ब्राय होती थी उन पर ४ रुपया प्रति सैकडा कर संग्रा था।

#### सन् १८६७ से सन् १८७३ तक-

सन् १८६५ से सन् १८६७ के दो वर्ष को अविष ये किसी प्रकार का आय-कर भारतवर्ष में नहीं रहा, परन्तु इन दो वर्षों के बाद सन् १८६७ से आर्थिक कठिनाइयों ने सारवीय सरनार को वाहरेन्द्र टैनस वसाने के लिए बाध्य निया, यह कर एक साल तक समने के बाद मुख सजीभाने के उपरान्त सर्विक्तिकेट टैनस (Certhicate tax) में बदल दिया गया , परन्तु रिचड टेन्पिक (Sir Richard Temple) के प्रस्तान के अनुसार गर्दीफिकेट टैनस के स्थान पर आय-कर १ प्रप्रेत सन् १८६६ से लगाया गया। सन् १८७६ में साई नायंत्रक (Lord Northbrook) ने देग की आर्थिक स्थित पर विचार करने के बाद यह तम किया कि आप कर बन्द कर दिया बाग, परन्तु पर रिचर्ड टेन्पिक ने इसन् विरोध किया। उनका विचार पा कर शतक की स्थिदता के लिए रेसा करमा प्रमुचित हाया। परन्तु प्रत्य में यह कर सन् १८०३ में ही समान्त पर दिया गया।

#### सन १८७७ से सन् १८८६ तक—

सन् १८७३ के चार वर्ष बाद सर जान स्ट्रेजी (Sir John Strachey) ते फिर शाय-कर तथाया, पण्यु उस समय ग्रह कर साउत्तेस्य टेंबस (License Tux) महुशाता था। इस कर को लगाने का प्रमुख कारता सन् १८७६-७७ के घरात से होते वाले स्थाने की पूर्ति करना था। सन १८८६ से सन् १८०३ तक-

सन् १८६६ में लाइसेन्स टैनस के स्थान पर झाय कर अधिनियम पास किया गया। यह कर पद्धति इस प्रकार थी:—

- (अ.) ५०० रुपये से कम ब्राय वाले व्यक्तियो पर कोई भी कर नहीं लगाया जाताथा।
- (व) ५०० रुपये से १,६६६ रुपये तक की म्राय वाले व्यक्तियो पर ४ पाई प्रति रुपया कर लगाया जाता था।
- ( स ) १,६६६ रुप्ये से अधिक झाय वाले व्यक्तियो पर ५ पाई प्रति रुप्या के हिसाब से कर लगाया जाता था ।

इस अधिनियम में प्रथम बार भाग को भिन्न भिन्न शीर्पको (Heads of Income) में बॉटा गया। ये शीर्पक इस प्रकार थे :—

- (ग्र) देतन और पैन्शन,
- (व) कम्पनियो का लाभ.
- (स) प्रतिभतियो पर ब्याज.
- (द) ग्रन्य साधनो से ग्राय ।

#### सन् १६०३ से सन् १६२२ तक—

सन १६०३ के बाद भी सन १८६६ वाला ही आय कर अधिनियम चलता रहा. परन्त इसमे एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हमा । पूराने अधिनियम में ५०० रुपये से कम भाग वालो पर कोई भाग-कर नहीं लगता था, परन्तु भव यह सीमा ५०० ह० से बढ़ाकर १.००० हाए कर दी गई, अर्थात सन १६०३ के सहीधन के अनुसार १.००० रुपये से कम आय वालो पर कोई भी आय कर नहीं लगता था। सन् १६१४ में प्रथम महायुद्ध के गुरू हो जाने पर सरकार को बहुत रुग्यों की धापश्यकता हुई। इन मार्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिये सन् १६१७ में प्रथम बार अधि-कर (Super tax) ४०,००० रुपये से अधिक झाय वालो पर लगाया गया और सन् १९१८ में एक नया अधिनियम पास किया गया, जिसके अनुसार पुराने अधिनियम के प्रविकाशतः दोषो को दूर किया गया । यह संघनित अधिनियम (Consolidating Act) यद्यपि वड उत्साह व बुद्धिमता के साथ बनाया गया था, परन्तु फिर भी कुछ ही समय में भपर्यात सिद्ध हमा। सन् १६२१ मे एक ग्रस्तिल भारतीय समिति की स्थापना आय कर के प्रश्न पर विचार करने के लिये हुई। इसी नमेटी की सिफारिशी के भाषार पर भारतीय बाय कर मधिनियम सन् १६२२ (Indian Income-tax Act. 1923) पास किया गया । यह मधिनियम वास्तव में भारत के आय-कर के इतिहास मे प्रमुख भाय-कर अधिनियम माना जाता है।

सन् १६२२ से सन् १६३६ तक-

सन् १६२२ के बाय-कर अधिनियम के बाबार पर ही माजकल भी कर

समाये जाते हैं, यद्यपि इस प्राथिनियम का सरोधन कई बार हो कुका है। मीटे तौर पर हम यह वह सबते हैं कि प्राय-कर का इतिहास मारतवर्ष में सन् १९२२ से गुरू होता है। यह प्रधिनियम विटिश प्राय कर प्रधिनियम के प्राथा पर वताया पर्या पत्त न् १९२४ में संन्तुल बोर्ड ऑक रेवे प्रके दिवा प्राय का का प्रधान हुई। इसी वर्ष प्राय कर की जांव करने के लिये सरकार ने टीडकूटर कोन्टों की स्थापना हुई। इसी वर्ष प्राय कर की सिकारियों पर सन् १९२६ में प्राय कर प्रधिनियम में महत्वनूर्या परिवतन हुवे। सन् १९२१ में प्राय कर प्रधिनियम में महत्वनूर्या परिवतन हुवे। सन् १९२१ में प्राय कर प्रधिनियम के बांव करने कि एक एंस्पर कमेटी (Ayyer Commuttee) निकुत्त को गई। इस करने कि सिकारियों के प्राथार पर सन् १९३६ में इस प्रधिनियम में बडे वह सरोधन हुए।

#### सन् १८३८ से सन् १८५३ तक---

सन् १९३६ में एक अशोधित ग्राय कर ग्रीधितयम पास किया गया। इस प्रधिकियम के प्रमुखार ग्राय कर में बहुत महस्वपृक्ष परिवर्तन किए गए।

सन् १६३६ के आय कर शिवितयम में सबसे गुख्य परिवर्तन यह किया गया था कि पुराने माय कर लगान क Step System के स्थान पर Slab System गृह किया गया। इन दोनो विधियों को विस्तृत वरान मध्याय १६ में किया गया। इन दोनो विधियों को विस्तृत वरान मध्याय १६ में किया गया है। इन १६४४ में 'जैसे कमाम्रा पैसे ही भुगतान करों (Pay as you earn) योनना ड्राइक नी गई। वन् १६४६ में उपाजित माय की छूट की मोचना भारत में गुरू की गई अर्थात उपायित साथ भीर अनुतायित साथ में बन्दर किया जाने लगा। १ सर्वत सन् १६४६ में ३१ माल सन् १६४६ तक व्यायार के लाग के अर्थ अ्यायार लाभ कर (Business Profit Tax) लगाया गया। सन् १६४० में मूर्ज काम (Capital Gains) पर भी कर लगाया गया, परन्तु गहरे विरोध के काम्या भूतव्रमें अर्थानची हां को भीन मधाई के अर्थनों हारा सन् १६४६ में हटा विया गया। सन् १९४७ में म्याय कर की व्यूनतम् सीमा २००० रुपय के स्थान पर २,४०० रुपये कर थी मई। भ्राय कर की व्यूनतम् सीमा २,००० रुपय के स्थान पर २,४०० रुपये कर थी मई। भ्राय कर सनीपित विका सन् १६४१ में पाय कराने की कीमाश को गई, परन्तु वह पास न हो सका। सन् १६४२ में फिर इस बात के प्रयत्न किये गये कि मधा करानीपत विका पास किये लायें।

#### अन १८४३ से श्राज तक**⊸**

इस विल की जान करने के लिए एक समिति निमुक्त की गई। इसी समिति की खिलारियों के सामार पर सन् १६४३ में भारतीय मान कर सजीपाल प्रणितियम (Indam Income tax Amendment Act) पाम किया गगा। हुआ सम्मोपन सन् १६४४ में किये गये। सन् १६४५ में सभीपन इस मानार पर निये गये ताकि धना लोगों पर मधिक कर लगे ग्रीर गरीबों को बर देने से छूट सिने । साथ कर प्रीपित्तम की नई धारायें इस वर्ष परिवर्तित की गई। इस प्रीपित्तम भी विवाहित भीर भविवाहित पुरुषो की आब पर भाष-कर लगाने के नये नियम बनाये गये। वित्त भाषित्त्यम सन् १९५६ के भ्रतुतार रिजस्टडें फर्म की दी हुई बहुत सी सुविधाएँ हटा ली गई। करदेय वर्ष सन् १९६५७-५८ से पूँणी लाभ पर धारा १२ B के भ्रतुसार फिर कर लगने लगा है।

भारत मे कुन प्राय, जिस पर कि कर लगना चाहिए, भारतीय आय-कर स्विनियम के द्वारा निश्वत की जाती है, परन्तु जिस दर पर कर नगना चाहिए यह उस नित्त प्रियमियम द्वारा निश्वित की जाती है, जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रित वर्ष पास किया जाना है। वित्त प्रियमियम सन् १६४६ (Finance Act, 1958) पर प्रीसीक्ट ने सपनी स्वीकृति २० प्रप्रैल सन् १६४६ को दी यी। यह एक्ट इसलिए महस्वपूर्ण है कि इममे उसलि छूट (Development Rebate) की दरों में महस्य पूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जिनका वर्णन प्रध्याय ११ में िया गया है प्रोर भी जो परिवर्तन दिस विद्यान य किये गये है उनका वर्णन भी हम पुस्तक में यवास्थान दिया गया है।

वित्त प्रधिनियम सन् १६५६ (Finance Act of 1959) पर प्रेसीडेन्ट की स्वीकृति २० क्रप्रैल सन् १६५६ की प्राप्त हो गई थी। इस प्रधिनियम के अनुसार निवासियों की करदेव प्रदेश में न लाई हुई आय पर ४,५०० रुगए की मिलने दोली छूट की बन्द कर दिया गया है। लामांग की सकत (gross) करना भी बन्द कर दिया गया है।

वित्त प्रीवित्यम सन् ११६० में भी कई परिवर्तन किये गये हैं, जिनमें से प्रमुख परिवर्तन सम्पत्ति पर दिये जाने वाले म्यूनिसपल व स्वानीय करों के दायिक्त का है—उत सम्पत्ति के सम्बन्ध में जिसका बनना १ प्रप्रैल सन् १९५० के पहिले समाप्त हो गया था, म्यूनिसपल व स्थानीय करों की पूरी रकम व प्रम्य प्रकार को सम्मत्तियों में इन करों की आधी रकम ही किरायेदार का दायिक्त मानी जायेगी।

इस विद्यात के अनुसार हुवे सभी परिवर्तनो को समक्रने के लिये विक्त क्रियिनियम सन् १८६० को परिजिष्ट में दिया गया है भीर इन परिवर्तनो को पुस्तक के भारत भी ययास्थान दिया गया है।

क्राय-कर भिविनियम का विस्तृत रूप में प्रध्ययन करने से पहले यह उचित प्रतीत होता है कि साथ कर अधिकारियों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया जाय।

श्राय-कर श्रधिकारी सामम्बद्धाने स्थितारी न्याय-सम्बन्धी ग्रधिकारी सेन्टल बोर्ड ग्रॉफ रेवेन्य न्याय सम्बन्धी श्राय-कर श्रविकारी सप्रीम कोट हाई कोर्ट ग्रपेलेट द्रियुनल प्रपेलेट ग्रसिस्टेन्ट कमिश्नर इनकम टैक्स ऑफीसर घायकरव द्यावकारी भागम ग्रल्क श्रविकर इत्यादि कर इस बोर्ड का एक सदस्य प्राय कर विभाग का ग्रधिकारी होता है. जिसके नीचे कमित्रतर

१. इन्सपेविटन श्रसिस्टेन्ट कमिश्नर २. श्रपेलेट श्रसिस्टेन्ट कमिश्नर

इनकम टैबस ग्रॉफीसर

इनकम टैक्स इन्सपेक्टर

इनमें से प्रत्येक का दर्शन भीने दिया जाता है :-

सेन्द्रल बोर्ड श्रॉफ रेवेन्यू-

इस बोर्ड की स्थापना सेन्ट्रल बोर्ड ग्रॉफ रेबे यू एक्ट सन् १९२४ के अनुसार हुई यो । यह वित्त मन्त्री के अधिकार मे होता है । इसमें कुछ सदस्य होते हैं, जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। सबसे सीनियर सदस्य बोर्ड का चैयरमैन होता है। सम्पत्ति कर, व्यय कर, दान कर के श्रितिरक्त यह विभाग श्राय कर, भ्रवि कर, प्रावकारी कर (Excise duty) घीर प्रायम शुल्क (Custom duty)

पर नियम्बर्ण करता है। इसे भ्राय कर भ्रविनियम की पारा ५६ के अनुसार नियम (Rules) निर्मामत करने वा अधिकार है। इसके एक सदस्य के अधिकार में श्रीय-कर विभाग होता है भ्रीर इस विभाग के उच्च अधिकारी केन्द्रीय सरकार डारा इसकी सिफारिको पर नियुक्त किये जाते हैं।

#### आय-कर के कमिश्नर--

ये केन्द्रीय सरकार झारा नियुक्त किये जाते हैं और अधिकतर एक राज्य के लिए एक क्षित्रसर नियुक्त निया जाता है, परन्तु केन्द्रीय सरकार की पूरा अधिकार है कि वह जितने क्षित्रसर वाहे नियुक्त कर सकती है। उन क्षेत्र के इन्योगेंड्य अधिकार है कि वह जितने क्षित्रसर वाहे नियुक्त कर सकती है। उन क्षेत्र के इन्योगेंड्य अधिकार देव कि वित्रीय विद्याप के काम करते हैं। इसे दितीय विभाग के इन्तक्ष टैंबन आँकीसर और आय कर के निरोसको को भी नियुक्त करने का अधिकार है। पारा ३३ (२) के अपुतार वह अपेकेट अधिकार है। वारा ३३ (२) के अपुतार वह अपेकेट अधिकार व विभाग कर अधिकारों को देव का अधिकार है। वारा ३२ के भीर वारा ३२ कि कपुतार ते अपाय के अधिकारों की देव अपकार है। क्षारा इस कि कपुतार ते अपने का अधिकारों की साय-कर अधिकारों के आदेशों की रिवोजन करने का अधिकार है। वारा २६ में भी इसके कुछ अधिकारों का वर्शन है। उन्ते यह भी अधिकार है कि वह एक भागने की एक आय-कर अधिकारों की वर्शन भागने की एक आय-कर अधिकारों के वर्शन भागने की एक आय-कर अधिकारों के वर्शन भागने की एक

#### इन्सरेनिटम ग्रसिस्टेन्ट कमिश्नर—

ये श्राय वर कियनत्त के नियन्त्रण में रहने हैं और इनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार हारा की जाती है। आय-कर किमहन्तर राज्य की कई क्षेत्री में बीट देता है और हुए एक क्षेत्र के लिए एक उस्वीपंट्य प्रिसिन्ट कियन्तर होता है। इसके देव के अपने कर किया में अधिक कर प्राथम कर कियन में करते हैं। यदि इनकम-टैक्स प्राथम कर के प्रकार कर के मान करते हैं। यदि इनकम-टैक्स प्राथम कोई की प्रायम कर प्रायम एक प्रकार नियम नियम वह जन क्षेत्री में वे कार्य करते हैं वो प्रायम कर होते में वे कार्य करते हैं वो प्रायम कर हारा निर्देशित किये जाते हैं। किसक्तर उसे यह भी प्राप्ता कर सकता है। वह पारा इस के प्राप्ता कर सकता है। वह पारा इस के प्राप्ता स्वयमार्थ प्राप्ता कर सकता है। वह पारा इस के प्राप्ता कर सकता है। इसके अपन अधिकार के प्राप्ता कर सकता है। इसके अपन अधिकार के प्राप्ता कर सकता है। इसके अपन अधिकार का वाले प्राप्ता कर सकता है। इसके अपन अधिकार का वाले पारा इसके के प्रतुपार का वाले पारा इसके अपन अधिकार के प्राप्ता कर सकता है। इसके अपन अधिकार का वाले पारा इसके हैं। इसके अपन अधिकार का विकार साथ है। किया गया है।

#### इनकम-दैक्स ऑफीसर-

इसको निष्टुक्ति भी केन्द्रीय सरकार द्वारा ही की जाती है। प्राय-कर निर्घारख करना ग्रीर यसून करना इसका मुरय काम होता है। श्राय-कर इस्वपंकटर इसके नियन्त्रण में काम करते हैं। वास्तव में ग्राय कर विभाग में व्यवहारिक होई से सबसे ये द्वारा कर विभाग के प्रशिकारियों हारा दो गई कातायों का पालन करते हैं, जैसे नये करदाताओं का पता लगाना। ये इनकम टैक्स ऑफीसर को दी गई भित्र भित्र मूजनात्वों की जाप उमकी ध्रासातुम्बार करते हैं। इनकी नियुक्ति इनकम टैक्स क्षेत्रकर इंगरा की जाती है। यदि इनको किसी अन्य ध्राय कर प्रशिकारी के नीचे कार्य करने के विदे रेसा गया है तो ये उस प्रशिकारी की ग्रामा पालन करते हैं।

#### डाइरेक्टर श्रॉफ इन्सपेक्शन--

पासन सम्बन्धी विभाग में केन्द्रीय सरवार द्वारा कमिक्तर की बराबरी का एक और ग्रॉफीसर निमुक्त किया जाता है जिस डाइरेक्टर ग्रॉफ इन्सपेवशन (Director of Inspection) यहाँ है। कन्द्रीय सरकार को यह प्रविकार है कि यह जितने प्राइनेक्टर आक इन्सपवान की निमुक्ति करना उचित सम्र्यक्ष कर सकती है। इसके नामक्षेत्र की सीमा नेत्रीय सरकार द्वारा निमित्ति की जाती है, परानु इसे यह अधि कार होना है कि यह दाकम टेक्स ग्रांकीसर को ग्राय कर निर्मारण करने से सम्बन्धित आवाएँ दें नकता है।

#### न्याय सम्पन्धी अधिमारी (Judicial Officers) — श्रापेलेट ग्रासिस्टेंट कमिश्नर—

जब कर दाता इनकम टैक्स ऑक्सिस के निर्मुय से स नुष्ट नहीं होता है तो वह इनके यहाँ अपील करता है। इनके दिए हुए निरम्य के विकट अपेकेट द्रिव्युनक (Appellute Tribumal) में ही अपील की जा सकती है। से दूल योडें ऑक देवे यू या किंग्सिट या टाइनेस्टर ऑक इनकम टैक्स को इनके काम में हस्तकेष करने का अपिकार नहीं हाता है। इनकी निष्ठत्ति के द्रीय सरकार हारा को जाती है। इनके कत्त थो का बनान पारा २५, ३०, ३१, ३५, ३०, ३६ और ३६ में किया गया है। इम्पेसेट टिक्यनल—

अध्यय: १६०थूनल-
पारा १ का के अनुसार केन्द्रीय सरकार घरेकेट हिन्यूनन की नियुक्ति
करती है। वन्न्द्रीय सरकार जिनने सरस्यों को चाहै इन दिख्यूनन के नियुक्ति
करती है, वन्न्द्रीय सरकार जिनने सरस्यों को चाहै इन दिख्यूनन के नियुक्ति कर सकती है, वन तु कम से बम दो सरस्य प्रवश्य होने चाहिये, जिनने एक सरस्य न्याय
सम्मणी (Judieral Member) छवा दूकरा सरस्य हिसाव किसाव
(Accountant Member) सन्वग्यी होता है अपनेन्य स्थासस्टॅट किस्तरन के
हारा दिये हुवे निर्मुख यदि कर दाता सा इनकम देवन अधिताद में से कोई भी
असन्य हुत्ये, ही इस न्यायालय ने प्रयोज कर सकता है। कर दाता को ऐसा करने के लिए १०० रुपये जमा करना आवस्यक है, परन्तु आय कर विभाग को अपील करने के तिए इस प्रकार की कोई रक्तम जमा करने री यावश्यकता नहीं है। यह भपील अपेलेट ग्रीसस्टेंट किमिन्तर के फैमले के ६० दिन के अन्तर हो सकती है। इस न्यायालय हारा दिया गया निर्माण तथ्य के विषय में ग्रन्तिम निरम्भ माना जाता है, परन्तु यदि कोई कानून के विषय के निन्मुम से असन्तुष्ट हो तो इसकी अपील हाईकोर्ट में को जा सकती है।

#### हाई कोर्ट--

यदि क्रोलेट ट्रिट्यूनल के कानून के विषय में दिए हुये निर्माण से कोई पक्ष प्रतन्तुट होता है, तो ६० दिन के प्रन्य र इस न्यामालय में क्रपील कर सकता है। कर-दाता को यहां भी १०० रुपये जमा करने की प्रावश्यकता होती है, परन्तु प्राय कर विभाग को यहां क्रोले करने के लिए कोई रुपये जमा करने की मान्दरकता नही होती है। यह बात ब्यान रखने योग्य है कि इस न्यायालय में क्रमील करने के लिए क्रपेलेट ट्रिब्यूनल को स्वीइति लोग प्रावश्यक है। यदि क्रपेलेट ट्रिब्यूनल क्रपनी स्वीइति न दे तो दोनो पत्नो को प्रधिकार है कि हाईकार्ट में प्रार्थना एक पेन करें कि ऐसी स्वीइति अदान की जाते और हाई कोर्ट इस मकार को स्वीइति तभी प्रदान करेगा जबकि वह इस प्रार्थना को नियमानुतार जीवत समक्रमा।

#### सुषीम कोर्ट-

यदि कोई यस हाई कोट के निर्मुख में असन्तुष्ट हो, तो हाई कोट की स्वीकृति सेकर इस न्यायालय में प्रणील कर सकता है। इस न्यायालय हारा दिया हुना निर्मुख मिलम निर्मुख माना जाता है। घारा ६६  $\Lambda$  के अनुसार इस कोट में प्रणील को जा सकती है।

#### QUESTIONS

- (a) What were the circumstances in India due to which In come tax was imposed first time in this country
  - (a) Give brief history of Ir ome tax in India
- 2 Write short notes on —
  Various Income tax authorities of India

(Agra, B Com, 1953)

- 3 Write a note on Central Board of Revenue, Income-tax Commissioners, and Inspecting Assistant Commissioners
- Describe the various authorities entrusted with the work of administering the law of Income tax in India.

(Raj., B. Com , 1959)

## <sup>ऋध्याय २</sup> परिभाषाएँ

(Definitions)

### करदाता (Assessee)—

करदाता की परिभाषा—

इसकी परिभाषा आय-नर प्रधिनियम की धारा २ (२) मे इस प्रकार की गई है—
"कराता उस व्यक्ति को नहते हैं जिनके हारा भाय-नर या मन्य नोई रागि इस
स्वित्तियम के अन्यर देय (Payable) हो और इसमें के सह ध्यक्ति सामिल हैं जिन पर इस प्रियित्यम के धनुसार जनकी साम पर कर सगाने के लिए सा जननी हानि की गणना के लिए या जनको कर बास्त्र देने के लिए कोई कार्यवाही की गई हो ।"

इस प्रधिनियम के प्रत्यर नीचे दिए हुए स्पक्ति भी रागि देने वाले होते हैं, जिन पर वास्तव में कर नहीं लगता, परन्तु उन्हें दूसरे स्वक्ति पर लगे हुए कर की रागि देनी पड़ती है। इन ब्यक्तियों को भी करताता कहते हैं:—

- ( प्र ) एक ध्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् उसका कानूनी उत्तराधिकारी घारा २४ (B) के सनुसार उस कर को देने के लिए उत्तरदायी है जो कि उस मरे हुए व्यक्ति को देना चाहिए था, इससिए उसे करवाता माना
- जाता है।
  (व) पारा ४० के अनुसार एक अवयस्त और पागल का सरक्षक या ट्रस्टी करदाता की तरह समक्ता जाता है।
- (स) धारा ४२ (१) के अनुसार एक करदेय प्रदेश के लिए विदेशी (Non resident) द्वारा दिये जाने वाले कर के लिए उसका अभिकर्षा (Agent) करदाता की तरह समक्ता जाता है।
- (द) एक ब्यक्ति, जिमे धारा १८ के ब्रनुतार दूसरे ब्यक्ति को राशि देने के पहिले कर काटने का अधिकार मा, कर नही काटता है या कर काट लेता है, लेकिन सरकार के खजाने में लमा नही करता है तो घारा १८ (७) के ब्रनुतार वह करदाता माना धानेगा।

#### परिभाषा का महत्त्र-

ग्राम कर प्रविकारी प्रत्येक व्यक्ति से भाय-कर वसूल नहीं कर सवते हैं। वे कैवल करदाताओं से ही ग्राय-कर वसूल कर सकते हैं, ग्रत: करदाता की परिभाषा ठीक प्रकार न समभी लाग तो सारा ग्राय-कर प्रधिनियम व्ययं हो जायगा। यही कारण है कि करदाता की वरिभाषा को इस अधिनियम मे महत्त्वपूर्ण माना गया है। करदाताओं का वर्षाकरण (Classification of Assessees)—

करदाताओं के महत्वपूर्ण होने के कारण, जैसा कि ऊपर समकाया जा चुका

है, माप-कर मधिनियम में इनका नीचे लिखा वर्गीकरण किया गया है :---

(व) हिन्दू प्रविभाजित परिवार (Hindu undivided family),

(स) फर्म (Firm).

(द) स्थानीय सरकार (Local Authority),

( य ) कम्पमी (Company).

(फ) व्यक्तियों के सन्य सब (Other Association of Persons)

### घ्यक्ति (Person)---

#### 'व्यक्ति' की परिभाषा--

म्राय-कर अधिनियम की धारा २ (१) के म्रमुसार "व्यक्ति में हिन्दू मिना-जित परिवार और स्थानीय सरकार सम्मिलित है।"

प्रधिनियम की दी हुई यह परिभाषा स्पष्ट नही है। बास्तव में व्यक्ति का मानाय एक व्यक्ति, हिन्दु प्रविभाजित परिवार, स्वानीय सरकार, व्यक्तियों का सब और कम्पनी से है। स्थानीय वरकार का प्राशय म्यूनिसियल दोडें, डिस्ट्रिस्ट बोर्ड और पोर्ट टस्ट प्राप्ति से हैं।

श्राय कर अधिकारी एक पापल व्यक्ति को भी व्यक्ति की परिभाषा में लेते हैं, क्योंकि पदि पागल व्यक्ति धाय-कर घोषांनयम में व्यक्ति न माना जाय तो बहुत से करदाता कर देने के समय पर अपने को पापल बना लेंगे।

प्रायस्क (Minor) भी प्राय-जर ग्रियिनयम में व्यक्ति माना जाता है। एक पानल भीर प्रययस्क दोनी ही भार कर के लिए व्यक्ति माने गये हैं। यह निर्दाय Rex Vs. New Market Commissioners के मामले में सन् १९४६ में दिया गया था।

प्रस्प में, ट्रम् व्यक्ति की शरिक्षाया को इस प्रकार अपना अपने हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसकी प्राय प्राय कर प्रायिनियम के मनुमार कर देने योग्य होगी, नहीं व्यक्ति करदाता मान विया जायगा, नाहे वह प्रवयक्त हो या पागल या प्रस्य प्रसार वा उसमें कोई दोप हो।

#### परिभाषा का महस्त्र-

करदाता को परिभाषा समभते के लिए 'ब्यक्ति' की परिभाषा समभता अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि करदाता को परिभाषा में व्यक्ति नव्द का प्रयोग हुमा है, जो कि बहुत महत्त्वपूर्ण है। प्राय-कर अधितियम में व्यक्ति की परिभाग नहीं की गई है, यक्ति यह बताया गया है कि व्यक्ति में कोन-कोन से लोग सम्मिलत हैं। करदेय प्रदेश (Taxable Territory)—

करदेय प्रदेश की परिभाषा--

इसकी परिभाषा श्राय कर घषिनियम की घारा २ (1.4-A) मे की गई है, जो कि बहुत विस्तृत है। सुन्म में, 'करदेय प्रदेश' का ग्रयं सम्पूर्ण भारतवर्ण से है।

जहाँ जहाँ के व्यक्तियों को भारतीय धाय-कर प्रधिनियम के धनुसार बाव कर देना पडता है वे सभी स्थान करदेव प्रदेश कहें जाते हैं। इसकी परिभाषा में कई बार परिवर्तन किये गये हैं। यह नीचे दिये हुए विवरण से स्पष्ट हो जायेगा—

१ मर्प्रल सन् १६५० से १२ मर्प्रल सन् १६५० तक करदेव प्रदेश का मानव जम्मू, काश्मीर, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य सथ को छोडकर शेष सारे भारतवर्ष से या।

१२ खप्रैल सन् १९५० से १२ खप्रैल एन् १९५४ तक करदेय प्रदेश का माजय जम्म मीर काइमीर की छोडकर सारे भारतवर्ग से घा।

१२ अप्रैल सन् १९५४ के बाद से करदेय प्रदेश का आशय सारे भारतवर्ण से हो गया है।

परिभाषा का महत्त्व--

माय कर विधान के लिए यह परिभाषा बहुत महत्त्वपूर्ण इसलिए बत गई है, क्वोंकि माय कर व्यक्तियो पर जनके करदेय प्रदेश के अनुसार लगता है। हमारी सर कार कर निर्धारण के लिए यह जानना म्रावस्थक सममती है कि करदाता करदेय प्रदेश का है कि करदेय प्रदेश के बाहर का।

गत वर्ष (Previous year)— गत वर्ष की परिभाषा—

इसकी परिभाषा आय कर प्रधितियम की घारा २ (११) में की गई है-

'गत वर्ष' का धाशय अधिकतर उन १२ महीनों से होता है जो उस ३१ मार्च को समान होते हैं जो कि चालू वर्षया कर निर्धारण वर्षके पहिले धाती है। चालू वर्ष १ प्रप्रेल से शुरू होती है।

गत वर्ष को पिछले बार्षिक वर्ष भे किसी न किसी दिन समाप्त होना चाहिए। किसी भी मद की सामदनी के लिए गत वर्ष का मतलब इस प्रकार है :—

जिस बयं के लिए कर लगाना दे तम वर्ष से पहले ३१ मार्च को वो १२ महीने पूरे होते हो या करवाता का हिसाब इसके पहले किसी तारील को बन्द होता हो तो बहुत तक के १२ महोनों को गत वर्ष कहा जाता है।

साराश यह है कि सन् १६६० ६१ करदेय वर्ष के लिए गत वर्ष, जिसकी भाग

पर कर लगेगा, १-४ ५६ से ३१-३ ६० तक होगा।

प्राय: लीगो के बही खाते २१ मार्च को न बन्द होकर दशहरा, विवासी या स्थाद से बन्द होते हैं। ऐसी हालत मे १-४-४६ से ३१-३-६० के बीच जी दसहरा, विवाली या समाड पदा हो वहाँ तक वा एक वर्ष सन् १६६०-६१ करदेव वर्ष के लिए लात वर्ष होगा। इसी वर्ष को एकाउन्टिंद वर्ष (Accounting year) भी कहते हैं।

गत वर्षों के समफने के लिए नीचे दी हुई समय सारिएी को देखिये---

#### Accounting Periods with reference to Income-tax Year

Income-tax year or assessment year	Income year or (Previous year)	
1955—56	1-4-5431-3-55	1-1-54—31-12-54
1956—57	1-4-5531-3-56	1-1-5531-12-55
1957—5 <sup>S</sup>	1-4-5631-3-57	1-1-5631-12-56
1958-59	1-4-57—31-3-58	1-1-5731 12-57
195960	1-4-58 31-3 59	1-1-58-31-12-58
196061	1-4-5931-3-60	1-1-59—31-12-59

एक बार गत वर्ष निश्चित कर लेने के बाद बार-बार बदली नहीं जा सकती है और बदि बदलना आवश्यक हो तो आय कर झॉफीसर से स्वीकृति लेनी पडती है।

यदि एक व्यक्ति को पिन-पिन सापनों से प्राप प्राप्त होती है हो यह उसकी हक्ता के ऊपर निभंद है कि वह सब साधनों के लिए एक ही गत वर्ष रखे या प्रत्येक साधन के लिए प्रकार प्रवार-प्रवार वर्ष रखे, लेकिन सब वर्षों की प्रान्तिम तारी हैं ११ मार्च के पहले प्रवार सामत हो जानी चाहिए। किसी फर्म के सामेदार का गत वर्ष फर्म से प्राप्त होने वादी धाय के लिए वहीं होता है जो कि एमें का, यदि एमें पर स्यय कर निर्धारण किया जा चुका है।

नपे स्थापित किये हुए ब्यातारों के सम्बन्ध से गत वर्ष ३१ मार्च को ही तमास किया जा सकता है या अपन किसी विधि पर, परन्तु यह समय १२ महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। उदाहरूए के बिए, यदि कोई व्यातार १ कितस्यर नम् १९४५ को प्रारम्भ होता है जे अन् १९५६-५० करदेय वर्ष के लिए इनकी गत वर्ष ११ मार्च सन् १९५६ को क्सास हो सकती है, परन्तु यदि व्यातार का स्वामी चाहे जो अपनी गत वर्ष को ३१ प्रमस्त सन्त्र १९५६ को भी समाप्त कर सकता है, परन्तु इस दसा में सन् १६४६-४७ में उस व्यक्तिकी ग्राय पर नोई ग्राय कर नहीं लगेगा, परन्तुसन् १६४७-४⊂ में ग्राय-कर मनस्य लगेगा।

यत वर्ष सर्वेव ३१ मार्च को या इससे पहले ही समात होता है, वरलु यदि विची करदाता वा गत वर्ष ३१ मार्च के कुछ दिनी बाद समाप्त होता हो तो क्या उस वर्ष नो गत वर्ष माना जा सकता है? इस प्रश्न के उत्तर के लिए नीचे एक उदाहरण दिया गया है:---

#### परिभाषा का महत्त्व-

आय-कर गत वर्ष की आय पर लगता है, अतः भाय-कर देने के लिए गत वर्ष की परिभाषा समक्ष्मा अध्यन्त आवर्यक है।

श्राय-कर गत वर्ष की धाय पर लगता है। इस नियम के निम्न अपवाद (Exceptions) हैं:—

- (१) यदि कोई व्यापार साल के मध्य में ही समास हो जाय तो उसकी प्राय पर तुरन्त कर लगा दिया जायगा। जो व्यक्ति व्यापार वन्द करते के १५ दिन के धन्दर स्नाय-कर अधिकारी को व्यापार वन्द करने के १५ दिन के धन्दर स्नाय-कर अधिकारी को व्यापार वन्द करने के सूचना दे देनी चाहिये। यदि यह सूचना नहीं दो जातो है तो इस व्यक्ति पर व्यापार वन्द होने के समय सक की आय पर लगने यांत कर के करावर तक जुमीना किया वा सकता है।
- (२) यदि कोई व्यक्ति भारत को सर्दय के लिए छोड रहा हो, तो उसकी इस वप की झाय पर इसी वर्ष कर लग जायगा। । धारा २४ ग्री
- (३) बुख विशेष प्रकार के समुद्री जहाजी के मालिको पर उसी वर्ष कर लगता है जिस वर्ष कि भाग पैदा की जाती है। ये घारायें ऐसे विदेशी

समुद्री जहाजो के मालिको पर लगती है जिनका कोई एजेन्ट भारत में नहीं है। इन जहाजों के बन्दरगाह छोड़ने के पहिले, इनके मालिक को इनकी भारतीय प्राप्ति के ने पर कर देना पडता है। यह कर मुका देने के बाद ही Port Clearance प्रमाश पन दिया जाता है।

िवास ४४ म. ४४ वी

कृषि आय (Agricultural Income)-क्रवि श्राय की परिभाषा--

इसकी परिभाषा आय-कर अधिनियम को बारा २ (१) मे दो हुई है। कृषि आय उस भूमि से प्राप्त होने वाली आय को बहुते हैं जोकि खेदी के काम के लिए प्रयोग की जाती हो और जिस पर सरकार को भूमि कर या स्थानीय कर देना पडता हो, अर्थात् कृषि श्राय उस भूमि की साथ को कहते है जो इन दोनो नियमो का पालन करे:--

( अ ) यह भूमि कृषि काय के लिए प्रयोग की जाती हो और

(व) इस भूमि पर भूमि-कर या स्थानीय कर लगता हो।

उदाहरण (१)-माना कि अ एक ऐसी मूमि का मालिक है जो कि कृपि काम के लिए प्रयोग की जाती है और जिस पर भूमि कर लगता है तो इस भूमि से जो आय प्राप्त होगी. वह अ के लिए कृषि आय होगी, परन्तु सदि आ इस भूमि की पैदावार को व को वेच देता है और और य उस पैदाबार को कटवा कर स को वेच कर ग्राय प्राप्त करता है तो व के लिए यह कृषि ग्राय नहीं कही जायगी।

(C. I T. Vs. Maddi Venkatsubbayya 1951)

खद्खरण् (२)-एक जमीबार के पास दूछ जमीन है, जिस गर पेड अपने आप उगते हैं। वह इन पेड़ों वी लकड़ों काट कर बेचता है। इस लक्डों से जो ग्राय प्राप्त की जायगी वह कृषि ग्राय नहीं होगी क्योंकि इस भूमि के ऊपर जमीदार को लोई भूमि-कर नहीं देना पडता है और इस भूमि पर खेती का कार्य नहीं होता है।

(श्र) रूपि कार्य के लिए भूमि का प्रयोग करना (Land used for Agricultural purposes)-

यह वाक्च कृपि भ्राय की परिभाषा में प्रयोग हुना है। इसे समऋते के लिए नीचे दिया हम्रा वर्णन महत्त्वपूर्ण है :---

इस सम्बन्ध में कमिश्तर श्रॉक इनकम-टैब्स बनाम राजा विनवकुमार साहसरॉय सन् १६५७ (C. I. T Vs. Rapa Benoy Kumar Sahas Roy 1957) में उचनम् न्यायालय के दिए हुए निर्ह्मय को सर्वमान्य माना गया है। न्यायाचीश थी भगवती ने इस मामले में कृषि भूमि और कृषि कार्य का पूरा वर्णन

बरने ने परबात खेडों ने कार्य ने जिए नृमि नो प्रयोग करने के बारे में निम्नलिखिड चार मिडालों पर जोर दिया है :---

- (१) प्रारम्भिकः तियाएँ—पौषा निवनने ने पहने वी बुद्ध स्वावस्य जियायें, त्रिनमें मनुष्य प्रदेशा श्रम व बुद्धि नेवल भूमि वी पैतावार पर हो नहीं वस्त् भूमि पर भी प्रयोग वरता है, कृषि के सन्तर्यक सात्री है। इन सावस्यक क्रियाओं के दक्षहरूलों में सुनि का योजना, सुपि में पानी लगाना और बीज बोना सार्थि है।
- (२) बाद की दिखाएँ—इनमें वे क्रियाएँ शामिन है जो हमि ने भीवा दिक्तने के बाद की कार्या है। जैने—जिनाई करना, हदाई करना, निवाई करना और पोर्चों की कीर्कों व क्रम्य अनवहाँ से रक्षा करना भादि। ये क्रियाएँ प्रारम्भिक क्रियाओं के हाम कीर की क्रियाएँ हैं।
- ( २ ) हॉप का सम्बन्ध महुन्य व जानवरों क निते बनाव और खाद्य गामियों पैदा करने स हो नहीं है, बन्दि सब व्यागारिक छन्दों, थेंने—बाब, कोंसे, तस्वाह, कराय, गरा, रवर, दूट प्रांदि के पैदा करने से सी है।
- (४) वो नियाएँ तूमि पर कोई बावदाक नार्य नहीं करेंगी, उन्हें होयि की जियाएँ देवल इमीनिए ही नहीं कहा बादगा दि उनका तूमि से सम्बन्ध है। बैंसे बातवरों का पानता, डेफी (Dany) वा नाम करना, मुर्गी पानता प्रादि स्वतः हथि कार्य नहीं है।

एन् १६५७ में इस्तरम् स्यायात्रय ने कमिरनर ग्रांठ इनकमर्टकम् वनाम ज्योजीकरा चौधरानी स्पेर तर कमिरवर्दास्त ननाम वनिस्तर ग्रांठ द्वराम टेक्स (C.I.T. Vs. Jyothkana Chowdhuranı & Sir Kameshwarı Singh Vs. C.I.T. 1957) में उन्दर निर्मेत हुर मिद्धानों ने साचार पर दी निर्मुय दिया था कि एक जरून में न तो तूमि बोतो जातों है और न बीव बोता जाता है, बरन् तक पेठ प्रमाने प्राव ठाने हैं। दर्मान्य अगन के पंत्री की रहा करने के निष् ब उनको तरको करने के निर्मेद स्पेर्य गर्ने काम, जो कि 'बाद की विश्वामी' के मन्तर्गत प्राव है, इर्म की निर्माण नहीं माने जातेंगे। निर्मेत गर्ने १६५५ में कमिन्नर मौठ इनकम् टैक्स बनाय राजा वित्रमहुमार साहसरों के मामने में बही बहुत के साक किए हुने मान पर नए रूस से इन्तरोत्तर किया गर्मा थारे एमें को बटाने व उनको स्था करने के निर्मेद बाद की व्रियाण्यों भी नी मई यी वही इस प्रवार में इतारा नगारें गर्म देनों से श्रात होने वाली माम की हिन को साम माना गया है।

जननी पास या बांस में, जीन सबने साप को हों, प्राप्त होने वार्य साय हपि स्राय नहीं है! (Rant Tara Kumart Devt Vs. C. I. T. 1946)

मूमि जो कि ऐसे आनवरों को जराने के लिए पट्टी पर दो जाती है निग्हें इपि के काम में प्रचीन किया आहा है, तो लास के चराने से प्राप्त होने वाली दस पट्टी की ुमाय को कृषि आय कहा जायगा। चाहे वह घास भूमि पर अपने आप जमी हो या भूमि जोत कर उगार्ड गर्ड हो।

(C. I. T. Vs. Rai Shamsherlang Bahadur 1953)

न यदि एक डेरो जोकि ऐसे जानवरो द्वारा चलाई जाती है जिन्हें अपनी स्वय की हुए। अपने क्षेत्र की कुणि भूमि पर बराया जाता है तो इतकी श्राय कृषि श्राय मानी जायमी।

(C I. T. Vs. Vankataswamy Naidu 1956)

कु पे बाब्द का मुक्त अर्थ भूमि को जोतने से है। Agri का अर्थ खेती है और Culture का अर्थ जोतना है, भ्रतः Agricultural का अर्थ खेत जोतना व इससे सम्बन्धित कार्य करना है।

(य) भूमि जिस पर भारतवर्ष में भूमि-कर या स्थानीय-कर लगता हो-

यह वाक्य भी कृषि झाय की परिभाषा में भयोग हुआ है। कृषि आय का अर्थ समक्षत्रे के लिए इसे भी भली भाति समक्षत्रे लेता चाहिये।

यदि भूमि भारतवर्ष के बाहर स्थित है भीर इह पर किसी विदेशो सरकार द्वारा लगान लिया जाता है तो इस भूमि से प्राप्त होने वाली आप कृषि स्राय नहीं कहीं जायगी।

, (Kumar Jagadish Chandra Sinha Vs C. I. T. 1955) कृषि बाय की परिभाषा म स्थानीय-कर का बादाय उस कर से है जोिक सर कार के किसी बफ्कर डारा स्थानीय सरकार के लाभ के सिए निर्वारित एव एकत्रित किया जाता है। यदि स्थानीय कर स्थानीय करकार जैसे म्युनिसिपीलटी डारा निर्वारित किया जाता है और इसी के डारा वसून किया जाता है तो ऐसी भूमि की बाय को कृषि बाय नहीं कहा जायगा, चाहे उस पर पूर्णतया कृषि कार्य ही क्यों न किया जाता है।

(Hulas Narain Singh Vs. Prov. of Bihar 1942) कृषि भाष को समक्षते के लिए तीचे कुछ उदाहरण दिये हुए हैं :—

- (१) मकान से प्राप्त होने वाली आय-एक ऐसे मकान से प्राप्त होने बाली आय कृषि आय कही जायेगी जोकि कृषि के कार्य में मदद देने के लिए कृषि भूमि के पास बनाया गया हो । कृषि काम में मदद देने से प्राप्त गहा रखना, बीज र्रुरखना, कृषि के धोजार रखना और कृषि में प्रयोग होने बाले जानवरों आदि को रखने से हैं।
  - (२) कृषि आय मे से एक कम्पनी के द्वारा दिया हुआ लाभाश-उवतम न्यायालय ने सन् १९४४ मे Bacha Guzdar Vs. C. J. T. के मामले में यह निर्होत दिया था कि यदि एक कम्पनी ने ग्रापनी छुपि भाग मे से लाभीत दिया

मा०व ० वि० सा० (२)

है तो अंत्रधारियों को यह खाभाँग कृषि आयं के रूप में नहीं मिलेगा, परन्तु पाक्तिस्तार में लाहोर रूप न्यायालय ने सन् १९४६ में C. I. T. Vs. Mrs. Miller के मामले में इसी विषय पर भारतीय दृष्टिकीए के विरुद्ध विषार प्रसट किये हैं।

- (३) मछलियो से ग्राय—समुद्रो मछलियो या सरकारी तालाव प्रादि से मिलने वाली मछलियो से ग्राय कपि ग्राय नहीं कही जाती है ।
- (४) गिरवी रखी हुई भूमि से आय-यि नोई भूमि साधारण विस्वी (Morteage) रखी जातो है तो इस गिरवी से प्राप्त होने वाली स्नाय को इपि
- द्याय नहीं कहाँ जाता है।

  ( ४ ) दुग्धशाला से आय--जिन दुग्धशालाओं के जानवरों नो मोत लेकर
  चार्य (Fodder) खिलाया जाता है, चन दुग्धशालाओं की आय इपि आय नहीं कही
- जाती है।

  (६) भवन से ब्राय—जो भवन खेती करने वाली भूमि के पास होते हैं,
  परन खेती के काम मे मदद नहीं ९हैंचाते हैं, उनकी ब्राय भी कृषि माय नहीं कही
- जाती है। (७) पत्यर की खानों से प्राप्त होने वाली आय—इस आप को कृषि आप नहीं कहा जाता है। यह निर्णय Shiv Lal Ganga Ram Vs. C.I.T.
- के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सन् १६६० में दिया था। (६) भूमि पर लगने वाले मेलो व नुमायतो की आय को भी कृषि आय नहीं
- कहा जाता है । ( ६ ) खानो के ब्रधिकार-गुल्क (Royalties) की म्राय कृषि माय नहीं है।
  - (१०) ईट बनाने के लिए बेची हुई जमीन की साथ कृषि भाग नहीं है।
  - (१०) इंट बनाने के लिए बेचा हुई जमान की झाँप कृत्य झाय नहीं है। (११) खरीदी हुई पैदानार के स्टीर करने के लिए जो भूमि प्रयोग में सार्ह
- जाती है, उससे प्राप्त होने वाली ग्राय कृषि प्राय नहीं है।
- जाता हूं, उससे प्राप्त होने बाला प्राय कृषि आय नहा हूं। ( १२ ) कोयला, मैंगनीज और माइका (Mica) से प्राप्त होने बाली आय कृषि भाय नहीं है।
  - (१३) बाजारो और तालाब के सिंघाड़ों से प्राप्त होने वाली ग्राय कृषि भाग
- नहीं है। (१४) समुद्री पानी से Sodmm Chloride निकालने से प्राप्त होने वाली 🕨
- माय हवि माथ नहीं होती है। यह निर्णय C. I T. Vs. Lings Reddi के मामलों में दिया गया था।
- (१५) सिनाई के लिए दिये गये पानी से प्राप्त होने वाली माय कृपि ब्राय मही होती है।
  - ती है। { १६ ) लाल की खेती से प्राप्त होने थाली ग्राय ऋषि श्राय नही होती है। यद्दं

निर्णंय Beohar Singh Raghubir Singh Vs. C. I. T. के मामले में सन १६४ = में दिया गया या।

श्रंशतः कृषि श्राय (Partly Agricultural Income)—

नीचे लिखी द्याय धरात कृषि घाय होती है :—

(१) करदेय प्रदेश के विक्रेता द्वारा पैदा की हुई चाय से प्राप्त भाय असतः कृपि आस होती है। इस आय का ६०%, कृपि आस माना जाता है और ४०%, आस पर कर लगता है।

(२) यदि काई गाने की फैक्टरी का मालिक स्वय अपने खेतो पर गन्ना पैदा करता है और इसी गन्ने को अपनी फैक्टरी में शकर बनाने के लिए प्रयोग करता है तो इस पैनटरी की ग्राय ग्रनतः कृषि श्राय कही जायेगी ।

कवि आयका महत्त्व—

कृपि ग्राय का ज्ञात करना इसलिए बहुत महस्वपूर्ण है क्योंकि इस भाय के ऊपर कर नहीं लगता है और यह आय कुल आय में भी नहीं जोडी जाती है।

ञ्चाय (Income)—

यह एक विचित्र बात है कि झाय कर प्रधिन्यिम मे झाय की परिभाषा नहीं दी हुई है। केवल घारा २ (६ सी ) मे यह दिया हुआ है कि आय में क्या-क्या सम्मिलित विया जाता है। यह घारा इस प्रकार है ---

"ग्राय में नीचे लिखे दामिल हैं—

(१) लाभारा। (२) घारा ७ में समक्ताये हुए अनुलाभ या बेतन के बदले में मिले हुए लाभ कामल्य।

(३) एक सचालक या ग्रन्थ किसी व्यक्ति, जिसका कि कम्पनी मे पर्याप्त हित है, के द्वारा कम्पनी से प्राप्त हुए लाभ या अनुलाभ का भूल्य (पर्याप्त हित का स्नासय उस कम्पनी में कम से वम २०% मत देने का ग्रांधकारी होना है ) और ऐसी राशि जिसे कम्पनी ने इन लोगी की कोर से बदा किया हो ब्रार यदि इसे कम्पनीन चुकाती तो इन्हे ही चुकाना पडता।

(४) घारा १० (२) clause (vii) के द्वितीय भाग में माने जाने वाले लाभ और धारा १० ( 2A ) के अनुसार माने जान वाले लाभ या घारा १२ (५) के घ्रनुसार माने जाने वाले लाभ।

(५) घारा १० (५ 🗛 ) के झनुतार जो रकम व्यापार पेशा या व्यवसाय की लाभ मानी जाती है।

(६) घारा १२ B के ब्रनुतार पूँजीगत लाभ।

(७) बीमा वस्पनी से प्राप्त हुए लाभ, जो कि पारस्परिक बीमा सघ द्वारा

₹• ]

चलारै जानी हो या अनुसूची के ६ वें नियम के अनुसार बनी हुई सहकारी समिति के द्वारा चलाई जाती हो ।"

काय-कर प्रचितियम क धनुसार, जो 'श्राय' को परिभाषा दी हुई है सौर जिसे कपर समभाग गया है. वास्तव में पूर्ण परिभाषा नहीं है !

म्राय की परिभ पा Sir George Lowndes ने C I. T. Vs. Shaw Wallaeis & Co. के मानने में इन प्रकार दी पी-

''इस प्रविनियम म आय से तान्यम उस सामयिक मौदिक आय (Perio dical Monetary Return) में है जो कि पुछ नियमितता के साथ या सम्मावित नियमितता के साथ निश्चित साथनों से भारत होती है।''' इस्तो महासय ने भाय भी एक पढ़ के कर्जों से और एक खेत की फमत से तुलना की है।

Lord Russell of Killowen ने Gopal Saran Narain Singh Vs C I T. के मामले में स्नाम के सम्बन्ध में यह निर्होद दिया था :—

"कोई बस्तु जिसका उचित रीति से भ्राय की तरह वर्णन किया जा सकता है, इस प्रविनियम के प्रत्य करदेय है, जब तन कि वह स्पट्टतथा कर मुक्त न हो।"

धाय के सम्बन्ध में नीचे लिखे हुए नियम महत्त्वपूर्ण है :---

(१) ब्राय को पूँजी स भिन्न समकता चाहिए, क्योंकि ब्राय पर कर लगता है, पूँजी पर नहीं।

(२) अत्येक भ्राय कर लगता है, जब तक कि वह स्पष्टतया कर-मुक्त (Exempt) न हो।

(३) प्राय स्याई पूँजी की यहातरी स प्राप्त नहीं होती है, बल्कि प्रस्याई पूँजी की बढोतरी से प्राप्त हाती है।

(४) प्राय मुत्रा में भी हो सकती है ग्रीर वस्तुभी में भी। यह निर्शय Tennant Vs. Smith के मामले म दिया गया बा, ब्रव्धंद यह मायस्यक नहीं है कि ब्राय मुत्रा में ही प्राप्त हो। ब्रव्य किसी चीज में प्राप्त काय, जो कि मुद्रा में नायों वा सकती है, ब्राय मानी जायगा।

( प्र ) ग्राय के लिए यह ग्रावश्यक है कि वह क्रिसी न किसी साधन से प्राप्त

tree or the crop of a field "-Sir George Lo indes

3 "Anything which can be properly described as income is taxable under the Act unless expressly exempted."

<sup>1 &</sup>quot;Income in this Act conrotes a periodical monetary return coming in vith some sort of regularity or expected regularity from definite sources"—Six George Lowndes.

2 "Income has been likened pictorially to the fruit of a

की जाय । जो ग्राय कियी भी सावन से प्राप्त नहीं की जाती वह ग्राय नहीं होती है।

नहा हाता है। (६) ग्राय चाहे ईमानदारों से पैदा की गई हो या बेईमानों से, दोनों पर

कर लगता है।

(७) यह पानस्पक नही है कि झाय नियमित रूप से मानिक, वैसासिक, छमाई या झन्य निसी समय के बाद प्राप्त हो, तभी झाय कही जायगी। यदि इक्ट्री शाय प्राप्त होती है और उसके नियमित रूप से प्राप्त होने की झाया नहीं है तो भी यह झाय-कर की दृष्टि से झन्य मानी जायगी।

( प ) जो आय प्राप्त होते समय भ्राय के रूप मे नहीं होती है भीर बाद में भ्राय बन जाती है, उसे आय कर के लिए भ्राय नहीं माना जाता है।

( ६ ) यदि एक देनदार पर कुछ रकम छोड दी जाती है तो वह उसकी भाग नहीं मानी जाती हैं।

(१०) यदि किसी व्यक्ति को किसी व्यस से छुटकारा मिल जाता है तो यह उसकी साथ नहीं मानी जाती है।

(११) आय अपने आप प्राप्त नहीं की जाती, बिल्क बाहर से आनी चाहिए, जैसे—चनक के सदस्यों से प्राप्त होने वाली पारस्परिक आय पर कोई आय-कर नहीं लगता, परन्तु यदि यह बेलव अपनी आय की विनियोग में लगा वे तो इन विनियोगों से प्राप्त होने वाली आय कतब की आय मानी जायगी।

(१२) एक करदाता को यदि प्रपनी कमाई हुई प्राय प्राप्त करने ना प्रधिकार ही जाता है तो वह उसकी प्राय मानी जाती है, चाहे करदाता ने उसे वास्तव में प्राप्त न किया हो, जैसे—पदि किसी कम्पनी के भैनेजिय एकेट को कम्पनी के लाग पर एक निश्चित प्रतितात से कमीवार दिया जाता है तो वर्ष के अन्त में लाग पर निवासे हुए कमीवान की रक्तम मैनेजिंग एकेट की उस वर्ष की आय मान सी जायेगी घीर इस पर कर भी लगेगा, चाहे उसे यह कमीवान उस समय तक न भी प्राप्त क्षा तो।

(१३) यदि किसी भाग के स्वामित्त्व पर दो पक्षों में मतभेद हैं तो इस मतभेद के कारण कर निर्धारण नहीं रुद्देगा, चाहे इस भाग के स्वा मित्व का फ्राडा भ्रदालत तक में क्यों न प्रदेख गया हो।

#### परिभाषा का महत्त्व-

माय-कर की सब परिभाषाओं में सबने महत्त्वपूर्ण परिभाषा माय की है, क्योंकि प्राय कर प्राय के उत्तर ही लगता है, प्रतः जब तक ग्राय की परिभाषा स्पष्ट न होनी तब तक प्राय कर किस प्रकार लगाया जायगा।

#### उराजिस स्नाय (Earned Income)-

इसकी परिभाषा झाय कर विधान की पारा २ (6 AA) में की गई है। वह धाय, जीकि शारीरिक परिथम व मानसिक परिथ्रम व दोनों के द्वारा पैदा की जाती है, उपाजित धाय कहताती है। उदाहरण के लिये, नीचे तिस्त्री हुई भ्राय उपाजित धाय हैं:—

- (ध) एक प्राध्यापक की धाय,
- (ब) एक डाक्टरकी आरय,
- (स) सचालक की बाय,
- (द) पेन्दान, जोकि रिटायर होने के बाद मिलती है,
- (य) पुस्तक लिखने पर मिलने वाला मधिकार गुल्क,
- (फ) वह बाय जोकि वेतन शीर्यंक में शामिल की जाती है,
- (र) वह ग्राय लोकि व्यापार, पेशा श्रीर व्यवसाय से प्राप्त होती है, जहाँ व्यापार, पेशा श्रीर व्यवसाय कर दाता द्वारा स्वय क्या जाता है,
- ( ल ) अन्य सामनो से भाग वाले नीर्पंक में भाने वाली वह सब मार्थे, जिनमें कि वैयत्तिक (Personal) परिश्रम निया जाता है।
  - नी वे लिखी हुई द्याय उपाजित ग्राम नहीं हैं --
  - (क) प्रतिभूतियों से स्राय,
  - (ख) लाभाश,
- (ग) पूँजी आय।

#### डपार्जित श्राय का महस्य--

इस ध्राय का ध्राय कर में महस्व इमिनए है कि इस पर कर लगाते समय एक विशेष प्रकार की छूट दी जाती है, जिसे उपांचित भ्राय की छूट (Exmed Income Reltel) करते हैं, परन्तु Fenance Act सन् १८५७ के अञ्चलार उपार्जित आय की छूट बन्द कर दी गई है और इसके स्थान पर उपांचित भ्राय और धनुपाजित भ्राय के कर निकालने में मेद कर दिया गया है, जिसे भ्राने समभ्या

#### उपार्जित आय की छुट (Earned Income Relief)-

यह छूट उर्शावत आय पर दो जाती थी। जिस प्रकार व्यापार मे प्रयोग होने वासी मनीनो आदि पर खाय कर की छूट दो जाती है। ठीक उमी प्रकार उपांचत धाय पैदा करने में शरीर का हास होता है। यही कारएा है कि शरीरिक व मानसिक परिथम हारा पैदा की हुई धाय पर छूट दो जाती थी। इसी छूट को उपार्कित धाय की छट कहते थे।

यह छूट केवल भाय-कर निकालते समय हो दी जाती थी, ग्रांघ कर निकालते

समय नहीं दो जाती थी। यह छूट स्वानीय सरकार, रिजस्टर्ड फर्म व कम्पनी को छोड कर वाकी सबको दी जाती थी।

सन् १६५६-५७ के करदेय वर्ष के लिए व इनके पहिले के वर्षों के लिए, सभी शीर्षकों की उपार्वित धाय पर यह छूट दी जाती थी, परन्तु सन् १६५७-५८ के करदेय वर्षे में केवल 'वेतन' पर ही उपार्वित झाय की छूट दी गई थी। अब किसी साय पर उपार्वित आय की छूट नहीं दी जाती है। इसी छूट को नीचे समकाया गया है।

#### उपार्जित आय भी छूट की दर—

- (१) जब उपाजित भाग २५,००० रु० तक है।
- (२) जब उपाजित झाय २४,००० रु० से अधिक और ४४,००० रु० से कम है।
- (३) जब उपाजित स्राय ४४,००० रु० है या इससे स्रधिक है।
- (१) जब उपाजित प्राय २४,००० रु० तक है तो उपाजित प्राय की खूट की प्रांति उपाजित प्राय की खूट की प्रांति उपाजित प्राय को थूट की प्रांति उपाजित प्राय २२,००० रु० है तो इसका है। होगी और उपाजित प्राय २२,००० रु० है तो इसका है। भाग ४,४०० रु० हुआ। इस स्वा में उपाजित प्राय की खूट कुल ४,००० रु० ही होगी और यदि है, भाग ४,००० रु० से कम भाता है तो उतनो ही उपाजित प्राय की खूट होगी।
- (२) जब उपाजित धाय २५,००० ह० से धिषक और ५५,००० ह० ते कम है तो उपाजित धाय की खूट इस प्रकार निकासी जायेगी। कुल उपाजित धाय में सं६५,००० रुपये मं से सं६५,००० रुपये मं से सं६५,००० रुपये मं से प्रधाना प्रोचेगा और जो कुछ पटाने से बनेगा नहीं उपाजित धाय की छूट होगी, जैसे—मान लिया कि उपाजित धाय की छूट निकासने के लिए ३५,००० -२५,००० = १०,००० रुपये। इस १०,००० रुपये का रू-२,००० रुपये। इस १०,००० रुपये का रू-४,००० रुपये। इस १०,००० रुपये का रू-४,००० रुपये। इस १०,००० रुपये का रू-४,००० रुपये। इस १००० रुपये का रुपये हाई। काम्यूना इस प्रकार है:—

#### ४,००० ६०--{ (कुल उपाजित भ्राय---२४,०००) का 🕏 }

(२) यदि कुल उपाजित ग्राम ४४,००० रुपये है या इसने ग्राधिक है तो कोई उपाजित ग्राय की छूट नहीं दी जाती है।

सरदेव आय निकालने के लिए कुल भाव में से उपाजित भाव की छूट घटा दो जातों थी। भाय-कर के लिए कुल आप में से उपाजित आप को छूट घटा दो जाती थी, परन्तु भिष-कर के लिये ऐसा नहीं किया जाता था। उदाहरण के लिये, यदि एक करदाता (Assessec) की उपाजित आय २४,००० रुक होती थी दो वह २१,००० रु० पर भाय कर देता था, क्योंकि २४,००० रुठ में से ४,००० रुठ उपाजित भाय की छूउ घटादी जाती थी, लेकिन उसी करदाता पर मधि-कर (Super-tax) २४००० रु० पर ही जगता था।

सन् १९५८-५६ के करदेय वर्ष में व आगे के वर्षों में किसी भी श्राय पर उपार्जित श्राय की छूट नहीं दी जाती है, बरन् उपार्जित आय व श्रन्य प्रकार भी श्राय में कर निकालने में मेद किया जाता है।

वर्तमान काल में उपार्जित श्राय की छूट—

उपाजित बाय की छूट के सावरण में जो नियम १ अर्थन सन् १६५७ के पहिले थे, वे समात कर दिये गये है। अब उपाजित आय की छूट का बायय उपाजित माय पर धनुपाजित आय को सुलना में जम सर-बार्ज लगाना है और यह छूट माय-कर व प्रियम्बर दोनों पर मिखती है। जमर सरस्वा अंश्वी तो स्व क्षार को आय निकाला जाता है, बाहे यह उपाजित हो या अनुपाजित पर अनुपाजित भाग पर १४% सेंगल सरस्वाजें और लगाया जाता है। इस प्रकार के प्राप्त पर १४% रनेंगल सरस्वाजें और लगाया जाता है। इस प्रकार क्षुपाजित झाय पर कुल सर्वाजं २० अतिशत सम्ताजें और लगाया जाता है। इस प्रकार क्षुपाजित झाय पर कुल सर्वाजं २० अतिशत हो सर्वाजं लगता है। यही छूट उपाजित आय की छूट है।

फर्म और उपार्जित आय की छूट-

रजिस्टडं फर्म को उपाजित आय की छूट इस्राजिए नहीं मिलती है कि इसकी आय पर कर फर्म न देकर इसके सामेशार देते हैं। इस्राजिए यह छूट फर्म को न मिल कर सामेशारों को मिलती है, परन्तु यदि राजिस्टडं फर्म का कोई सामेशार विदेशी (Non-resident) है तो फर्म के आय य लाम में से उमें मिलने वाले भाग पर कमंदिन स्तितिहास होता है। इस पर फर्म को उपाजित आय की छूट मिलती है यदि यह विदेशी सामेशार कर्म में सिलय रूप से कार्यकर्ता हो।

एक प्रनरिजस्ट इं फर्म को प्रथमी ज्यानित प्राय की छूट मिनती है, परन्तु यदि प्रनरिजस्ट इं फर्म की प्राय इतनी कम है कि उस पर कोई कर नही सग सकता तो इस प्राय को सामेद्वारों की आय में जोड दिया जाता है और उन पर कर नगाते समय उन्हें इस फर्म के मिनने बाले भाग पर उपाजित प्राय की छूट दी जाती है। यदि यह सामेद्वार फर्म में सिक्य इन से भाग ने रहा हो।

यदि किसी फर्म मे एक साभेतार की क्षी व उसके सवस्क बच्चे भी उसके स्रतिरिक्त साभेदार हैं, तो इन को और बच्चों की फर्म से प्राप्त होने वाली साथ देख साभेदार ही साथ में जोड़ दी जादगी और उसे इस पर उपाजित साथ की छूट मिलेगी। यदि वह सिक्य रूप से कार्य के कार्य के एक हो, जाहें उसके की भीर बच्चे फर्म में सिक्य रूप से कार्य नहीं कर रहे हो। इसके विपरीत वादी सामेदार स्वय सिक्य रूप से कार्य नहीं करार है हो। इसके विपरीत अच्चे फर्म में सिक्य रूप से कार्य करते हैं, तो की भीर बच्चों को कार्य सामेदार की मिलने वाली प्राप्त सामेदार की मिलने वाली स्वय में जोड़ थी जायगी, परन्तु इस पर कोई उपाजित साथ की छूट नहीं थी जायगी।

(Rat., B Com., 1951)

(Agra, B Com., 1956)

(Agra, B Com , 1959)

साराज्ञ यह है कि साभेदार को उपाजित ग्राय की छट का लाभ उठाने के लिए फर्म में सक्रिय रूप से भाग लेना ग्रत्यन्त झावइपक है।

#### **OUESTIONS**

1.	Write	short	notes	on	the	following	
----	-------	-------	-------	----	-----	-----------	--

- (a) Agricultural Income (Agra, B Com, 1948 55, 57, 60, Ra1. B. Com 1950, 52, 59)
- (b) Previous Year (Agra, B Com., 1949, 51, 55, 56, 59, 60. Alid B Com , 1953 , Ray , B Com , 1959 52)
  - (c) Person (d) Taxable Territory

2

- - Explain the following terms -
  - (a) Earned Income
  - (b) Earned Income Relief
- (c) Income
- (d) Assessee
- 3 What will be the Previous Years for the following assessment years ? -1956 57, 1957 58 1959 59 1959 60 and 1960 61
- What will be the Calender years for the following assessment 4. years ? -1957 58 1958 59, 1959 60, 1960 61

# प्रँजी श्रीर श्राय

(Capital and Revenue)

पँजी और आय में अन्तर करने की बावश्यकता-

माय कर मधिनियम के भनूसार केवल माय पर ही भाय कर लगता है, पुँजी पर नहीं, इसलिए प्रत्येक प्राप्त की हुई राशि में यह जानना आवश्यक है कि वह पूँजीगत प्राप्ति है या धायगत । बिना इन दोनों के बन्तर को समभ्रे हुए धाय कर की रकम ठोक-ठीक नहीं निकाली जा सकती है। यही कारण है कि इन दोनों का अन्तर यहाँ रुमकाया गया है ।

पँजीगत प्राप्ति श्रीर श्रायगत प्राप्ति में श्रन्तर (Distinction between Capital Receipts and Revenue Receipts)-

पुँजीगत प्राप्ति और आयगत प्राप्ति में ग्रन्तर करना कठिन कार्य है, क्योंकि एक राशि एक परिस्थिति में पूँजीगत हो जाती हैं और वही राशि दूसरी परिस्थिति में ब्रायगत हो जाती है। इन दोनों में बन्तर करने के लिए कोई निश्चित निषम नहीं बनाये गये हैं और न बनाये ही जा सबसे हैं। जो भी इनसे सम्बन्धित नियम शिप्त-भिन्न स्थानी पर मिलते हैं वे केवल मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, प्रयांत उनका ज्ञान इन दोनों का अन्तर मालूम करने में सहायता पहुँचाता है। अज भिन्न स्थायालयों द्वारा दिये हुए निर्णयों के भाषार पर भी इनमें ग्रन्तर किया जाता है।

Pollock M. R. के विचार मे : "मेरे विचार मे बहत से लेखापालो के लिए यह परेशानी का विषय है कि कौनसी प्राप्ति पाँजी है और कौनसी प्राप्ति आय है भौर जहाँ तक में समभता हैं. इनके भन्तर के लिए एक सन्तोपजनक परिभाषा बनाना ग्रसम्भव है।

"एक प्राप्ति साय है या नहीं, यह एक तच्य का प्रश्न है, कारून का नहीं, क्योंकि आय और पूँजी का अन्तर एक निजी मुखिया का प्रश्त है और इसमें कोई विशेष सार नहीं है।"#

कच्यनी अधिनियम के पुँजी और आय से सम्बन्धित निर्माय आय कर के मामुलो मे पुर्णतया नही लगाये जा सकते हैं, यदापि Lord Atkinson ने कम्पनी के बाय-कर से सम्बन्धित मामलों में ऐसा करने में कोई बापत्ति नहीं की है।

<sup>\*</sup> Per the Lord President in L.D. Laird Vs. C. I. R. 14 T. C. 395

नीचे कुछ ऐसे नियम दिये जाते है जिनके ब्राधार पर यह ज्ञात किया जा सकता है कि कौनसी प्राप्ति पूँ जीगत है और कौनसी प्राप्ति भायगत । इन नियमों के माच माच ब्यापार की परिस्थितियों को ध्यान में रखना अत्यन्त आवश्यक है।

#### इस टोनों में धानतर करने के नियम--

#### पॅटीगन प्राप्ति

- (१) स्थायी पुँजी पर मिली हुई स्राय. जैसे -- एक फर्नीचर का व्यापारी जब भवन वेचकर छाय प्राप्त करता है तो यह भ्राय पुँजीगत भ्राय मानी जायेगी । स्थायी सम्पत्तियाँ पुँजी सम्पत्तियां कही जाती हैं।
  - (२) यदि किसी आय प्राप्त होने वाले साधन के छोड़ने पर कुछ राशि मिलती है तो वह प्रजी प्राप्ति कही जाती है, जैसे-एक भट्टो के व्यापारी को कछ जमीन से ईंटेंन निकालने के बदले में हर्जाना दिया जाता है तो यह हर्जाना पूँजीगत प्राप्ति माना जायेगा । सदम में. हम इस प्रकार क्ह सकते हैं कि किसी ग्राय के साधन को बन्द करने ना हर्जाना पंजीगत प्राप्ति है।
  - (ः) यदि एक व्यक्ति किमी सम्पत्ति को विनियाम की तरह रखता है तो इसकी बिक्री से प्राप्त होने वाली भाय पुँजी भाग वही जाती है. जैसे-यदि एक व्यक्ति के पास कछ मश है, जिनको कि वह विनियोग के उद्देश्य से धपने पास रखे हवे दा तो इन ग्रशो को वेचने से जो लाभ प्राप्त होगा । यह पूँजी प्राय कही जायेगी। (४) यदि विमी व्यक्ति को नोई राशि । (४) यदि विसी व्यक्ति को नोई राशि

#### श्रायगत प्राप्ति

- (१) चाल पुँजी पर मिली हुई माय. जैसे-एक फर्नीचर के व्यापारी द्वाराफर्नीचर बेचने पर प्राप्त हुई राज्ञि श्रायगत प्राप्ति मानी जाती है। बाव सम्पत्तियों को ध्यापारिक सम्पत्तियां भी कहते हैं।
- (२) मिलने वाली आय के बदले में मिले हुए हर्जाने को भ्रायगत प्राप्ति कहा जाता है। जैसे-एक भट्टे के व्यानारी से एक व्यक्ति ने ईटो के क्य करने का प्रसविदानिया। यह व्यक्ति ई टें क्रथ न .करके यदि भटें के व्यापारी की हर्जाना देता है तो यह हर्जीना आयगन प्राप्ति कही जायेगी ।
  - (३) यदि एक व्यक्ति किसी सम्पत्ति को पन: वेचकर लाभ कमाने के उड़ेश्य मे अपने पास रखता है तो इस प्रकार की सम्पत्ति को वेसकर प्राप्त हवा लाभ बायगत पाना जाता है. जैसे-यदि एक व्यक्ति ब्रशो का सहा करने की दृष्टि से क्रय करता है तो इन अशो के बेचने से प्राप्त हसा लाभ भ्रायगत माना जाता है।

पूँजीके रूप में मिलेगी तो वह पूँजी ग्राय मानो जायेगी।

प्राय के रूप में मिलेगी तो वह षाय प्राप्ति मानी जायेगी, चाहे भने ही दूमरे व्यक्ति ने इसे पूँजी में से दिया हो, जैंने —यदि नीई कम्मनी यपनी पूँजी में से किसी कर्मचारी को वेतन देती है तो उस कर्मचारी के निए यह द्वायगत प्राप्ति ही मानी जायेगी।

(x) यदि कुछ प्रशिकारो को छोडने पर कोई राशि मिलती हैतो वह पूँजी प्राप्ति कही जाती है।

(५) भविष्य मे होने वाले लाभो के हर्गाने के रूप मे एक प्रसविदा के अनुसार मिली हुई राशि आयगत प्राप्ति मानी जाती है।

#### पूँजी व्यय श्रीर श्राय व्यय

#### (Capital Expenditure and Revenue Expenditure)

#### पूँजी व्यय श्रौर श्राय व्यय में श्रन्तर करने की श्रावश्यकता—

भाग नर घोषिनियम के भ्रमुतार करदेग भाग (Taxable Income) निका-लने के निये केवन भ्राम ध्यम को ही घटाया जा सकता है, पूँजी ध्यम को नहीं, मदः कव तक भ्राम ध्यम भीर पूँजी ध्यम में भन्तर न किया जाम तब तक मही करदेग भ्राम मही निकाकी जा सकती है। यही कारण है कि इन दोनों का श्रन्तर यहाँ समक्षामा गया है।

#### पुँजी व्यय श्रीर श्राय व्यय में श्रन्तर—

इन योगों में म्रन्तर करना उतना ही कांठन है जितना कि पूँजीगत मासि भौर भागपत प्राप्ति से । एक ही राशि एक परिस्थिति से पूँजीगत ब्यय हो सनती है भौर बही राशि दूसरो परिस्थिति में भाग ब्यय हो सनतो है। इन दोनों से झन्तर करने के लिए पूर्णतया निस्थित नियम नही बनाये जा सकते हैं। कभी-कभी इस अन्तर को समभजे के लिए इस सम्बन्ध से न्यायालयो द्वारा दिये हुये निर्णयो का सहारा लेना पडता है।

इन दोनों के अन्तर समक्तने के लिये नीचे लिखी बाती को ध्यान मे रखना चाहिए:—

- (१) व्यापार कास्त्रभाव ।
  - (२) सौदेका सही रुख।
  - (३) व्यय करने का उद्देश्य ।
  - (४) सम्बन्धित न्यायालयो के निर्णय ।

- (५) व्यय किये हुए घन की मात्रा।
- (६) बुछ सामान्य सिद्धान्त ।

इन सामान्य सिद्धान्ती को नीचे समभाया गया है :---

#### 

पूजा ध्यय आर आय व्यय	स्मिश्चन्तर करन कानयम
पूँ जी व्यय	श्चाय व्यय
(१) एक स्वायी सम्पत्ति के लय करने में किया गया ज्या, जैसे—एक सूसी मिल लोलने के लिए लय किए गए भवन का ज्याय पूँजी ज्याय माना जाता है। (२) एक लय की हुई स्थायी सम्पत्ति के लाले व लयाने के ज्याय सम्पत्ति के लाल ये जो कि स्थायी सम्पत्ति के लाम पैदा करने की यिक को बढाता है। (४) पूँजी दाधिक से छुटकारा पाने के लिए सी जाने वाली रकता। (४) लाभ कमाने के सामन की प्राप्त	(१) एक व्यागारिक सम्पत्ति के स्रथ करने में किया गंभा व्याय, जैसे-एक व्याभारी जिस बस्तु में व्याभार करता है उस बस्तु के स्रथ में किया गया व्याय व्याय व्याय माना जाता है। (२) व्यापारिक चिह्न के पश्चीकृत कराने का व्याय । (३) बहु व्याय जो कि स्थायी सम्पत्ति की बसा को सम्हाले । क्लो के लिए किया जाता है। (४) आब वाधिस्व से छुटकारा भाने के लिए दी जाने वाली रूम ।
वरने का व्यय।	<u> </u>

नीचे न्यायालय के कुछ निर्णय पुँजी साय व व्यय और सायगत प्राप्ति भीर व्यय के अन्तर को स्पष्ट करने के लिए दिए जाते है। इन निर्णायों को केवल बदाहरण रूप में मानना चाहिये।

- ( ? ) अगर विकेता एक साधारण विनियोगी है, तो अस और प्रतिभृतियो की बिक्री से मिली हुई आय पूँजी होगी, परन्तु बदि वह प्रशी एव प्रतिमृतियों में व्यापार करता है तो इसे प्रायगत प्राप्ति माना जायमा १
  - (Oriental Investment Co. Ltd. Vs. C.I.T 1957) (२) एक लान के सम्बन्ध में खनिज पदार्थ निकालने के लिए एक नये
  - गड्ढें बनाने का व्यय पुँजी व्यय माना गया था। (In re Addie and Sons. Vs. I T. C.)
  - (३) एक तेल के प्रायातकर्ता ने विदेश के तेल के एक सौदायर की इसलिए रुपया उघार दिया था कि वह उससे तेल बेचने की एजेन्सी

पूँजी हानि और श्राय हानि मे श्रन्तर—

किसी भी हानि के बारे में यह जानने के लिए कि वह पूँजी हानि है या आय

हानि, नोचे लिखी बातो को ध्यान में रखना चाहिए:--

- ( ब ) न्यायालयों के इससे सम्बन्धित निर्णय.
- (स) कुछ सामान्य नियम।

ग्राय हानि से सम्बन्धित सामान्य नियम नीचे दिये हुये हैं :--

- (१) दिन प्रति दिन के व्यापार मे किसी हानि का होना।
  - (२) माल की कीमत का कम हो जाना।
  - (३) स्टॉक का आरगद्वारा जल जाना या अन्य किसी प्रकार से नष्ट हो जाना।
  - (४) किसी मिलने वाली आय की रकम वा न मिलना।
- ( प्र ) किसी कर्मचारी द्वारा व्यापारिक समय में व्यापारिक माल या रकम को चरा लेता।

#### पँजी हानि--

जो हानियाँ आय हानिया नहीं होती हैं वे सब पूँजो हानियाँ कही जाती है, जैसे—किसो व्यापारी की स्वायो सम्पन्ति के नष्ट होने से होने वाली हानि पूँजी हानि कही जाती है।

श्राय हानि श्रीर पूँगी हानि के सम्बन्ध में न्यायालयों के कुछ निर्णय नीचे दिये हुए हैं :--

(१) एक कर्मचारी के गवन (Embezzlement) द्वारा हुई हानि को पूँची हानि नहीं भाना गया है, बल्कि ब्यापार से सम्बन्धित हानि मानी गई है।

(Lord Dairy Farm Ltd. Vs. C. I. T. 1955) (Jagarnath Therani Vs. C.I.T., Bihar & Orissa)

(२) एक व्यापार का कर्मचारी व्यापार के रूपये की वेक लिए जा रहा था। रास्ते मे कुली ने रूपये को चुरा लिया। इस हानि को व्यापारिक हानि नही बताया गया है, क्योंकि यह हानि साम उपार्चन करने के सम्बन्ध में जहीं हुई है।

(Mul Chand Hira Lel Vs. C. I. T.) (Bihar & Orissa High Court)

(३) यदि एक ब्यक्ति प्रयते लाभ को प्राप्त करता है और उस लाभ को घर लाते समय रास्ते मे जूट लिया जाता है या घर मे रखते के बाद लूट लिया जाता है तो इस हानि को व्यापार से सम्बन्धित हानि नही कहा जायेगा।

- (४) बहुमूत्य वस्तुमो की चोरी व्यावहारिक हानि है या नही —यदि व्यापाट का स्थमाय इस प्रकार का है कि कमंचारियों द्वारा बहुमूल्य वस्तुये इसर उघर के जाई जाती हैं तो इस प्रकार बहुमूल्य वस्तुयो की होने वालो हानि को व्यापारिक हानि कहा जायेगा। (Madras High Court)
- ( प्र ) एक व्यापारी के रिस्तेदार ने, जो कि उसके यहा उत्तरदायो कर्मवारी भी था, दुकान बन्द हो जाने के बाद दुकान से स्पया चुरा लिया 1 इस होनि को जडोसा हाई कोर्ट ने व्यापारिक हानि नही बताया है।
- (६) एक उत्तरवायो वनक ने अपने ध्यापारिक बेलाव्यो को निभाते हुए कुछ रुपयो का गवन किया और भूठे खाते बनाकर दे दिये। इस हानि की ध्यापारिक हानि माना गया था। (Venkatachalapatery Lyer Vs. C I. T. Madras 1951)
- (७) एक व्यापारी के वैक के वालू खाते का स्पया इसलिए नही मिला था कि बैक दिवालिया हो गई थी। यह हानि व्यापारिक हानि मानी गई थी।
- ( ) महाजनी ज्याशर में हस्तस्य रोजड में खाते बन्द करते समय कमी पाई गई। इस कमी को पूँची हानि नहीं माना गया, क्योंकि महाजनी व्यापार में रुपये का लेन देन ही मुक्य व्यापार होता है।
  (Banghi Lal Abir Chand Vs. C. I. T., C. P.)

#### QUESTIONS

- How will you make a distinction between Capital receipt and Revenue receipt and why is such distinction necessary in Income-tax?
- How will you make a distinction between Capital and Revenue expenditure and why is such distinction necessary in Income tax?
- 3 What important factors are taken into consideration in making a distinction between Capital loss and Revenue loss? Give few examples of both types of losses

#### ग्रध्याय ४

## करदाता

(Assessee)

करदाता के निवास स्थान के श्रध्ययन की श्रावश्यकता—

क्षाय-कर क्षीवितयम के मनुसार माय कर लगाने के लिए यह जानना आवस्यक है कि करदाता का निवास स्थान क्या है। निवास को जानने के पश्चात हो यह जात किया जाता है कि उसकी किक साथ पर आय-कर लगेगा और किम पर नहीं, स्वतः करदाता के निवास स्थान का अध्ययन करना अग्रन-कर को एक मावस्यक स्था है।
कियास स्थान के अद्भार कर कर जो के भेद (Classes of assessees

निवास स्थान के अनुसार करदाता को तीन भागों मे बाँटा गया है :--

(१) निवासी (Resident)।

according to residence )-

(२) साधारण निवासी (Ordinary Resident)।

(३) विदेशी (Non-Resident)।

यह जानने के लिए कि एक व्यक्ति (Individual) निवासी है या साधारसा निवासी या विदेशी, नीचे बनी हुई तालिका देखनी चाहिये :—

निवासी	साघारण निवासी	विदेशी
प्राय कर प्रचितियम की घारा 4—A (a) मे दो हुई शाती में से किसी एक शती को पूरा करने वाला विद्यासी कहा जाता है। यह शतें इस प्रकार है:-	प्राय-कर प्रथितियम की वारा 4—B ( a ) में दी हुई शर्तों को जो व्यक्ति पूरी करता है वह साधारण निवासी कहा जाता है। यदि एक प्रक्ति निवासी होने वाली चार शर्तों से से किसी भी एक शर्त को पूरा करता है और नीचे निवासी हुई दोनों सतों को पूरा करता है और नीचे निवासी हुई दोनों सतों की पूरा करता है तो साधारण	भारतीय धाय-कर ग्रोधनियम विदेशी की व्याच्या नहीं करता है, यतः यह अनुमान लगाया जाता है कि जो व्याचारण निवासी या साधारण निवासी या साधारण विदेशी कहा जाता है, प्रपीत् जो निवासी होने के निष् पहले सारे में वेरी हुई सार राजों में से
मा०क०वि०सा <b>०</b> ३	निवासी कहा जाता है:-	किसी भी शर्त की पूरा नहीं करता वह विदेशी है

(१) वह जूल मिलाकर कम से कम १८२ दिन तक या इससे ग्रधिक गत वर्षमे

करदेश प्रदेश में रहा हो, या (२) उसने कर लगने के

क्षेत्र से अपना रहने कास्थान कमसे कम १८२ दिन या उससे अधिक

लिए उस वर्ष मे रखाही ग्रीर कर देश प्रदेश में उस

वर्ष किसी भी समय के लिये रहा हो, या

(३) वह उस वय से पहिले वाले चार वर्षी से कम से कम

> ३६५ दिन या उससे ग्रधिक कर लगाने वाले क्षेत्र में रहा

> हो भौर उस वर्ष में कम से कम एक दिन या इससे अधिक के लिए रहा हो, परन्त् यह रहना माक

स्मिक न हो, या (४) वह करदेय प्रदेश में किसी भी समय धाया हो, परतु भ्राय कर ग्रधिकारी

(Income tax officer) की यह विश्वास हो कि वह (१) वह उस वर्ष के पहिले वाले तम वर्ष से से कम से कम नौ वर्षों तक 'निवासी' रहा हो घोर

(२) उस वर्ष से पहले वाले सात वर्षों में कूल मिलाकर कम से कम २ वर्षी से ग्रधिक करदेय समय तक

प्रदेश में रहा हो।

भ्रपने भ्राने की तिथि से वम से कमतीन वर्षतक करदेय क्षेत्र में भ्रवस्य रहेगा।

इस प्रकार यह बात बितकुत स्पष्ट हो जाती है कि किसी व्यक्ति को निवासी मानने के लिए उस व्यक्ति का करदेय प्रदेश में उस वर्ष में स्वय रहना या प्राना प्रावद्यक हो जाता है।

ऊपर समकाई हुई निवासी की चारों शतों का स्पष्टीकरण—

(१) पहली दार्त के प्रनुसार ब्यक्ति को १८२ दिन या इससे अधिक सब वर्षे में कर-देय प्रदेश में रहना प्रानदपक है। "पहले" का घागय यह नहीं है कि वह व्यक्ति लगातार एक ही जगह पर रहे। वह अपने रहने के स्थानों को यदि वहीं तो दरावर बदल सक्ता है, कभी एक होटल में कभी दूसरे होटल में या घर्मशाला में रह सकता है, परन्तु कर देथ प्रदेश में उसके रहने के कुल दिन १८२ से कम नहीं होने चाहिए।

(२) रहने का स्थान (Dwelling Place)—दूसरी बार्त रहने के स्थान के बारे मे है। यहाँ रहने के स्थान का धावाय यह नहीं है कि कीई पक्का या फच्छा बना हुमा मकान हो। वादि एक छप्पर पड़ी हुई जगह मे ही रहता है तो बही उसका रहने का स्थान मान जिया जायेगा। रहने के स्थान का वह मालिक या किरायेदार हो सकता है, पर-पु मुख्य बात यह है कि उसमे रहने का इसे प्रधिकार होना चाहिए और उसे यह पर की तरह प्रयोग कर सके।

(१) तीसरी वर्त में "३६५ दिन या इससे प्रिषक" कर लगाने बाल क्षेत्र में यत वर्ष के पहुँत रहता है। यह आवस्यक नहीं है कि व्यक्ति लगातार इन ३६५ दिनो इक्षा में कुल मिलाकर ३६५ दिनो इक्षा में कुल मिलाकर ३६५ दिनो इक्षा में कुल मिलाकर ३६५ दिनो इक्षा में इक्षा में कुल मिलाकर के तिए गत वर्ष में मन्देय प्रदेश में प्रवस्य प्राया हो, परन्तु यह साना पाकस्मिक न हो। प्राकस्मिक साने का प्रायय तयोगवन, प्रवानक व विना किसी निश्चिता के माने से हैं, जैसे किसी जहाज के उतरने के कारस्य करदेय प्रदेश में स्कान या किसी डाक्टर की राय केने पर करदेय प्रदेश में माना प्राकस्मिक प्राना नहां जाएगा। परन्तु विकार के लिए प्रति वर्ष प्राना प्राकस्मिक प्राना नहीं नहा जाएगा।

(४) चौषी शर्त में ३ साल का सक्तय उस व्यक्ति के करदेय प्रदेश में माने की तिथि से यिना जाना चरहिए।

# सम्मिलित हिन्दू परिवार का निवास

(१) हिंदू सिमितित परिवार के प्रवार के वर्ष प्रियार के प्रवार वा प्रवार के वर्ष मिन्नस्थ का सदिव कोई भी भाग करदेग प्रदेश के होता है तो यह परिवार निवादी है तो यह परिवार निवादी माना जाता है। समग्र जाता है। समग्र जाता है। समग्र जाता है। समग्र का वादा प्रवार कर प्रविभिन्न की सारा प्रवार के वाद्य प्रवार के व्यवस्थ के व्यवस्थ करदेश प्रदेश के व्यवस्थ करदेश करदेश कर व्यवस्थ करदेश करदेश कर व्यवस्थ क	नित्रासी	साधारण नियासी	विदेशी
	परिवार के प्रकच्य तथा नियम्भण का यदि कोई भी भाग करदेप प्रदेश से होता है तो यह परिवार 'निवासी' समका जाता है। (२) ऊपर यी हुई शर्त प्रायम्बर प्रधि- नियम की घारा 4—A (b) मे	वस्ति मा प्रवायक इर्सय प्रदेश का शास्त्रारण निवासी है तो पह परिवार की शास्त्रारण निवासी माना जाता है। (२) ज्वर दी हुई दार्त ग्राय- कर प्रियम्बियम की सारा 4—18 (b) में	वा प्रवच्य तथा नियन्त्रण पूर्णत्या करदेव प्रदेश के चाहर के होता है तो वह परिवार विदेशो भागा जाता है। (२) ज्यर दी हुई धर्त प्राय कर प्रधिनि- सम की किसी भी सारा में दी हुई वहीं है, अनुसान

फर्म तथा व्यक्तियों के श्रन्य संघ का निवास स्थान

(Residence of firm or other Association of Persons)

निवासी	साधारण निवासी	विदशा
(१) कर्म तथा व्यक्तियों के शत्य सब के प्रवत्य तथा निय- न्त्रता का यदि कोई भी भाग करदेय प्रदेश से होता है तो यह फर्म तथा व्यक्तियों के श्रन्य सथ (निवासी) समर्फ जाने हैं।		(१) यदि इतका प्रवन्ध तथा नियन्त्रण पूर्णतथा करदेय प्रदेश के बाहर से होता है तो यह परिवार विदेशी माना जाता है।
(२) क्रवर दी हुई घर्त । प्राय-कर भविति- यम की घारा 4— A (b) में दी   हुई है।	(२) उरार टी हुई गर्त ग्राम कर प्रचिनियम की पारा 4—B (c) मे दी हुई है।	(२) ऊपर दो हुई शर्त प्राय कर प्रवि- वियम की किसी भी घारा में दी हुई नही है। धतुभान द्वारा निकाली गई है।

## कम्पनी का निवास

निवासी	साधारण निवासी	विदेशी
(१) एक कभनी करदेव प्रदेश में हमेशा निवामी कम्पनी है। यदि यह एक भारतीय कम्पनी है या जिम वर्षों कम्पनी का प्रबन्ध तथा नियम्बस्य पूर्ण- तथा करदेय प्रदेश में हो तो देश वर्ष का निवासी	(१) जो कम्पनी 'निवासी' होती है वही 'साघारण निवासी' भी मानी जाती है।	(१) यदि इनका प्रवन्ध तथा नियन्त्रण पूर्णतया करपेय प्रदेश के बाहर से होता है तो वह कम्पनी विदेशी मानी जाती है ।
माना जाता है। (२) जगर थी हुई शर्त श्राप-कर ग्रीध- नियम की धारा 4—A (c) में दो है।	(२) उत्पर दी हुई हार्त धाय-कर धिविनयम की वारा 4-B(c) में दी हुई है।	(२) करर दी हुई शर्त प्राय कर प्रधिति- यम की किसी भी घारा में दी हुई नहीं है, प्रतुमान द्वारा निकाली गई है।

निवास स्थान से सम्बन्धित कुछ मुख्य नियम (Some important rules regrading Residence)—

- (१) कर निर्धारण के लिए एक व्यक्ति एक वर्ष निवासी भौर दूसरे वर्ष विदेशी हो सकता है या इसके विपरीत (Vice Versa)।
- (२) प्राय कर लगाते समय करदाता के 'गत वर्ष' के निवास स्थान को देखा जाता है, प्रयात् वह गत वर्ष 'निवासो' या 'साधारएा निवासो' या 'विदेशी' ।

नीचे दिये हुए चार्ट इारा एक व्यक्ति (Individual) के बारे में ऊपर दी हुई 'निवासी', 'साघारण निवासी' व दिदेशों की विभिन्न दार्ती को समस्राया गया है :--

द्माने का समय	करदेय प्रदेश में करदेय प्रदेश से साने का समय जाने का समय	गत वर्ष	करदेय वर्ष	करदेय प्रदेश में डहरने का समय	निवासी या हाधारस्य निवासी मा विदेशी	निवाक्षी या सावारत्यः निवासी या विदेशी कहे जाने वा वारय
24-E-1E3%	18-4-18-34 RE34-4-48	\$6.45.35 \$6.45.35	\$6.3%-36 \$6.3%-36	# #   # #	निवासी विदेषी	क्चोकि १८२ दिन से मधिक ठहरा है। क्योकि १८२ दिन से कम ठहरा है। विरुक्त ही नहीं रहा।
12-7-1835	25-36-36 26-36-36-36-36-36-36-36-36-36-36-36-36-36	\$636-34 \$636-34			 निवासी	क्चोकि १८२ दिन से कम ठहरा है। क्योंकि १८२ दिन से प्रापक ठहरा है।
₹-₹•-₹€₹€	30-6-1680 8636-80 8680-88	\$636-80 \$680-8	-	ू ८ ८	= =	" " " " " " " परार्थित हुटा है, परार्थे परार्थे में कि कि में
\$0-4-88%	\$x-6x3} 6x-8x3} 6x31-01-16	\$ E X {- Y 2 }	\$683-83 \$883-88	% % % %	2 :	समय के लिए उस बर्ष में भी रहा है। क्योंकि १८२ दिन से प्रथिक ठइरा है।
{-{-₹£8%	30-6-88X	30-4-8688 8883-88	<b>የ</b> ድጽጽ አሂ		, <u>r</u>	यद्यपि १८२ दिन से कम ठहरा है, परन्तु पिछले चार वर्षों में ११-३-१६४३ तक ३६५ दिनों से मधिक ठहरा है थोर उस

			3.5
यदापि १८२ दिन से का रहा है, परन्तु पिछले चार बपौ में ३१-३-१६४४ तक ३६५ दिन से अपिक रहा और उस बप	भे भी रहा है। १८२ दिन से कम ठहरा है, परस्तु निष्धेने पार बारों में १९-३-१६४५ तक ३६५ दिन से सोपक रहा है और उस बर्प मे	भारत दिस्म स्वापक रहा है। इन्द्र दिस्म से सम्म रहा है। परन्तु पिछले बार अपी से ३१-३-१६४० उक्त ३९४ दिस धापक रहा है भार उस बर्प भी रहा है। एखें है। बात बही से है वे ३१-३-१६४० स्वाले हम होंटी है, है वर्ग तक जिलासी	रहा भीर पिछल वाल चना चना चना प्राप्त का प्राप्त करा था। चन्द्र थी है । तस्ट्रेय ज्याय (Taxablo Incomo)———————————————————————————————————
निवासी	=	,, निवासी तथा साघारस निवासी	निकाली जाती है, म
* <b>~</b>	2	34 Pr 87	श्रमुसार १ हुई ताहि
ያራ-አ <u></u> ራያያ	\$285-80	የደሂፋ-४૭ የደሄው-४ <sup>৫</sup> የደሃያ-४ <sup>৫</sup>	ावास स्यान के प्रहोगी।नीचे द
\$8.4.28	38-483	\$2.80-85 \$2.80-85	come)— स्याय हे भि
-	30-2-1680 1682-26 1684-20		भरदेय आय (Taxable Income)— करदेव भाव करदाता के निसाती कोर निस्ती की करदेव साथ है मि
	4.13-1524		क्तरदेय आय

# भिन्न-भिन्न निवासियों की करदेय आय

निवासी	साधारण निवासी	विदेशी
(१) करदाता द्वारा कर- देय प्रदेश में गत वर्ष में पाई हुई मान, चाहे वह कर- देय प्रदेश में या करदेय प्रदेश के बाहुर उपाणित की गई हो।	(१) निवासी के घतुसार	(१) निवासी के मनुसार
(२) करदाता हारा कर- देप प्रदेश की गत वर्ष में उपाजित की हुई भाय, चाहे वह करदेप प्रदेश में या करदेय प्रदेश के बाहर प्राप्त की गई हो।	(२) निवासी के घनुसार	(२) निवासी के प्रतुसार
(३) वह साय जो कर- देय प्रदेश के बाहर गत वर्ष मे उपा- जित की गई हो भीर बाहर ही प्राप्त की गई हो, परन्तु उसी वप करदेय प्रदेश मे लाई गई हो।	(३) निवासी के भनुसार	नोट—िनदेशी की बौर किसी झाय पर झाय कर नहीं स्रमता हैं।
(४) आग, जो कि गत वर्ष में करदेव प्रदेश के बाहर ऐसे स्था- पार से उपाजित की गई हो, जिसका कि सचाजन करदेय प्रदेश से होता है,	(४) झाय, जो कि मत वर्ष में करदेय प्रदेश के बाहर उपाजित की गई हो, परन्तु करदेय प्रदेश में लाई न गई हो या प्राप्त न की गई हो ।	

परन्तु करदेय प्रदेश  में लाई न गई हो  या प्राप्त न की गई  हो।  (४) वह साय जी कि १  क्रम्मल सन् १९३३ के बाद और गन वर्ष से पहले कर- देय प्रदेश से की हो तथा चस पर	(१) निवासी के श्रनुसार ।	
कोई कर न दिया गयाहो और कर-		
देय प्रदेश में गत	! 1	
वर्षं लाई गई हो ।		
<b>नोट</b> —ऊपर लिखी हुई	मोरअपर लिखी हुई	नोट-अपर निसी हुई
शर्ते धाय-कर	शलें भाय-कर	शर्ते ग्राय-कर
अधिनियम की	भविनियम की	अधिनियम की
धारा ४ (१) मे	घारा ४ (१) मे दी	घारा ४ (१) में
दी हुई हैं।	हुई है ।	दी हुई है।
भिन्न-भिन्न निवासियों	की करदेय श्राय के सम्बन्ध	में कुछ श्रन्य महस्वपूर्ण

भिन्न-भिन्न निवासियों की करदेय श्राय के सम्यन्ध में कुछ श्रन्य महस्वपूर्ण नियम —

(१) निवासी को जिल-जिल साम पर कर देना पड़ता है, साधारण निवासी को भी उसी साथ पर कर देना पड़ता है। केवल एक ही अन्तर है कि निवासी को निदेश से न लाई हुई उस साथ पर कर देना पड़ता है जिसका कि प्रवस्त नातत के हिदा से न लाई हुई उस साथ पर कर होता है, परनु साधारण निवासी को विदेश में उपाजित की हुई सब साथ पर कर देना पड़ता है, बाई उसका प्रवस्त पर कर देना पड़ता है, बाई उसका प्रवस्त प्रवस्त के लाई के प्रवस्त कर कर के लाई है सब साथ पर कर देना पड़ता है, बाई उसका प्रवस्त पर कर देना पड़ता है, बाई उसका प्रवस्त पर कर के लाई के लाई उसका प्रवस्त कर के लाई के लाई उसका है।

(२) बारा ४ (२) के अनुसार एक नियासी की द्वारा प्रपने विदेशी पति की बिना कर सभी हुई विदेशी बाथ से प्राप्त की हुई रवम को कर लगाने के सियं उसकी ग्राय में जोड दिया जायेगा।

(३) चपाजित आय, प्राप्त हुई आय और लाई हुई आय में अन्तर समसना अत्यन्त आवरपक है :--

(ग्र) उपाजित ग्राय—जो भाय पैदा की जा चुकी हो, उपाजित भाय कही जायेगी, चाहे प्राप्त की गई हो पान की गई हो।

- (ब) प्राप्त ग्राय—वह ग्राय जो कि कर दाता को या उसके एजेन्ट को मिलती है, प्राप्त आय कही जाती है। यदि किसी करदाता को विदेश में कुछ आय मिलती है, जिसे वह भारत में ले भाता है तो यह प्राय विदेश में प्राप्त हुई कही जायेगी 1 ग्राय को रुपये, चैक, बिल या हुण्डी द्यादि के रूप में प्राप्त किया जा सकता है।
- (स) लाई हुई श्राय-जो श्राय विदेश मे प्राप्त करने के बाद भारत में लाई जाती है, उसे 'लाई हई भाय' कहा जाता है।

#### उदाहरण--

श्री देवकीन दन की नीचे लिखी हुई रकमें हैं :--

( ध ) उसके बम्बई के ब्यापार से प्राप्त हए १०,००० रुपये (ब) उसकी स्वय की खेती से प्राप्त हए ३.००० रुपये

(म) उसके इटली के व्यापार से, जिसका कि

प्रबन्ध भारत से होता है, लाए गए

(द) उसके अमेरिका के व्यापार में, जिसका कि प्रवन्य अमेरिका से ही होता है, जो कि भारत नहीं लाये गए हैं **८.००० रुपये** 

(य) उसकी विदेशी ग्राय १४,००० रुपये, जिसमे से ४,००० रुपये भारत में लाए गए हैं, जिसका प्रवन्ध भारत से होता है।

ऊपर दी हुई आयो को घ्यान में रखते हुए देवकीनन्दन की करदेय ग्राय क्या होगी ? यदि देवकीतन्दन निवासी या साधारण निवासी या विदेशी है।

### हल—

जबिक देवकीनन्दन निवासी (Resident) है-

(ग्र) उसके बम्बई के व्यापार से

(स) उसके इटली के व्यापार से.

जिसका कि प्रवत्य भारत से

होता है (लाई हुई रकम) (य) भारत में लाई हुई विदेशी धाय

भारता नी ना लाई हुई।पियेगी ग्राय

१०,००० रुपया ३०,००० रुपया

१०००० रुपया

५,००० रुपया

प्र,००० रुपया

५,००० रुपये

कूल करदेग ग्राय

जबिक देवकीन दन साधारण निवासी (Ordinary	Resident) है—
(ग्रा) सम्बई के व्यापरी से प्राप्त हुई	
भाय	१०,००० रूपया
(स) उसके इटली के व्यापार से,	
जिसका कि प्रबन्ध भारतदय से	
होता है लाए गए	५,००० रूपया
(य) भारत मे लाई हुई विदेशी ग्राय	५,००० रूपया
(द-[-प) विदेगी भ्राय जो भारत नहीं	
लाई गई (८,०००+१०,०००)	१८,००० रूपया
कुल करदेय ग्राय	इद ००० रुपया

जबकि देवकीत दन विदेशी (Non Resident) है-

(ग्र) उसके वम्बई के व्यापार से प्राप्त हुई भाव

कल ग्राय

१० ००० रुपया १०,००० रुपया

#### Illustration No. 2-

Following are the incomes of X --

(a) Received Rs 1 000 in India which accrued in England

(b) Rs 2000 earned in India but received in England

(c) Rs 10 000 were earned in Africa received in Africa but brought in India

(d) Rs 8000 were earned and received in Japan from a busi ness which was controlled and managed in Japan and this amount was not brought in India

(e) Rs 6 000 was untaxed foreign income of 1936 which was brought into India in previous year

Which of the above incomes are taxable when Y is Resident or Ordinary resident or Non resident?

#### Solution No. 2-

W hen	Ĭ	15	Res	dent-
-------	---	----	-----	-------

(4)	Income received in India	Rs
	where ever accrued	1 000
(b)	Income earned in India where ever received	2 000
(c)	Income earned outside and received outside	
	the taxable territory but brought in India	10 000

(c) All untaxed foreign Income brought in India, which was earned outside after 1st April 1933 and before previous year Total Rs

Wh	en X is Ordinarily Resident—	Rs
(a)	Income received in India where ever accrued	1 000
(b)	Income earned in India where ever received	2 000
(c)	Income earned outside and received outside	
	the taxable territory but brought in India	10 000
(d)	Income carned outside received outside and	
	not brought in India	8 000

not brought in India (e) All untaxed foreign income brought in India which was earned outside after 1st April 1933

and before previous year 27 000 Total Rs When X is Non resident-(a) Income received in India where ever accrued (b) Income earned in India where ever received 2 000

6 000

1 000

3.000

Total Rs

Illustration No. 3-

Following are the incomes of a wife who is resident in India \_

(a) She gets a salary of Rs. 2 000 in Kanpur

She received a remittance of Rs 3 000 from her husband s untaxed foreign income who is non resident

(c) Her agricultural income from China Rs 10 000 This agricultural business is controlled from

India but this income has not been brought in India Find out taxable income of wife

Solution No. 3--

	Rupees
Salary	2 000
Remittance from her husband (this will be tracted as income accurring in India for wife) Income from China (this agricultural income is treated as foreign income because it is not subject to land revenue to Government of India)	3 000 10 000
Total Rs	15 000

#### Illustration No. 4-

Whether the following persons are resident or ordinary re sident or non resident

- (a) X lived in taxable territories continuous ly for a period of 11 years but in Dec. 1959 he went to Pakistan and did not return upto 31st March 1960
- (6) Mr Y maintained a dwelling house in India for a period of 200 days in the previous year but did not come in India for a single day during the previous year
- (c) Mr Z has been in the taxable territory for a period of 400 days during the last 4 years prior to previous year but did not come to India even for a single day in the previous year
- (d) Mr M an Autralian came to India in the month of January 1960 for serving as manager of a compay in Bombay for a period of 5 years

#### Salation No. 4-

- (a) During 1938 59 he was physically present within taxable territory for more than 182 days and further he was resident for nine years during preceding ten years and was also present for more than two years within 7 years therefore he is a re sident and ordinary resident
- (6) Mr Y is not reaident because for be coming resident only maintaining of dwelling house for a period of more than 152 days is not sufficient he must have also lived in the taxable territory at least for a day in that year
- (c) Mr Z is not resident because he has not been in the taxable territory even for a single day in the previous year
- (d) Mr M is resident because he has been in the taxable territory in the previous year in the month of January February and March As his appointment is for 5 years Income tax officer will be spissfied

that he has to stay for a period of more than 3 years.

#### QUESTIONS

1. Write short notes on the following -(a) Non resident

(Agra. B Com. 1942, 47, 50 57. Rat. B. Com . 1953)

(Agra, B Com 1945, 46 51) (b) Resident

(c) Ordinary Resident (Agra. B Com . 1945, 46, 51, Ras. B Com. 1951)

Explain how you would decide the question of Residence of 2 an assestee for Income tax purposes Give illustrations. (Allahahad, B. Com 1954 59)

3 What are the different categories into which the assessees are divided with regard to residence? Give a brief account of (Agra, B Com., 1956, Alld. B Com., 1955) each of them

4. How is residence of Assessees determined for Income tax purposes? Explain the incidence of Residence on tax liability. (Rat. B Com , 1955)

The residence of an assessee is determined according to the 5. provisions of section 4 A and 4 B of the Income tax Act. Discuss these provisions as briefly and clearly as possible

(Agra B Com , 1953)

#### अध्याय ५

# कर मुक्त आय

(Exempted Income)

### श्राकस्मिक श्राय (Casual Income)-

मरे (Murray) के नये प्रगरेजी सब्द वोष के अनुसार 'आकस्मिक' का अर्थ ' सयोग से प्राप्त होना, सयोग पर निर्भर होना, अनिध्वित समय पर मिलना' "है।"\*

म्राकस्मिक श्राय बहु माय है जो कि बिना किसी नियम (Stipulation), प्रकृतिया या यों कहिते कि बिना प्रयत्न के अपने भ्राप प्राप्त होती है।

Ryall Vs. Hoare (8 T. C. 521) के मामले मे नीचे लिखे हुए उदाहरण न्यायापीश Rowlatt ने आकस्मिक ग्राय समक्षाने के लिए दिये थे :—

(ग्र) दान, (ब) मुद्राका पढ़ा हथा मिलना.

(स) दाँव (Bet) जीतने पर मिलने वाली रक्म.

(द) ऐसी वस्तु के बेचने से प्राप्त हुमा लाभ, जिसका कि ब्यापार से सम्बन्ध न हो।

क्याय कर प्रधिनियम की धारा ४ (३) (v11) के अनुसार वही आय आकस्मिक आय कही जाती है, जो कि नीचे लिखी हुई नर्तों की पूरा करें —

(१) बहु बाय ऐसी पूँजी लाभ न हो, जिस पर कि घारा १२ (B) के बनसार कर लगाया जाता है।

- (र) वह भाष किसी व्यापार, कारोबार, व्यवसाय या किसी पेशे से उपाजित न हुई हो।
- (३) वह ग्राय भाकस्मिक हो व बार-चार घाने वाले स्वभाव की न हो। (४) वह ग्राय किसी भी कर्मचारी के पारिश्रमिक मे जुड़ने वाली न हो।
- पाय-कर अधिनियम के अनुसार ऊतर दी हुई आकिस्मिक आय की परिभाषा को समक्रते के लिए नीचे कुछ उदाहरण दिये जाते हैं:--

<sup>\*</sup> According to Murray's new English Dictionary, 'casual' means 'subject to, depending on or produced by chance accident, fortuitous, accruing or coming at uncertain time, not to be calculated on, uncertain, unsettled, occuring or brought about without design or premeditation, coming up or presenting itself as it chances."

(१) कम्पनी के सचालक को स्तीका न देने से रोक्ष्मे के लिए दी गई एक योक रकम, झाकस्मिक झाप नहीं मानी गई है।

(२) प्राच्यापको को पर्चा बताने और परीक्षा की कापियों के जांचने के लिए मिली हुई फीस प्राकस्मिक आय मही है।

(३) प्रपराधियों का गता लगाने के लिए या पर डवाने के लिये गोपित किये गये इतास उल व्यक्तियों के लिए प्राकित्मिक प्राय होंगे जिनका कि ऐसा करना कर्सव्य नहीं या, परन्तु यदि यह इताम किसी पुलिस प्रकार को दिया जाय तो वह उसकी आकरियक आज नहीं मानी जायगी।

(४) यदि दान बार बार नियमित रूप से दिये जाते हैं तो आकृष्टिमक नहीं माने जायेंगे। यह निर्याय Kedar Natain Singh Vs. C. I. T., U. P. के मामले में दिया गया था, परन्तु जो दान कभी-कभी दिने जाते हैं, यदि सयोग से उन्निश्ची शोबारों हो जाय तो भी वे 'मान्दिमक साथ' माने जायेंगे। यह निर्याय सिका। Amrit Kaunwar Vs. C. I. T. U. P. 1946 में दिया गया था।

(५) एक ध्यक्ति जीकि समातार घुडरोडो में बाजी समाता है, उसके लाम -पर कर समाया जा सकता है स्रोर उसकी यह साथ स्राकृत्मिक स्राय नहीं है। यह

निर्माय Partridge Vs. Mollandaine के मामले में दिया गया है। (६) मोहन क्यमें रहने के लिये गकान खरीदता है घीर बाद में इसे लाभ पर देख देखा है। इस लाभ पर कोई कर नहीं लगेगा, क्योंकि मकान खरीदना और

वेचनामोहन कापेशानहीं हैं। (७) एक महाजन, जिसका कि पेशालोगों को रुपया उपार देनाहै, यदि इपने देनदारों से रुपयान मिलने पर उनकी अभीन ऋत्या के बदले में लेता हैं और

इस जमीन को लाम पर थेचता है तो यह लाभ 'झाकस्मिक ग्राय' नही माना जायेगा। (ब) यदि एक व्यक्ति को लॉटरी में इनाम मिलता है तो इस ग्राय पर

( द ) याद एक व्यक्ति का लाटरा स इनाम मिलता है ता इस आज पर आय-कर नहीं लगेगा। ( ह ) यदि कम्पनी के किसी सचालक को कम्पनी के असी के अभिगोपन

(Underwriting) को कमीयन मिलता है तो यह उसकी 'आकस्मिक आय' नहीं मानी जायगी।

(१०) यदि किसी व्यक्ति के जन्म दिवस पर उसके मित्रों व सम्बन्धियों से भेटें (Gifts) मिलती हैं तो यह आकस्मिक झाय मानी जायगी।

(११) यदि एक व्यक्ति सट्टैका ब्यापर करता हैती सट्टेसे प्राप्त प्राप्त ग्राकस्मिक मात्र नहीं कही जायगी, परन्तु एक दूसरा ब्यक्ति कभी सर्योग से एक सट्टे का सीदा करके मात्र प्राप्त करें तो इस मात्र पर ग्राप्त-कर नहीं लगेगा।

(१२) किसी कम्पनी के कर्मचारी की मिला हुया बोनस उसकी धावस्मिक

भाग नहीं मानी जायगी।

एक फर्म को जो कि बिखनों का समान कय व विक्रय करने का काम करती थी, 
किलिए बिजली वश्यनी द्वारा एक निरिचल क्षेत्र में फिलिए कम्पनी द्वारा बने हुये बल्ब
बेचने का एकांचिकार (monopoly) दिया गया। कुछ समय बाद किलिए कम्पनी ने
इस एकांचिकार की छोन विया और एमं के साभेदारों को २०,००० रूपने हर्जाने
के स्प में मिल, यद्योप फर्म अपना बहु विजली का माम करती रही जोकि एजेन्सी
मिलने के पहिले करती थी। न्यायांचीकों ने इस २०,००० रूपने करदेय प्राय माना
भीर हमें यारा ४ (३) (४।।) के अन्तर्गत कर मुक्त नहीं माना।

[P. H. Divecha And other V, C. I. T. Bombay city June 23, 1959]

धाकस्मिक आय का महत्त्व--

म्राकृत्मिक प्राय का साथ-कर के दृष्टिकोएा से बहुत महत्त्व है, क्यों कि इस प्राय पर--

( ग्र ) भाय-कर नहीं लगता, और

(व) यह ब्राय कुल ब्राय में नहीं जोडी जाती है।

यही नारण है कि बार्कस्मिक ब्राय की यरिभाया घारा  $\varepsilon$  (३) ( $v_{11}$ ) में दी हुई है, स्ट्रनु यह माजस्यक है दि इसकी परिभागा सममने के लिए न्यायालयों के निर्णय को व उस व्यक्ति की प्रकृति को घ्यान में रसा जाग जिसे यह ब्राय प्राप्त हुई हो।

श्चाकस्मिक प्राय के सम्बन्ध में महस्वपूर्ण नियम---

आय-कर अधिनियम के अनुनार उद्यं आय पर आय कर नहीं लगता है जोकि आकृतिक हो और जिसकी बार-बार होने की अहाँत नहीं (It should be casual and of non recurring nature)। जो आय केवल बाकृतिक है स्मेर Non-recurring नहीं है उस पर आय-कर कोगा, अदः आय-कर से मुक्त पाने के निये आय का आकृतिक और Non recurring होना आवस्यक है। पुनाय के लिए दिये हुये दान (Donations for Charitable Purposes)—

क्राय-कर क्रांविनियम नी बारा १४-B के अनुसार एक कर-दाता द्वारा १ प्रज्ञैन सन् १६५० के बाद दिये हुए दानी पर प्राय-कर नेही देना पडता है, परन्तु इन दानों नो कर मुक्त हाने के लिए नीचे लिसी सतें पूरी होनी चाहिए:—

- (१) यह दान विसी ऐसी पुण्यार्थ सस्या या फण्ड मे दिया जाय, जो कि कर लगाने वाल क्षेत्र में स्वापित हो।
- (२) इस संस्था की आय घारा ४ (३) (1) के अनुसार आय-वर से मुक्त हो।

मा०४०वि०सा० (४)

- (३) यह सस्या एक प्र यास या पञ्जीवृत सस्या या कम्पनी या सरकार या स्थानीय सरकार द्वारा चलाई जाक्षी हो या एक विद्वविद्यालय या एक प्रमास्तित विशा सस्या हो ।
- ( ४ ) यह धपने धाय व्यय का नियमित लेखा रखती हो।
- ( १ ) यह किसी विशेष जाति वे लाभ के लिए स्थापित न की गई हो।
- (६) इस सस्था को सरकार द्वारा या स्थानीय सरकार द्वारा पूर्णतया वा पुछ घंच तक घाषिक पदद मिलती हो 1
- (७) दान किया हुआ रुपया २५० रुपय से कम नहीं होना चाहिए।
- ( म ) यह चान की रक्त १,५०,००० रुपे या उसकी कुल झाय के ७३ प्रतिशत में से, जो भी कम हो, उससे प्रधिक नहीं होनी चाहिए, यहाँ उसकी कुल झाय का आश्रम उस आय से हैं जोकि उसकी कर सुक्त झाय पटाने के बाद बचती हैं।
- (E) दान की रक्म कुल आप में दर निकानने के लिये जोडी जाती है।
- (१०) कम्पनी द्वारा विंगा हुन्ना थान कवल श्राय कर से मुक्त होता है, परन्तु श्रम्य व्यक्तियों द्वारा दिया हुन्ना दान श्राय कर व श्रयि कर दोनों से मुक्त होता है।

क्षाय कर से सर्वधा मुक्त क्षायें (Incomes totally exempt from tax)-ग्राय कर श्रीयनियम की घारा ४ (३) के ग्रातगढ दे शायें दो हुई हैं जीकि ग्राय कर से मुक्त हैं श्रीर कर की दर निर्वारण करने के लिए कुल ब्राय म भी शामिल

- नहीं को जाती हैं :—

  (१) घामिक या पुष्पार्थ सम्यत्ति की साय—उत सम्यत्ति की धाय
  जोकि प्रवास या भ्रप्य वैधानिक दाियत्वों के द्वारा धार्मिक या पुष्प कार्यों के लिए
  रक्षी जाती है, परन्तु यह प्रावस्थक के कि दम सम्पत्तियों से प्रान्त हुई धाय उन धामिक
  व पुष्प कार्यों में जग ती चाहिए जोकि करसेय प्रदेश में हो धीर वाद इस सम्यत्ति की
  कुल कार्य इत कार्यों में स्थय नहीं की जाती है बक्ति उम प्राय का एक भाग हो इत
  कार्यों के लिए रक्षा जाता है दी केवल वह भाग हो कर मुल होगा।
  - [धारा ४ (२) (1)]
- (२) पुष्पार्थ सस्था ने लिये किये हुये व्यापार की आय-मदि कोई बाय एसे न्यापार से प्राप्त की जाती है, जीनि पार्मिक और पुष्पाये सस्या के निए किया जाता है और वह प्राप्त पूषात्रया दसी सस्या के निए प्रयोग की जाती है तो वह प्राप्त प्राप्त कर स सुन होगी। [पारा ४ (३) (१) (১)]
- (३) धार्मिक या पुण्यार्थ सम्या हारा प्राप्त चन्दा-पि कोई धारिक या पुण्यार्थ सस्या अपनी प्राय एक्टिर चदस प्राप्त नरती है और इस चदेकी

रकम को पूरातया धार्मिक और पुष्यार्थ कामी मे प्रयोग करती है तो आय कर से मुक्त होगी। [धारा ४ (३) (॥)]

- (४) स्थानीय सरकार की आय—िक्सी स्थानीय सरकार (Local Authornties) की अपने क्षेत्र के अन्दर प्राप्त हुई आय, परन्तु इस सस्था की वह आय आप कर से भून नहीं है जीकि इसे अपने क्षेत्र से बाहर कोड खबसा करते ने पारव होती है।
- (५) प्रॉवीडेन्ट फन्ड की प्रतिभूतियों का व्याज—ऐसे प्रॉवीडेन्ट फन्ड को रक्षम स सब वी हुई प्रतिभूतियों के व्याज पर कर नहीं क्षमता है, जोकि प्रॉवीडेन्ट फन्ड एक्ट सन् १६२५ के अनुसार रक्षा जाता है। [धारा ४ (३) (1४)]
- (६) कार्यालय से सम्बन्धित कत्तं ब्या को पूरा करने के लिए मिला हुआ भत्ता—यदि किसी कत्त्वारों को अन्ते कार्यालय से सम्बन्धित कर्त्त व्यो को पूरा करने के लिए कोई भत्ता मिलता है तो उस भत्ते की वह रक्तम कर मुत्त होगी जिसको कि वास्तव में व्यय क्विंग भगा है। इस भन्ते से आगण कर्मनारों को मिल हुँग मेगीरक के सते या अनुतान (Perquisite) से नहीं है। यहाँ यह बात ब्यान देने योग्य है कि भन्ते की रक्तम, जांकि ब्यय नहीं हुई है, करदेव आय में कोड दो जाती है।

[धारा ४ (३) (४1)]

- (७) विदेशी का याता व्यय-निसी ऐसे कर्मचारी को जीकि भारतवर्ष का नागरिक न हो, छुड़ी पर भारत से घर जाने के लिए अपने मानिक से मिला हुआ यात्रा व्यय ।
- ( = ) भारत के नागरिक का यात्रा व्यय यदि कोई मालिक सन्ते कर्मचारी की जीकि सारत का नागरिक है, हुद्दी पर स्रप्ते भारत में स्थित घर पर काने के लिये कोई यात्रा व्यय देता है तो यह यात्रा व्यय उत्त कमचारी की प्राय सबस्य है, पर इस प्राय पर न तो कर ही लगेगा और न यह साथ कर्मचारी की हुक साथ में ही जोडी जायगी।

  [सारा भ (३) (vɪ b)]
- (६) आकस्मिक आय—मार्कास्मक आय, जिसका वरान पीछे दिया जा पुका है, कर मुक्त होती है।
  - (१०) घारा ४ (३) (үлл) के अनुसार कृषि आया।
  - ((०) थारा ४ (३) (४।।1) क श्रनुसार कृषि भ्राय
- (११) प्रमाणित प्रॉवीडेन्ट फन्ड की ग्राय—एक प्रमाणित प्रॉवीडेन्ट फड (Recognised Provident Fund) के प्रत्यासियों को इस फन्ड से मिली हुई ग्राय कर मुक्त होती है। इस फड़ की परिभाषा धारा १०-A (a) से की गई है।

[धारा ४ (३) 1x] (१२) (ध्र) किसी देशी राज्य के महाराजा की विधान की घारा २६१

के ब्रनुसार निजी व्यय (Privy Purse) के लिए मिली

- ( म ) किसी विदेश के मान्वेसेडर, हाईकमिश्तर या अस्य इसी प्रकार के प्रथिकारियों व इतके सेक्ट्री व सलाहकार को उध राज्य से इन प्रीहदों से सम्बन्धित कार्य करने के लिए मिले
  - हुए पारिथमिक की घाय। (स) किसी विदेशी सरकार के वाशिक्य दूत को उसके औहदे में सम्बन्धित किये हुये कार्यों के लिए मिले हुये पारिथमिक की घाय।
- (द) किसी विदेशी राज्य के ट्रेड किमश्तर या ग्रन्य इसी प्रकार के प्रतिनिधि, जोकि सर्वतनिक (Honorary) काम नहीं कर रहे हैं, के हारा प्राप्त हुए वारिश्वमिक की घाय। इन प्रश्निकारियों को यह छूट तभी थी जायेगी जबकि हमारे देश
- में मिलती हो जिन देगों से दें अधिकारी आये हैं। (य) अगर के (य), (य) धोर (य) के अन्तर्गत सिते हुए सबि कारियों के कार्यालय के घटस्यों को मिलने वाले पारिश्रीमक की धाय कर मुक्त है, यदि नीचे जिल्हों हुई सर्वे पूरी हो:-(1) यह उसी देश का रहने वाला हो जहाँ का प्रतिनि-
  - (1) वह उसा रश दा रहन वाला हा यहां का आताल-विस्त्र करने के लिए यहाँ धाया हो। (11) वह सपने सोहर से सम्बंधित काय के अलावा भारत से कोर्ड कायार येका या व्यवसाय त करता

के इस प्रकार के अधिकारियों को इस तरह की छट उन देशों

(11) वह अपने औहदे से सम्बिधन काय के अलावा भारत में कोई व्यापार, पेका या व्यवसाय न करता हो और यदि ये कर्मकारी (द) में जिल्हें हुए प्रोध कारी के यहाँ कार्य करते हैं तो इनकी प्राय तभी करमुक्त होगी जबकि इस प्रकार की छूट भारत के कर्मचारियों को जबके देवों में मिलती हो ?

कर्मचारियों को जनके देशों में मिलती हो। [धारा ४ (३) (४)]

( १३ ) भारतीय नागरिको का विदेशी भत्ता—सरकार के बारा भारत के भागरिक को करदेव प्रदेश के बाहर कार्य करने के लिए दिया हुमा भत्ता या धनुनाभ (allowances or perguisites)।

[धारा ४ (३) (xa)]
(१४) नेमाली सेना के सैनिक की ग्राय-नेनाती सेना के सैनिक की

श्चाय, जोकि भारत सरकार का सेना में काम कर रहा हो।
[घारा ४ (३) (४।)]

(१५) रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की आय-पदि कोई रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन आरसीय ट्रेड यूनियन एक्ट सन् १६२६ के अनुसार है और मुख्यत श्रीमका व मालिको मे ग्रीर श्रीमको व श्रीमको में उचित सम्बन्ध स्थापित करने के लिए बनी है तो ऐसी हुँ ड यूनियन की प्रतिभूतियों पर ब्याज, सम्पत्ति से आय और अन्य सामनो से वारा ४ (३) (x a)] भाय कर मक्त है।

(१६) एक विशेष प्रकार की सम्पत्ति की आय-यदि एक मकान १ भाग्रैन सन् १९४६ तथा ३१ मार्च सन् १९५६ के बीच मे बना हो तो इसका बनना

समाप्त होने के बाद की तारीख से २ वर्षों की आय ।

थारा ४ (३) (x11)]

(१७) ब्रमुमोदित साइन्स रिसर्च एसोसिएशन की ब्राय-किसी धन-मोदित (approved) साइन्स रिसर्च ऐसोसिएशन की वह बाय जो ३१ मार्च सन १६४६ के बाद उत्पन्न हुई हो और उसी ऐसोसिएशन के काम में लाई जाती हो।

धारा ४ (३) (x111)]

(१६) विदेशी उद्यम के कर्मचारी द्वारा प्राप्त श्राय-विदेशी उद्यम (enterprise) के कर्मचारी द्वारा प्राप्त की हुई ग्राय, जो कि कुल विलाकर भारतवर्ष . मे ६० दिन ने अधिक न रहे और जिसे ऐसी विदेशी सल्याने मेजा हो जो भारत मे वारा ४ (३) (x1v)] कोई ध्यापार न करती हो।

(१६) विदेशी तान्त्रिक का वेतन-एक ऐसे विदेशी के वेतन पर कर नहीं लगता है जोकि भारत में तौत्रिक की तरह सरकार के या स्थानीय सरकार के या भारत में किसी व्यवसाय के या किसी ऐसे कॉरपोरेशन के धन्तर्गत काम करता हो जो किसी विशेष कानन द्वारा बनाया गया हो, परन्त इस कर मृत्ति के लिए यह ग्रावश्यक है कि वह भारत ग्राने वाले वर्ष के पहिले ४ वर्षों में कभी भी भारत का 'निवासी' न रहा हो । यह बात ध्यान रखने योग्य है कि वह जिस वर्ष भारतवर्ष मे भाषा है, उस वर्ष की भाष और अगले वर्ष की भाष कर मुक्त होती है।

यदि यह ताबिक भारत बाते वाले वर्ष व बगले वर्ष मिलाकर ३६५ दिन से

ग्रधिक वेतन प्राप्त करता है तो केवल ३६५ दिन का ही वेतन कर मूक्त होता है। परन्त यदि इस तान्त्रिक का नौकरी का प्रसविदा सरकार द्वारा स्वीज़त कर लिया गया ह तो यह कर की छट भारत आने वाले साल में व अगले दो साल तक

मिलवी है ।

[बारा ४ (३) (x1v-a)]

नोट-सान्त्रिक (Technician) की परिभाषा इस एक्ट की बारा ४ (३) (xiv a) के अन्त में दिए हुए Explanation में दी गई है।

<sup>\* &#</sup>x27;Technician' means a person having specialised knowledge and experience in constructional or manufacturing operations, or in mining or in the generation or distribution of electricity or any other form of power, who is employed in India in a capacity in which such specialised knowledge and experience are actually utilised".

(२०) विदेशी सरकार से मिलने वाला पारिश्रमिक—यदि कोई व्यक्ति सहकारी तान्त्रिक सहायता के त्रोग्राम के सम्बन्ध मे विदेश से ग्राया हो तो उसकी विदेशी सरकार से मिलने वाला पारिश्रमिक कर मुक्त है, यदि भारत सरकार व विदेशी सरकार में पारस्परिक समक्रीते के अनुसार उसकी नियुक्ति हुई हो। बेतन के अलावा उसकी अन्य आय भी कर से मुक्त हो सकती है, यदि उसकी आय विदेश में उपाजित की गई हो और उस पर उसे विदेशी सरकार को कर देना पडता हो।

[धारा ४ (-) (xv)]

( २१ ) केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्गमित किए हुए बोन्ड्स का व्याज— भारत सरकार और अन्तर्राष्ट्रीय नवनिर्माण तथा विकास वैक के समझौने के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा निगमित किए हुए बोन्ड्स का ब्याज । यह छूर केवल उन्हीं को [घारा ४ (३) (४ए३)] दी गई है जो कि विदेशी हैं।

(२२) दस वर्षीय ट्रेज़री सेविंग डिपाजिट सार्टीफिकेट का व्याज-केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए हुए दस-वर्षीय ट्रेजरी सेविंग डिपाजिट सार्टीफिकेट का ब्याज या पन्द्रहु-वर्षीय ग्रामुटी सार्टीफिकेट पर मिले हुए ब्याज की मासिक रकम।

[घारा ४ (३) (४४।।)] (२३) डाकलाने के सेविंग बैक की जमापर ब्याज—डाकलाने के सेविंग बैंक की जमा पर ब्याज, डाकलाने के कैश सार्टीफिकेट व नेशनल सेविंग सार्टी-

फिकेट व दस वर्षीय नेशनल प्लान सार्टीफिकेट का ब्याज। [बारा ४ (३) (xv11 a)]

(२४) (ग्र.) सरकार व स्थानीय सरकार द्वारा किसी विदेशी व्यक्तिया सस्या से उधार ली हुई रकम पर दिया गया ब्याज।

(व) भारत की श्रीचोगिक इकाइयो द्वारा ऋख प्रसिवंदे के अन्तर्गत विदेशी वित्त सस्था से लिए हुए ऋला पर दिया गया व्याज, यदि इस समझौते को केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृत कर लिया है।

(स) भारत की सीद्योगिक इकाइयो हारा विदेशों में पूँजी माल क्रय करने के हेतु लिये गए ऋगु पर दिया जाने वाला ब्याज, यदि इसके लिए केन्द्रीय सरकार ने सहमति दे दी है। [धारा ४ (३) (xv11 b) ]

(२५) लका के केन्द्रीय बैंक के निर्गमन विभाग के पास की प्रति-भूतियो का व्याज-लका के मुद्रा प्रधिनियम सन् १९४६ (Monetary Law Act, 1949) के प्रत्यात बने हुए लका के केन्द्रीय बैंक के निर्यमन (issue)

[बारा ४ (३) (द्रराग)] विभाग द्वारा रखी हुई प्रतिभूतियो पर ब्याज ।

- ( २६ ) केन्द्रीय व प्रान्तीय विधान सभा के सदस्यों के दैनिक भते केन्द्रीय प्रयवा प्रान्तीय विधान सभा के सदस्यों को मिले हुए दैनिक भत्ते । विदारा ४ (३) (xɪxो
  - (२७) १ झप्रेल सन् १६३८ के पहले निर्मामत हुये ऋएा का व्याज १ झप्रेल सन् १६३८ के पहले निर्मामत हुए ऋएा का व्याज, जोकि करदेय प्रदेश के बाहर विदेशी को देय हो। लेकिन यह झाय उसकी कुल सानारिक झाय मे जोड ली जामगी।
  - (२८) मुद्ध विद्योप प्रकार के अञ्चलों की आय—भारतीय विवान की धारा ३६६ (२५) में बताये हुए शङ्कतों की आय, यदि वे कुछ विद्योग स्थानों के रहने बाले हों, नेकिन इन्हें सरकारी नीकर नहीं होना चाहिए। जैसे आसाम की पहाडी जातियाँ, चाहे वे जाति सम्बन्धी क्षेत्र (Tribal areas) में रहती हो या मनीपुर व निपुरा के राज्यों में चनी गई हो।
    - (२६) केन्द्रीय या राजकीय सरकार द्वारा दिया गया बहादुरी का इनाम—केन्द्रीय सरकार या राजकीय सरकार द्वारा नकद या बस्तुमो मे दिया गया बहादुरी का इनाम। [बारा ४ (३) (ххи)]
    - (३०) सम्मिलित हिन्दू परिवार के सदस्य की श्राय—एक सम्मितित हिन्दू परिवार के बदस्य को सम्मिलित हिन्दू परिवार की श्राय मे से मिला हुना भाग । [पारा १४ (१)]
      - जवाहरण के लिए, माना कि एक सिम्मलित हिन्दू परिवार वी झाय १,६०० रुपये हैं। इस परिवार में ४ सदस्य हैं तो प्रत्येक सदस्य को मिलने वाले ४०० रुपयो पर न तो झाय कर समेगा ख़ौर न ही ये रुपए जसकी कुल झाय में शामिल किए जायेंगे।
      - ( ११ ) अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड (Approved Superannuation Fund) के निक्षेप (Deposit) की झाय । [बारा ५६ सार]

# इनामी बांड सन् १९६५ का व्याज-

१ झप्रैन सन् १६६० से १) और १००) की राशियों के इनामी बाँड सम-मूल्य पर सरकार द्वारा जारी किये गये हैं और १ झप्रैन कर् १६६५ को या इसके बाद सममूल्य पर भुगतान किये जायेंगे। ये इनामी बाँड विषरर बाँडों के रूप में होंगे। इनाम की रुक्त भारतीय झाय कर झिंपनियम के झन्तगंत झाय कर से मुक्त होंगी और नकद दी जायगी। श्चाय जो ब्याय-कर से मुक्त हैं, परन्तु सुपरदेष्टस से मुक्त नहीं हैं श्रीर कुल श्चाय में सम्मिलित होती हैं (Incomes which are exempt from Income-tax but not from Super-tax and are included in Total Income)--

नीचे विश्वी हुई श्रायें श्राय-कर से मुक्त हैं, परन्तु सुपर-टेवस से मुक्त नहीं है श्रीर कुल श्राय मे श्राय-कर की दर निकालने के लिये सम्मिलित की जाती हैं :—

(१) एक सरनारी कर्मचारी के बेतन मे से उसको स्पाित वाधिकी (Deferred Annuty) देने के लिए या उमनी क्षेत्रीर बच्चों की सहायत करने के लिए काटी हुई १४म, परन्तु यह उसके बेतन के १/४ से प्रधिक नहीं होनी चाहिये। - [चारा ७ (१) Proviso 1]

(३) राज्य सरकार द्वारा निर्गमित की हुई कर मुक्त प्रतिप्रतियों का व्याज।
पारा = Proviso 3)

(४) एक ऐसी अपनीकृत कर्म (Unregistered Firm) व अन्य सस्याओं के लाभ का आग, जिस पर पर्म या अन्य संस्थाओं द्वारा स्थान-इर अदा कर दिया गया है।

(२) करदाता ने अपने जीवन के लिये या सपनी की के जीवन के लिये या सपनी की के जीवन के लिये या सपद करदाता की है तो अपने पति के जीवन के लिए या विद्यासितित हिन्दू परि-वार हो तो इस परिवार्ट के किसी भी पुरुष या उसकी की के लिए दिया हुया श्रीमियम । प्राया १४ (१)

नोट— इस वापिक प्रीमियम को बीमा कराई हुई रकम के १० प्रतिशत से ग्रधिक नहीं होना चाटिए।

(६) Provident Fund Act, 1925 के धनुसार रखे हुए प्राविजेन्द्र फण्ड में एक कर्मचारी द्वारा दिया गदा चन्दा। विवास १५ (१)]

(७) एक प्रमासित प्रॉवडेन्ट फण्ड में कर्मचारी द्वारा दिया गया दान, लेकिन यह दान कर्मचारी के बेतन के ट्रेया द,००० रुप्ये में से जो भी कम हो उतसे प्रधिक नहीं होना चाहिए।

(८) एक कर्मवारी झारा प्रमुमोदित वापिकीय कोप (Approved Superannuation Fund) में दिया गया चन्दा। [धारा १८ मार]। नोट—करर दी हुई छूटी में नं० १, ४, ६, ७, ८ का चोड़ एक व्यक्ति के मामले में

उसकी कुल आप के १/४ या ८,००० रुपये में से जो भी कम हो उसमें अधिक नहीं होना चाहिए, परन्तु एक सम्मिलित परिवार के मामले में यह प्रीमियम कुल ग्राय के १/४ या १६,००० रुपये मे से जो भी कम हो उसमें प्रविक नहीं होना चाहिए।

श्राय जो श्राय-कर व श्रधि-कर दोनों ने मुक्त हैं, परन्तु श्राय-कर की दर निकालने के लिए कुल- श्राय में जोड़ी जाती हैं (Incomes exempt form Income tax and Super-tax but included in the total Income for rate purposes only)—

नीचे लिखी हुई ब्रायें ब्राय-कर व अधि-कर दोनों से मुक्त हैं, परन्तु आय-कर

की दर निकानने के लिए कुल धाय में जोडी जाती हैं:-

(१)(1) एक सहकारी समिति द्वारा विये जाने वाले व्यापार के लाभ पर कर नहीं दिया जायेगा, यदि यह :—

े (ग्र.) एक ऐसी समिति है जो कि बैकिंग वाब्यामार या सदस्यो को साल

की सुविधायें देने का काम करती है; या

(ब) एक ऐसी समिति है जो कि कुटीर उद्योगों में लगी है, या

(स) एक ऐसी समिति है जो अपने सदस्यो को कृषि की पैदादार के विप-रान (Marketing) का कार्य करती है; या

(द) एक ऐसी समिति है जो कि अपने सदस्यों के लिए कृषि सम्बन्धी श्रीजार बीज श्रीर जानवर क्रय करती है: या

(य) एक ऐसी मिनित है जो कि अपने सदस्यों की कृषि की पैदाबार के Processing में लगी हुई है; या

(फ) एक ऐसी समिति है जो कि अपने सदस्यो द्वारा एकतित किये हमें दूध

को संयुक्त दूध सहकारी समिति को देने का काम करती है।

( ii ) यदि एक सहकारी समिति उत्तर (Clause (i) के अन्तर्गत) समझाई हुई समितियों की मौति नहीं है तो इसका ऐसा लाग जो कि १५,००० रुपये से प्रथिक न हो,

( 111 ) एक सहकारी समिति द्वारा अन्य सहकारी समितियो में किये हुए

विनियोगी पर प्राप्त ब्याज श्रीर लाभाँश.

(ग्रः) उन गोदामों से प्राप्त द्याय जो कि भण्डार के लिए, विप्राप्त के लिए

या Processing के लिए किराये पर दिये गये हैं,

( v ) यदि एक ऐसी सहकारी समिति की कुल प्राय २०,००० रू० से झड़िक नहीं है घोर समिति वह समिति या नगर उपभोक्ता समिति या यातायात समिति या सिक के द्वारा कार्य करने वाली निर्माण समिति नहीं है तो इस समिति द्वारा प्राप्त किये हुए प्रतिभूतियों के ब्याव पर घोर सम्पत्ति की भ्राय पर।

ऊपर वर्णन की हुई छूटें एक बीधा कम्पनी की व Sanskatta Salt Owner's Society की प्राप्त नहीं हैं। [धारा १४ (३)]

नोट-यह वारा वित्त अधिनियम सन् १६६० द्वारा प्रतिस्थापित को गई है।

- (२) एक करदाता जो वि सहकारी समिति का सदस्य है, इस समिति से प्राप्त होने वाले लाभाग पर कर नहीं देगा। [धारा १४(४)]
- (१) ऐसे करदाता की शोदामी या मण्डारखानों के किराये से प्राप्त माय पर कर नहीं जगता जो कि किसी कातुन द्वारा बस्तुयों के विप्रशान करने का प्रिक् कारी है। यह छूट तभी मिलेगी खबकि ये गोदाम बस्तुयों के विप्रशान से राहायता वैने के लिये या मण्डार करने के लिए किराये पर उठाये गये हो। [बारा १४ (४)] आय जो कि आय-कर से मुक्त नहीं है, परन्तु अधि-कर से मुक्त है और कुल खाय में जोड़ी जाती हैं (Incomes exempt from super tax but
- not from Income-tax and is included in total Income)—

  (१) एक कम्पनी को अपनी हुल आय के उस भाग पर कोई मुगर टेस्स
  मही देना पडता है, जो कि एक ऐसी भारतीय सम्पनी के लाभारा द्वारा प्राप्त की खाती
  है जो कि ३१ मांच सन् १६५२ के बाद बनी हो और जहां के दीन परकार को यह
  विस्वास हो जाय के सह सम्पनी कुछ विनोप उद्योगों से तभी हुई है, जैसे कोवता,
  लोहा एवं स्पात, हैवी कैमीवरुम, हैवी मंगीनरी, बागज, दुंबटसे, सीमेट और लोकोमोटिज्य पादि और घारा १५ ८ उस कम्पनी पर लगती हो।

[धारा ४६ 🛦 (१)]

- (२) विनियोग ट्रस्ट कम्यनियों को लामीय के स्प में जो बाव दूसरी कम्म-नियों के उस लाभ में से मिलती है जिस पर सुरार टेंब तल चुना है। इस लामाय पर विनियोग ट्रस्ट कम्पनियों को सुपर टेंब्स नहीं देना पढ़ता है। परन्तु इस सुर में प्राप्त करने के लिए विनियोग ट्रस्ट कम्पनी को एक विरोप प्रकार का होना चाहिए।
- ( २ ) यदि एक रिकारड कार्य की झाम ४०,००० कार्य से समित्र होती है तो इसे इससे समिक झाम पर झाम कर देना पड़ता है, परन्तु मुक्दर-वैश्व नहीं देना पड़ता है।

### नई स्थापित श्रीद्योगिक कम्पनियाँ-

ग्राय कर प्रवितियम की घारा १५ C के धनुसार नीचे लिखी हुई सूचनायें दी हुई हैं:—

- (1) इन कम्पनियों का लाभ, यदि इनकी पूँजी के ६ प्रतिपत से अधिक नहीं है तो इनके स्थानित होने के बाद के अपम ५ वर्षों में, आय-वर व अधि-कर से मुत्त है। बारा १५ C, जिससे कि यह छूट दो हुई है, नीचे लिसी हुई कम्पनियों पर लाग्न होतों हैं.—
- (1) जो क्ति पूर्व स्थापित क्यानी के लोडने (Splitting up) या पुनर्निमांस (Reconstruction) से नहीं बनी हैं।
  - (11) यह घारा ऐसी बौद्योगिक कम्मनी पर लगती है जो कि १ प्रमुल सन्

१६४म से १८ वर्ष के झन्दर किसी भी समय करदेश प्रदेश से वस्तुमी का निर्माण राष्ट्र करतो है। यह समय का प्रतिव च वे द्वीय सरकार द्वारा बढाया भी जा सकता है।

(111) जिसमे यदि शक्ति द्वारा निर्माण काय होता है तो कम से कम दस श्रमिक भीर यदि बिना शक्ति के निर्माण कार्य होता है तो २० या २० से श्रधिक श्रमिक क्षाय करते हैं।

के द्रीय तरकार को यह अधिकार है कि यदि वह चाहे तो किसी श्रीदोगिक कम्पनी को इस छट का लाभ न लेने दे।

इस कम्पनी के लाभ प्राय-कर प्रविनियम की धारा १० के प्रमुखार निकाले जायें। इस लाभ में से मिलने वाले लाभाग पर किसी भी ध्राधारी को कर नहीं देना पड़ेगा, परन्तु यदि इस कम्पनी का लाभ क्यर समकाई हुई निश्चित सीमा से अधिक होना है तो उसमें से मिलने वाले लाभांश पर ध्राधारियों को कर देना पड़ेगा।

इस घारा के अनुनार कर मुत्त आय करदेय आय पर कर निकालने के लिए कल आय में जोडी जाती है।

#### QUESTIONS

- 1 (a) Certain classes of incomes are totally evempt (both Income tax and Super tax) and are not included in the total income of the assessee Give four instances of such income
  - (b) Give four instances of incomes which are exempt from income tax (not from super tax) but are to be included in the total income of an assessee

(Agra, B. Com 1960)

What are the classes of Income to which the Income tax Act does not apply?

(Agra, B Com, 1959)

3 The Indian Income tax Act confers absolute evemption in respect of certain incomes while some incomes are included in the total income for determining the rate only Explain these provisions fully.

(Agra, B Com, 1951)

- 4 Write short notes on
  - (a) Casual Income (Agra, B Com, 1946, 50, 57)
    - (b) Charitable donations.

- t. 1 5 State the provisions of section 15 B (in respect of exemption of donations for charitable purposes) and section 15 C in respect of exemptions from tax on newly established industrial undertakings (Rat B Com , 1956) What are the conditions to be satisfied by a charitable insti Б
  - tution for obtaining exemption from income tax and super tax on its income?

(Agra M Com 1960) Enumerate with illustrations the classes of incomes which are

- 7 exempt from both income tax and super tax (Alld B Com 1953)
- State the incomes which though exempt from income tax R are never the less included in finding out the total income (Alld, B Com 1958)

## श्रध्याय ६

# वेतन

# (Salaries)

पिछले भ्रष्याय में हम उन आयों को पढ चुके हैं जिन पर कि आय-कर नहीं लगता है। आय-कर भ्रियितयम की धारा ६ में कर लगने वाली आयों को ६ भागों में बाटा गया है, जो इस प्रकार हैं—

- (१) वेतन, (घारा ७);
- (२) प्रतिभूतियो पर ब्याज, (घारा = );
- (३) सम्पत्ति से भ्राय, (धारा ६);
- (४) व्यापार, पेशे झौर व्यवसाय से झाय, (धारा १०);
- ( ५ ) अन्य साधनो से आय, ( धारा १२ ) ;
- (६) पूँजी लाभ, (घारा १२ B)।

न्यायाधीत Kanta के शब्दों में घारा ६ 'झाय' की परिभाषा नहीं करती है, बल्कि यह तो केवल उन शीर्यकों को बताती है जिनके झन्दर करदाता द्वारा प्राप्त की हुई धार्षे सिसी जाती हैं,।

सम प्राप्ती करदाता के लिए यह प्रायश्यक है कि वह प्रपत्ती कुल म्राय निकासते समय प्रपत्ती भिन्न भिन्न प्राप्तो की घाटा ६ में दिए हुए शीपकी के प्रमुत्तार विटे । यदि कोई म्राय एसी हो जिसके तीर्धक के बारे में सम्बेद हो तो करदाता प्रपत्ती हुन्छानुसार उसे उस रोधिक में ले जा सकता है, जिसके लागे से उस पर कम बीभ्र पड़े। यह निर्ण्य Kothari Vs. C. I. T. (1951) में दिमा गया था। चूँकि माय-कर के प्रधिनियम के प्रमुद्धार करदाता की भिन्न म्रायो जीवत वीपकी (Heads) में सिक्ता मायरस्त है, दासिक उस दिये हुए शीपकी में से प्रस्केक ना विस्तृत प्रथम्यक करता मावस्यक है। इस प्रथमा में केवल बेतन का ही वर्णन विया गया है।

वेतन का म्रर्थ-

साधारण भाषा में—

वेतन का धाराय उस रकम से है जोकि किसी कर्मवारी को प्रत्येक महीने ब्रपने मानिक से प्राप्त होती है।

श्राय-कर अधिनियम के श्रनुसार—

धारा ७ के भनुमार एक कर-दाता को उस वेतन पर कर देना पढ़ता है जोकि उसे माने मालिक से देय (Due) हो, वाहे वह रकम उसे मिली हो या नहीं। वेतन के सम्बन्ध की कुछ मस्य वार्ते-

- (१) बेतन का मायाय बेतन और मजदूरी दोनों से है। ऊर्वि झविकारियों को दिया जाने वाला पारिव्यमिक 'बेतन' और मजदूरी व कारीगरी को दिये जाने वाला पारिव्यमिक 'मजदूरी' कहा जाता है। झाय कर अधिनियम से इत दोनों से कोई मन्तर नहीं किया गया है। इन दोनों साधनों से प्राप्त हुई झाय 'बेतन' सीर्यंक में लिखी जाती है।
- (२) कर बात भीर उसके मालिक मे, मालिक भीर नौकर का सम्बन्ध होनां सावस्वक है। यह निर्णुत C. I. T. 'Vs. Mills Stone Co. 1941 भीर David Mitchell Vs. C. I. T. 1956 के मामको मे दिवा गया था। यदि कोई व्यक्ति कार्योक्ष के सिता पद होने के कारण परिवर्षिक भी प्राप्त करता है, लेकिन उसमें और मालिक भीर 'मालिक और नौकर' का सम्बन्ध नहीं है तो उसका पार्थानिक तेता चीर्यंक में नहीं तिक्षा जाया। Commissioner of Income tax Vs. Lady Navajbai Tata (1947) के मामके में यह निर्णुत दिया गया था। दस मानके में यह निर्णुत दिया गया था। दस मानके में करतांत क्याती का सवालक था, उसके हाग्य प्राप्त किया हुमा पारिव्यक्तिक ने ती तीवन माना गया था और न मजदूरी, बिक्त उपहार (Gratinty), क्योंकि मालिक और नौकर का सम्बन्ध स्थापित नहीं पाया था, यह उसके हारा प्राप्त कि गांविक और नौकर का सम्बन्ध स्थापित नहीं लाया था, यह उसके हारा प्राप्त कि गांविक भीर नौकर का सम्बन्ध स्थापित नहीं का पाया था। किया कम्पनी के सञ्जानक के मिलने वाला पारिव्यक्तिक क्षेत्र तो चीर्यंक में बाना चाहिए ना 'बन्य साथनों के स्रान्त मांत सोर्यंक में, यह तय करते तामय कम्पनी के स्थान्त या वा विष्त मानवा के स्वर्तन वा साथने के स्वर्तन वा तो स्थान कर्मनी के स्वर्तन करते तामय कम्पनी के स्वर्तन करते साथ स्वर्तन क्षान क्षेत्र हम प्राप्ति के स्वर्तन वा ना निर्णं सम्पन्त के स्वर्तन करते साथ क्ष्य वा वाहिए ना 'बन्यन साथनों के स्वर्तन के स्वर्तन करते साथ क्ष्य ना वाहिए ना 'बन्यन साथने के स्वर्तन करते साथ क्ष्य होते साथ क्ष्यन वा वाहिए ना 'बन्यन स्वर्तन करते साथ क्ष्यन के स्वर्तन करते साथ क्ष्यन के स्वर्तन करते साथ क्ष्यन करते साथ क्ष्यन क्ष्य होते लेकि साथ क्ष्यन वाहिए साथ क्ष्यन क्ष्य होते साथ क्ष्यन क्ष्य होते साथ क्ष्यन वाहिए साथ क्ष्यन क्ष्य होते साथ क्ष्यन क्ष्य होते साथ क्ष्यन वाहिए साथ क्ष्यन क्ष्य होते साथ क्ष्यन वाहिए साथ क्ष्यन होते साथ क्ष्यन क्ष्य होते साथ क्ष्यन क्ष्य होते साथ क्ष्यन क्ष्य होते साथ क्ष्यन साथ साथ क्ष्यन क्ष्य होते साथ क्ष्यन साथ क्ष्यन क्ष्यन क्ष्यन क्ष्यन होते साथ क्ष्यन क्ष्यन क्ष्यन क्ष्यन होते होते साथ क्ष्यन क्ष्य होते होते साथ क्ष्यन क्ष्यन
- (३) केवल मालिक भीर नौकर के ही सम्बन्ध ना होना पारिश्रमिक को देवन बनाने के लिए पर्याच नहीं है। यह निर्दाय Commissioner of Income tax Bombay Vs. Durga Khote (1952), जोकि सिनेवा की समिनेवी है, के मामके में दिया गया था। इस समिनेवी ने नई फिरम कम्पनियों के प्रमदि मेरे ये भीर उन सबसे साम प्राप्त को थी। इस सब साम को थारा ७ के यनुसार देवन सीपंक मे न दिखाने का निर्दाय दिया था। इस साम को 'व्यापार, देसा और व्यवसाय' सोपंक मे दिखान उचित साम गया था। कोई साम देवन है या नहुँ।, इयका निर्दाय पारास्विद्ययों और स्थान ने देखकर करना पाहिए।
- (४) वेतन का सर्प उस रकम से है जोकि भारतवर्ष में उदाबित की जाती है। सगर कोई व्यक्ति विदेश में नौकरी करके वेतन प्राप्त करता है तो उसकी साम विदेशी साम मानो आयगों और वेनन के सन्दर सामिल नहीं को जायगी।
- (५) यदि लोई कर्मचारी अपनी इन्द्रा से वेतन पैदा करने के बाद भी नहीं लेता है तो भी उसके ऊपर इस वेतन पर कर लग जायगा।

(६) बेतन भारतीय सरकार या भारत के किसी ऋत्य मालिक द्वारा दिया जाना चाहिए। यदि कोई विदेशी स्टकार देतन का भुगतान करती है तो वह आय बेतन भीर्षक मे नहीं ले जाई जायभी, वरन् 'ऋत्य साधनो से झाय' वाले शीर्षक मे ले जाई जायभी।

जो सरकारी नौकर भारत के नागरिक है और सरकार से वेतन प्राप्त करते हैं उनके बेतन पर कर स्नाता है, चाहे ने जितने समय से जिदेश में ठहरे हो, परंछु इस बेतन में में भाने शामिल नहीं किये जायेंगे जोकि उन्हें विदेश में ठहरों की कीमत की सहत करने के जिये दिये जाते हैं।

[Explanation 2 A of Sec. 4 (1)]

[धारा ४ (३) (xa)]

यह नियम कर निर्धारण के लिये १ अप्रैन सन् १९६० से लागू होता है। चेतन श्रीपैक में शामिल होने चाली व्यायें—

वेतन शीपंक में नीचे लिखी हुई प्राये धामिल की जाती हैं :--

- (१) यदि कम्पनी के बाइरेक्टर को या ऐसे व्यक्ति की जो कम्पनी के प्रबन्ध से सम्बन्धित है और जिसे कम्पनी में २०% बोट देने का अधिकार हो, कम्पनी हारा कोई वस्तु किफायत पर दी जाती है या कोई लाभ बिना कीमत तिए हुवे दिया जाता है तो इसके मध्य की तमने बेतन में जोड़ दिया जायेगा।
- (२) यदि कम्पनी के १८,००० रपये से ध्रिक वार्षिक देतन पाने वाले कमंचारी के। (अरर कर २ में समक्षाय हुने कमंचारियों को छोडकर) बिना कीमत लिए हुए कोई साभ या कम मूल्य पर कोई दस्तुर्ये या सेवार्यें दो जायें तो दनकी कीमत को देतन में ग्रामिल कियां जायेगा ।
- (३) मालिक के द्वारा प्रपने किसी कमचारी की देन को चुकाय जाने का मुत्य, जिसे यदि मालिक न चुकाता तो कर्मचारी को हो चुकाना पडता।
- ( ४ ) यदि मालिक कोई रकम प्रपने कर्मवारी के जीवन भ्रीमा कराने के लिए दे या एक प्रसविद्या के भ्रन्तगत करदाता के जीवन की वार्षिकी (Aunuity) के लिये दे तो यह रकम उसके बतन में शामिल कर शी जायेगी।
- (१) एक करदाता द्वारा भपने मालिक में या पहले के मालिक से प्राप्त हुमा या प्राप्त होने बाला हुजीना (Compensation), जीकि या तो नौकरी से भागन करने के बदले में या अन्य किसी प्रतिफल के रूप म प्राप्त हुमा हो, बेतन सोपंक में शामिल किया जाता है। इस दिशा में पारा ६० (२) के भन्तगत करदाता को केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्याप्त छूट दी जा सकती है।
- (६) मालिक से जिया हुमा पेनणी बेतन—यह पराणी बेतन जसी तारीख को बेनन माना जायमा जिसको प्राप्त हुमा है, परन्तु यह पेराणी यदि किसी मकान स्नाद बनाने के लिए सो जाय तो बेन्नन मानकर उद्धा मानी जायनी और इस पर उसी समय कर समेपा जबकि बेतन दय होगा।

- (७) यदि मालिक द्वारा नोई वार्षिकी, पेरान, उपहार, फीस या क्मीशन भादि कर्मवारी की हैसियत में मिला हो।
- ( = ) यदि वेतन के बदले में या वेतन के श्रतिरिक्त कोई भी पीस, क्मीशन या लाग गालिक से मिला हो।
- ( ६ ) कोई भी मुगतान, जो कि करताला द्वारा अपने मानिक से या पहिले बाले मानिक मे या अप्रमाशित प्रांबीडेन्ट फण्ड से प्राप्त हुआ हो, परन्तु इस फण्ड में उसके द्वारा दिया हुआ अगदान (Contribution) और उसका ब्याज शामित नहीं है।
- (१०) प्रमुलाम (Perquisites) भी नेतन को तरह र रक्ष्य माने आते हैं। वेतन के प्रतिरक्त मालिन द्वारा मिलने वाली लगभग समी प्रनार भी रहने इन्हें प्रन्यर प्राती हैं, अंदे—विना निराबा रहने का स्थान, बिना कीमत या रियायत पर कर्मचारी को सामान देना प्राति । वेतन से शामिल होने वाली सीपंक के प्रत्यर नर है, २, २ में विश्वी हुई रियायतें या भत्तों को रहमे प्रमुलाम (Perquisites) में सामिल की जाती है। मकान ने किराये ना मत्ता एक प्रमुलाम है, तिसवा विस्तृत वर्षण प्राति प्रया है।

मालिक से पाये हुए प्रजुनार्थ (Perquisites) देशन में जोड जात है घौर उन पर कर खगता है, परन्तु मालिन क प्रतिदिक्त घन्य लोगों ते मिले हुए प्रजुनार्भी पर पारा १२ ने अनुनार नर लगेगा। वे बेतन में नहीं घोडे जायेंगे।

### वेतन के वदले में लाभ (Profits in Lieu of Salaries)-

वेतन शीपन में शामिल होने वाली आयों में जिन आयों वा वर्षान उपर्युक्त (६) व (१०) में दिया गया है, वे 'बेतन के बदने में लाभ' वही जाती है।

मकान के किराये का भत्ता (House Rent Allowance)--

- (भ्र) एक क्यांचारी को मकान के किराये का भन्ना मिलताहै तो भन्ने की परी रक्तम.
- (व) यदि विशो कमें वारी को रहने के लिए मुग्त मकान मिल जाता है तो यह दलना पढ़ेगा कि वह मकान पर्नीचर मादि से समा हुमा है या नही। यदि उसा हुमा है यो नहीं। यदि उसा हुमा है तो उत्तर बता का रे२% भीर प्रित नहीं सजा हुमा है तो उत्तर बेदन का २०% चिता मार्थ के में को जायेगा। परन्तु नमवारी को यह मधिकार है कि यदि बातविक रिराय का मुल्य इन मीत्रातों से कमा हो तो वह वम है। सकान का मता माना जाया।

[Sub rule (11) of clause (a) of sub rule (1) of Rule 24 A]

जहाँ दिना सजे हुए मकान के किराये का मूल्याकन वेतन के २० प्रतिशत से प्रधिक होता है भीर सजे हुए मकान में किराये का मूल्याकन वेतन के २५ प्रतिशत से प्रधिक होता है तो २०व २५ प्रतिसनों से जितना प्रधिक होता है वह १०व १२५ प्रतिशतों में क्रमशः जोड दिया जाता है।

[Sub rule (1) of clause (a) of sub rule (1) of Rule 24 A] यह नीचे के उदाहरली से स्पष्ट हो जायेगा:—

विना सजा हुआ मकान (Unfurnished house)--

यदि वेतन १०,००० रुपये वापिक है और Fair Rent ५०० रुपये वापिक है तो ५०० रुपये हो मकान किराये का भत्ता माना जायेगा, क्योंकि यह वेतन के १० प्रतिशत से कम है।

यदि वेतन १०,००० रुपया वार्षिक है और Fair Rent १,२०० रुपये वार्षिक है तो मकान किराये का भता १,००० रुपये ही माना जायेगा, क्योंकि यह वेतन के १० प्रतिशत के वरायर है।

यदि बेतन १०,००० रुपये वाधिक है और Fair Rent २,२०० रुपये वाधिक है तो मकान किराये का भत्ता १,२०० रुपये होगा, क्योंकि १०,००० रुपये वा १० प्रतिसत १,००० रुपये होता है और २,२०० रुपये १०,००० रुपये के २० प्रतिसत से २०० रुपय प्रधिक है, इसलिए १,००० रुपये + २०० रुपये = १,२०० रुपये होता है।

सजा हुआ मकान (Furnished house)-

यदि सर्वे हुए मकान का Fair Rent वेतन के १२ई प्रतियत से कम है तो कर्मवारी के इसी वास्तविक किराये को ही वेतन में जोड़ा जामेगा। यदि Fair Rent वेतन की १२ई और २५ प्रतियातों के बीच में है तो १२ई प्रतियात ही बेतन में जोड़ा जायेगा भी यदि Fair Rent वेतन के १५ प्रतियात से ध्रिक है तो कर्मचारों के वेतन के १२ई प्रतियात में, वेतन के १५ प्रतियात से जितना अधिक होगा उत्तरा, जोड़कर मकान के किराये का भता निकाला जायेगा।

यदि मालिक ने भपने किसी कर्मचारी को रहने का मकान रियायती किराये (Concessional Rent) पर उठाया है तो इस मकान का वेदन में जोड़े जाने बाल भना इस प्रकार निकाला जायगा—

हत मकान का भन्ना पहले चल इकार निकाला आग्रमा, जैसा, कि मुहल किरादे के मकान के बारे में सक्तमाया जा चुका है। इस भन्ते में से कर्मचारी हारा दिया गया बास्तिकित किराया घटाने के बाद जो रकम तीय बचेगी बही इस मकान के किराये का भन्ना माना जायगा और बेतन में जीड दिया जायगा।

उदाहरण के लिए, यदि कर्मचारी का वेतन १०,००० रुपये वार्षिक है ब्रीर इस विना सजे हुए मकान ना Fair Rent २,००० रुपये वार्षिक है, परन्तु कर्मचारी

मा०क०वि०सा० (१)

से रियायत के कारण कुल ६०० रुप्ये वार्षिक ही लिया जाता है। इस दशा में किराये का भत्ता इस प्रकार निकाला जायगा:—

[Clause (b) of sub rule (1) of Rule 24 A]

उपर समभाई हुई दशागो मे जहाँ कही Fair Rent प्रयोग हुमा है वह Fair Rent इस फ्लार निकाला जायगा :—

(अ) जहाँ सरकार द्वारा गोई रहने की जगह किसी सरकारी अफसर को दी जाती है, वहाँ इस रहने वाली अगह का किराया उन नियमो द्वारा जात किया जायगा जी कि सरकार द्वारा अपने अफसरों के रहने के निए सलॉटमेट करने के साम्बन्ध में बनाये जाते हैं।

[Sub clause (1) of clause (1) of the Explanation of Sub-Rule 1 of Rule 24 A]

[Sub clause (n) of clause (1) of the Explanation of Sub-Rule 1 of Rule 24 A]

मकान भत्ते की प्रतिशतें निकालने के लिए बेतन का मृत्य निकालना—

मकान के भन्ते के सम्बन्ध में उत्पर दिये हुए विवरण में कई ज्यह विभिन्न प्रतिज्ञतों का प्रयोग हुना है जो कि वेतन पर निकाली जाती है। वेतन का यहाँ प्राणय मासिक या अन्य प्रकार से दिए जाने वाले अससी वेतन, भन्तो, बोनस या कमीशन से है। सेकिन इसमें निम्नलिसित रकमें उपयुक्त उद्देश के लिए शामिल नहीं की जाती -

(1) मह्गाई का भत्ता।

( 11 ) करदाता के प्रॉवीक्षेन्ट फण्ड खाते में मालिक हारा दिया हुमा स्रशदान । (111) ऐसे भर्ते जो कर से मुक्त हैं।

[Clause (2) of the explanation of sub rule (1) of rule 24 A]

## कार के ब्यय —

यदि कार मालिक की है और मालिक ने इसे नौकर की नार्यालय के कार्य के लिए व उसके निजी प्रयोग के लिए दी है और दोनों ही दगाओं में इस पर होने नाले क्यम मालिक सहन करता है तो कार के निजी प्रयोग के लिए अनुलाभ (Perquisite) का सून्य करदेय होगा। इसी प्रकार यदि कार का मालिक कर्मचारी है और इसके यय मालिक द्वारा सहन निये जाते हैं तो वे अनुपातिक क्यम जो निजी प्रयोग से सम्बन्धित हैं, करदेय हैं।

### गैस ग्रीर विजली के विल-

यदि मालिक द्वारा उस मकान के गैस व बिजलो के बिल जिसमे कि कमैचारी रहता है, सुमतान किये जाते हैं तो यह कमैचारी की करदेय प्राय होगी, परन्तु यदि इनकी पूर्ति मालिक के साधनों द्वारा की जाती है और मालिक को इन्हें किसी बाहरी एजेन्सी से क्रय नहीं करना पड़ता है तो इनका मूल्याकन सूत्य माना जायेगा।

[Clause (D) of sub rule (1) of rule 24 A]

शिक्ता सम्बन्धी सुविधायें---

यदि किसी कर्मचारी के घर के किसी भी सदस्य को मुन्त शिक्षा की मुक्कियार्थे मालिक द्वारा दी जाती हैं तो इन पर मालिक द्वारा किया जाने वाला क्यय कर्मचारी का मनुलाभ माना जायगा, परन्तु यदि शिक्षा सस्या को कर्मचारियों के लाभ के जिये स्वयं मालिक चला रहा है तो करदाता के अनुलाभ का मूल्याकन उस मोहल्ले के पास की उसी प्रकार ने सस्याप्रों में शिक्षा प्राप्त करने के उचित कीमत के म्राम्यार पर निकाला जायगा।

## हरिजनो और मालियों वो दिया हुन्ना बेतन-

यदि मालिक के किसी ऐसे मकान में कमंचारी रहता है जिसकी देख-भ्राज करने के लिए हरिजन व मानी रखे हुए हैं तो इनको *विमे जाने वाले* देवन पर , कमंचारी नो कोई कर नहीं देना पडेगा।

चेतन में से घटाने यीग्य श्रायें (Deductions from Salaries)-

घारा ७ (२) के मनुसार नीचे लिखी हुई रक्नमे वेतन में से पहले घटा ली जार्थेगी भौर ६।द मे बची हुई रक्मों पर ग्राय-कर लगेगा :—

(१) प्रवने पेते से सम्बन्धित कर्तंथ्यों को पूरा करने के लिए कर्मचारी द्वारा

किताबीन पत्रिकामी के क्रय करने के लिए खर्च किया हमा धन. परन्त यह धन ५०० रुपये से ग्रधिक नहीं होना चाहिए ।

- (२) मनोरजन का भत्ता श्रव झाय कर से मुक्त नहीं है, इसलिए मनोरजन भत्ते की वेतन में शामिल कर देना चाहिए और इसे शामिल करने के बाद नीचे लिखी हुई कटौतियां काटनी चाहिए :---
  - ( अ ) यदि कर दाता सरकार से बेतन पाता है तो उसके ग्रसली बेतन का 🖟 या ५,००० रुपये में से जो भी नम हो, बेतन में सै घटाया जायगा । १ अप्रैल सन् १६५५ से पहिले मनोरजन भता न पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को भी यह छट दी जाती है।
- (ब) अन्य करदाताओं (जो सरकारी नौकर न हो ) के लिए उनके असली वेतन का है या ७ ४०० रुपये में जो भी कम हो. परत यह भत्ते की रकम से प्रधिक [नही होनी चाहिए। यह भत्ता तभी घटाया जायगा जबकि वे इसे ग्रंपने वर्तमान मालिक से १ श्रप्रैल सन् १६५५ के पहिले से लगातार प्राप्त करते रहे हो।
- (३) यदि कर्मचारी के पास कोई अपनी सवारी है. जिसे वह अपने कार्या-लय से सम्बन्धित कर्तांच्यो के पूरा करने के लिए प्रयोग करता है तो इसके सम्बन्ध में हए व्यय और हास के लिए उचित रनम। यह रकम उचित है या नही, इसका निर्माय आय-कर अधिकारी करेगा। यह रकम तभी धटाई जाएगी जबकि करदाता को कोई सवारी भता नहीं मिलता है।
- (४) कोई रकम जो कि कर्मचारी ने अपनी नौकरी की शतों के अन्तर्गत पूर्वतया सपने कर्तव्यों के पालन करने में व्यय की हो।

## Illustration No 1-

X, the professor of a college, gets Rs- 600/ per month. His salary for the month of Jan , Feb and March 1960 was not paid. What will be his total salary for the assessment year 1960 61.

#### Solution No 1-

Salary for Previous year ending 31st March, 1960

Rs. 7 200

Ulestration No. 2-

X, the professor of a College, gets Rs 700/- per month. He is examiner in university and gets 600 as fee for examining anwers books From Nov. 1959 he was given a dearness allowance of Rs 20/- per month. He got an allowance of Rs. 30/ per month for being incharge of games. In Jan- 1960 he took six month basic

Rs.

salary in advance. Find out his total income under the head salary for the assessment year 1960 61.

### Solution No 2-

	Rs.
Basic Salary for 9 months	6,300
Salary taken in Advance for six months	4,200
Dearness Allowance (Rs. 20×5)	100
Games Allowance (Rs 30×12)	360
Total Salary	Rs 10,960

Note—(1) Examiner's fee will be taken under the head "Income from other Sources"

(2) As X has taken only basic Salary in advance, hence allowances have not been added in it.

# Illustration No 3-

X was appointed on 1st April 1959 at Kanpur, on Rs. 300/per month. On 1st may, 1959 he was retrenched He got Rs 2.000 compensation for the termination of his service. On 1st Nov 1959 he got a job of Rs 200 as salary and Rs. 10 as dearness allowance per month On 1st Feb 1960 he took an advance of five month's salary. He also took a loan of Rs. 1,000 on 1st March 1960 for construction of his house What is his salary for the assessment year 1960 61?

### Solution No. 3-

Salary at Kanput (one month)		200
Compensation		2,000
Salary for three months (@ of Rs 200 per month)		600
Dearness Allowance (Rs. 10×3)		30
Advance Salary		1,050
Total Salary	Rs.	3,980

Note-(1) Loan for Construction of house will not be included in Salary.

(2) It is assumed that Dearness allowance of Rs, 10 per month too is included in Advance.

# प्रॉबीडेन्ट फराड---

श्रॅवीडेन्ट फराड का ऋर्य---

एक वर्मवारी के वेतन में से प्रति माह कुछ रकम एक निश्चित प्रतिशत के मनुसार काटी जाती है भीर इस प्रकार काटी हुई रकम एक एज्ड में जमा की जाती

```
७० ]
है। कभी कभी मासिक भी मुद्ध रक्तम इस फण्ड में जमा करता है। इस प्रकार के फण्ड को प्रॉबीडेन्ट फण्ड कहते हैं।
प्रॉबीडेन्ट फण्ड रखने के उद्देश्य—
(१) वर्मचारियों में सबत की भावना पैदा होती है।
(१) भवकाश प्रहुण करने के बाद इस फण्ड की रक्तम से कर्मचारियों को काफी सहायता मिनती है।
(३) यद सयोगवा नोकरी करते हुए कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके की, बचो व सन्य साध्यतों को इस फण्ड की रक्तम मिनने से मुख्य सहारा होता है।
```

कुछ सहारा होता है। (४) जिननी ही इस फण्ड की रकम अधिक होती जाती है, उतना ही कर्मचारी के हृदय से अनिश्चित परिस्थितियों का डर हृदता जाता है। (४) जो कर्मचारी इस फण्ड को रखते हैं उन्हें मालिक के दान

(X) आ कमचारा इस ५०% का रखत ह उन्हें भारतक के धार (Contribution) का लाम अपने झाप प्राप्त हो जाता है। (६) इस फण्ड की रक्षम की विनियोग करके ब्याज प्राप्त करने कर लाम मिलता है।

प्रॉवीडेन्ट फएड के भेद्-प्रॉवीडेन्ट फण्ड तीन प्रकार के होते हैं :--( १ ) वैद्यानिक प्रॉवीडेट फण्ड (Statutory Provident Fun

( १ ) वैधानिक प्राॅगीडेट फण्ड (Statutory Provident Fund)।
( २ ) प्रमाणित प्राॅगीडेट फण्ड (Recognised Provident Fund)।
( ३ ) মুসুমাणित प्राॅगीडेन्ट फण्ड (Unrecognised Provident

(१) सम्मागत प्रावाडन्ट ५०४ (Unrecognised Frovident
Fund)।
वैद्यानिक प्रॉवीडेन्ट फ्लंड —
वह फ्लंड प्रॉवीडेन्ट फलंड एवट चन् १६२५ के द्वारा नियन्तित होता है। इसने

यह फण्ड प्रावाडन्ट फण्ड एवट एन रहर र क दारा नियानत हाता है। मालिक भीड कर्मचारी दोनों है हारा दान किया जाता है। भॉबीडेन्ट फरहड का प्रयोग — ( म्र.) सरकारी कार्यालयों में, ( ब ) रेलवे में, ( स ) ग्रद्ध सरकारी कार्यालयों में.

( स ) ग्रद्ध संरक्षारा कायालया भ, ( द ) स्थानीय सरकारा कार्यालयों मे, ( य ) विश्वनिद्यालयों मे, ( र ) शिक्षा सरवाणों में, इत्यादि । प्रॉवीडेन्ट फगड सम्बन्धी नियम— ( १ ) मालिक द्वारा दिया गया चन्दा कर्मचारी की कुल भाग में जोडा नहीं

(१) मालिक द्वारा दिया गया चन्दा कमचारा का कुल माय में जाला है जाता है भीर यह चन्दा श्राय-कर से भी मुक्त होता है। (२) कर्मचारी का चन्दा, जोकि उसके वेतन से काट कर विया जाता है, कुल वेतन में शामिल किया जाता है, परन्तु इस पर भी खाय कर नहीं तगता है। कर्मचारी द्वारा दिया गया चन्दा और उसके द्वारा दिये हुए जीवन बीमा प्रीमियम की रकम आय-कर से मुक्त होती है। परन्तु इनका जोड कर्मचारी की कुल धाय के नै भाग या =,००० रुपये में से जो भी कम हो उससे अधिक नहीं होना चाहिये।

(३) दोनों के चन्दों से बने हुए प्रॉवीडेन्ट फेल्ड के सर्वित घन का ब्याज कुल झाय में शामिल नहीं किया जाता है और कर मुक्त भी होता है।

५ भ चामल नहाकियाजाठाह आरफ र भुक्त माहाताह । (४) कर्मचारी के अवकाश ग्रहण, करने के पश्चात् या जब कभी भी इस

( ४ ) कमेचारों के सबकादा ग्रहिए करने के पश्चीत् या जब नभी भी इसे फण्ड की दुल रकम मिन्नती है तो इस रकम को न तो कुल ग्राय में जोडा जाता है भीर न इस पण्डाय कर ही सगता है।

नोट—सूहम म. याद रखता वाहिये कि इस फण्ड से सम्बन्धित प्रश्न हल करते समय
वर्मवारी के कुल मिलने वाले वेतन को लिखना चाहिए और 'कर मुक्त माय'
के शीर्यक मे क्वल कर्मवारी द्वारा दिया गया दान व उसके जीवन बीमा का
शीम्यम लिखना वाहिए, परन्तु इनका जोड उसकी कुल आय के छैन
द,००० रुपये में से जो भी कम हो उससे प्रथिक नहीं होना वाहिए।
माजिक के दान का और इस फण्ड के ब्याज का कही भी कोई लेखा नहीं
किया जायेगा।

इस फण्ड का प्रमाव~

प्रॉवीडेन्ट फण्ड रखने से प्राप्त होने वाले साधारण लाभो के झतिरिक्त इस फण्ड का एक विशेष लाभ यह होता है कि मालिक द्वारा विये गये दान भ्रोर ऑवीडेन्ट एफ्ड के सचिव गप र मिले हुए ब्याज का कोई लेखा भ्राय कर निकालते समय नहीं विया जाता है।

प्रमाणित प्रॉवीडेन्ट फराड--

माणित प्रांतीकेट फण्ड की परिभाषा धाय-कर प्रधितियम की घारा ५स-A में हुई है। इस घारा के यनुसार एक प्रमाणित प्रांतीकेट फण्ड वह फण्ड है जिसे धाय-कर कमितन द्वारा धाय कर प्रधितियम के प्रध्याय  $\epsilon$ -A पे दिए हुए नियमों के मनुद्रार प्रमाणित किया जाता है।

इस फण्ड को प्रमास्मिकता पाने के लिए व इस प्रमास्मिकता को कायम रखने के लिए पारा १८ C मे दी हुई रातों का पानन व स्नार केन्द्रीय सरकार ने कुछ दातें निर्घारित की हैं तो उनका भी पानन करना प्रावस्यक है।

# इस फण्ड का प्रयोग--

( भ ) वीमा कम्पनी ( भग्नि, समुद्री व भन्य ),

(व) वंक.

(स) नारखानो के कमंचारी,

(द) व्यापारिक सस्याम्री, म्रादि । ऊपर लिखे हए स्थानों में इस फण्ड का प्रयोग होता है ।

# इस फराड सम्बन्धी नियम—

- (१) कर्मचारी की कुल आय में मासिक के प्रॉवीडेन्ट फण्ड में प्रश्नान (Provident Fund Contribution) का वह भाग कोडा जायेगा को कि कर्मचारी के वेतन के १० प्रतिश्रत से प्रधिक हो। यदि मासिक का प्रॉवीडेन्ट फण्ड में प्रदादान कर्मचारी के वेतन के १० प्रतिश्रत तक है तो कर्मचारी की जुल आय में नहीं जोडा जायेगा।
- (२) कर्मचारी के प्रांचीडेन्ट फण्ड खाते का ब्याज, यदि कर्मचारी के देवन के दे से प्रांचिक है तो जितनी प्रांचिक रकता है यह कुल आय मे जोड़ दो जाएगी या यदि कर्मचारी के प्रांचीडेन्ट फल्ड के ब्याज की दर ६ प्रतिशत से प्रांचिक है तो यह अधिक ब्याज भी कुल साय में जोड़ा जाता है।
- (३) केवल कर्मचारी का प्राँबीडेन्ट फण्ड में दान ही कर-मुक्त आप (Exempted mcome) में लिखा जाता है, परन्तु यह रकम भी उसके वार्षिक वेतन के हैं या ८,००० इनयें में से जो भी कम हो उससे प्रधिक नहीं होनी चाहिए।
- (४) कर्मचारी का प्रॉबीडेंग्ट फल्ड से अवदान व उसके हारा दिया गया जीवन थीमा भीमियम कर मुक्त है, परन्तु इन दोनों का जोड कुल साय के है और ८,००० रुपये से जो भी कम हो उससे घषिक नहीं होना चाहिए।
- (४) यदि किसी कर्मचारी ने अपने मास्तिक के यहाँ समातार ५ वर्ष तक नौकरी की है तो कर्मचारी के प्रवक्तात्र प्रवर्ण करने के परवात् मितने वाली इस एण्ड की एकनित घनरासि न तो कुल आय में ही जोडी बाती है और न इस पर ध्यान कर ही लगता है।

  [धारा 58 G (2)]

यहाँ ५ वर्ष का यह प्रतिकाध भाय-कर नियम की धारा ६  $\epsilon$  [G (2) Proviso 1] के अनुसार लगाया गया है, परन्तु इसी धारा के अनुसार साय-कर किमरनर को यह भी प्रविकार है कि वह इस छूट का लाभ उन कर्मनीरवीं को भी दे सकता है जिन्होंने भरने नियोधा के यहाँ लगातार ५ वर्षों से कम नौकरी को हो, परन्तु यह प्रियम द वह तभी प्रयोग करता है जबकि उसके विचार में नौकरी, कार्मचार्च की सीमारों के कारए या नियोधा के स्थापार बन्द होने के कारए या प्रयास्त्र किसी कारए से, और कारए या प्रयास्त्र किसी कारए से, जीकि कर्मनारों की द्यापार बन्द होने के कारए या प्रयास्त्र किसी कारए से, जीकि कर्मनारों की द्यापार कर है, जूट गई हो।

# इस फएड का प्रभाव—

बैजारिक प्रॉवीडेंटर दण्ड की तुबना में कर्मचारी के हिसाब से यह कण्ड कम प्रच्छा है, क्योंकि इस फण्ड में मालिक के दान श्रीर फण्ड के ब्याच को भी एक निश्चित सीमा के बाद कुल छाय में शामिल किया जाता है, परन्तु वैवासिक प्रॉवीडेंग्ट फण्ड में मालिक के दान भ्रोर फण्ड के ब्याज को कुल भ्राय में बिलकुल शामिल नहीं किया जाता है।

# श्रप्रमाणित प्रॉबीडेन्ट फएड---

जो प्रॉवीडेंग्ट फण्ड ग्राय कर कमिश्तर द्वारा प्रमाखित नहीं होता है ग्रीर वैधा-निक भी नहीं होता है तो उसे ग्रप्रमाखित प्रॉवीडेंग्ट फण्ड कहते हैं ।

# ′इस फएड का प्रयोग—

मह फण्ड बहुत कम प्रचलित है और यदि है भी तो व्यक्तिगत सस्थामें इसका प्रयोग करती हैं।

# इस फाड सम्बन्धी नियम—

- (१) क्मंचारी द्वारा इस फण्ड मे दिया गया चन्दा कर मुक्त नही होता है और इस चन्दे को उसके मिले हुए वेतन में जोड़ा जाता है।
- (२) मासिक हारा दिए गये चन्दे और इस फण्ड के ब्याज पर प्रत्येक साल कर नहीं लगाया जाता है।
- ( १ ) जब वर्मचारी धवकाता ग्रहण करता है या जब कभी भी इस फण्ड की एकम उसे दी जाती है तो थोक में मिली हुई इस रकत में से, कर्म-चारी के चन्दे और उस पर के ब्याज को घटा कर, बची हुई रकत की कुस आप में जोड दिया जाता है। ऐसा करने का कारण यह है कि कमचारी के चन्दे पर प्रति वर्ष पहले ही कर लग चुका है और एक रकस पर दो बार कर नहीं लगता है।
  - (४) यदि कर्मचारी जीवन बीमा श्रीसियम देता है तो इत श्रीसियम की स्नाय कर से मुक्त होनी है, परन्तु यह उसकी कुल साथ के ३ शाग या प.००० रुपये में से जो भी कम हो उससे स्रोधक नहीं होनी चाहिए।

# इस फाट का प्रभाव--

यह फण्ड ऊपर समझन्ये हुए दोनो फण्डो की तुलना में कर्मचारी के हृष्टिकोस्स से बुरा माना जाता है, क्योंकि इस फण्ड में मालिक का चन्दा, वर्मचारी का चन्दा ब इस फण्ड की मचित रकम के ब्याज में से कोई भी कर-मुक्त नहीं होता है।

f' श्रामाणित प्रावीडेन्ट फएड का प्रमाणित शाॅबीडेन्ट फएड में बदलना (Changing of Unrecognised P F into Recognised P F)—

जब किसी वर्ष अभ्रमासित प्रांवीडेन्ट फण्ड प्रथम बार प्रमासित प्रांवीडेन्ट फण्ड मे बदना जाता है तो इस दिन तक की क्मंबारी की प्रांवीडेन्ट फण्ड की रकम मे से या तो सब रकम या इसका एक भाग प्रमासित प्रांवीडेन्ड फण्ड मे ले जाया जाता है। जो भाग प्रमासित फण्ड मे से जाया जाता है उसमें से क्मंबारी का उस दिन तरुका श्रंशदान घटाकर जो शेप बचता है, वेतन मे जोड दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि दर्भवारी अपने अशदान पर उस समय कर दे चुका है, जबकि प्रॉबीडेन्ट फण्ड ग्रथमाणित या ।

### lilustration No. 4-

Mr. X, an employee, gets Rs 800 per month. He and his employer both contribute to a Provident Fund at the rate of 12%. Interest credited to his Fund at the rate of 5% per annum i, Rs 565. He has paid Rs 2,500 as life Insurance Premium. He gets house allowance of Rs 60 per month. During the year he got Rs 800 as bonus from his employer.

Find out his total income and exempted income for 1960-61 if he is member of (a) Statutory Provident Fund. (b) Recognised Provident Fund, and (c) Unrecognised Provident Fund-

# Salution No. 4-

G. 1

# (a) When X is the member of Statutory Provident Fund. Statement of the total income of Mr. X for 1950-61.

Salary			21000
House Allowar	ce Rs. (60×12)		720
Bonus			800
	Total Income	Rs-	11,120
Exempted Inco	ma ·		Rs.

R5.

. ...

P F. Contribution (By employee only) 1.152 Life Insurance Premium 1,628 Rs. 2.780

Note-Full premium of ks. 2,500 will not be exempted because employee's Contribution to P F. plus insurance premium should not be more than 2 of total income or Rs 8,000 which ever is less.

(b) When X is the member of Recognised P. F. Statement

of total income of Mr. X for 1960 61. Rs. 9,600

Salary 720 House Allowance 800

Bonus Ŕs

Employer's Contribution in Excess of

10 P. C. of his Salary of Rs. 9,600 is 192

Interest credited to P. F. in excess of 1 of his Salary and prescribed rate of 6 P. C per annum is Nıl Total Income

Rs. 11,312

Exempted Income

R4.

P. F Contribution by Employee or ly

1.152 1 676

Lafe Insurance Premium

2.828

Note-P F. by employee and Premium are limited to 1 of total meome or Rs. 8 000 which ever is less

(c) When X is the member of Unrecognised Provident Fund Statement of total Income of Mr. X for 1960 61.

Rs.

Rs 9,600 Salary House Allowance 720 Ronne 800 Total Income Rs. 11 120 Exempted Income Rs.

Insurance Premium

2,500

अनुमोदित सुपरप्त्रयेशन फर्ड (Approved Superannuation Fund)-अनुमोदित स्परएन्येशन फण्ड वह फण्ड है जो घारा १ प P मे दी हुई शती की परा करता है भीर सेन्टल बोर्ड ऑफ रेवन्य द्वारा स्वीकृत होता है।

# इस फराइ के सम्बन्ध में नियम-

- (१) कमें बारी जो चन्द्रा इस पण्ड में देता है, उस पर आय-कर नही लगता है, परन्तु यह चन्दा और जीवन बीमा प्रीमियम की रकम मिलकर उसको कुल ग्राय के ई माग व ८,००० रुपये में से जो भी कम हो उससे ग्रमिक नहीं होना चाहिए।
  - (२) धवनाश ग्रहण करने पर या सन्य किसी दशा में जब इस फण्ड की रकम कर्मचारी को या उसके स्त्रों बच्चों को दी जाती है, सो इस पर भी कोई कर नहीं लगता है।

### जीवन चीमा मीमियम-

(१) जो प्रीमियम बीमारी, जोखिम या प्रत्य इस प्रकार के कामों पर दिया

जाता है उस पर छट नहीं मिलती है। केवल जीवन बीमा के प्रीमियम पर ही छट मिलती है।

(२) किसी ऐसी वॉलिसी पर दिये गये प्रीमियम पर छूट मिलती है जो कि अपने जीवन के लिए या अपनी स्त्री के जीवन के लिए, यदि करदाता स्त्री हो तो अपने पति के जीवन के लिए सी गई हो परन्तु यह छूट धीर उसके प्रांबीडेन्ट फण्ड की छूट मिल कर यदि करदाता वैद्यानिक प्रोंबीडेन्ट फण्ड या प्रमाणित प्रांबीडेन्ट फण्ड का सदस्य हो तो उसकी कुल धाय के 🗦 भाग या 👟 ००० रुपये में से जो भी कम हो उससे ग्रधिक नहीं होती चाहिए ।

(३) यदि करदाना मस्मिनित परिवार का सदस्य है तो इस परिवार के किसी पूरुप या उसकी स्त्री के लिए कराये गये प्रीमियम पर भी छट मिलती है। यह प्रीमियम भीर उसके प्रांबीडेन्ट फण्ड की छूट मिला कर, यदि करदाता वैद्यानिक प्राँबीडेन्ट फण्ड या प्रमास्तित प्राँबीडेन्ट फण्ड का सदस्य हो, तो इस परिवार की कुन भाय के 3 भाग व १६,००० रुपये से से जो भी कम हो, उससे प्रधिक नही होनी चाहिये ।

उत्तर दिये हुए (२) ग्रीर (३) नियमों में यह ध्यान रखना चाहिए कि वीमा ग्रीमियम की रकम बीमा की क्ल रकम के १० प्रतिशत से ऋषिक न हो।

(४) यदि बीमा प्रीमियम ऐसे प्रॉबीडेन्ट फण्ड से लेक्स दिया गया है जिस

पर छूट मिलती हो तो इस पर कोई छट नहीं मिलेगी।

(५) कुछ करदाता बची की भलाई के लिए बीमा कराते हैं। इस बीमा श्रीपियम की छूट उसी हालत से मिलेगी जबकि बच्चे इस श्रीमियम से लाभ उठायें, जैसे-नद्यों की शिक्षा के लिए बीमा कराना।

(६) यदि वीमा कम्पनी ने कोई बोनस दिया है और श्रीमियम उस बोनस मे

से दिया गया है तो छुट नही मिलेगी।

( ७ ) विदेशी आय से, जिस पर कि भारत में कर नहीं लगता है, यदि कोई

प्रीमियम दिया जाता है तो उस पर छट नहीं मिलेगी।

( फ ) यदि बीमा श्रीमियम एही रकम में से दिया गया है जिस पर भारतीय स्राय-कर स्रविनियम के सनुसार कर नहीं लगता है तो इस श्रीमधम पर कोई छूट नहीं मिलेगी।

कर की उदगम पर कटौती (Deduction of tax at Source)~

(१) ग्राय कर प्रधिनियम की घारा १० (२) के धनुसार प्रत्येक मालिक का यह कर्तव्य है कि वह अपने कर्मचारी के वेतन में से कर काट ले. यदि उस कर्मचारी का कुल वर्ष का वेतर धाय कर की न्यूनतम् सीमा (Minimum Exemption Tamit) से प्रधिक हो ।

(२) कर्मवारी को बेतन कर काट तेने के बाद ही दिया जाता है।

(३) मालिक का यह भी कर्त्तव्य है कि वह इस प्रकार काटे हैंये कर की

सरकारी खजाने में प्रति मास जमा करे और इसका एक नक्या झाय कर विभाग की भेजे।

(४) यदि कोई मालिक उद्गम पर कर काटने के सम्बन्ध मे दिये गये नियमो का पालन न करे तो उसे आय-कर अधिनियम के अनुसार करदाता माना जायेगा ।

(४) श्राय-कर सौर प्रवि-कर उन दरी पर काटना चाहिए जोकि उस साल

चल रही हो, जिस साल बेतन दिया जाता है।

(९) जहां घारा १० के ध्रुतुसार उद्गम पर कर की कटोती होती है वहीं करदोता को उस बेतन पर तब तक कर नहीं देना पडेगा जब तक कि उसने बिना कर कटा हमा बेतन प्राप्त न किया हो।

[बारा ७ (१) Proviso 2]

#### OUESTIONS

- What is the meaning of Salaries from Income-tax point of view? Explain the various rules regarding Computation of income from Salaries.
- 2. Explain the following .-
  - (a) Perquisites

4.

5.

- (b) Profits in Lieu of Salary
- 3. What relief from Income-tax is allowed in respect of Life Insurance Premiums, Provident Fund Contribution and Interest and how is the amount of such relief calculated?

(Agra, B. Com., 1941, 50, 57, Alld., B. Com., 1957) State briefly the difference between Recognised Provident

Fund and Unrecognised Provident Fund.
(Agra, B. Com., 1947, 53, 57, 58)

(Agra, B. Com., 1947, 53, 57, 58, 4a) Write a full note on house rent allowance.

(b) Explain Statutory P. F.

# अध्याय ७

# प्रतिभृतियों पर व्याज

# (Interest on Securities)

कुछ व्यक्ति प्रयम बने हुए घन को निस्त-भिन्न स्थानों पर प्रतिपुतियों (Securilies) में बिनियोग करते हैं। इन प्रतिपुतियों के ऊतर ब्यान मिनता है। साधारखया इसी स्थान को पाने के सालब से यसत को प्रतिपुतियों में लगाया जाता है।

इस ग्रध्याय में प्रतिभूतियों के स्वाज पर कर लगाने के सम्बन्ध में ग्राय-कर श्रिधिनियम से दिये हुए नियमों का वर्णन किया गया है।

श्राय-कर ग्राथिनियम की धारा ८ के श्रनुसार नीचे लिखी प्रतिभूतियों के ब्याज पर कर लगाया जाता है:—

- ( ग्र ) केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों का ब्याज।
- (व) राज्य सरकार की प्रतिभृतियों का ब्याज।
- (स) स्थानीय सरकार द्वारा निर्गिमत किये हुए ऋसु-पन्नो व अन्य प्रतिभू-तियो का ब्याज ।
- (द) कम्पनी द्वारा निर्गमन किथे हुए ऋरण-पन्नो य ग्रन्थ प्रतिभूतियो का ब्याज 1

परन्तुनीचे लिखी दशाधीमें प्रतिभूतियों केब्याज पर कर नहीं दिया जाता है:—

(१) जो केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्राय-कर से मुक्त हो।

(२) राज्य सरकार द्वारा धाय-कर मुक्त प्रतिभृतियाँ निर्वामित करने पर कर-दाता को इन प्रतिभृतियों के ब्याज पर कोई कर नहीं देना पडेगा, परन्तु यह कर राज्य सरकार से वसल कर लिया जायेगा।

(३) किसी फर्मया प्रत्य सस्यामी द्वारा नियमित की हुई प्रतिप्रतियों के ब्याज पर घारा ८ के प्रतुवार 'प्रतिप्रतियों के ब्याज' के सीर्यंक ने कर नृरी लगता है। यदि इस प्रकार की प्रतिप्रतियों पर कोई ब्याज मिलता है। येथे प्रत्य साथगी से झाय' यात सीर्यंक में के जाया जाता है।

(४) पोस्ट ऑफिस सेविंग बेंबर का ब्याओं, कैंदा सार्टीफिकेट, नेशनल सेविंग सार्टीफिकेट, ट्रेजिरी सेविंग डिपॉजिट और नेशनल प्लान सार्टीफिकेट के ब्याज पर मी

कर नहीं लगता है।

(५) वस्पनी के अंबी पर मिला हुआ। लाभाश भी घारा म के अनुसार

'प्रतिभूतियो पर ब्याज' वाले शीर्षक मे करदेय नहीं है । इस लामाश को 'ग्रन्य साधनो से ग्राय' वाले शीर्षक मे ले जाया जाता है ।

( ६ ) कर मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों पर केवल ग्राय कर की ही छूट होती है, मधि-कर की नहीं, परन्तु कुल ग्राय निकालने के लिए इन प्रतिभूतियों के ब्याज को प्रयोग में लाया जाता है।

(७) यदि एक ऐसा व्यक्ति प्रतिभूतियों को वेच कर लाग कमाता है जिसने प्रतिभूतियों को अपने पास विनियोग के उद्देश्य से रखा हो तो इस लाभ को पूँजी लाभ

माना जाना है।

( म्) यदि एक ऐसा व्यक्तिः प्रतिभूतियों को वेचकर लाभ वमाता है जिसने प्रतिभूतियों को प्रश्ने पास सट्टा करने के लिए रखा हो तो इस लाभ को प्रायगत लाभ माना जाता है ग्रीर इस पर कर लगता है।

( E ) प्रतिभतियों के ये सब ब्याज कर-मक्त है जिनका कि वर्णन अध्याय ४

में 'कर-मक्त' आयों के सम्बन्ध में किया गया है।

करवाता एक रिलस्टर्ड फर्म थी, जो प्रतिपूतियों में व्यापार करती थी और इसलिए प्रतिपूतियों उसका Stock-in-brade थी। फर्म अपने इत व्यापार के सम्बन्ध में साथ-कर आधिनियम सन् १६१० के प्रमुतार कर दे चुकी थी। १० जून सन् १६४० के फर्म उमास हो। गई और इसने आय-कर प्रिविचयम सन् १६२० की घार १६४० को फर्म उमास हो। गई और इसने आय-कर प्रिविचयम सन् १६२० की घार १६४० को फर्म आस करने को माजा मांगी, जो कि कर को मुक्ति से सम्बन्धित है। इस समय प्रश्न व्य उपस्थित हुमा कि कच्या प्रतिभूतियों पर प्राप्त व्याप्त इस करवाता के लिए करवाता की व्यापार की प्राप्त थी। स्यायाधीस एस० टी० देसाई व के० टी० देसाई ने कहा कि उन प्रतिभूतियों पर व्यापत, जो कि करवाता के व्यापार का Stock11-brade का भाग है, व्यापार की प्राप्त है और करवाता पर धारा २५ (३) के यनुसार कर नहीं लगेगा।

[C. I. T. Bombay City V. Chugandas & Co. Dec. 17, 1958.]

प्रतिभृतियों के भेद---

(१) कर-मुक्त प्रतिभूतिया (Tax Free Securities) ।

(२) कर-युक्त प्रतिमूर्तियाँ (Less Tax Securities)।

. कर-मुक्त प्रतिभूतियाँ—

कर-मुख प्रतिभृतियां सरकारी और गैर सरकारी दोनों हो हो सकती है। यदि सरकारों प्रतिभृतियाँ कर मुख्य है तो इसका आराय यह होता है कि वह आय कर से पुक्य है, भिष कर से नहीं और दर निकालने के लिए इसके क्याज को कुल आय में जोड़ा बाता है। यहा यह बात क्यान देने योग्य है कि कुछ सरकारी कर-मुक्त प्रतिभृतियों के स्थाज पर न तो साथ-कर समाधी है। मुल्य साथ में

भी कामिल नही किया जाता। इन प्रतिभृतियो का वर्णन ग्राय-कर अधिनियम की धारा ४ (३) मे किया गया है, जिसे इस पुस्तक के अध्याय ४ में समकाया गया है। गैर सरकारी प्रतिभृतियाँ कभी भी वास्तव मे वर-मक्त नही होती है. क्यों कि इनके व्याज पर कर कम्पनी द्वारा सदैव दिया जाता है। हाँ, करदाता की दूरिक कर नही देना पडता है, इसलिए उसके हिटकोएा से प्रतिभूतियाँ कर मुक्त कही जाती हैं, लेकिन करदाता की कुल झाय मे इन प्रतिभूतियों का ब्याज ग्रीर उस झाय कर की रकम को भी जोडा जाता है जोकि कम्पनी ने उस ब्याज पर दी है। जैसे यदि एक कम्पनी ने ७% कर-मुक्त ऋए पत्र निर्गमित किये हैं, तो ऋए पत्रवारी (Debentureholder) ब्याज की पूरी रकम प्राप्त करेगा जोकि इन ऋगुपत्रो पर मिलनी चाहिए। इस व्याज में से कम्पनी इस पर दिए हुए कर को नहीं काटेगी। इस उदाहरए में ऋए पत्रघारी को १०० रुपये लगाने पर ७ रुपये ब्याज मिलेगा। यह ब्याज व इसके ऊपर कम्पनी द्वारा दिया हमा भाग कर करदाता की कुल भाग में जोडे जायेंगे, क्यों कि कम्पनी द्वारा दिया हमा आय कर ऋणदाता की और से दिया हमा माना जाता है। गैर सरकारी कर मुक्त प्रतिमृतियो का ब्याज सदैव सकल (Gross) बनाया जायगा, परन्तु कर मुक्त सरकारी प्रतिभृतियों के ब्याज को कभी भी सकल नही बनाया जायेगा। करदाता की कुल श्राय में गैर सरकारी कर-मुक्त प्रतिभूतियों के शुद्ध व्याज की न जीड कर सकल ब्याज (Gross Interest) जोडा जाता है।

कर-युक्त प्रतिभृतियाँ -- । कर युक्त प्रतिभूतियाँ सरकारी और गैर सरकारी दोनो ही प्रकार की हो सकती है, परन्तु करदाता की कूल भाग निकालने के लिए दोनों के साथ एक ही नियम लगता है। करदाता को इस पर ब्याज देने वाली एकम मे से कर काट लिया जाता है भीर शेप रकम करदाता को दी जाती है। इसका आशय यह नहीं होता कि कर का भार भ्याज देने वाले पर पडेगा । यह भार वास्तव में ब्याज पाने वाले पर ही पडता है, मतः इस ब्याज की प्राप्त रकम से कटेहए ब्याज की रकम को जोड कर करदाता की कुल ग्राय मे शामिल करना चाहिए, परन्तु यदि इन प्रतिभृतियो पर ब्याज की प्रतिशत दी हुई हो तो दनके ब्याज की सकल (Gross) नहीं बनाया जाता है । ब्याज की सकल बनाने वे सम्बन्ध में इस अध्याय के अन्त में दिए हुए नियमों को देखिए ।

# उदाहरण—

- (1) Rs 10 000 5% (Less tax) debentures of a company.
- (n) Rs 10 000 5% (Less tax) Government securities.
  - (111) Rs 10,000 5% (Tax free) debentures of a company.
- (iv) Rs. 10 000 5% (Tax free) Government securities प्रथम उदाहरण मे ऋण पत्रो पर ५ प्रतिशत के अनुसार ५०० रूपये व्याज के

हुए। कम्पनी इन ५०० रुपयों में से कर काटकर बाकी ब्याज की रकम ऋए। पत्र धारी को देगी। इस ऋए। पत्रधारी की कुल आय उसे मिलने वाला ब्याज — कामनी द्वारा नाटा ह्या कर जोड कर निकाली जायगी, अर्थात् ५०० राये कूल आय मे जोडे जावें ते ।

द्वितीय उदाहरण में ऊपर दी हुई विधि के अनुसार ही कुल आय में जोड़ने बालास्याज निकाला जायेगा।

तीसरे उदाहररा मे कम्पनी ऋख पत्रधारी को पूरा ५०० रूपया ब्याज का देगी. परन्तू जब इम ऋण-पत्रवारी की कुल आय निकाली जायेगी तो कम्पनी हारा दिया हमा कर इसमें जोड दिया जायेगा । (2. e. Rs. 500 + tax paid by the Co.)

चौथे उदाहरण में सरकार द्वारा ५०० रुपये ब्याज दिया जायगा और विनि-योगी की कुल स्नाय निकासते समय ५०० रुपये ही जोडा जायगा। इसे सकल नही वेनायां जायगाः।

कर मुक्त प्रतिभूतियों व कर-युक्त प्रतिभृतियों का अन्तर—

### कर-यक्त प्रतिभतियाँ कर-मक्त प्रांतभातयाँ (१) ये प्रतिभातयां सरकारी व गैर सरकारी दोनो ही प्रकार की हो सकती है परस्त इन दोनों प्रकार की प्रतिभतियो के ब्याज के सम्बन्ध में भ्राय कर के हप्टि-कोग से ग्रलग भ्रलग नियम लगते हैं। जैसे-गैर सरकारी कर-मुक्त प्रतिभूतियो तियों के ब्याज को सकल नहीं बनाया के ब्याज को सकल बनाया जाता है, परन्त सरकारी कर-मक्त प्रतिभृतियों के जाता है। ब्याज को सकल नहीं बनाया जाता ।

(२) इन प्रतिभतियो पर ब्याज प्राप्त करने वाले को पुरा ब्याज दिया जाता है।

(३) प्राप्त हुए कुल व्याज में कपनी हारा इस ब्याज पर दिए हुए शाय कर को जोड दिया जाता है।

(४) गैर सरकारी कर-मुक्त प्रति-भूतियों में यदि प्रतिशत दी हुई है तो भी इस ब्याज को महल बनाया जाता है।

(१) ये प्रातमातया भी सरकारी व गैर सरकारी दोनों ही प्रकार की हो सनती है, परन्तू इन दोनो प्रकार की प्रति-भतियों के स्थाज के सम्बन्ध मे आय-कर के इंप्टिकोश से एक से ही नियम लगते है। जैसे—दोनो ही प्रकार की प्रतिभ-

(२) इन प्रतिभृतियो पर ब्याज पाने वाले को पूरे ब्याज में से आय-कर काट कर शेप ब्याज दिया जाता है।

(३) इनसे प्राप्त हुए ब्याज में कर की वह स्तम जोड दी जाती है जिसे वस्पनी ने ब्याज देने के पहले काट लिया था ।

(४) यदि प्रतिभूतियो में ब्याज की प्रतिशत दी हुई है धौर शृद्ध ब्याज नहीं दिया हथा है तो इनके ब्याज की सकल नहीं बनाया जाता है।

प्रतिभूतियों के करदेय व्याज से सम्बन्धित कुछ महत्त्वपूर्ण नियम—
(१) प्रतिभृतियों के व्याज को वसल करने से जो उचित व्यय करवाता की

(१) प्रतिभूतियों के ब्याज की बसून करते में जी उचित ब्यय करदाता की करना पड़ता है उसे ब्याज की रक्तम से घटा दिया जाता है।

करना पदता है उस ब्याज का रक्तम से पदा दिया जाता है।

(२) यदि करदाता कोई ऋस्म प्रतिभृतियों में तिनियोग करने के लिए

उधार लेता है तो इस ऋस्म पदिया ग्या ब्याज भी प्रतिभृतियों के

ध्याज से घटा दिया जाता है, परन्तु यदि यह ग्याज किसी विदेशी को

दिया गया है तो इसे तभी घटाया जा सकता है, जब उस विदेशी के

जस पर आय कर काट लिया गया हो या उसका कोई एजेन्ट करदेव

क्षेत्र में हो, जिससे कर बसून किया जासके।
(३) यदि सरनारी कर मुक्त प्रतिभूतियाँ जय करने के लिए ऋए। लिया जाता है सो इस ऋए। का ब्याज कर मक्त ब्याज में से ही घटाया

जायमा । (४) प्रतिप्रतियो के ब्याज पर ग्राय कर उपाजित होते समय नही जगाया जाता है, बल्कि उस समय लगाया जाता है जबकि ब्याज प्राप्त हो

जाय।
(५) यदि प्रतिभूतियो पर किया गया खर्चाया उनके लिए उद्यार लिए गये
रुपयो ना ब्याज, प्रतिभूतियो के ब्याज से अधिक हो जाता है हो
इस प्रधिक रमम नो हानि समफकर यार्थ वर्ष की प्रस्य धाय से
प्रपत्तिखित करना चाहिए, परन्तु यदि उस यप कोई धन्य धाय ने
या यदि हो और अपनीत हो, तो इस हानि मी अपने वर्ष के

प्रतिभृतियों के ब्याज से घटाना उचित होगा। (६) प्रतिभृतियों के ब्याज को उपाजित स्राय नहीं माना खाता है।

दिसायटी लेन देन (Bond Washing Transactions)— ये लेन-देन कर बचाने के लिए करदाता द्वारा किये जाते हैं। इन्हें भनी भौति

समभने के लिए नीचे लिखे नियमों को समभ लेना चाहिए:—
(१) प्रतिभूतियों ना व्याज प्रायः समाही या नापिक दिया जाता है भीर

(र) प्रातमात्वा ना व्याच आवा ध्याहा या नातक दिया जाता है भार इस समाही और वार्षिक के दिन जिंदा स्मित के पास प्रतिमूतिया होती है, उसी पर आय कर प्रथिकारी पूरे समय के ब्याज का कर सेते हैं।

लत है।
(२) यदि कोई प्रतिप्रति क्याज देय तिथि (Due date of Interest)
के पहले देवी जाती हैं तो देवने वाले पर उस समय तक के क्याज के
लिए कोई धाद कर नहीं लगता है भीर यदि वेवने वाले को प्रतिप्रतियों के भीता से उस तमय तल के क्याज के लिए कोई प्रतिकत्त
मिलता है तो इस पर भी कोई वर वही लगता है, क्योंकि इसे पूँजी
साम माना जाता है।

उत्तर दिये हुए नियमों को ब्यापारी लोग चालाकी से प्रयोग करते हैं, वे ब्याज देय तिथि के कुछ पहले प्रतिभूतियों को ब्याज सहित (Cum interest) वेच देते हैं भ्रीर ब्याज मिलने की तागीख के कुछ दिनों बाद उन्हीं प्रतिभूतियों को ब्याज रहित (Ex-interest) खरीद लेते हैं। ऐता करने से ब्याज मिलने के समय ब्यापारी के पास प्रतिभूतियों नहीं रहती हैं। यहां कारण है कि ग्राय कर स्थिकारी जनसे दन प्रतिभृतियों के ब्याज पर कर कहल नहीं कर पाते हैं।

इस प्रकार के लेन देनों को आय कर अधिनयम के अनुसार रोक दिया गया है और यह नियम बनाया गया है कि यदि इस प्रकार का लेन-देन किया आयेगा तो आय-कर उसी व्यापारी पर लगेगा जिसने कि यह चालाकी की है। आय कर प्रविकारों को इस प्रकार का अधिकार दिया गया है कि वह करदाताओं को इन लेन-देनों के दिर मुक्ता देने के लिए बाय्य कर सकता है। यदि कोई करदाता ग्राय कर प्रविकारों को इस आजा का उसयन करता है। यदि कोई करदाता ग्राय कर प्रविकार के कारी की इस आजा का उसयन करता है तो उस पर अधिक सं अधिक १०० क्यो तक प्रविद कि है हिसाब से जुमीना हो सकता है। [(बारा ४४ F) (5)] प्रतिभृतियों को ज्याज सहित वेचना (Selling of Securities cuminterest)---

यदि एक ब्यापारी व्याज मिलने की तारील झाने के पहले ही प्रतिभृतियों को वेच देता है और ध्वाज मिलने की तारील पर मितने बाते काज के अधिकार को वेच देता है तो इस विक्री को ब्याज सहित विक्री (Cum interest Sale) वहां जाता है। बासतब में विक्री को त्याज सहित विक्री किया मार्च ता पार सा पा उसका ब्याज के । बासतब में विक्री के वित्रे दिन प्रतिभृत्यों को सपने पास रखा या उसका ब्याज लेने वा अधिकार उसे या, परश्च वह इसके बदने में प्रतिभन्न लेकर विक्री करता है। इस प्रवार की विक्री के बाद ब्याज की तिथि पर पूरा ब्याज केता की मिलेगा।

प्रतिभृतियों का व्याज रहित वैचना (Selling of Securities Ex-Interest)—

यदि एक ब्यापारी ब्याज मिलने की तारील म्राने के पहले ही प्रतिभृतियों को वेच देता है, पर तु ब्याज मिलने की विधि पर मिलने वाले ब्याज के म्राधिकार को नहीं देवता है तो इस विजी को ब्याज रहित बिकी (Ex-mterest Sale) नहा जाता है। बास्तव में बिकेता को इस प्रकार की बिकी वम मूल्य पर करनी पदती है। यह इपान देने योग बात है कि बिको के बाद म्राने वाली पहिली ब्याज की तिथि पर बिकेना को पूरा ब्याज मिलता है, परन्तु मन्य तिथियों पर क्रेता को पूरा क्याज मिलता है,

कर की उद्गम पर क्टौती (Deduction of Tax at Source)-

- (१) ब्याज देने वाले व्यक्तिको, करदाताको ब्याज दनेके पहले उच्चतम् दर पर कर काट लेना चाहिए।
  - (२) यदि करदाता की ग्राय, भाय-कर की न्यूनतम् सीमा से कम है तो

उसे बाय-कर अधिकारी से 'बाय-कर मुक्त' का प्रमाण पत्र लेकर जहाँ से उसे ब्याज मिलता है, वहाँ भेज देना चाहिए । इस प्रमाण-पत्र के आधार पर जनगम के स्थान पर काय-कर नहीं कादा जायेगा।

- (३) जिन लोगो पर आव कर नीधी दर से लगता है उन्हें आय-कर अधिकारी (I. T. O.) से इस बान का अमाराप-पत्र लेकर ब्याज देने बालें के पास भेज देना चाहिए, लाकि उद्गम पर ब्याज नीचो इस में सहा जाया।
- (४) ब्याज देने वाले ब्यक्ति को करदाला के पास उद्गम स्थान पर कार्टे हुए कर का विवरण निश्चित कार्म पर भेजना चाहिए और इसी विवरण को उसे आप-कर अधिकारी के पास भी भेजना चाहिए।

# Deduction of tax at Source and Finance Act, 1959-

इस प्रधिनियम के धनुसार सन् १६५६-६० मे चद्गम पर कर की कटौती

करते समय नीचे लिखे हुए नियमी को ध्यान मे रखना चाहिए :-

(१) ब्याज देने वाले व्यक्ति को करवाता को ब्याज देने के पहिले निर्धान्ति दर (Prescribed Rate) पर कर काटना चाहिए।

(२) करवाता द्वारा आय-कर अधिकारी के पास प्राणंना पत्र देने पर, यदि प्राय-कर अधिकारी को आर्थना पत्र नी सन्यता पर विश्वास हो जाये तो, वह एक विश्वित प्रमाख पत्र देता है कि करवाता की कुल माय, प्राय-कर की न्यूनतम् सीमा से कम है या इसकी कुल आय इतनी है कि इस पर निर्धारित दर से कम कर तथेगा, यदि करवाता की न्यूनतम् सीमा से कम याय का प्रमाखन्य मिना है तो ज्याज देने वाला व्यक्ति इस प्रमाखन्यन के प्राया पर पर निर्देशन न कोटेगा, परानु यदि करवाता को इस बात का प्रमाखन्यन मिना है कि उसकी आय, प्राय-कर की न्यूनतम् सीमा से कम है सो ब्याज देने वाला व्यक्ति इस प्रमाखन्यन के साधार पर उतनी ही कम दर पर कर कोटगा ने

# Illustration No. 1-

Mr. X of Agra took a loan for purchasing Rs. 10,000/- 3% debentures of District Board cum-int. during 1959-60 and pard Rs. 200 interest on it. His investments including the above in the same year were:—

- (a) Rs 10,000 3% debentures of District Board.
- (b) Rs. 6,000 3% Allahabad Municipal Debentures,
- (c) Rs. 5,000 2% Free of tax Govt. Securities,
- (d) Rs. 3,000 2% Preference Shares of a Company,
  (e) Rs. 30 were spent as collection charges for interest.

Find out the Taxable Income from Securities for assessment year 1960-61, assuming that the rates of declaration of Int. of 3%

### Solution No. 1-

1200110 1-		
Income from Securities ~		Rs
(a) 3% Debentures of District Board	ď	300
(b) 3% Allahabad Municipal Debent	ures	180
(c) 2% Free of Tax Govt Securities		100
		580
Less Admissible deductions -	Rs	
Collection charges	30	
Interest on Loan	200	
	230	230
Taxabl Income from Securities		Rs 350
Exempted Income -	Rs	
Free of tax Govt Securities	100	

Note-Rs 3 000 2% Preference Shares of a company have not been taken into consideration because the dividend of these shares will appear under the heading of Income from other sources

### Illustration No 2-

Following are the particulars of the Incomes of Mr Surendra Bahadur of Etawah for the year 1959 60 Find out his taxable income from securities for the assessment year 1960 61

- (a) Rs 10 000 3% Bombay Govt Loan
  - (b) Rs 15 000 2% Free of Tax Govt Securities
  - (c) Rs 8 000 2% Calcutta Port Trust Bonds

  - (d) Rs 6 000 9% Banaras Municipal Debentures.
  - (e) He purchased Rs 40 000 2% Government Bonds at Re 94 cum dividend on 30th November 1959 Interest on these bonds was payable on First July and First Tanuary
  - (f) Rs 30 were the collection charges for interest (g) Rs 10 000 3% Preference Shares in a Company
  - (h) Rs 10 000 4% Debentures of a Cotton Co
  - (1) He paid Rs 200 as Bank commission for purchase of 2% Government Bonds
  - (1) He paid Rs 300 as interest on a loan which he took for patchasing 2% Govt Bonds

# Solution No 2-

Treoffic from Securities -	N5
(a) 3% Bombay Govt Loan	300
(b) 2% Free of Tax Goyt Securities	300
(c) 2% Calcutta Port Trust Bonds	160
(d) 2% Banaras Municipal Debentures	120
(e) 2% Govt Bonds†	400
(f) 4% Debentures of a cotton Co	400
	1.000

(/) 4% Debentures of a cotton Co		400
		1 680
Less Admissible deduction -	Rs	
Collection of arges	30	
Interest on loan	300	
	339	330
Taxable income rom securities	Rs	1 350

Exempted Income -

Free of Tax Govt Securities Rs 300

Note—(1)† Interest on 2% Govt Bonds has been calculated only for six months because the assessee will get only one instalment in the month of lanuary before the close of the previous

year

(2) 3% Preferer e shares of a company are not taken into consideration because the dividend on these shares will be taken under the heading of Income from other sources

(3) Rs 200 Banks Commission paid for purchase of 2% Govt Bonds will not be deducted because it is capital expenditure
Only collection charges for Interest are allowed as deduction

# Illustration No. 3-

Surendra held the following securitie Find out his taxable income from securities for the assessment Year 1960 61

- (a) 2% Govt Bonds for Rs 20 000
- (b) 2% Development Trust Bonds of Rs 30 000
- (c) 3% Debentures of a Sugar Mill Co for Rs 25 000
- (d) On 1st Dec 1959 he sold his sugar Mill Debentures cum intere t for Rs 25 500 and purchased 4% debentures of a cotton Mill Co for Rs 40 000 Interest is payable on all the securities at First Nov and First May
  - (s) He paid Rs 200 interest on a loan which he took for purchasing Securities from a foreigner from whose in

come, the has not been deducted by Govt. of India so

# Solution No 3-

Income from Securities			Rs.
(a) 2% Govt Bonds			400
(b) 2% Development Trust Bonds			600
(c) 3% Debentures of a Sugar Mill			750
_	Total	Rs.	1,750
Loss admiss ble deduction -	Nıl		
Exempted income -	Nil		

Note—(1) 4% Debentures of a Cotton Mill Co for Rs 40 000 are no doubt purchased cum dividend but interest on them—has not been taken into consideration because the due date of interest falls after 31st March which is the last date of previous tear

(2) Rs 200 interest paid on a loan for purchasing Securities has not been taken into consideration because this interest is paid to a foreigner from whose income the tax has not been deducted so far It is a rule that if interest is paid to a foreigner for a loan for purchasing security, it can not be deducted till the tax is not deducted from his income

# व्याज को सकल (Gross) करने के सम्प्रन्थ में कुछ महत्त्वपूर्ण नियम-

- (१) यदि मुद्ध (Net) व्याज दिया हुमा हो तो उसे सकल बनाकर कुल भाष मे जोडा जाता है।
- (२) गैर सरकारी कर पुछ प्रतिप्रुतियों का व्यात सदैव सकल बनाया जाता है, परतु यदि सरकारों कर पुछ प्रतिप्रुतियों का व्यात दिया हुया हो तो उसे सकस बनाने की भावस्यवान नहीं होती है। यदि केवल "Tax free securities दी हुई हो भौर यह न दिया हो कि य सरकारी हैं या गैर सरकारी तो इन्ह सदैव गैर सरकारी भानता चाहिये थीर दक्के क्याज को सक्त बनाता चाहिए।
- (३) यदि प्रतिभूतियां कर युक्त (Less tax) दी हो तो इनके ब्याज को सक्त नही बनाया जाता है, चाहे वे सरकारी हो या गैर सरकारों, परन्तु यदि कर-पुक्त प्रतिभूतियो पर निला हुमा गुद्ध व्याज दिया हुमा है तो इसे सकल सबस्य बनाया आयेगा। इन नियमा का समझने के लिय नीचे दिये हुए उदाहरखों को देखिये।
  - ( u ) Surendra received Rs. 199 interest on less tax securities of Rs. 9,000 @ 3%.

इसमें शुद्ध व्याज दिया हुमा है, भ्रत इसे सकल बनाया जायेगा जीकि २७० रुपए होगा, वयोक्ति ६००० रुपए पर ३% से २७० रुपए व्याज के होते हे।

( ब ) Surendra received interest @ 3% less tax securities of Rs 9 000 । इसका व्याज २७० स्पर्व होगा और इसे सकल नहीं बनाया बायेगा।

ऊपर दिए हुए दो उदाहरहा) की सदद से हम नीचे दिये हुए झासान नियम बनाते हें —

- (१) कि यदि प्रतिगत दी हुई हो द्यीर च्यान न दिया हो तो सकल नहीं हनारोंगे।
- (२) यदि प्रतिशत दी हुई हो और ब्याज भी दिया हुमा हो पर तु दिया हुमा ब्याज प्रतिशत द्वारा निकाले हुए ब्याज से कम हो तो सकल किया जायेगा।
- (३) यदि प्रतिगत तो दिया हो किन्तु प्रतिभूतियों की रकम न दी हुई हो हो भी व्याज को सबल बनाया जायेगा।
- (४) यदि यह पनान चले कि प्रतिभूतियाकर युक्त है याकर मुक्त तो उन्हें कर युक्त माननाही उचित होताहै।
- ( ५) रेर सरकारी कर मुक्त प्रतिभृतियों के ब्याज को सर्वेव संकल बनाया जायेगा।
- ्रि) सरकारी कर मुक्त प्रतिभूतियों के ज्याज को सकल नहीं बनाया

जावेगा। इन पर प्राय कर की ग्रोसत दर से झूर मिलती है। प्रतिभृतियों के व्याज को सकल बनाने का फारमूला (Method of grossing Interest from Securities)—

सन् १६५६ ६० के लिये दिये हुवे ब्याज का के करना चाहिये क्योकि प्रतिप्रान्यों ने ल्याज पर २५ प्रतिशत से कर झीर ५ प्रतिशत से सधिकर ब्याज देने बाता काटता है।

#### QUESTIONS

Write short notes on the following —

 (a) Bond washing transactions in securities

(c) Cum Int and Ex Int

(Agra B Com 1948 53 55 58 S

Raj B Com 1951)

(b) Less tax and free of tax

(Agra B Com 1957)

Alld B Com 1954 55)

2 Explain clearly the meaning of free of tax or less tax in connection with interest on security and dividend on shares for purpose of Income tax assessment

(Agra B Com 1950 Raj B Com 1957)

### अध्याय =

# सम्पत्ति की आय

# (Income from Property)

सम्पत्ति की ग्राय का ग्रर्थ--

साधारण भाषा में सम्पत्ति की श्राय का ब्राह्मय मकान, भूमि व अन्य प्रकार की सम्पत्तियों से प्राप्त होने वाली रक्षमों से होता है।

सम्पात्तया स प्राप्त हान वाला रक्षमा स हाता ह

धाय-नर प्रधिनियम की घारा ६ के अनुभार केवल उन्ही मकानों के किराये पर प्राय कर लगता है जिनका कि <u>कर</u>वाता स्वामी <u>होता</u> है, प्रर्थात समत्ति की प्राय का श्रायय उन मकानों की प्रायों से है जिनका स्वामी करवाता होना है।

# सम्पत्ति की त्राय के कर सम्बन्धी नियम-

- (१) करदाता को ग्रमने मकानो ने उचित वार्षिक मूल्य (Bonatide Annual Value) पर कर देना एडता है।
- ( २ ) यदि कोई मनान करदाता के पास पट्टें (Leace) का है और उत पर उसे किराया भी मिलता है तो इस किराये की आय 'सम्मति की आय' वाल भीषंक में नहीं विक्षी जायेगी, क्योंकि करदाता पट्टें वाले भवन का मालिक नहीं है।
  - उपर दिये हुये विवरण से यह स्पष्ट हो गया है कि सम्पत्ति की ग्राय वाले
- शीपंक मे उसी भवन की आय आयेगी जिसका कि व ग्दाता स्वामी होगा। (३) यदि भूमि का कोई भाग, जिस पर कि किराया मिलता हो, करदाता
- के मकान के साथ में लगा हुआ हो तो उसे भी मकान की ग्राय माना जाना है। (४) यदि एक किरायेदार ने निक्मी किरायेदार (Sub-tenant) को
- (४) पाद एक किरायेदार ने जिन्हा किराया (Sub-ienant) का रस्त लिया है तो इस किरायेदार से प्राप्त हुन्ना किराया 'ग्रन्य ग्राय वाले शीयेक' में जायेगा।
- (१) यदि कोई भूमि भवन से जुड़ी हुई नहीं है और उस पर किराया प्राप्त होता है तो यह किराया भी 'भ्रय साधनों ने श्राय' वाले नीयंक मे जिसा जायेगा।
- (६) १ कप्रल सन् १८४६ कीर ३१ मार्च सन् १८४६ के बीच मे बने हुए मकान के प्रथम दो वर्षों की क्राय पर काय कर नहीं लगता है। यदि यह मकान व्या-पार के लिए प्रयोग नहीं होता है।
- (७) यदि करदाता साधारण निवासी नहीं है तो उसकी विदेश में बनी हुई सम्पत्ति पर कर नहीं समेगा, पर तु यदि करदाता साधारण निवासी है तो उसकी विदेश में बनी हुई सम्पत्ति पर भी कर लगाया जायगा।

- ₹• ]
- ( = ) यदि करदाता का मकान झाने किसी व्याचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी झाय पर झाय-कर लगता है तो इस मकान के किराये की बाय 'सम्पत्ति से झाय' वाले शीपंक से नहीं निक्षी जाएगी।

(१) यदि कोई भवन खेती करने वाली सूमि वे पास है और खेती के कार्यों में मदद देने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसकी आय पर कर नही लगता है।

(१०) यदि दो या दो से प्रांपक व्यक्ति किसी सम्मति के मानिक हो मौर प्रत्येक सामेदार का ब्रद्धा निश्चित हो व निकाला जा सकता हो तो उस सम्मति की स्राय पर सम्मिलित रूप से कर नहीं लगेगा, परन्तु प्रत्येक के माम को उसकी निजी साथ में जोड़ कर उसकी कुल स्राय पर कर लगाया जायगा।

# वार्षिक सूल्य (Appual Value)

इसके अर्थ समझने का महत्त्व-

आय कर करदाता को सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य पर ही लगता है। यदि किसी सम्मति का वार्षिक मूल्य गलत निकाला जाय तो उस सम्पत्ति की स्राय का कर भी गलत होगा। यही कारण है कि सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य का ठोक-ठोक ज्ञान किया जाता है। इस मुख्य को तीन भागों में बाटा गया है:—

(१) किस्पे पर उठे हुए मकान का वार्षिक मूल्य ।

(२) उस मकान का वार्षिक मूल्य जिसमें कि करदाता स्वय रहता हो।

(३) ऐसे मकान वा वार्षिक मूत्य जिनके कुछ भाग मे करदाता रहता हो स्रोर कुछ भाग किराए पर उठा हो।

किराये पर उठे हुये मकान का वार्षिक मृत्य-

जितने किराये पर महान उठा हुमा होता है इस विराये की रकम नो उस किराए से मिलाया आंता है किस पर मकान उठाया जा सकता है। इन दोनो प्रशार के किरायों में से जो किराया अधिक होता है नहीं मकान को आय मानी जाती है। जो मकान कहर में वने हुए होते हैं उनका सूल्याकन खोतुलना सकानो के स्वस्ती किरायों से स्टा शहरों के मकानो के म्यूनीसंपत्त मृत्याकन को तुलना मकानो के स्वस्ती किरायों से करनी जाहिए और इनमें जो अधिक हो नहीं मकान की आय मानी जायगी। इस आय में से म्यूनिमर्थिलटो या स्थानीय सरकार को दिए जाने वाले करों? का आया पदा देना चाहिए। इस प्रकार वधी हुई आय सम्मित का नार्याक मूह्य कही जातो है, क्योंकि चारा ६ ( २ ) के तीसरे Proviso के (a) भाग में मह नियम दिया हुमा है मानिक हारा दिये जाने वाले म्यूनिसर्थिलटो या स्थानीय करों का जावा किरोयेदार का दायिक्व होता है। इसी Proviso के (b) भाग के अनुसार धार्षिक सूल्य निका-

<sup>ैं</sup> इन करों में स्थानीय सरकार द्वारा लगाये हुए service taxes को भी शामिल किया जाता है।

लने के लिये करदाता के करों के दायित्व को वार्षिक किराये में से घटा देना चाहिए। यही कारण है कि अभी तक वार्षिक किराये या म्युनिसिपल मृत्याकन में से जो भी भिषिक होता है उसी में से स्युनिसिपल करों व स्थानीय करों वा आबा घटा दिया जाता था । परन्तु वित्त प्रधिनियम सन् १६६० में इस सम्बन्ध मे कुछ परिवर्तन किया गया है. जो कि नीचे समसाया गया है।

करों के सम्बन्ध में किरायेदार का दायिस्य व विस्त श्रिधिनियम सन् १६६०--

वित्त ग्रविनियम सन् १९६० के ग्रनुसार ग्राय-कर श्रविनियम की घारा ६ (२) के तीसरे Proviso के (a) भाग के स्थान पर नीचे लिखा हुआ नियम प्रति-स्थापन (Substitute) किया गया है-

उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में जिसका बनना १ ग्रप्रैल सन् १६५० के पहिले समाप्त हो गया था. स्वनिसिपल व स्थानीय करो की परी रकम व अन्य प्रकार की सम्पत्तियों में इन करो की आधी रक्म ही किरायेदार का दायित्व मानी जायगी। मर्थात--

ऐसी सम्पत्ति. जो १ अप्रैल सन् १६५० के पहिले बन कर तैयार हो गई हो,

के बारे में ---(1) सम्पत्ति

खन्य प्रकार की सम्पत्तियों के बारे में-

(1) सम्पत्ति का म्युनिसिपल मत्याक्त (n) सम्पत्ति ना वापिक किराया

यदि करदाता के मकान का किर, देदार किराया देने के मतिरिक्त उस मकान ने स्पृतिसिपल और स्थानीय कर को भी भ्रदा कर देता है, जिसका भूगतान वास्तव में मालिक मकान को करना चाहिए था, तो किराएदार द्वारा दिये गए म्युनिसिम्ल तथा स्थानीय कर को भी वार्षिक मृत्य निकालने के लिए किराए मे जोड लिया जाता है। lilustration No. 1-

The annual rent received from a tenant amounts to Rs. 7,000. Municipal and local taxes payable by the assessee on that house amounts to Rs. : 00, out of which Rs 350 are paid by the tenant in addition to the rent of Rs 7,000

Find out the annual value of the property assuming that the hou e was constructed in 1953.

# Solution No. 1-

Annual Rent

Local Taxes

Local taxes paid by the tenant

R. 7.000 350 Re. 7.350

Rs. 7,100

Less 1 of Municipal and

Annual Value

उस मकान का वार्षिक मृत्य जिसमें करदाता स्वयं रहता हो-इस मकान का वाषिक मूच पहले उसी प्रकार निकाला जायगा जिस प्रकार

कि किराए बाले मकान का वार्षिक मूल्ये निकाला जाता है। इस बार्षिक मूल्य में से इसके आधिया १,८०० रुख्ये में न जो कम हागा, घटा दिया जावेगा। इस प्रकार घटाने के बाद जो रकम बचेगी वही मकान का वार्षिक मृत्य मानी आयगी, परन्तु यह घ्यान देने याग्य बात है कि यह बोपिक मूल्य करदाता की कुल धाय के १/१० से ग्रविक नहीं होना चाहिए। यदि यह मूर्य उनकी कुल ग्राय के १/१० से ग्रविक है ती

१/१० तक ही रहम वापित मूल्य मानी जायगी। जहीं वाधिक स्राय की सुलना कुत स्राय के १/१० भाग से करने का प्रश्त उठता है, वहाँ पर नीचे दिए हुए नियमों म से किसी भी एक का प्रयोग करना

चाहिए .---(१) [(सभी प्रकार की ब्राप-स्वय रहने वाले वाले मकान में से वैद्यानिक दौर पर घटाने योग्य व्यय ) $imes_{3^{\circ}} imes_{3^{\circ}}=$ स्वय रहने वाते मनान का वार्षिक मू थ, परन्तु दस मूल्य में से मरम्मत के लिए १/६ घटाना पड़ेगा, या

( र ) [( सभी प्रकार की श्राय—मकान की वाधिक श्राय से वैद्यानिक दौर पर घटाने योग्य व्यय  $) imes_{
abla^{rac{n}{2}}}=$ स्वय रहने वाले मकान का वार्षिक मूल्य, परन्तु

इस मुख्य में से मरम्मत ने तिए 🕻 घटाना पडेगा, या

🕶 📲 निकालने की विधि-

माना कि कुल याय १ ई, इसिंगए स्वय रहने वाले मकान का वार्षिक व्याय 🚓 हुई । इसमें से इसका है मरम्मत के लिए घटाया जाएगा (४३ 🗙 है 🖛 है ह स्त्रवं रहने बाले मकान को करदेय खाय (इन्हें - इन्हें) = इर्ड हुई

श्रम्य श्राय १ — र् है == हैंई ध्य यह देखना है कि <sub>प</sub>र्वे जोकि स्वय रहते व ले सक्तान का बाषिक प्राय **ई**, ध्यन्य

आय हुँ है का कीनना भाग है <sub>परे</sub> — हुँ अयोन पुरे × एँ = पूर् अन्य आय १८ में पूर्ण का गुणा करने से नहे आता है। इसीनिए जनर ादए हुए पार्नु लों में Vy का गुणा किया गया है।

 $\{z\}$  [सभी प्रकार की आय—स्वय रहने वाले मकान से से वैद्यानिक तीर पर घटाने योग्य व्यय] का  $\frac{1}{2}$  = 22 पहने वाले मकान का वार्षिक यूल्य, परन्तु इस यूल्य से से सरस्मत के लिए  $\frac{1}{2}$  नहीं घटाना प्रदेगा।

### Illustration No 2-

Mr X has a residential house. Its Municipal Valuation is Rs. 4,000 He pays Rs 30 Insurance Premium against the risk of fire in connection with this house. His total Income from other sources is Rs 13,000

Find out his total Income.

### Solution No 2-

But this Rs 2,200 should not be more than  $^{1}/_{10}$  of total Income, hence —

$$[(13,000-30) \times \frac{6}{55}] = 1,415$$
Less \(\frac{1}{6}\) for repairs \(\frac{236}{236}\)

1,179
Less Expenses (premium) 30 1,149
Total Intome Rs. 14 149

नोट-(भ) इस प्रन्त में मकान का वार्षिक मूल्य २,२०० रुपये के स्थान पर १,४१५ रुपये माना गया है, क्लोकि यह कुल आप का १/१० है।

(व) इस प्रश्न में गुण्न (Calculation) की निकटतम् रुपये सक किया गया है।

(स) बीमा प्रीमियम की छुट व मरम्मत के लिए छुट का वर्शन झाने किया जायता।

(३) पेसे मकान का वार्षिक मूल्य जिसके कुछ भाग में करदाता रहता हो श्रीर कुछ भाग किराये पर उठा हो—

ऐसी परिस्थिति मे जो भाग किराये पर ठठा है, उसका 'बार्षिक मूल्य' निकान नेना चाहिए और इसी मूल्य के सायार पर उस माग का भी बार्षिक मूल्य निकालना चाहिए, जिसमें कि करदाता स्वय रहता है, जैसे---यदि २/३ भाग में किरायेदार रहता है और १/३ भाग मे करदाता. तो रं/३ भाग के 'वार्षिक मृत्य' के ब्राधार पर पूरे मकान का वार्षिक मूल्य निकालना चाहिए और फिर इस पूरे वार्षिक मूल्य का १/२ करना चाहिए। इस प्रकार है करने से जो रनम ग्राये उसमें से उसका १/२ या १, = oo रुपये में से जो भी कम हो. घटाने में जो क्षेप बचता है वही स्वय रहने वाले भाग का 'वार्षिक मूल्य' माना जाता है। किराये पर उठे हए भाग के वार्षिक मूल्य में रहने वाले भाग का इस प्रकार से निकाला हुआ वार्षिक मूल्य छोडने से उस पूरे मकान का वाधिक मृत्य निकल बाता है. जिसके कुछ भाग में करदाता रहता है और कुछ भाग किराये पर उठा है।

नोट — यदि मालिक के पास एक ही सकान स्वय प्रयोग करने के लिए हो ग्रीर वह मालिक उस स्थान से बाहर काम करता हो, जहाँ कि उसका मकान बना हमा है। यह मकान वर्ष भर तक खाली पड़ा रहा हो, ग्रयांतुन तो मालिक स्वय इसमे रह रहा हो और न इसे किराये पर उठाया हो तो इस मकान का वाधिक मूल्य कुछ भी नहीं भाना जायगा । यदि यह मकान कुछ समय के लिए किराये पर उठा रहा है तो उसका वार्षिक मृत्य उस पर मिला हमा किराया ही माना जायेगा, किन्तु यदि करदाता इसे कुछ समय के लिए प्रयोग करता है तो इसका वार्षिक मूल्य उसी के श्रनुपात से निकाला जायगा परन्तु यह भावस्यक है कि ऐसे भवन से हानि नहीं होनी चाहिए।

सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य में से घटाये जाने वाली श्राये (Deductions From Annual Value)-

सम्पत्ति की 'वार्षिक म्राय' मे से नीचे लिखी हुई भ्रायो को घटाना चाहिए :---(१) यदि सम्पत्ति मालिक के अधिकार (Possession) में है या यह

किसी किरायेदार के पास है और मालिक ने इसकी भरम्मत का भार गएने उत्पर लिया है तो इसके 'वार्षिक मृत्य' का 🔓 मरम्भत के रूप में घटा दिया जायगा।

[धारा ६ (१) (३)]

सोट--- मरम्मत के लिए सदैव घटाया जायगा, चाहे मरम्मत मे कम व्यय हुआ ही या ग्रधिक या विस्कृल भी न हुआ हो 1

(२) यदि सम्पत्ति ऐसे किरायेदार के पास है जिसने किराया देने के marker सरम्मत कराने का भी भार अपने उत्पर लिया है तब वार्षिय मृत्य व असल किराये का अन्तर ही गरम्मत का मूल्य माना जाता है, परन्तु यह अन्तर जन सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य के 🤰 से अधिक नहीं होना चाहिये। यदि अधिक है तो 🤰 तक ही चित्र **६ (१) (11)**] मरम्मत माना जायगा ।

नोट-इसे उदाहरण न० ३ मे आगे समकाया गया है।

(३) सम्पत्तिको धागया प्रन्य प्रकारकी हाति से बचाने के लिए किया [बारा ६ (१) (111)] गया बीमा श्रीमियम ।

- (४) बदि करदाता ने कोई ऋ एा सम्पत्ति को बन्धक (Mortgage) रख कर लिया है तो इस ऋ एा का ब्याज। [धारा ६ (१) (1v)]
- (१) वार्षिक प्रभार (Annual Charge)—यदि किसी मकान पर प्रति वर्ष कुछ बया करता कातृत की इष्टि के आवश्यक है तो एसे ध्यम को वार्षिक प्रभार कहा जाता है धीर इसे प्रति वर्ष सम्पत्ति के वार्षिक सूख्य से घटाया जा सकता है, जैसे—यदि किसी सिम्मिनित परिचार की विषया को स्थायानय द्वारा सम्पत्ति की धाय मे से प्रति वर्ष कुछ रक्त देने की भाजा दो जाय तो इस सिम्मिनित परिचार की सम्पत्ति की करदेय भाग निकालते समय विषया को ही जाने वाली रक्म प्रति वर्ष घटानी चाहिए। इस उदाहरण में विषया को प्रति वर्ष दो जाने वाली आय 'वार्षिक प्रमार' है। यदि सम्पत्ति पर पूजी प्रभार (Capital Charge) है तो इस प्रभार की रक्म न पटानर केवल इतवा ब्याज ही घटाया जाता है।

[घारा ६ (१) (17)]

चारा ६ (१) (v11)]

( ६ ) यदि जिस भूमि पर सम्पत्ति बनी हुई है उस पर मुख किराया व्यवत हो तो उस भूमि का किराया (Ground Rent) भी घटा दिया जाता है। [घारा ६ (१) (1४)]

(७) यदि कोई भवन उचार सी हुई पूँजी से बनवाया जाय या उसकी भरमत करवायी जाय या उसे बन्ध किया जाय तो उस ऋगों के ब्यांज को भी पटा

दिया जाता है। ( = ) सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भूमि पर लगान दिया जाय।

( = ) सम्पात के सम्बन्ध में कोई भूमि पर लगान विया जीया । [चारा € (१) (▽)]

( ६ ) सम्पत्ति का किराया वसून करने के खर्चे, परन्तु ये खर्चे सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य के ६% से प्राधिक नहीं होन चाहिये। [धारा ६ (१) (v $_1)]$ 

(१०) एक मशान जितने समय के लिये साली रहता है उतने समय के ष्रपुतार्तिक मून्य को पटा दिया जाता है। यह अप्रपार्तिक भूत्य सम्पत्ति के बार्यिक मून्य के प्राया रुप निकाला जाता है। जेते, यदि मकान ये माह तक खांती पड़ा रहा तो उस मकान के बार्यिन मून्य का नृहं या है मकान के खांती रहने की छूट होगी। इस छूट को मकान के खांती रहने की छूट (Vacancy Allowance) कहते हैं।

(११) यदि किसी किरायेदार ने मकान छोड़ दिया हो धोर उस पर किराया बाकी हो या किराया न देने के कारण उससे अवर्दस्ती मकान खाली कराया जा रहा हो भीर कानूनी वार्यवाही बकाया किराया वसूल करने के लिये की गई हो तो बकाया किराया भी सम्पत्ति के बाधिक मूल्य से घटा दिया जावेगा।

मगर किराया बनाया रह गया हो भीर न बमूल हो सके तो इसके पहले कि यह बकाया किराया घटाया जा सने, निम्नलिखित शर्ते पूरी करना आवश्यक है— ε**ξ** ]

( ग्र.) मालिक मकान किराया बतूल करने के लिये सम्भव कातूनी उगय कर चुका हो, परन्तु विराया बसूल न हुमा हो या श्राय कर श्रथिकारी को इस सात का विक्वास हो जाये कि किराया बसल होने के योग्य नही है

(ब) यह किराजेदार मकान खाली कर चुका हो या खाली कराने के लिये कार्यवाई की जा चकी हो।

(स) मकान मालिक के ग्रन्य किसी मकान में वह न रह रहा हो।

(द) किरायेदारी यथार्थं मे हो।

[घारा ६०]

Rs 8 000

नोट—यदि सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य में से घटाये जाने वाली आयें उस सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य से प्रक्षिक हो तो यह प्रन्तर उस सम्पत्ति की हानि होती है निसे करदाता की आय के दूसरे शीपंकों में से घटाया जा सकता है। इसे उदाहरण नावर ६ में समझाया गया है।

Illustration No 3-

Mr R P. Seth owns house property of the annual rental value of Rs 8 000 which he has let to Mr Kamthan at Rs. 7 000 p. a. Mr Kamthan agreeing to bear the cost of repairs himself. The expenses of Mr. Seth in connection with this property amount to Rs. 2 300 excluding the cost of repairs.

You are required to calculate his taxable income from property.

Would it make any difference if the house had been let out at Rs 6,000 p a. instead of Rs 7,000 p a.?

(Agra University B. Com 1955)

### Solution No. 3-

Annual Value

Less

Repairs

(Annual Value Rs 8,000—actual Rent Rs 7,000) 1 000 Taxable Income from property Rs 7 000

If the house is let at Rs. 60 0 p a. instead of Rs 7,000 p a. Rs

Annual value 8,000

Less: 1,333 33

Taxable Income from property Rs 6 666 67

Rs

4 203

- Voie-(1) Expenses Rs 2 500 given in the question have not been taken into co sideration becau e they do not come under the list of deductions allowed by sec 9
  - (2) Rs 1 333 33 is tof the Annual value becau e the differe nce between the annual value and rent received should not exceed & of the annual value

### Mustration No. 4-

Mr Y is the owner of two houses of which first is let at Rs 300 p m and the econd is u ed for his residence. The Muni ipal valuations of the two houses are Rs 3 000 and 2 000 resp ctively His expenses on both the houses are -Municipal taxes Rs 500 insi rance premium Re 100 collection charges Rs 80 and ground rent R 60 The first house remained vacant for a period of three months

Mr A held the following securities -

(a) Rs 30 000 2% Government loan

(b) Rs 15 000 3% Municipal Debentures

(c) Rs 10 000 2% Preference shares of a company

His collection charges for interest on the above mentioned in vestments amounted to Rs 200

He is also employed in Government secretariate. His salary in this office is Rs 300 per month of which 8% is contributed by him to his Provident Fund to which his employer also contributes a similar amount He gets Rs 40 per month as house allowance

Find out (a) h s taxable income from property and (b) his total income assuming that both the houses were constructed in 1953

# Solution No. 4-

Less		3 000
* of proportionate Municipal taxes		150
Annual value of property let	Rs	3 450
Annual value of the residential house		
restri ted to 1/10 of total Income	Rs	753*
Total annual value of first and second houses		
Rs (3 4 0+753)		4 203

মা০ক ০বি ০ জা০ (৬)

Done of the Co & tours

Less Addmissible deductions

Repairs (1)

Insurance Premium	100	
Collection charges	80	
Ground Rent	60	
Vacancy Allowance of first house	•	
for three months	862 50	1 803
Taxable Income from property	602.50	Rs 2 400
Income from Salary		Rs
Salary		3 .00
House Allowance Rs (40×12)		480
•	Rs	4 050
Income from securities		Rs
2% Government Loan		600
3% Municipal Debentures		450
570 Figure-par 200000000		1 050
Less admissible deduction		
Collection charges		200
Contestion charges	Rs	
Statement of Total Income of M		
Statement of Total Income of S	11 7	Rs
(1) Salary		4 080
(2) Interest on securities		850
(3) Income from property		2 400
(4) Income form other sources		
(2% Pref Shares of a Co)		260
Total In	come Re	7 530
Exempted Income —	Rs	
Contribution to P F (By employee only)	288	
*Note—The annual value of residential house we been found out in the following manner		o3 has
3		Rs.
*Annual value of house let		3 450
Less & repairs		57.5
- <del>-</del>	Rs	2 875
For calculation of Armual value of residen	121 house	
Income from all sources		Rs
Rs (2875+4080+850+200)	-	8 005

Rs

700 50

Less expenses on property (100+80+60+862 50)	$= \frac{110250}{690250}$
Annual value therefore is — Rs $\frac{6.902.50 \times 6}{55}$	= Rs 753

### Ulustration No. 5-

Mr Y is the owner of a house the municipal valuation of this house is Rs 1 300 \$ of it is let at Rs 100 per month and \$ is used by him for his residence. This house was constructed with the help of a loan on which I is paying Rs 200 as Interest The Municipal Taxes for this house are Rs 200 He pays a ground rent of Rs 30 and Insurance Premium of Rs 80 for it

He is employed on Monthly Salary of Rs 800 per month He is also owner of Rs 20 000 3% Goyt Securities

Find out a) Annual value from property assuming that

		vas constructed in 19	
	(b) Tavalle I	ncome from property	and
		ome of Mr Y	
Solution No 5-			
			Rs.
	ie of port on let		1,200
Less k of a	municipal Tax	es .	75
Annual value of t	h property let		Rs 1 125
Value of Residen	tial port on	Rs	
t of the annual r	ental valueof th	ne whole hou e 400	
Lees + M T	ax of 1 portion	25	
		375	
Less 2 State	utory Allowanc	e 187 0	Rs 187 50
Total Annu	al value of the	Property	
ks (1 12	o+187 .0		1 312 0
Less Admi	sible Deduction	s Rs	•
i for	repairs	218 75	
Grov	and rent	30	
Inte	rest on Loan	200	
Insu	rance Premium	80	
		Rs- 528 75	528 75
Taxe	hta Incoma fra		520 75

Taxable Income from property

Rs 783 75

#### 

Statement	or rotal income		
Salary			9,600
Interest from Securities			600
Income from property			783 75
	Total Income	Rs	10 983 75

Note-Municipal valuation of Rs 1,300 has not been taken into consideration because the rental value of the house, taking in view the portion let, is greater.

# Illustration No. 6-

Mr. A is the owner of two houses, one is let out at Rs 100 ner month and the other is used by him for his residence. The municipal valuation of the second house is Rs 600. He paid the following expenses in respect of the house let Rs 200 Fire Insurance Premium. Rs 250 Int on Mortgage. His expenses in respect of the residential house are -Insurance Premium Rs. 150, Int on loan taken for repair of the house Rs- 125. His income from other sources is Rs. 40,000 Find out his total Income from property and total taxable income, assuming that both the houses were constructed in 1953

### Sal

lution No 6—		
		IR s
Annual Rental value of the first house is		1,200
Less	Rs	
Repairs à	200	
Int. on Mortgage	250	
Fire Insurance Premium	200	650
		Rs 550
Municipal Valuation of Residentia	.1	
House		600
Less 1 Statutory Allowance		300
•		300
Less		
Repairs &	50	
Insurance Premium	150	
Int on loan taken for repairs	125	-325
_		Rs25
Total Income from both the		
houses Rs (550-25)=Rs 525		525
Income form other sources		40 000
Total taxable Income		Rs 40 525

## **OUESTIONS**

- In computing the taxable income from property, what deduc-1 tions are allowed from annual value?
  - (Agra. B. Com. 1960)
- State the provisions of Section 9 of the Indian Income tax 2 Act regarding tax on income from property (Agra, B. Com , 1948)

- 3 Define annual value of a property and state the deductions that are allowed from the annual value in computing the taxable income from property (Agra B Com 1952 Rai, B Com, 1954, 1957)
  - Write short notes on-
    - (a) Vacancy allowance. (Agra B Com 1953, 58 S)
    - (b) Annual Value of Property (Alld , B Com. 1955)
- 5 State the allowances that are deductible under the head Income from property under section 9 of Income tax Act. (Rai, B Com. 1954)

# ग्राध्याय ६

# व्यापार, पेशा या व्यवसाय से आय

(Income from Business, Profession or Vocation)

स्राय कर श्रीवित्यम की चारा १० के अनुसार करशता को व्याचार, पेशा या व्यवसाय से किये हुए लाभ पर कर देना पडता है। यह माथ 'व्याचार, पेशा म्रीट व्यवसाय' (Business, Profession or Vocation) के शीपन से लिखी जाती है। इस माथ पर सभने वाले कर से सम्बन्धित तियमी का भ्रष्ट्यन करने के पहुने यह व्यवित सालुत देता है कि Business, Profession or Vocation का सर्थ समस्त विया जाय।

# Business-

माल बनाना, दूकान करना, येक वा काम करना, यातायात, उपक्रम (Adventure) का लाभ धादि Busmess के धन्दर धाते हैं।

भारतीय सन्नियम के बनुमार Business की परिभाषा इङ्गलिन आय-कर अधिनियम छन् १६१० में दो हुई Trade की परिभाषा से कुछ विस्तृन है। Smth Vs. Anderson के मामले मे न्यायांचीय M. R. Jessell ने कई शहर-कीयों में Business का मर्प देखने के बाद यह परिभाषा दी थी: "Anything which occupies the time and attention and labour of a man for the purpose of profits is business....."

### Profession-

इसमें वे काम घाते हैं जिनमे बुद्धि, हुनर व कुशलता ना प्रयोग किया जाता है, जैसे—प्रकेशक, डानटर, बकील, इज़ीनियर इत्यादि । Profession का धर्य C. I. T. Vs. Maxse के मामले में विस्तृत रूप से समकाया गया है।

### Vocation-

इसमे विशेष तौर पर वे सब पेते आहे है जिन्हे मनुष्य अपनी जीविका चलाने के लिए करता है, जैसे— पाना, नाच, बलाली, बीमा एजेंग्सी आदि। Partridge पृष्ठ: Mallandanna के प्राप्तरे ये स्थायारीय के Vocanna का पार्य सम्प्रमाते. समय एक सुन्दर चलाहरूए दिया है। बीरी करने का पेता बना तेता है तो आय-कर प्रविवारी उसकी प्राय पर कर लगा सकता है सीर ऐसा करना बिन्हुल उचित है। व्यापार, पेशा या व्यवसाय के लाभ पर लगने वाले कर से सम्यन्धित नियम—

- (१) यदि एक व्यक्ति निम्न भिन्न प्रकार के व्यापार करता है तो आय कर सब क्यापारों को सबुक्त आय पर समता है, प्रत्येक व्यापार की आय पर असम-अवग नहीं समता है। यहाँ यह व्यापार के योचार व्यापार, वेशा और व्यवसाय की कुल प्राप्ति (Gross Receipt) पर प्राय-कर नहीं लगता, परन्तु दुनके साथी पर समता है।
- (२) एक बापार को समात करते समय सम्पत्तियों को बेवने पर मिले हुए लाभ पर कर नहीं लगेगा, क्योंकि उस समय व्यापार नहीं किया जा रहा है, परन्तु एक व्यापार के वन्द किये जाने पर पदि उसका प्रतिसार रहितया वेचा जाता है मीर कर पर तथा होता है वो इस लाभ पर कर लगता है, क्योंकि मान्तुकी इस विको और साधारण विक्रों में कोई धन्तर नहीं माना जाता है। इसका कारण यह है कि दोनों ही इसाओं में मान्तु केवने का उद्देश काम अपन करना है, परन्तु जब व्यापार की सब सम्मतियां, प्रतिसार रहितये सहित, एक निविचन दम के लिए इस्ट्री वेची जाती हैं तो प्रतिसार रहितये पर लाभ का कोई प्रकृत ही नहीं उठना है।

(३) यदि एक व्यापार में हानि होती है तो करदाता उसे दूसरे व्यापार के

लाभ से काट संकता है।

(४) एक साफेदार को कर्म से प्राप्त हुमा लाग माय कर अधिनियम की घारा १० के बन्दर व्यापारिक लाभ माना जाता है भौर घारा १२ के अनुसार बन्य सापनो की आप नहीं माना जाता है।

Mohan Lal Hira Lal Vs. C. I. T., C P. 1952

( १ ) यदि दम धौपंक की ब्राय में करदाता को किसी रकम के लिए छूट दे दी गई हो और वह रकम बाद में करदाता को मिल जाती है तो इस पर उस वर्ष कर लगेगा जिस वर्ष उसे यह मिली हो। [घारा १० (२-А)]

(६) यदि कोई इमारत, मसीन या प्लाट, जिसके ऊपर कटोती मिलती है, पूर्ण रूप से व्यापार म प्रयोग नहीं की गई है तो यह छूट प्रयोग के अनुपात में दी

जायेगी।
[धारा १० (३)]
(७) यदि कोई हानि सट्टें के व्यापार में होती है तो उसे सट्टें के लामों से

ही पूरा किया जा सकता है। व्यापार, पेशा व व्यवसाय के लाभो को निकालते समय सट्टों में हुए सामी को

नहीं पटाना बाहिए। [C. I. T. of Nagpur and Bhandara V. Ramgopal

Kanihyalal Sept. 7, 1959]

(६) ब्योपार, पेसा या व्यवसाय के लाम मे से कुछ खर्वों को प्राय-कर प्रविनियम की घारा १० (२) के प्रतुसार घटाया जा सकता है भीर कुछ क्वों को धारा १० (४) के अनुसार नहीं घटाया जा सकता है. अतः इन खर्वों की ध्यानपर्वक

समभ लेना चाहिए। ( ६ ) बाय-कर अधिनियम की घारा १५ C के बनुसार नई सौद्योगिक सस्या के कार्यशुरू करने के प्रथम पाच वर्षों की आश्रापर आश्राय कर नहीं लगता है, यदि

इसकी स्राय सस्या की पूँजी के ६ प्रतिशत से श्रधिक न हो। (१०) नई घौद्योगिक सस्यासे मिले हुए लाभाश पर भी भागकर नही

लगता है, परन्तु ऐसा कम्पनी शुरू होने के प्रथम चार वर्षों तक हो होता है। (११) यदि नई धौद्योगिक सस्याके प्रथम चार वर्षों की भ्राय उसकी पूँजी

के ६% से अधिक है तो उस पर आय-कर लगेया।

(१२) ग्राय कर अधिकारी ग्राय कर लगाने के लिए गत वर्ष की ग्राय से ही सम्बन्ध रखते हैं। यदि किसी व्यापार द्वारा भ्रमले वर्ष लाभ प्राप्त करने की स्नामा हो

तो इन अनुमानित लाभो पर कर नहीं लगेगा।

( १३ ) एजेन्सी के समाप्त किये जाने पर मिला हुआ हुर्जाना व्यापारिक नाभ माना जायगा श्रीर इस पर श्राय-कर लगेगा 1 घारा १० (१-A)] (१४) चाय की कम्पनियाँ—चाय कम्पनी की ४० प्रतिशत प्राय व्यापा-

रिक मार्य भानी जाती है और ६० प्रतिशत कृषि आय । इसका वर्रोन ग्रध्याय २ मे 'कृपि आय' की परिभाषा के साथ किया गया है।

(१५) एक शक्कर स्थवसाय की स्थापारिक झाथ जानने के लिए ग्रघ्याय दो में 'कृषि आय' की परिभाषा को देखिये। (१६) स्टॉक का मूल्याकन (Valuatian of Stock)—न्नायकर

श्चिषित्यम में स्टॉक के मुल्याकन की कोई भी विधि नहीं दी हुई है, परन्तु यह मान-हयक है कि इसके मूल्याकन की जो भी विधि एक वर्ष अपनाई जाग नहीं वर्ष प्रति वर्ष धपनानी चाहिए धौर यदि उसमें कोई परिवर्तन करना हो तो भाग कर भधिकारी से स्वीकृति ले लेनी चाहिए।

लाभ हानि खाते के सम्बन्ध में कुछ नियम--व्यापारिक हृष्टिकोण से बनाये हुए लाभ-हानि खाते हारा दिखाया गया लाभ

ब्राय कर ब्रधिकारियों के दृष्टिकोण से ठीक नहीं होता है, क्योंकि-(धा) बहुत से व्याय लाभ हानि खाते के नाम पक्ष मे ऐसे लिखे जाते हैं,

जिनके लिखने की स्वीकृति आय कर अधिनियम द्वारा नहीं है। (ब) कुछ ऐसी प्रायें जमा पक्ष में लिल्दी जाती हैं, जिन्हें ग्राय कर प्रधिनियम

के धनुसार नहीं लिखना चाहिए। (स) भिन्न भिन्न सम्पत्तियो पर ह्नास काटने की दरें भाग कर भिवितयम

मे दी हुई हैं, इन दरों के अनुसार हास नहीं काटा जाता है। (द) हो सकता है कि पूँजीयत व्ययों को नाम पक्ष में भीर पूँजीयत आयों

को जमा पक्ष में लिख दिया गया हो, इत्यादि ।

यही कारख है कि ब्राय-कर के हिंहकोछ से लाभ होनि खाता दोबारा बनाया जाता है भौर उसके प्रनुसार दिखाये हुए लाभ को करदेय लाभ माना जाता है।

श्चाय-कर के हिंटकोस से लाभ-हानि खाता बनात समय व्यापारिक लाभ हानि खाते के—

## नाम (Debit) पद्य में---

- ( भ्र ) पूँजीगत व्ययो को हटा देना चाहिए।
- (ब) यदि ब्राय कर मे दी हुई हास की दरी से ब्रविक हास काटा गया हो तो इस ब्रविक रकम को हटा देना चाहिए।

(स) अस्त्रीकृत व्ययो को हटा देना चाहिए।

- (द) यदि कोई व्यय न तो स्वीइत है और न शस्वीइन, परन्तु व्यापार से सम्बन्धित है तो उसे लिख देना चाहिए।
- (य) यदि कोई स्वीकृत व्यय नहीं लिखे गये हैं तो उन्हें भी लिख देना चाहिए।

## जमा (Credit) पत्त मे—

- (धः) पूँजीगत श्रायो को हटादेना चाहिए ।
- ( व ) व्यापारिक भाग मदि न लिखी हुई हो तो लिख देना चाहिए ।
- (स) अगले वर्षों की आयो को भी हटा देना चाहिए।

ऊपर लिखे हुए निषमों को घ्यान में रख कर यदि लाभ हानि खाला बनामा जायगा तो उचित करदेय लाभ निकल सकता है।

# स्वीकृत व्यय (Admissible Expenses)-

भाय नर प्रधिनियम के अनुसार नीचे लिखे हुए ध्यय लाभ हानि निकासते समय घटाये वा सकते हैं, प्रयांत् यदि ये खर्चे लाभ हानि साते के डेविट पक्ष में लिखे हुए होगे तो इन पर कोई भागति नहीं वो जायेगी :—

- (१) किराया—उन भवन का किराया जितने व्यापार होना है, परन्तु यदि भवन व्यापार के लिए भीर रहने के लिए भी प्रयोग किया जाता है तो व्यापार से सम्बन्धित भाग का अनुतातिक किराया। [यारा १० (२) (1)]
- (२) मरम्मत-पिंद करदाता किंगयेदार हो भीर उस भवन की मरम्मत का भार भी उसी के ऊतर हो तो यह मरम्मत की रकम स्वीष्टन व्यय मानी जाती है भीर गरि वह इस भवन मे रहता भी हो तो केवल अनुपातिक मरम्मत ही स्वीष्टत व्यर मानी जायेगी।
- (३) व्यापार, पेशा व व्यवसाय के लिए उपार क्षी हुई पूँची पर दिया हमा व्याजः । [घारा १० (२) (१११)]

- (४) बीमा प्रीमियम— व्यापार के भवन, सबीन, प्लान्ट, फर्नीवर, स्टॉक या स्टोर की रक्षा के लिए कराए गए बीमा का प्रीमियम । [यारा १०(२)(१४)]
- (४.) व्यापार से सम्बन्धित भवन, मशीन व फर्नीचर के ऊपर किए गए चालू मरम्मत काब्यब । [धारा १०(२)(४)]

Ramkıshan Sunderlal Vs. C. I. T. (1951) के सामने में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चालू मरामत के बारे में नीवे खिसी विचार प्रतर किए थे:— यहाँ चालू मरामत ना आज्ञाय अवन, मशीन व फानींचर को सही हालत में रखीने के लिए किए गए व्यय से हैं। यदि वे व्यय समय-समय पर न किए जायें तो व्यापारिक सम्प्रतिया व्यापारी को बोर्ड सकती हैं। इन ब्ययो का प्रायय व्यापारी को कोई विवेध लाभ पहुँचाने से नहीं है।

- (६) ह्वास (Depreciation)—व्यापार की मधीन, प्लाट, कर्मीबर श्रीर अवन के लिए काटा गया ह्वान, यदि यह झाय कर अधिनियम की दरों के श्रृतुशार है।
- (७) व्यापार के भवन, मचीन या प्लाट के नष्ट हो जाने पर इनके बेमने से मिली हुई आय की तुलना इनके ह्यासित मूल्य (Written down Value) के करनी चाहिए। ह्यासित मूल्य इनकी दिश्ली की कीमत से जितना ही प्रधिक होगा जनना ही स्वीकृत क्यम माना जाएगा। [बारा १० (२) (१॥)]
- ( ६) पशुझों की बिकी से हानि—धदि व्यापार में कुछ पशु प्रयोग में लामे जाते हो तो बनकी मृत्युया बेकार हो जाने पर बेचने से हानि। [वारा १० (२) үл।)]
- ( ६ ) व्यापार से सम्बन्धित इमारत के ऊपर दिए गए म्यूनिसिपैनिटी के कर या स्थानीय कर। [धारा १० (२) (॥४)]
- (१०) योनस—व्यापार के कर्मवारियों को उनकी सेवायों के उपलक्ष में दिया गया बोनस । [धारा १०(२)(x)]
- (११) अन्नाप्त और सदिग्ध ऋत्म (Bad and donbtful Debts)-व्यापार से सम्बंधित देवदारों के ऋत्म समित कौर सदिग्ध हैं, तो इन्हें घटाया जा सकता है, परंतु यदि भविष्य में कभी यह दरबा बहुत हो जाय तो यह रक्त करदाता की उस वर्ष की झाय में झामिल कर दी जाएगी जिस वर्ष कि यह मिलेगी !

[घारा १० (२) (xt)] (१२) व्यापार से सम्बन्धित वैज्ञानिक शोध (Scientific Research)

(२२) व्यापार स सम्बान्धत वज्ञानक साथ (ЭСІВІБІІС ЛЕВЕВІС) पर हुए व्यय, यदि वे पूँजी प्रकृति के नहीं हैं। [बारा १० (२) (хіі)] (११) कोई भी रवम जो कि ऐसी विज्ञान शोध सब को दी जाय जिसका उर्दे स्य विज्ञान भी शोध करना हो या किसी यूनीविंगरी, वालेज या अन्य सस्या को दी जाय जिसका प्रयोग विज्ञान की शोध के निये किया जाय या किसी यूनीविंगरी, कालेज या अन्य सस्या की दी जाय, जो कि जुन व्यापार स सम्बन्धित सिंगरोज को पा (Status) राउड Receard) शौर समाज विज्ञान के लिये प्रयोग करे। यह सय यूनीविंसरी, कालेज या सम्या िंसी उचित अधिकती होगा खनुमीदित (approved) होनी चाहिये। यह बारा विक्त अधिकती कर स्थान पुरानी धारा के स्थान पर लाई गई है।

(१४) यदि ध्यापार से सम्बन्धित वैज्ञानिक शोध पर कोई पूँजी व्यव किया जाय तो प्रथम पाँच वर्षों तक प्रत्येक वर्ष इसके १/५ को स्वीकृत व्यव माना जाता है।

[धारा १० (-) (XIV)]

( १५ ) यदि कोई यथ ऐसे हैं जो कि व्यापार से सन्दाल्यन हैं, परन्तु जिनका इत्तर वर्णन नहीं किया गया है और वे पूँजो व्यय व व्यक्तिगन व्यय नहीं हैं तो उन्हें भी स्वीहत व्यय माना जायगा :— [धारा १० (२) (xv)]

इन व्ययों के उदाहरण नीचे दिये हैं :---

(क) ब्यापार के सम्बन्ध में विए गए कातूनी व्यय,

[Usher's Wiltshire Brewery Ltd. V. Bruce 6 1.C. 399) H.L.)]

- ( ख ) व्यापारिक समय (Business hours) में वर्मवारियो द्वारा गवन की गई रकम
- (ग) कर्मचारियों को नौकरी से अलग करने के लिए दिया गया हर्जाना,
- (घ) माल बनाने व उन्हें बेचने के लिए किए गए क्ष्यम.
- ( क) कर्मवारियों को बाम करते समय सारीरिक क्षति होने वाली जोखिम के लिए किए गए बीमें का ग्रीमियम.
- (च) ब्यापार के स्नातों को रखने के ब्यय,
- ( छ ) नियोक्ता द्वारा प्रमास्तित घों शिडेन्ट फन्ड में दिया गरा चन्दा,
- (ज) नियोक्ता द्वारा सुपरएनुवेशन फण्ड में दिया गया चन्दा,
- ( क्ष ) वर्ष के सुरू में नई बहियाँ बनाने व पूजने के सम्बन्ध में किए गए व्यय, यदि यह व्यय २०० रुप्ये से अधिक नहीं है,
  - (ब) घाडिट कराने के व्यय,
- (ट) भाल के सरीदने य विश्वी के लिए दी गई दलाली को घटाया जा सबता है, लेकिन दीर्घकालीन ऋष्णों के लेने के लिए दी गई दलाली को नहीं घटाया जा मकता है।

- (ठ) विज्ञापन व्यय, परन्तु ये व्यापार बढाने आदि के लिए न किए गए हो. क्योंकि उस दशा में वेप जी ब्यय माने जायेंगे.
- (ड) व्यापार के सम्बन्ध में दिए गए चन्दे. (ढ) लानो व पेटेन्ट बस्तुम्रो के लिए दिया गया ग्रधिकार भुल्क
  - (Royality). ( ए ) ऐसे व्यय जिनसे कर्मचारियों की कार्य कुशलता में वृद्धि हो.
  - (त) इनकम टैक्स अधिकारी तक आय कर के सम्बन्ध के व्यय परन्त आय-
  - कर भ्रमील के स्यय नहीं। (य) कर्मचारी को दी गई पे शत.
  - (द) विजी कर.
- (घ) ग्रभिकत्तीयो की दिया हुआ हजीना।

श्चस्वीकार व्यय (Expenses expressly disallowed)— नीचे लिखे हए व्यय लाभ निकालते समय घटाए नहीं जायेंने, अर्थात, इ है

लाभ हानि खाते मे नही लिखा जाएगा:--(१) किसी ऐसे विदेशी को दिया हुआ। ब्याज जिसकी धाय से कर नहीं

काटा गया है।

[Proviso 1 of sec. 10 (2) (111)] (२) किसी विदेशी को दिया गया 'वेतन', यदि कर न काटा गया हो, [बारा १० (४) (a)]

(३) साभेदारी फर्म द्वारा अपने किसी साभेदार को दिया गया देतन, ब्याज

या धन्य प्रकार का पारिश्रमिक, [धारा १० (४) (b)] ( ४ ) मालिको द्वारा निकाले हुए आहरएा (Drawings),

(X) मालिको द्वारा किए गए निजी व्यय.

(६) ग्राय कर व श्रधि कर की रकम.

(७) धाय कर की धपील का ब्यय.

( = ) सप्रमाणित प्रॉवीडेन्ट फन्ड मे दान.

[धारा १० (४) (c)]

(६) भ्रप्राप्य ऋगो के लिए सचित

(१०) हास के लिए या प्रन्य कामों के लिए किए गए सचित व उन पर व्याज,

(११) पँकी व्यक् (१२) यदि करदाता थपने ही मकान मे ब्यापार करता है तो इस मकान का

किराया,

(१३) कम्पनी द्वारा किसी सचालक को मावश्यकता से म्रधिक दिया जाने [धारा १० (४) (A)] वाला पारिश्रमिक,

- (१४) दान,
- (१५) लाभ-हानि खाते मे निखी हुई पुरानी हानियाँ,
- (१६) यदि किसी हानि का बीमा हो चुका है तो इस प्रकार की हानि,
- (१७) कम्पनी के अशो की यदि कटौती पर बेचा गया है तो यह कटौती,
- (१८) ऐसी पेन्दान जो कि पुराने सामेदारों को दो जा रही हो,
- (२०) ग्रन्य कोई व्यय जो कि व्यापार के सम्बन्ध में न किया गया हो।

भीव विश्वी हुई हानियाँ करदेय व्यापारिक झाव निकालने के लिए नहीं घटाई जावेंगी:--

- (१) एक अजनवी ब्यक्ति द्वारा एक व्यापारी के ताभ को लूटना। जैसे— एक महाजन की तिजीरी वोडकर चीरो हारा उनकी रकम को चराना।
- [Remaswami Chether Vs. C.I.T.] (२) डाकुग्रो द्वारा एक व्यापारों के देशनर में पूसकर उसके मुनीम व
- (२) डाहुमा द्वारा एक व्यापारा क दण्नर म पुसकर उसक मुनाम व खजाञ्ची को लूटकर उस दिन की सारी बिक्स को से जाना। [Gadodia and Co. In re]

(३) करदाता के ऐसे कर्मचारी को लूटमाँ जोकि करदाता की रकम वैक लिएँ जा रहा हो।

[Mul Chand Hira Lal Vs. C.I.T]

करर दिए हुए हीनी उदाहदणों में दी हुई हानियों को तब तक नहीं घटायां जा सकता है जब तक ये वास्तव में व्यापार के स्वभाव से सम्बन्धित न हो। यदि चोरी व बाकुमी हारा हुई हानियों व्यापार के स्वभाव से सम्बन्धित हो तो इन्हें व्यापार के लाम से पदाया जा सकता है। जेसे—यदि एक करदाता को वैधानिक नियमों के ममुनार विभिन्न क्रय केन्द्री पर किसानों को हत्या बांटने के लिए मेंबना पड़ता है मेरे इस रूपये वो रास्ते में सूट लिया जाता है तो इस हानि को पटाया जा सकता है।

धारा १० में घटाने थोग्य व्यथों की सूची पूर्ण नही है। एक व्यापार से सम्बन्धित हानि को ब्यापार ना साम निकालने के लिए घटामा ला सकता है, चाहे बह इस उपधारा के किसी भी मेंपैक के प्रन्तर्गत न दी हुई हो, क्योंकि साम साधा-रण व्यापार के सिद्धानों को च्यान ने रसकर निकाला जाता है। प्रत्येक क्षाय कर भिषकरों को इन व्यापार के सिद्धान्तों का ज्ञान होना चाहिए।

## नकद साख (Cash Credit)-

कुछ बेईमान करदाता व्यक्तिगत वाती के नाम से मूठो 'नकद साख' जमा कर लेते हैं। ऐमा करने से वे प्रपन साभो को छिपा लेते हैं घीर यह नहीं दिखाते हैं कि यह रकम कहाँ से माई। अब माय-कर प्राविकारी इस रकम के बारे में पूछता है सी बहुया यह कहा जाता है कि यह रकम गहने वेचकर या मुसराल से प्राप्त हुई है। इन उत्तरों को प्राय-मर प्रधिवासी की हुटि में बहुन ही कम विदवसनीय माना जाता है।

करदाता या तो अपने साते में या अपने सन्दिष्यों या अन्य स्विष्यों के साने में में रममें जमा वरता है। यदि में रवमें करवाता ने अपने खाने में जमा की हैं तो आय-पर अधिवारी के सन्तोप के लिए यह सावित वरने का बोफ करवाता पर ही रहता है कि रचम बास्तव में आग नहीं है। आग कर अधिकारी यदि इस स्पटीकरण से सन्तुष्ट न हो तो इस गवद साख (Cash Credit) वो आग मान कर इस पर कर जमा सच्छा है। यदि अन्य स्वक्तियों के खातों में में रक्तमें जमा है तो इस बात को सावित करने का बोफ, बुद्ध निवेप द्याओं नो झोडकर अन्य दनाओं में, आय-कर विभाग पर ही रहता है।

(Jai Narayn Balabakas Vs. C.I.T. 1957) (Radhakrishan Behari Lal Vs. C.I.T. 1954)

पदि Cash Credit हो तो अरकेक न रदाता को इसका स्पान्न रहा प्रदार प्रवस्य देना चाहिए, बरना खात प्रस्तीकृत कर दिये जात है। वरवादा के खातो में Cash Credit था, परन्तु इसका स्पटीकरण नहीं दिया गया था, जिसके कारण आय-कर अधिकारी करदाता की आय वा ठीक अनुमान उसके खातों से त चला सका, क्रदा उसके खातों की अस्वीहत किया गया धोर विक्री पर एक निरिचत प्रतिस्तत के अनुसार लाम का मनुमान लगाया गया।

का अनुभान तथाया गया।

[P. Abdul Khadar V. C. I. T. Madras Oct. 19, 1959]

प्राय कर अप्रतर ऐसी रक्तमों को लाभ भावकर कर लगा सकता है, यद उसे

यह विद्यात हो पाय कि य बेसे वेहँमानी को नीयत से किए गये हैं। यब तक भायकर
अधिकारी को विद्यास न हो कि नक्द सास सही है, तब तक यह इस सांश पर लाभ

मानकर कर समाता है तथा ऐस करताता पर खुर्गमा भी करता है।

हाति पूर्ति व्यापारिक ग्राय के ह्रप में (Compensation as business Income)—

nucome)— ग्राय-कर प्रधिनियम को धारा १० (5-A) के ग्रनुसार नीचे लिखी हुई दशाधी

मानवर अधानवर्ष का वार्ष (० (००००) क्युतार नाव तिवा हुव स्थान में मिला हुमा हर्णना ब्यासिक बाय होतो है और इस पर कर भी लगता है:— (म्र) एक भारतीय कम्पनी के प्रवस्त्र धनिक्ली (Managing Agent)

- ( अ ) एक भारतीय कप्पनी के प्रवश्य श्रांभक्तों (Managing Agent) का हटाने के लिए दी हुई क्षति पूर्ति या उसकी राजों क परिवर्तन करने के लिए दी गई रक्म।
- (व) एक भारतीय कम्पनी के मैंनेजर की हटाने के लिए व उसने प्रसिद्धि
- में नोई परिवतन करने के निष्ट दो हुई क्षति पूर्ति।
  (स) कोई भी व्यक्ति, कोकि नरदम प्रदेश में नाम करने वालों कम्पनी ना पूर्ण वा लगभग भूर्ण प्रकम्ब नरता हो तो ऐसे ब्यक्ति को हटाने व उन्नक्ते प्रसिद्ध के परिवर्तन नरने नी शर्षि पूर्ति।

# (द) किसी ऐसे अभिकर्ता (Agent) की, जीकि करदेय प्रदेश में किसी की एजेन्सी कर रहा हो, हटाने के लिए दी गई क्षति पूर्ति।

## Illustration No. 1-

Following is the Profit and Loss Account of Mr. X for the was and no Ziet March 1960

year chung sist m	Rs.	1	Rs∙
Salaries	5,000	Gross Profit	50 000
Insurance Premium	500	Interest	1,000
Advertising	3 000	Interest on Govt	
Depreciation	2,000	securities	3,000
Postage Stamp	200	Profit on sale of	
Income tax reserve	2,000	investment	1,000
General expenses	20,000	1	
Net profit	22 300	İ	
	De. 55 000	Rs	55 000

Find out the taxable profit from business of Mr X after

taking into consideration the following -

- (a) Depreciation allowable is Rs 1 600.
  - (b) Advertising expenses include Rs 1,000 which is capital expenditure.
  - (c) General expenses include Rs. 500 for subscriptions given to a Political party and Rs. 300 for repair of a machinery.
    - (d) Rs. 1,500 is the amount of Sales tax paid but is not included in the above P. & L. Alc-

Solution No. 1—		Rs.
Net Profit as disclosed by Profit and L	oss A/c.	22,300
Add Inadmissible expenditures	Rs	
Excess depreciation	400	
Subscription to political party	500	
Advertising (Capital Expenditure)	1,000	
Income-tax Reserve	2,000	3,900

Subscription to polit	ical party	50C	
Advertising (Capital	Expenditure)	1,000	
Income-tax Reserve	-	2,000	3,900
			26,200
Deductions	Rs.		

Add inadmissible expenditures	3	Ks	
Excess depreciation		400	
Subscription to political p	arty	50C	
Advertising (Capital Expe	enditure)	1,000	
Income-tax Reserve		2,000	3,900
			26,200
Deductions	Rs.		
Sales tax	1.500		
Interest on Govt Security	ies		
(it is taken under separat	te		
heading)	3,000		
Profit on sale of Investme	ent		
(Being Capital Profit)	1,000	_	5 500

Rs.

Taxable Profit from business

## Illustration No. 2-

Following is the P & L account of a company for the year ending 31st March, 1960.

g			
	Rs	,	Rs
Salaries (office)	3 000	Gross profit	60 000
Rent	2 400	Interest on securities	2 000
Director's Fees	1.500	Bad debts recovered	200
Law expenses	700	Discount received	800
Subscription (Business)	200	Commission	2,000
Auditors Fees	900	Profit on sale of	
Depreciation	1 500	Securities	1,500
Fire Insurance Premium	300	Other receipts	300
Travelling expenses	400	7 mer 10001-10	
Reserve for bad and	100		
doubtful debts	1 200		
Expenses in connection	1 200	Į	
with issue of shares	1.500		
Bad Debts	700		
Net Profit	52,500		
Rs.	66 800	, n	66 800
IVS+	00 800	R	00 000

Find out the taxable profit from business of the company afte

## Sol

er taking into consideration the following	g —	
(a) Law charges include an amount of nection with a purchase of a new		pent in con
(b) Admissible depreciation is Rs 10	00	
lution No 2-		
Net profit as disclosed by profit and loss account		Rs. 52,500
Add expenses disallowed -		
	Rs	
Expenses in connection with		
issue of shares	1,500	
Reserve for Bad and doubtful debts Law charges on machinery	1 200	
(Capital expenditure)	200	
Excess depreciation	500	<u>3 400</u> 55 900
Deductions	l≷s∙	
Interest on securities	2,000	
Profit on sale of securities	1,500	3 500

		55.9
Deductions	Rs.	
Interest on securities	2,000	
Profit on sale of securities	1,500	3 50
Taxable profit from business	Rs-	52.40

#### Illustration No. 3-

Following is the Profit and Loss account of a Sugar Mill Co

for the year ending 31s	st March, 19	960	
·	Rs	İ	Rs
Stock of Sugar at		Sales Stock of Sugar	30 00 000 4 00,000
1st April 1959	2,00 000	Stock of Sugar	7 00,000
Cost of Cane crushed	13,00,000		
N ages	2,50 000	}	
Repairs and renewals	20 000	}	
Establishment Charge	s 30 000	}	
Depreciation	1 00 000	}	
Auditor's fees	1 500	}	
Director's fees	2 300		
Commission on sale	30,000	}	
Balance c/d	14 66 20n	}	
Rs	. 34 00 000		Rs 34 00,000

Find out the total income of the company after taking into consideration the following -

- (a) The amount of Rs 4.000 paid to an undesirable employee as compensation is included in Establishment Charges.
  - (b) Cane crushed includes Rs. 3.00.000 the cost of cane grown on the company's own farm whereof Rs 400 000 is the average market price of the cane
  - (c) Repairs and Renewals includes an amount of Rs \$.000 which is cost of additions to factory Buildings-
  - (d) Depreciation alloyable is Rs 90,000

#### Salution No. 3-

	Profit as disclosed by P. & L A/c		14,66,200
	Add	Rs	
٠	Additions to factory building	8,000	
	Excess depreciation	10 000	14 84,200
	Deductions		1.01,200

Agricultural Income (Rs. 4 00 000-Rs 3 00 000)

Total Income

Rs 13 54 200

Rs.

मा०व • वि• सा० (c)

Note—The amount of compensation given to undesirable employee has not been taken into consideration because his removal from the company is profitable in the interest of the company

## Illustration No 4-

Given below is the Profit and Loss Account of a tea company for the year ending 31st March 1960 Find out his total income for 1960 61 when allowable depreciation is Rs 56 000

Rs

R٩

Opening Stock	3 00 000	Sale of tea	9 00 000
Manufacturing Exp	1 80 000	Stock of tea	
Directors Fees	2 000	(at 31st Mar	ch
Auditor s Fees	500	1960)	3 00 000
Donations to Political Par	ty 2 000		
Brokerage	10 000		
Freight	10 000		
Income tax	12 000		
Reserve for Bad Debts	8 000		
Depre lation	60 000		
Net Profit	6 15 500		_
Rs	12 00 000		Rs 12 00 000
Solution No 4-			
			Rs
Profit as disclosed by P &	L Account		6 15 500
Add-		Rs	
Donations	2	000	
Reserve for bad debts	8	000	
Income tax	12	000	
Excess depreciation	4	000	26 000
			6 41,500
Deduct -			
60% is treated as agriculti	iral income		3 84 900
Tanable Income from busi	ness		Rs 2 56 600

Note-60% of the Agricultural I come has been calculated or Rs 6.41 500

## **OUESTIONS**

Define business and state the deductions that are expressly allowed in computing the taxable income from business

(Raj B Com 1960)

- What deductions are allowed to a business in computing the profits? Specify the expenses disallowed (Agra B Com 1944 1954)
- 3 Enumerate the expenses which are allowed in computing the taxable profits of a partnership firm and a limited Co and also state the expenses or losses which are not allowed

(Agra B Com 1952 Raj B Com 1957)

- 4 In what circumstances are the following items allowed as deduction in computing the taxable income from business —
  (a) Repairs
  - (b) Insurance Premium
  - (c) Interest
  - (d) Legal Charges
    - 'e) Depreciation of Investment

(Agra B Com 1950)

# श्रम्याय १०

# अन्य साधनों से आय

## (Income from other Sources)

ज्ञाय-नर प्रधिनियम की धारा १२ (१) के ब्रनुसार वो क्राय 'वेतन', 'प्रतिकृतियो पर ब्याज', 'सम्पत्ति पर क्षाय' श्रौर 'ब्यापार पेशा व ब्यवसाय' बाले शीर्षको मे से किसी भी शीर्षक मे नहीं लिखी जाती है, वह 'अन्य साधनो से स्राय' थाले शीर्षक में लिखी जाती है।

Salisbury House Estate Ltd. Vs. Fry. 15 Tax cases 266 के मामले में नीचे लिखे हुए नियम इस भी पंक के बारे में दिए गए थे :—

- (१) यदि कोई प्राय चार विभिन्न होएंको से से किसी से भी जाने के योग्य नहीं है. तभी 'ग्रन्य साधनों से आय' वाले शोएंक में जायगी।
- (२) ये किसी द्याय काकोई क्षीयंक है तो उसे उसी बीयंक में से जानाचाहिए।

नीचे लिखी हुई आयें अन्य साधनों से आय' नाले शीर्यंक में आती हैं :--

- (१) ऋगो पर ब्याज
- (२) ब्रशो का लाभाग.
- (३) एक परीक्षा के विरीक्षक द्वारा प्राप्त की हुई भीस,
- (४) एक Bar Council द्वारा परीक्षा और प्रवेश के लिए प्राप्त की हुई फीस,

(Bar Council Patna Vs. C.I.T. 1949)

- (५) एक कमचारी द्वारा मालिक के झलावा छन्य कही से प्राप्त किया हुमाकमीशन,
- (६) करदेय प्रदेश के बाहर से प्राप्त की हुई खेती की आय,
- (७) शिकमी किराये पर उठे हुए मकान का किराया,
- ( ८ ) किसी खान से प्राप्त किया हुआ भूमि का किरावा
- (६) किसी ऐसी पूर्विसे किराया प्राप्त करनाजों कि इमारतों से उड़ी हुई नहीं।
- (१०) बाजार या मछ लियो की आय,
- , (११) छशो के बेचने पर मिलाहस्रादमीशन,
  - (१२) सचालको को फीस,

(१३) प्रविकार-शुल्क (Royality),

(१४) प्रतिभूतियों के ब्याज को छोडकर बाकी सब प्रकार के ब्याज, जैसे— ऋगा पर ब्याज, चालू खाते पर ब्याज धादि,

(१५) पट्टं पर इठी हुई सम्मति पर आय,

(१६) मधीन व फर्नोचर को किराये पर उठाने में आय,

(१७) कोई ऐसी वाणिकी जीकि किसी वसीयतनामा के श्रनुसार मिली हो, परना यह वाणिकी मालिक हारा कर्मचारी को न मिली हो।

अन्य साधनों से प्राप्त हुई श्राय में से नीचे लिखे हुए व्ययों को घटा देने के वाद ही करदेय श्राय पास होती है (Deductions from 'Income from other Sources')—

- (१) वे सब ब्यय घटा दिए जाते है जिनकी मदद से आय प्राप्त की गई है, परन्तु इन ब्ययों को न सी पूँजी ब्यय होना चाहिए मौरन निजी ब्यय।
- (२) यह व्यय उसी वर्ष होना चाहिए जिस वर्ष में वह म्राय प्राप्त हुई हो । यह निर्णय प्रिवी कौन्सिल ने C. I. T. Vs. Basant Ram Takhat Singh ने सामले में दिया था।
  - (३) लाभाश प्राप्त करने के लिए वैको को दिया गया उचित कमीशन घटाया जा सकता है।
  - ( ४ ) जो व्यय व्यापार, पेरो व व्यवसाय में झस्वीकृत व्यय (Inadmissible Expenses) माने गए हैं वे यहाँ भी झस्वीकृत व्यय माने जाते हैं।

धन्य साधनों से प्राप्त हुई धाय में से घटाने योग्य व्ययों के सम्बन्ध में कुछ महस्त्वपूर्ण निर्णय नोचे दिए हुए हैं :—

(१) एक ऐसी रियासत में न्यायालय द्वारा एक रिसीवर नियुक्त किया गया या जिसमें कृषि आयं व सन्य प्रकार वी सार्वे प्रातः होती थी। रिसीवर के वेतन का सनुवातिक भाग ही सन्य प्रकार वी सायों से घटाने का निर्णय दिया गया था।

(Sachindra Mohan Ghosh Vs. C. I. T.)

(२) एक कम्मनी के सचालक के विरुद्ध यह कार्यवाही वो गई कि उसके सचालक बनने का चुनाब घर्षेष था। सचालक ने प्रयने चुनाब को वेष सावित करने के लिए स्थय किए। इन स्थयों को त्यायाधीशी द्वारा फ्टाने योग्य स्थय माना गया था।

(C. I. T. Vs. Sir Purshotham Dass Thakur Das 1946) (३) एक करदाना ने सनलक की फीस और लामाग के रूप में एक ऐसी

कम्पनी से करदेप माय प्राप्त की जिने उन्होंने चनाया या ग्रीर जब कम्पनी ग्रापिक

कठिनाइयों में घी तो उसने ३ लाल रुप्ते का दान करना को दिया। यह व्यय घटाने योग्य व्यय नहीं माना गया, क्यों कि यह व्यय लामान या सचालक की फीस प्रात रुप्ते क उद्देश्य से नहीं किया गया था।

(C. I. T. Vs. Sir Homi Mehta)

(४) एक कस्पनी, जोकि प्रारम्भ की श्रेणी में है, प्रपने काम गुरू करने के पहले किये हुए कार्यालय के व्ययों को प्रत्य साधनों की घाय से नहीं घटा सकती है।

(C. I. T Vs. Bihar Spinning and Weaving Mills Ltd. 1953).

# लाभांश (Dividends)---

साधारण माथा में लाभारा का यार्थ कायानी के लाभ के उस भाग से है थो कि साधारी को सदामारी होने की है दिसत से मिलना है। साध कर प्रिवितयन की घार र (६-A) में यह बनाया गया है कि लाभाग में कोन कीन सी रकम प्राप्तिक रुरती चाहिए और कीन कीन सी रकम प्राप्तिक रुरती चाहिए मौर कीन कीन सी रकम प्राप्तिक रुरती चाहिए मौर कीन कीन सी रकम प्राप्तिक नहीं करती लाहिए, परण्डु इस पारा में लाभाग की पूर्ण परिभाषा नहीं की गई है। इस परिभाषा में ऐमें उदाहरण दिये गये हैं किन्दे साबारण तीर पर लोग लाभीय नहीं मानते हैं। वे सब प्राप्त लाभीय में हामिल हैं जो कमनी के एक दिवस लाभी में से या उनकी सीमार का दिवस्त करने से सम्बन्धित हैं। इस पारा में चालू लाभी में से दिये बाने वाले लाभागों का काई वर्णन नहीं किया गया है, यद्यपि इन लाभी में से वाटी हुई रक्त माय-कर में लाभीय मानी गई है।

कम्पनी ध्रावित्यम सन् १९५६ वे अनुनार एक कम्पनी ध्राप्ते चालू वर्ष के लाभो या एकनित लाभो के बातिरक्त और कही से भी लाभौंस नहीं दे सकती है।

नम्पनी निशी प्रधायारी को प्रायं कर काटने के बाद ही लाभीय देती है, जत. जो रकम प्रधायारियों को मिलती है वह कर काटने के पत्रवाद मिलती है। यदि लाभीय में से कर न काटा गया होता तो प्रधायारियों ने व्यक्ति लाभीय प्रधायारियों की प्रायं ने व्यक्ति लाभीय प्रधायारियों की प्रायं में लाभीय जीन जाता है तो सकल (Gross) बनाकर जोड़ा जाता है तो सकल (Gross) बनाकर जोड़ा जाता है तो मिले हुए लाभीय की मकल बनाने की विश्व को प्रयंत्री में Grossing of Dividend कहते हैं।

## लागाँश की सकल करने की विधि-

धव लाभाग नो सनल नही बनावा जाना है, परन्तु विद्वत वर्ष तक कमानी के लाभांश पर २० प्रतिशत कर ध्रीर १ १ प्रतिशत क्षिकर लगता या, प्रतः विदेशुद्ध लाभ नो सनल (Gross) करना होना या तो इस प्रनार किया जाता था:— यह रूप इस प्रकार निकाना गया है—माना कि कुल लाम १०० राये है १२७

तो इस पर ३१'५ कर मोर मिन-कर कटेगा, मर्थात ६८'५ (१०० – ३१'४) सुद्ध लाभ बचेगा, मतः —

जब गुद्ध लाभ ६८ ५ है तो सकल लाभ १०० ६० है।

यदि एक कम्पनी का कुछ लाभ करदेय है और कुछ लाभ करदेय नहीं है तो लाभाग की सन् १६५१-६० करदेय वर्ष के लिए इस प्रकार सकल (Gross) किया जाता है:—

Illustration No. 1-

A shareholder received Rs. 5.000 as Net Dividend in the previous year when full profit of the company declaring dividend was taxable. What will be the Gross Dividend of the shareholder for the assessment year 1959-60?

Solution No 1-

For 1959-60

$$\frac{5,000\times200}{137} = \frac{10\ 00,000}{137} = \text{Rs. 7.299'27}$$

Illustration No. 2-

A shareholder gets Rs 92,125 as dividend from a company whose 25% profit is taxable. Find out the Gross Dividend of the shareholder for the assessment year 1959-60.

Solution No. 2—

For 1959 60

$$\begin{array}{l}
92,125 \times 100 \\
100 - \left(25 \times \frac{31}{100}\right) \\
= \frac{95,125 \times 100}{92^{\circ}125} = R_{\$}. \ 1,00.00
\end{array}$$

Illustration No. 3-

A shareholder receives Rs. 6,000 divide ad from a company

whose full profit is taxable and Rs. 1,874 from another company whose 20% profit is taxable.

Find out the Gross dividend of the shareholder for the assessment year 1959-60

## Solution No. 3—

For 1959-60:

$$\frac{6,000\times200}{137} + \frac{1.874\times100}{100 - \left(20\times\frac{31.5}{100}\right)}$$

$$= 8.759 12 + \frac{1.874\times100}{93.7} = 8,759 12 + 2 000$$

$$= Rs. 10,759 12$$

वित्त अधिनियम सन १६५६ और लाभांश-

(१) इस प्राचितियम के अनुसार करणती के लाभाग में बहुत महस्वपूर्ण परिवतन किये गये हैं, अधिक मीचे दिये हुत हूँ— मारी तक लाभाग के उत्तर जो कर करणती हारा दिया जाता था, उसे यह सामफा जाता था कि करणती यह कर प्रणे कीय से देवी है, इसलिए ध्रवाधारों को मिलने बाले लाभांग में करमनों द्वारा इस पर दिये गये कर को जोड दिया जाता था। इसी प्रधा को लाभांग था एकल करना कहा जाता था, परस्तु सब इस ध्रिशनियम के हारा लाभाश को सकल करना बर कर दिया गया है, अर्थात प्रधांत सत्तर कर दिया गया है, अर्थात प्रधांत सत्तर हर है। सत्तर दिया होगा। इस नियम को नीचे दिए हुए चाटें डारा समक्ताया गया है।

गत वर्ष	करदेय वर्ष	लाभाश को सक्ल बनाना
१९५०-५६	१६५६-६०	लाभाश को इस प्रकार सकल बनाया जाता था । शुद्ध लाभाश×२००
१९४६-६०	१८६०-६१	लामाश को सकल नही बनाया जावगा, पर-तु पूरिक प्रति- प्रतियों के क्याज को तत्त इन पर आग्र कर काटा जायेगा, धतः शुद्ध लाभाग X रे० किया जायेगा।

धारा १६ (२) जोकि लाभाश को सक्त बनाने से सम्बन्धित है, भाय-कर

ब्रधिनियम से हटादी गई है। इस योजना के बन्द वरने से कोई विशेष झन्तर नहीं पड़ाहै।

(२) यदि कोई कम्पनी किसी अन्यारी को अपने ऐसे लामों में से लासाय देती है जिस पर राज्य सरकार द्वारा कृषि आर्थ कर लगाया गया है तो अध्यथारी की इस अधिनियम के अन्तर्गत देग आर्थ पर धारा ४६ 🗗 के अनुसार कुछ छूट मिलेगी।

( र ) विक्त अधिनियम सन् १९४९ में आम कर अधिनियम की धारा १६ (३ D) को स्थानपत्र कर दिया है। अब करानियाँ नियारित दर पर (Prescribed Flat Rate), जीक आय कर के लिए २४% और सरलाजें के लिए २४% है, लाभाग में स आय कर काटकर के न्द्रीय सरकार को ब्रीट्ट किया करेंगी, जैसा कि सरकारी प्रतिभूतियों के व्याल और करदेव ऋणु पत्री के व्याल के सन्वत्य में किया जाता है। यह रक्षम कर निर्धारण से समय अग्रधारी के व्यक्तिगत कर निर्धारण में वापित (Re mbursed) कर दो जायेगी। यह स्थान रखने योग्य बात है कि यह सारा जहीं क्यानियां से लेगों जीकि ऐस लामाता योगित करती हैं, जिन पर कि मन् १६६०-११ में कर लोगा। जैमें—३० अप्रैल सन् १९६६ को समाप्त होने बाती वर्ष के निर्धे घोषित विश्व हुए लामाता पर स्थाना लाह हो जायेगी।

(४) इन प्रधिनियम के प्रनुसार घारा १८ (३ E) आय-कर प्रधिनियम मे जोडी गई है, जिसके अनुसार कर मुक्त प्रधिनाभाग्न पर कर काटने के सम्बन्ध में नियम दिये हुए हे, परन्तु यह घारा उन्ही लाभी पर स्त्रीगी जिन पर करदेय वर्ष सन् १९०६१ में वर स्त्रीगा।

( प्र ) इस अधिनियम में बाय-कर की घारा ४६ (C) को हटा दिया है।

(६) इस क्रॉविनियम मे श्राय कर की घारा ३५ (१०) को भी हटा दिया गया है।

लामांश की वर्तमान काल में सकल बनाने की विधि—

मधीर प्रव लाभाग को सकल नही बनाया जायेगा, जैसा कि झभी तक होता झाया है, परतु सब इस पर प्रतिसूतियों के ब्याज की भावित कर काटा जायया, जोकि साय कर व सरमार्थ निला कर .० प्रतिर त होगा। कार्य प्रति है १०० रुठ लाभाग के होंगे तो इसमे से ३० क कर कार्यकर कुल ७० रुपये ही लाभोग के रूप में दिये जायेंग। सतः यदि मुद्ध लाभाग दिया हुषा हो तो इसे सकल इन प्रकार वनाया जायेगा:—

शुद्ध लामाश×१०० या शुद्ध लामांश×१०

#### Illustration No. 4-

Mr A received the following net dividends on ordinary shares from various companies from May 1959 to March 1960 —

(a) Rs. 1,370 from X Co. Ltd. for the year ending 31st Dec., 1958, whose 100% profits are taxable

## 1883

- (b) Rs 2740 from Y Co L d for the year ending 31st Jan 1959 whose 100% profits are taxable
- (c) Rs 4 110 from Z Co Ltd for the year ending 31st March 1959 whose 100% profits are taxable
- (d) Rs 2 100 from A Co Ltd for the year ending 30th Tune 1919
- (c) Rs. 2800 from B Co Ltd for the year ending 30th Nov 1929
- (f) Rs 1 400 from C Co Ltd for the year ending 31st Dec 1959

Find out the amount of dividend to be included in the total income of A for income tax purposes and also the amount of tax credit

Solution No 4	i <del></del>			
Name of the Co	Net Dividend received	Tax deducted at source	Gross Dividend	Tav
(a) \(\lambda\) Co Ltd (b) \(Y\) Co Ltd (c) \(Z\) Co Ltd (d) \(A\) Co Ltd (e) \(B\) Co Ltd (f) \(C\) Co Ltd	Rs 1 370 2 740 4 110 2 100 2 800 1 400 14,520	Rs not applicable not applicable not applicable 900 1 200 600 2 00	Rs 2 000 4 000 6 000 3 000 4 000 2 000	Rs. 630 1 260 1 890 900 1 200 600 6480

Gross Dividend is Rs 21 000

Tax credit is Rs 6 480

Note-(1) In the first three cases dividend has been gros ed with this formula Net Div dend X 200

(n) In the last three cases d vidend has been grossed with this formula \text{\text{et D v dend}} \times 10

## Illustration No. 5...

Shri I has investments in tax free Preference Shares and the

amount of such	dividend	received from	n April 1959	to March 1960
\ame of the Co	Tax free Pref %	No of Stares	Paid up value of each share	O st of Profit for the year
A Co	5%	25	Rs 100	30 6 1959

B. Co	6%	30	100	31- 8-1959
C. Co	7%	150	100	31-10-1959
	- , ,			

Find out the amount of Tar, free Pref- Dividend, tax credited and the total dividend income according to Sec. 18 (3E).

## Solution No 5-

Tax free Pref. %	No of States	Paid up value of each Share	Total Share in paid up	amouni of Duidend
			Capital	
		Rs	Rs	Rs
5%	25	100	2,500	125
6%	30	100	3 000	180
7%	150	100	15,000	1.050
		Total Divide	end received	Rs 1,355

Total dividend income according to sec. 18 (3E) will be calculated in the following manner.

When net income is Rs 70 Total income is Rs 100

7, 7, 1 70

100

100

100

100

100

1355

= Rs.1.935·71 Therefore the amount of tax credited is Rs 1 935 71 - Rs.1.355 t.c. Rs 580 71\*

पूँजी हानि को प्रतिसाद करना और आगे ले जाना (Set off and Carry Forward of Capital Losses)—

पूँजी हानि को उसी वर्ष के पूँजी लाग से प्रतिसाद (Set off) करना चाहिए। यदि उस वर्ष का पूँजी लाग पूँजी हानि को प्रनिसाद करने के लिये पर्याप्त न हो तो उसे स्थाने साल के पूँजी लाभी ने प्रतिसाद करना चाहिए। इस प्रकार की हानि साथे साठ साल तक ले जाई जा मक्ती है। यदि करदाना कम्पनी के स्रतिस्कि सन्य प्रकार वा है तो यह स्थानी पूँजी हानि को तभी सागे ले जा सन्ता है जबकि कह ४,०००) से प्रयिक हो।

## पं जी लाभ (Capital Gains)-

्क ही लाग एक व्यक्ति के लिए पूँजी लाग और दूसरे के लिए व्यापारिक लाग हो सकती है। मास कर प्रधिनियमका थारा १२ B के प्रमुत्तार उन पूँजी लागो पर कर लगता है जोंने ११ सर्च नन ११५५ के बाद मीर १ मर्गल सन् ११५५ के पहले पूँजी सम्बन्धिक के हल्यानराफ करने से या बेचने से प्राप्त हुए हो और इस प्रकार के

<sup>\*</sup> Tax is credited at the rate of 30 p. c. according to Sec. 18 (3E)

17F

लाम उस गत वर्ष की आय समक्री जायंगे जियमें कि यह हस्तान्तरण या निन्नी हुई है। है अपने सन् १९४८ से ३१ मार्च सन् १९५६ तक पूँजी लाभ पर कोई कर नहीं लगता था।

पूँजी लाभ श्रोर फाइनेन्स एक्ट सन १८४६-

सन् १९५६ ने पाइनेन्स एवट के अनुसार ३१ मार्च सन् १९५६ के बाद ते पूँजी लाभी पर कर लगने लगा है। जो पूँजी लाभ पूँजी सम्पत्ति (Gapital Asset) के निजी नरने, हन्तातरण करने, छोड़ने समझ विनियस करने से प्रात होते हैं वे लाभ जम यत वर्ष नी आय समझे जावेंगे जिसमें नि यह निजी हस्तान्तरण, सूट या जिनियस हम हो।

या बानमय हुए हो। इस एवट की घारा १२-B (१) के (Proviso) १ व २ के अनुनार नीचे लिखी पूंजी सम्पत्ति कर लगाने के लिए विज्ञो, विनिमय, छूट या हस्तास्तरित को हुई नहीं मानी जायगी:—

- (१) किसी सम्मितित परिवार के पूर्णतः या ग्रशतः विमाजित होने पर वैटने वाली पूँजी सम्मित्
- (२) एक कम्पनी द्वारा किसी ऐसी कम्पनी को पूँजी सम्पत्ति हस्तान्तरित करे जिसकी पुरो क्रव पूँजी उसके नियत्राण में हो।

धारा १२-B (२) के अनुभार पूँजी आय मे से नीचे लिखी हुई कटौतियाँ धटाने के बाद लेप लाभ वरदेश पूँजी लाम माना जायेगा —

- (१) पूँजी सम्ति की विक्री, विनिमय, सूट या हस्तान्तरण करने में किया
- (२) पूँजी सम्पत्ति का करदाता के लिये असल मूल्य-इसमें वे सब पूँजो स्पय गामिल कर तिए बासेंगे, जो इसे बढाने या इसमें परिवर्तन काने के लिए किए गये हो, परखु वे स्पय ग्रामित नहीं कि जानेंगे

जान के तिए घारा =, ६, १० और १२ में छूट मित सकती है। धूँजी सम्पत्ति का यह सार्वे सम्माया गया है। पूँजी लाभ पर कर लगाने के सम्माया गया है।

्ता लाम पर कर लगान के सम्बन्ध म कुछ महत्त्वभूषा विश्वम — (१) यदि कुल पूजी लाम ५,००० रुपये या इमने वम है तो इस पर

कोई बर नहीं लगेगा। (२) गदि पूँजों साम और ब्रन्थ ब्राय मिलकर १०,००० रुपये से अधिक

- गर्दि पूँजी साम बीर ब्रन्थ झाय मिलकर १०,००० रपये से ब्रिविक नहीं हीती है तो भी पूँजी लाभ पर कर नहीं लगेगा।
- (३) परि किसी विवाहित व्यक्ति का पूँजी लाभ करनेय है तो इस पर कर लगाने के लिए दर इस प्रकार निवासी जानेगी—प्रस्य प्राय+दूँजी लाभ वा 3 — बुल साय। इस बुल साय पर साय-वर की दरो के हिसाब से सीमत दर निवालनी चाहिए। इसी सीसत दर के हिसाब से पूँजी लाभ की दम्म पर साथ कर निवाला जामणा।

पँजी सम्पत्ति का श्रर्थ (Meaning of Capital Asset)-

"पूँजो सम्पत्ति" के ग्रन्तर्गत करदाता की हर प्रकार की सम्पत्ति जाती है, चाहे वह ध्यापार, पेरो व व्यवसाय में सम्बन्धित हो या नहीं, परन्तु नीचे लिखी हुई

सम्पत्तियां इतमे शामिल नहीं की जाती है :--(1) ब्यापार, पेशे व व्यवसाय ने लिए रखे हुए स्टाक, उपभोगनीय स्टोसं या

- / /

(11) निजी बस्तुर्यं, जैने अस्यायी सम्पत्ति (पहनने के कपडे, गहने भ्रीर फर्नीचर) जिन्हें करबादा ने स्वय के प्रयोग के लिए या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के प्रयोग के लिए रखी हो,

(111 ) कोई भूमि जिससे प्राप्त होने वाली आय कृपि आय है,

[धारा २ (४ A)]

इस सम्बन्ध मे नीचे निखी सूचनायें महत्त्वपूर्ण हैं :-

( म्र ) 'पूँ जो सम्प्रित' लेने वाले व करवाता मे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चिन्द सम्बन्ध है भीर भाय कर अधिकारी को यह विश्वात है कि यह विकी या हस्तान्तरागु आदि कर बचाने के हुन्दिकोगु से किया गया है तो इन्सपेंक्टिंग अस्तिस्टेन्ट किम्हनर की पूर्व स्वीकृति से विक्रय के समय की उचित कीमत के बराबर उस सम्प्रीत की भी कीमत मानी जायेगी।

(व) यदि यह सम्पत्ति ऐसी है जिस पर करवाता हास काट चुका है तो करदाता के लिए इस सम्पत्ति की वास्तविक कीमत इसका हासित मृत्य (Written Down Value) होगा, जोकि बारा १० (२)

(एगा) के अनुसार, समायोजन होने से धायेगी।

(स) यदि 'पू"जी सम्मित' करदाता वो १ जनवरी सन् १६५४ के पहले प्राप्त हुई हो तो वह प्राप्त कर प्रीयकारी को सनुष्ट करने के बाद उस सम्मित्त के प्राप्त करने बालो तिथ के उचित विकय मृद्य को सम्मित्त का बास्तविक पूल्य मान सकता है प्रोर इसमें से ह्यास की रकमें पटाई जा सकती है भीर पारा १० (२) (vii) के सनुसार समायोजन भी किये जा सकते हैं ।

(द) यदि इत सम्पत्ति के विक्रय व विनिधय ग्रादि क निए पहले कभी कोई बातचीत या समभीते शादि हुए हो, जिनके प्रत्यांत कुछ रक्ष कर-दाता की प्राप्त हुई हो और उसे करदाता ने घनने पास रखा हो तो इसे बास्तविक कीमत निकालने के लिए चटा दिया लायगा।

लेपों के रखने की विधियाँ (Methods of Accounting)-

षारा १३ के ब्रनुसार पारा १० ब्रीर १२ के लिए ब्राय व लाभ उस लेखा विधि के ब्रनुसार लिसे जायेंगे, जिसना प्रयोग करदाता लगातार नियमित रूप से करता चला आ रहा है, पर-तु यदि लेखा पुस्तको के रखने की कोई विधि लगातार नही अपनाई गई है या जो विधि अपनाई गई है उससे आय कर अधिकारी सन्तर नहीं है तो आय और लाभ का ठीक ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऐसी दशा में ग्राय का निर्धारण श्राय कर अधिकारी अपनी इच्छानुसार करेगा इसलिए यह आवश्यक है कि करदाता धपनी लखा पुस्तकों के लिखने का ऐसा तरीका धपनाये, जिसके द्वारा उसकी सही आप का ज्ञान हो सके और एक विधि को एक बार धपनाने के बाद बार बार न बदले और यदि बदलने की आवश्यकता हो तो आय-कर अधिकारी की स्वीकृति लेने के बाद ऐसा करे।

भारतवण में हिसाब किताब रखने के लेखों की दो विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं :---

(१) भारतीय वही खाता प्रणाली (Indian System of Accounts) :

(२) ग्रॅंग्रेजी दोहरा लेखा प्रणाली (English System of Accounting) |

भारतीय बहीखाता प्रणाली दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धानी पर प्राचारित

है। इन दोनो प्रसालियों में नीचे लिखी हुई विधियों के धनुसार लेखें किये जाते हैं— (१) रोकड विधि (Cash System).

(२) व्यवसामिक विवि (Mercantile System),

(३) धन्य विधियाँ (Other Systems)।

# रोकड विधि

# (Cash System of Accounting)

रोकड़ विधि क्या है !—

केवल नकद प्राप्ति और नकद ब्यम को लिखने दाली पद्धति को रोकड विधि कहते हैं। उघार लेखे इस विधि मे नही किय जाते हैं। कहाँ अपनाई जाती है ?—

अधिकतर वकील, अकक्षक और डावइर ब्रादि इस विधि की प्रयोग में लाते हैं। वास्तव में इस विधि का प्रयोग उस जगह उचित होता है जहाँ लाभ झात करने

को इच्छा नही रहती है।

लाभ--

इस विधि से सबसे पुरुष लाभ यह है कि इस विधि को प्रपताने वाले को किसी भी समय यह जात हो सकता है कि उसके पास रोकड दोप क्या है और वहाँ कहाँ से धन प्राप्त हमा है सौर किन किन मदो पर ब्यय हमा है ?

ह्यान—

इस विधि से लाभ धौर हानि को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। उपार सौदी

का लेखा न करने से क्षेत्रों से गडवडी रहती है मौर माय-व्यय सम्बन्धी पूरा विवरण नहीं रहता है। यदि कोई व्यापारी इस प्रधा को प्रधनाता है तो उतको मधना सही साभ व हानि ज्ञात नहीं हो सकता है।

# व्यवसायिक विधि

# (Mercantile System)

'क्याहै ?---

जिस विधि के अनुसार तकद और उधार दोनों प्रकार के सौदे लिखे जाते हैं, उसे श्यवसाधिक विधि कहते हैं। प्रत्येक वर्ष से सम्बन्धित सभी आयो व व्ययो का सेखा निया आता है। खाते इस प्रकार बनाए जाते हैं ताकि वे एक निस्चित प्रविध का जिलत लाम या हानि और सम्मतियाँ व वायित्व दिखा सकें। अन्तिम स्टॉक का भी मूल्य ज्ञात निया जाता है।

कहाँ प्रयोग की जाती है ?--

सभी बडें व्यातारी इस पद्धति को प्रयोग में लाते हैं, क्वोकि व्यापार में लाभ-हानि ज्ञात करना प्रति धावस्यक होता है।

लाभ--

इस प्रणाली के दो भुस्य लाभ है—प्रथम, व्यापार का युद्ध लाभ व हानि झात होना है। दितीय, व्यापार की स्थिति विवरण का सही पता लगता है। ज्यान्य विभियाँ—

जर समकाई गई दो विभियों के मितिरिक्त मन्य नई विभियों नेसा करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। उनमें से एक विभि मिशित विभि (Mixed System) भी है। इस विभि के मनुसार व्यापारी हुद्ध लेखों को रोकड के हिसाब से मौर कुछ को व्यवसामित विभि के हिसाब के रखते हैं। यह प्रथा सन्तीपजनक नहीं हैं।

हानि का प्रतिसाद (Set off Losses)-

वारा ६ में भिन्न-भिन्न साबों को छ: बोर्पकों में बाँटा गया है। वारा २४ (१) के मनुनार यदि एक या एक से प्रविक्त वीर्पकों में हानि हो तो उसे सन्य वीर्पक के साम से प्रतिसाद (Set off) किया जा सकता है।

एक ऐंसी फर्म जो कि रिजिस्टर्ड नहीं है, धपनी हानि की धपनी उसी वप को दूसरी साथी से प्रतिसाद कर सकती है, परन्तु इस फर्म के सामेदार फर्म की हानि को सपनी धन्य आर्थों में से प्रतिसाद नहीं कर सकते हैं। रिजिस्टर्ड फर्म के सामेदार फर्म की हानि को प्रानी धन्य प्रायों में प्रतिसाद कर सकते हैं, यदि फर्म स्वय अपनी ग्राय प्रायों से हानि को प्रतिसाद न कर पाई हो।

सट्टें की हानियाँ केवल सट्टें के लाभों में से ही प्रतिसाद की जा सकती है।

**१२**≈ ]

व्यापारिक हानियों को आगे ले जाना (Carry Forward of Business Losses)-

एक व्यापार की हानि को उसी वर्ष की अन्य आयो से प्रतिसाद किया वा सकता है। यदि सब हानि का प्रतिसाद (Seb off), न हो सके तो इसे अपने वर्षों मे ले जाया जा सकता है। शांति को आगे से जाने के सम्बन्ध में नीचे लिखें नियम हैं:—

- (१) हानि आगे के द्रमालों तक ले जाई जा सकती है।
  - (२) सर्व यह है कि वह व्यापार जिसकी हानि ग्रामे से जाई जा रही है, चलता रहे। यदि वह व्यापार बन्द हो जाएगा तो हानि भागे नहीं के जाई जा सकती है।
  - (३) इस हानि को अगले वर्षों में या तो उसी व्यापार के लाभ से या अन्य किसी व्यापार के लाभ से प्रतिसाद किया जा सकता है।
  - (४) सहें की हानि को सगले वर्षों में कवल सहें के लाभों में से प्रतिसाद किया जा सकता है।
  - (५) केवल उसी व्यक्ति को हानि भागे ले जाने का भविकार है जिसने कि हानि उठाई हो।
- (६) यदि झांगे ले जाने वाली हानि के साथ-साय झांगे ले जाने वाला हाख भी है तो मगले वर्षे हानि को प्रतिसाद पहले क्या जायना भीर हाख को बाद में ।
- ( ७ ) रिजस्टर्ड और धनरजिस्टर्ड फर्म की हानियों के प्रतिचाद व झागे ले जाने के सम्बन्ध में भी ऊपर दिए हुए ही नियम लगते हैं।

एच और जे एक सामेदारी फर्म के सामेदार थे। एव की मृत्यु १४ प्रश्तक सन् १६५३ को उदकी विषया की मौत के के बीच सम्मोदा होने पर सामेदारी उसी प्रकार चानू रखी गई जैते कि एव के नमस थी। तन् १६५५-५६ को कर निर्धारण वर्ष में विषया ने सन् १६५५-५५ की हानि को य परने पति के समय की हानियों को परने लाभ के भाग में से set off करने की माजा मांगी। प्रपेतर ट्रिज्नुनल ने यह माझा दे थी, क्योंकि नियम सपने पति भी मृत्यु के बाद उत्तराशिकारी के रूप में माई थी। यही कारण पा कि उते साम-कर प्रायनियम की शारा रूप (२) का लाभ दिया गया।

[C. I. T. Bombay City V. Bat Maniben, June 30, 1959]

स्त्री की धाय-

बहुत से ब्यक्ति कर बचाने की टप्ट में अपनी क्षी को कमें में साभेशार बना लेते हैं या घरनी हुन्न सम्पत्तियों को उसके नाम हस्नावरित कर देते हैं। यदि ग्राय-कर प्रविकारी के सामने इस प्रकार का कीई मामता ग्रागत है तो वह की की इस प्रकार की आप को कर क्याने के लिए पति की आप मे जोड देता है, परन्तु यहाँ यह ध्यान रखने योग्य बात है कि यदि पति ने सम्पत्ति का हस्तान्तरण स्त्रों को पर्याप्त प्रति-फल के बदले में या अलग रहने के लिए किया है तो इस आय को पति की आय में नहीं जोडा आ सकता है।

# कुल श्राय (Total Income)-

ग्राय कर स्रधिनियम की बारा २ (१४) के सनुनार 'कुल साथ' का सायाय उस साय से है जिम पर करदाता से उसके निवास स्थान के स्वायार पर कर लिया जाता है और जो साय-कर स्रधिनियम में दिये हुने तरीको के सनुसार निकाली जाती है, प्रधान वेतन, प्रतिसूनियो का क्यांन, सम्मत्ति की साथ, स्वायार ना लाभ और सन्य साथ को जोड़कर 'कुल साय' निकाली जाती है। यह साथ सारा ७, द, ह, १०, १२, १२ B, १६, ४४ D, ४४ B और ४४ F के सनुसार निकाली जाती है।

कुल संसार की श्राय (Total World Income)-

## कल ससार की आय का महस्य--

कुल ससार की आय का निकलना केवल विदेशी के लिये करना पडता है, क्योंकि उसकी कुल आय की कर की दर कुल ससार की आय की ध्यान में रख कर निकाली जाती है।

## थ्यवयस्क की श्राय (Income of minor)-

कुछ पालाक व्यक्ति प्राय-कर बचाने के लिए प्रपनी सम्पत्ति बच्चे के नाम कर देते हैं या उसे फर्म में सामेदार बना लेते हैं। इस बच्चे की साथ उस व्यक्ति की कुल भाग में, भाय-कर निकासने के लिए जोड़ दी जाती है, परन्तु यदि इस सम्पत्ति का र हस्तान्तरए। उसिन प्रतिकत के लिए या विवाहित लडकी के लिए किया जाता है तो इसकी प्राय उस व्यक्ति की धाप में नहीं जोड़ी जाती है।

# वेनामी सोदे (Benami Transactions)—

जो व्यक्ति प्रपना कर बचाना चाहते है वे सौदो को दूसरे के नाम में करवाते बार्क्स विव्यात (६) हैं। जब कोई सौदाक्ष्म नो व्यक्ति के नाम में न होजर दूसरे व्यक्ति ने नाम में होता है तो उसे बेनामी सोदानहों है। ग्राय-नर क्रमिकारी को यदि जिरवास हो जाय कि इंदाकरर का दौरा क्या गया है तो यह सुष्ठामित की ग्राय को भी प्रस्ता क्यों को स्ताय में जोडकर कर जनताता है।

#### QUESTIONS

- 1. In what circumstances is the income of one person treated as the income of another.

  (Agra. M. Com. 1960)
- 2 Under what circumstances can the incomes of the wife and a minor son of an assessee be included in his Total Income
  (Arra, B. Com., 1952)
- 3. Define -
  - (a) Total Income and total World Income in connection with the Income-tax Law
    - (Agra, B Com, 1940, 45, 46, 50 59)
      (b) Cash System and Mercantile System of Accountancy.
    - (Agra. B. Com., 1950)
      (c) Capital gains (Agra. B. Com. 1953, 55, 59.
    - Raj, B Com., 1960)
      (d) Set off and Carry forward Losses
      - (Agra B Com. 1942, 45, 49, 54, 56 59. Raj B Com., 1954, 59)
  - (e) Dividend (Agra. B Com., 1955, 60)
    4. Section 13 of the Indian Income tax Act, 1922 reads as follows.—

"Income profits and gains shall be computed for the purpose of section 10 and 12 in accordance with the method of accounting regularly employed by the assesses

Provided that if no method of accounting has been regularly employed or if the method employed is such that in the opinion of the income tax officer, the income, profits and gains cannot be properly deduced therefrom, then the computation shall be made upon such basis and in such manner as the uncome tax officer may determine.

Comment on this section explaining in quantization various methods of accounting that may be employed by the assessee

(Agra, B Com, 1941)

Hustrate Grossing up of dividends for assessment purposes
(Rap., B. Com., 1959)

## ग्रध्याय ११

## हास

# (Depreciation)

द्माय कर द्मधिनियम घारा १० (२) (ए।) के श्रृतुसार नीचे लिखी हुई सम्पत्तियो पर काटा गया ह्नास स्थीकार व्यय माना जाता है :—

- (ध) भवन।
- (व) मशीन।
- (स) प्लाट, इसमे Vehicles, Books, Scientific Apparatus & Surgical Equipments भी शामिल है।
- (द) फर्नीचर।

# हास को स्वीकार व्यय मानने का कारण-

व्यापारिक बाय निकासते ममन केवल बाय व्यय ही स्वीवार व्यय माने जाते हैं, पूँजी व्यय स्वीकार व्यय नहीं माने जाते हैं, यद्यपि प्राय पैदा करने में पूँजी सम्पत्तियाँ बहुत मदद करती हैं, मदा यदि इन सम्पत्तियों के हास या मिसावट का व्यान न रक्षा जाय तो सन्याय होगा। यही कारण है कि इन सम्पत्तियों पर इनके हास के रूप में ग्रुट थी जाती है।

## हाल की छुट प्राप्त करने की शर्तें—

- (१) ज्यर दी हुई चार प्रकार की सम्मति के प्रतिरिक्त और किसी भी सम्मत्ति का हास व्यामारिक लाभो में से नही घटाया जा सकता है। जैसे, ऐसे प्रमो व प्रतिभृतियो (Shares & Securities) के मूल्य हास को, जोकि पूँजी विनियोग के रूप में रखें गए हो, स्वीइत ब्यन नहीं माना गया है।
  - [Punjab National Bank Vs. C. I. T.]
    (२) करदावा केवल प्रपनी ही सम्पत्ति का हाल प्रपने व्यापारिक लाभ
    निकालने के लिए काट सकता है। यदि वह सम्पत्ति का मालिक नही
    है, वरन् वेचल प्रयोग के लिए दूधरे की सम्पत्ति को ले रखा है तो
    इस सम्पत्ति का हास स्वीष्टत व्यय नहीं है। यदि करदावा ने दूधरे
    की सम्पत्ति पर कोई पूँजी व्यय किया है तो इसके लिए कोई हास
    स्वीष्टत नहीं किया जामेगा।

[Poona Electric Supply Co. Vs. C. I. T.]

(३) सम्पत्ति व्यवसाय के काम ने वास्तव में लाई जाती हो। यदि कोई सम्पत्ति कुछ महीनो ही व्यापार के काम में लाई जाती है तो उतने महीनो का ही हान स्वीकार व्यय माना जायेगा।

(४) हास पूरे महीनो का ही मान्य होता है।

- (५) हास केवल प्रसल मालिक को ही मिलता है। यदि कोई सम्पत्ति किराया क्रम विधि (Elire purchase System) पर क्रम को गई है तो उस पर तब तक हास स्वीहत व्यय नहीं माना अध्येग जब तक कि यह तम न हो जाये कि उसे सन्त में सरीद ही निया जायगा।
- (६) सम्पत्ति के केवल ह्यांसित मूल्य (Written down volue) पर ही निकाला हुवा हास स्वीकृत व्यय होता है, परन्तु सामुद्रिक व्हार्ज पर मसली वीमत (Original Cost) के झाधार पर भी हात मिनता है।
- (७) झाय-कर प्रधिकारी के पास ह्रास के सम्बन्ध में निश्चित विवरण (Prescribed Particulars) भेज देने चाहिये।
- ( a ) हास की रुप्त समानिक के बस्ती मूल्य से प्रधिक नही होनी चाहिए। आय-कर के हिएकोण से स्वीकृत हास के भेद (Kinds of depreciation from Income tax point of view)—

ग्राय कर के दृष्टिकोस से ह्रास को ६ भागों में बाँटा गया है :--

- (१) साधारण हास (Normal Depreciation) माय-कर मध्यितम के मनुबार किस निम्न सम्पत्तियों के लिए हास वी दर्रे निश्चित कर दी गई हैं। इन दरों के भाषार पर प्रति वर्ष हाल वरदा जा सकता है। इसी हास की साधारण हास कहते हैं। इसे दरों की सूची भन्त में दी हुई है। यह हास सम्पत्तियों के हासिस पुरव विधि से निकाल जाता है।
- (२) ग्रतिरिक्त शिपट का भता (Extra Shift Allowance)—
  यह भता केवन मशीन और प्लाट के लिए ही दिया जाता है। कान की भिषकता के
  कारण हारकानो को दो गारी (Double Shift) या तीन पारी (Triple Shift)
  वसामा जाता है। ऐता करने से मशीन व प्लाट बहुत चिसते हैं, इसलिए इन पारियों '
  के लिए दिया गया मता 'मिलिएक मिलट का मता' कहा जाता है।

  इस मन्ते की दर्रे—
  - (ग्र) दो शिषट के लिए साधारण हास का ५०%.
    - (ब) तीन बिपट के लिए साधारसा हास का १००%। इस प्रकार के भर्त के लिए वर्ष को २०० दिन का माना आला है, इसलिए

जितने दिनो दो शिषट चली हो उतने दिनो का साधारण हास निकाल कर ५० प्रतिशत करना चाहिए, इस प्रकार—

उदाहरण-एक मधीन का वर्ष भर का सावारण हास २०० रुपये है और यह मधीन ६० दिन तक दो शिषट चलाई गई है तो उसका स्रतिरिक्त शिषट भक्ता उत्तर दिए हुए नियम को मदद से इस प्रकार निकाला जायेगा-

जितने दिनो तीन शिग्ट चली हो उतने दिनो के साधारए। ह्रास का १०० प्रतिशत मतिरिक्त शिक्ट भत्ता होना है, इस प्रकार—

वर्ष भर का साधारण हास×जितने दिनो तीन शिफ्ट चली हो

3 - -

उदाहरण् —एक मधीन का वर्ष भर का साधारण् हास २०० स्पेत है और यह मधीन ६० दिन तक तीन शिष्ट चलाई गई है तो इसका ग्रितिस्क शिष्ट भत्ता ऊपर दिए हुए नियम के श्रनुसार इस प्रकार निकाला जायेगा—

- (३) अधिक हास (Additional Depreciation)—पारा १० (२) (२)-(०) के मनुनार यदि कोई दमारत, मतीन या प्लान्ट ३१ मार्च सन् १९४८ के बाद बनाई गई है या हम भी गई है तो उस पर प्रथम गांच वर्षों तक साधारण हास के प्रतिरिक्त प्रधिक हास भी दिया जा सकता है, जोकि साधारण हास के बराबर होता है। यरतु ३१ मार्च सन् १९४६ के बाद यह हास नही दिया जायेगा; प्रयोत् करदेव वर्ष सन् १९४६-६० से यह हास वन्य कर दिया जायेगा।
  - (४) प्रारम्भिक हास (Initial Depreciation)—
  - (ध) जो मकान १ क्षप्रैल सन् १६४६ सीर ३१ मार्चसन् १६४६ के बीच मेवना ही उस पर १४ प्रतिवात और दूसरे मकानो पर १०% प्रारंभिक हास दिया जाता है, परन्तु जो मकान ३१ मार्चसन् १९४६ के बाद मेप्रमोग में लाये जाते हैं उन पर प्रारंभिक हास नहीं दिया जाता है।

1317

(व) जो मधीनें या प्लाट १ कप्रैल सन् १६४६ ग्रीर ३१ मार्चसन् १६४६ के बीच में क्रथ की गई है और जो उप्रति छूट कटने के योग नहीं

है उन पर २०% प्रारम्भिक (Initial) हास दिया जाता है।

प्रारम्भिक ह्नास के सम्बन्ध में नीचे लिखे हुए नियम महत्त्वपूर्ण हैं :---(१) ह्नाधित मूल्य (Written down value) निकालने के निए

प्रारम्भिक हास घटाया नहीं जाता है । (२) जब सम्पत्ति वेशार हो जाय या वैची जाय, उस समय दिशी हुई सम्पत्ति पर लाग व हानि निकालने के लिए प्रारम्भिक हास को घटा

देना चाडिए । (३) जिस वर्षं सम्पत्ति क्रय की जाती है उस वर्षं साधारण हास, प्रीयक हास व प्रारम्भिक हास सभी दिए जात है, परन्तु ऊपर समझपे हुए सब नियमों के भन्दर ही ऐसा विया जाना है। यहाँ यह यह रखना चाहिए कि प्रारम्भिक ह्रास मधीन व मकान के जीवन में क्षेत्रल एक बार ही स्वीकृत किया जाता है। यह हास ३१ मार्च सन् १६५६ में बन्द कर दिया गया है।

(१) विना अपनिचित हुमा हास (Unabsorbed Deprects tion)—जिस वर्ष व्यापार वा लाभ वस होने वे वारए। पूरा हास झर्पाविसत नहीं हिया जाता है तो इस बचे हुए ह्रास को Unabsorbed Depreciation कही हैं। श्राय कर अधिनियम के अनुसार इस दिना अपिलिखित हास को करदाता की दय वर्ष की अन्य भायों से नाटा जा सकता है और यदि अन्य भार्येन हों तो अगले वर्षे तक ले जाया जा सकता है, जब तक कि पूरी तरह से अपलिखित न कर दिया गया हो। यदि विना प्रपतिखित हास के साम व्यापार की हानि को ग्रागे ले जाना

गया है तो इस ह्राय की तुलना में हानि को पहले प्रपत्ति खन किया जायेगा। यरि यह व्यापार बन्द हो जाय, जिसका कि बिना लिखा हुमा ह्राम मागे से बाया बा रहा है, तो व्यापार के बन्द होने के साथ ही साथ हार्यका भी बाने से जाना बद कर दिया जायेगा ।

(६) तुलनात्मक ह्रास (Balancing Depreciation)— वर भवन, मसीन व प्लाप्ट वेचार हो जाने है या पुराने हो जाते है या अन्य किसी नारण ब्यापार में प्रयोग करने बोग्य नहीं रहने है तो उन्हें बेचने से प्राप्त हुई रहन वा उनहीं Scrap Value की तुत्रना उस सम्पत्ति के ह्राधित मूल्य (Written down Value) से करते है। इस तुलना में हानित मूर्य उम सम्मति के विक्री मूर्त्य वा Scrap Value से जितना प्रधिक होता है, उतना ही तुलनात्मक हास वहा जाता है। यदि उत सम्पत्ति को विषय मून्य उसके हामित मून्य से ग्रविक हो तो उसे तार्व माना जाता है भीर उस पर वर लगता है, परन्तु यदि यह विक्रय मृन्य सम्पत्ति के इव

मूल्य से भी अधिक हो तो विकय मूल्य और तथ मूल्य के अत्वर को पूँ जो लाभ माना जाता है और उस पर कर नहीं लगता है। यदि उम सम्मित पर बोमा का रुपया मिने तो उसे भी सम्मित की Scrap Value ही माना जायेगा। तुलनात्मक हाम की छूट लेने के लिए यह आवश्यक है कि उसे लेखा पुस्तकों में अवश्य विखा जाय। उन्निति हुट (Development Rebate)—

उति धूट का उद्देश मोद्योगिक उसित में मंगीनों के मंधिक प्रयोग को उस्ता-हित करना है। घारा १० (२) (ए। b) के मतुषार करवाता उस नई मंगीन व ब्लाट भीर तम जहाज पर जो ३१ मार्च सन् १९४४ के बाद केवल व्यापार के लिए ही प्रयोग करता है तो वह नीचे सिसी हुई वरों के साम उसित खूट काट सकता है:---

(१) ३१ दिसम्बर सन् १९५७ के बार लिए जाने वाले जहाज पर जहाज की ससती कीमत की ४०% छट दी जायेगी ।

(२) १ जनवरी सन् १९४५ के पहले यदि कोई जहाज लिया गया है भौर यदि कोई मसीन दा प्लाट लगाया गया है तो जहाज या मशीन या प्लाट पर २५% छुट दी जायेगी।

उन्नति सूट को द्यागे ते जाने के सम्बन्ध में नियम (Rules for Carry forward of Development Rebate)---

यरि किसी वर्ष कुल भाष जनति सूट से कम है तो उतनी ही समति सूट उस वर्ष मानिकित (Write-off) की जापगी, जिससे कि कुल भाष ग्रूप हो जाप भीर पीप उपति सूट धर्मा वर्ष से जाई आयेगी। इस प्रकार उपति सूट को भाषिक से मधिक भारु वर्षों तक भागे ते जाया जा सकता है।

यदि किसी वर्ष करदाना की काय से उस वर्ष की उन्नति छूट व पिछले छाल की उपति छूट घटानी है नो पहले दिखले साल की उपति चूट घटाई जायगी भीर बाद में उस साल की उपति छूट घटाई जायगी। यदि विछले कई सालो से उपति छूट बाई जा रही है तो सबने पहले पुराने नाल की उपति छूट घटाई जायेगी भीर बाद में अप से भागे बाले मालों की उपति छुट घटाई जायेगी।

उत्रति सूट पाने का र्याधकारी बनाने के लिए नीचे लिखी हुई शर्ते पूरी करनी

- (१) करदाना की जहाज या मशीन या प्लाट के सम्बन्ध मे पूरा विवरण देना चाहिए, भीर
- (२) जर्सात की सूट का ७५% लाम हानि खाते में डेविट किया जायेगा भीर एक मंत्रिन कीय में डेविट विया जायेगा। इसे प्रगते १० वर्षों तक ब्याचार के तिए प्रयोग निया जायेगा, परन्तु लामांग बांटने के लिए या भारत के बाहर लाम भेजने ने लिए प्रयोग नहीं किया जयेगा।

परन्तु ऊपर का न०२ नियम अन कम्पनियो पर जिन्होने Electricity (supply) Act, 1948 के प्रतांत काइसेन्स निया है और उन जहाजो, स्वाट क्षीर सोनो पर जोकि १ जनवरी सन् १९१० के पहले ली या लगाई गई थी, खानू नहीं सेता है।

जिस वर्ष जहाज लिया गया था या मधीन वा प्लान्ट लगाया था तस वर्ष के मन्तर से दस वर्ष के मन्दर किसी भी समय यदि करदाता द्वारा इस प्रकार का जहाज, मधीन या प्लान्ट सरकार को छोड़कर किसी व्यक्ति को वेवा या हस्तान्तरित किया जाता है तो हम प्रकार दी हुई छट भलत भागी जायेशी।

क्या लारियों व वर्षे (Lorries and Buses) स्थापित (instal) की हुई प्लाग्ट व मसीनरी हैं भीर क्या धारा १० (२) (vz b) के अनुसार इन पर उत्ति छूट (Development Rebate) मिलनी चाहिए। महास हाई कोटे ने इन दोनो प्रस्तों के उत्तर "हाँ" में दिये हैं।

[C. I. T. of Madras V. Shri Rama Vilas Service (Private) Ltd. Oct. 26, 1959]

## हासित मृत्य (Written Down Value or W. D. V.)

यदि गत वर्ष मे कोई सम्मति नई कव की गई है तो उसकी ब्रसकी कीमत भीर यदि सम्मति पुरानी खरीरी हुई थी तो उसमे हास घटाने के बाद बची हुई एकम हास्तित मुख्य कही जाती है। जो सम्मति उपहार में भात होती है, उसका हास्तित मुख्य उस सम्मति के पहले हास्तित मुख्य व उस सम्मति के बाजार मुख्य मे जो भी कम हो बड़ी माना जायेगा।

# अभवलन झूट (Obsolescence Allowance)---

साधारसा अपं में प्रप्रचलन का अपं उस हास से होता है जो नई व अच्छी मंत्रीनों के प्रा जाने से होता है। जब अधिक मात्रा में घोर अच्छा माल बनाने वाली मंत्रीनों का साविष्कार हो जाता है तो पुरानी मंत्रीनों के सूत्य में वानी प्रा खाती है। इसी कभी को लेकापालक अप्रचलन कहते हैं। परन्तु प्राय कर में अप्रचलन की पूट का सावाय इस प्रकार है:—

यदि किसी सम्बक्ति पर ह्यास काटा गया है और ऐसी सम्बक्ति बेची जाती हैं तो एक ध्यमनवन छूट (Obsolescence allowance) और मिलेगी, यदि उसका ह्यासित मृत्य (Written Down Value) उसकी विश्वी मृत्य से अधिक हैं। अपनेत् ह्यासित मृत्य जितनी रकम से विश्वी मृत्य से अधिक है उसे ध्यमनवन छूट कहते हैं।

# ै ह्रास की दर्रे (Depreciation Rates)—

माय कर मधिनियम के धनुसार नीचे लिखी हुई दरो पर साधारए हास

	-
कारा जा सकता है। ये दरें Indian Income-tax Rules ह	न् १६२२ वे
<ul><li>वें नियम मे दी हुई हैं, जो कि इस प्रकार है :</li></ul>	
सम्पत्ति	दर
इमारत— ्	
(१) प्रयम श्रेणी	રફ્%
(२) दितीय श्रेणी	4%
(३) तृतीय श्रेगो	৬২%
(४) ग्रस्थाई कोई दर निश्चित नर्ह	
Renewals का व्य	
फर्नीवर और फिटिङ्ग-	
(१) सामान्य	<b>4%</b>
(२) होटल, सिनेमा और बोडिङ्क मे प्रयोग किये जाने वाले	٤%
मशीन और प्लान्ट	- 70
	11/
(१) सामान्य	v%
(२) भाटा मिल, चावल मिल, हड्डी मिल, शक्दर मिल, बर्फ	
का कारस्वाना, दियासलाई का कारस्वाना, चाय का	
कारवाना, जूली का कारवाना	٤%
(३) कागज, दफ्ती, जहाज बनाना, लोहा, ताबा, तेल	
निकालना, मोटर कार की मरम्मत करना, सीमेट की	
फैक्टरियाँ आदि	<b>१</b> 0%
(४) रवर घोर प्लास्टिक के कारखाने	12%
( ५) सिल्क बनाने के कारखाने	१२%
(६) नमक के कारखाने	14%
(७) विजली की मशीन { बैंटरी धन्य मशीनें	₹०%
	१०%
( ६ ) सिनेमा की फिल्म दनाने मे प्रयोग झाने वाली	२०%
( ह ) विजली की रेलें	€%
(१०) हवाई जहाज •	₹•%
(११) सूनी कपडे की मधीन	20%
(१२) जूट की मशीन	٤%
(१३) जनी करडे की मशीन	10%
(१४) ट्यूबर्वल बीरिंग प्लान्ट	17%
(१४) गणना करने की मशीन, टाइर राइटर व अन्य	70
दपतर की महीतें।	14%
******	4 . 10

•		
(१६) मीटर कार		२०%
(१७) चीडफाट के ग्रीतारों के निए		<b>?</b> 2%
(१=) शकर व कोल्ह पर		1=%
(१६) मोटर टैंबसी पर		२४%-
(२०) ैनदे लाइन पर		v%
(२१) भीने क सामान बनाने वाले कारर	तानों की मझीनों पर	₹0%
(२२) दौंघ बनाने वाले प्रयोग किये जाने	वाले ट्रैक्टर्स पर	₹₹%
(२३) सोटरटुक		₹₹%
(२४) हिसाब करन की मशीनें व टाइनर	ाइटर	१४%
Illustration No 1-		
Mr- X purchased and installed a n on 1st Dec., 1950 Rate of Depreciative machine was used Double Shift in 195 Shift in 1953 54 for 100 days. Find assessment year 1956 57 Solution No. 1—	on allowable 15 2 53 for 50 days	and Triple
Assessment year —		Rs
1951-52 Cost of machine		30,000
	Rs.	10,000
Depreciation Allowance Initial Depreciation	6,000*	
Normal Depreciation	1 000 }	
Additional Depreciation	1 000	2 000
1952-53 Written Down'value Depreciation Allowance		28 000
Normal Depreciation	2 800	
Additional Depreciation	2 800	5 600
1953-54 W D V.		22,400
Depreciation Allowance		
Normal Depreciation	2 240	
Additional Depreciation Extra Shui Allowance	2.240	
$\left(\frac{2240\times50}{300}\times\frac{50}{100}\right)$	186 66	4 666 66
1954 55 W D V.		17,733 34
Depreciation Allowance	1 472 22	
Normal Depreciation Additional Depreciation	1,773 33 1,773 33	
Extra Shilt Allowance	1,113 33	
LALLA DITTE IIIONAMO		

	o91 11	4 137 77 Rs, 13 595 57
Depreciation Allowance		
Normal Depreciation	56 ود3ر1	
Additional Depreciation	1 359 56	

Rs 2719 12

Depreciation for assessment year 1956 57 is Rs 2719 12

\*Note-(1) Initial Depreciation of Rs 6 000 for 1951 52 is not deducted for finding out Written Down Value

(ii) Machine was used double shift in 1952 53 but its a sessment year is 1953 54 therefore its calculation has been made in 1953 54 assessment year. The same rule applies in calculation of Triple shift.

#### Illustration No 2-

The original cost of a machine was Rs 3 00 000 Its Written Down Value was Rs, 90,000 and Initial Depreciation amounted to Rs 60 000 What will be the position of Depreciation in the following cases —

- (a) If the machine was sold for Rs 25 000
- (b) If the machine was sold for Rs 40 000

(c) If the machine was sold for Rs 3 20 000

Written Down value

## Solution No 2-

(a) When the machine is sold for Rs 25 000 -

 Less Initial Depreciation
 60 000

 W. D V
 30 000

 Less sale price
 25 000

 Balancing Depreciation
 Rs 5 000

Note-Initial Depreciation is deducted in the end when Written
Down Vilue is compared with the Sale price

Rs

000 00

D.

(b) When muchine is seld for Rs 40 000 -

Written Down Value	90 000
Less Initial Depreciation	_60 000
// D /	30 000
Sale price is	40 000
Taxable Profit	

(Rs 40 000-30,000) Rs 10 000

<b>\$</b> 80	;			
	(c)	When machine is sold for	Rs. 3.20,000 ;	
			Rs.	
		Sale price	3,20,000	
		Original cost	3,00,000	
		Capital Profit	6,20,000	
	(1	non-taxable)		
		W, D, V.	90,000	

Less Initial Depreciation 60,000 W. D. V. Rs 30 000

Sale Price 3,20,000 Less Capital Profit 20.000

3.00.000 Tess W D V. 30,000 Rs 2,70,000 Taxable Profit

## Itustration No. 3-

A company started business on 1 6-1949 with new machinery at a cost of Rs. 3,50,000. It closes its accounts in December every year On 1-1-1952 fire broke out in the factory and the machinery was destroyed. As the company insured the machinery it received a compensation of Rs. 1.50,000. Work out the profit or loss under section 10 (2) (vii) of the Income-tax Act to be assessed or allowed in the 1953-54 assessment of the company. The rate of depreciation in regard to the machinery in question is 10 per cent.

(C A. Final, May, 1953)

#### Solution No. 3-

Depreciation for accounting year 1949 or assessment year 1950 51 -

	Rs.
Initial Depreciation 20% of Rs. 3,50 000	70,000
Normal Depreciation 10% of Rs 3 50,000 for 1 year	35,000
Additional Depreciation . 10% of	
Rs. 3.50,000 for ½ year	35 000

Total Depreciation for the year

Written Down Value for accounting year 1950 . 3.50 000 Cost of Machinery

Less Normal and Additional Depreciation already allowed

70 000

Written down value for accounting year 1950

Rs. 2,80,000

Debreois and a see 3	
Assessment year 1951 52	
Normal Depreciation 10% of Rs 2 80 000	28 000
Additional Depreciation 10% of Rs 2 80 000	28 000
Total Depreciation for year	Rs 56 000
Written down value for accounting year 1951	
Written down value on 1 1 1950	2 80 000
Less Lepreciation for 1950	56 000
I I	Rs 2 24 000
Depreciation for Accounting year 1951 or Asse	
1952 53	
	Rs
Normal Depreciation 10% of Rs 2 24 000	22 400
Additional Deprec ation 10% of Rs 2 24 000	22 400
Total Depreciation for the year	Rs 44 800
Written do vn value for 195?	
Written down value on 1 1 1951	2 24 000
Less Depreciation during 1951	44 800
	1 79 200
Written down value for purposes of section 10 (2	
1 /9 200—Rs- 70 000 of initial depreciation = Rs	1.09.200
	1 50 000
W D V	1 09 200
Taxable Profit Rs	10.000
Tatable 11021	10 000
QUESTIONS	

#### 1 Write short notes on -

Depreciation for Accounting year 1950 or

		Writte

2

(Written Down Value)

(Agra B Com 1943 44 48 50)

(b) Unabsorbed Depreciation

(Agra B Com 1945 46 49 51 55 56

Alld B Com 1955)

(c) Obsolescence allo vance. (Agra B Com 1950) (d) Extra Shift Allowance (Agra B Com 1950 55)

Write short notes on -

(a) Initial dep eciation

(Agra B Com 1953 55)

(b) Additional Depreciation

# 1×3 ]

- (c) Normal Depreciation. (d) Balancing charge.
- 3. Write short notes on -
  - (a) Depreciation Allowances.
    - (b) Development Rebate.
- (Agra, B Com., 1955, 60)
  - (Rat. B. Com . 1959)
  - (Agra, B Com., 1960. Rat. B Com., 1960)
- What do you understand by the term depreciation? Explain how the unabsorbed depreciation of one year can be allowed subsequently. Does the carry forward of depreciation in any way differ from the carry forward of losses? Explain (Ra1, B Com, 1956) the provisions fully.

# अध्याय १२

# करदाता-१

## Assessee (1) (Individual)

भारतीय भाग कर अधिनियम के अनुसार नीचे लिखे भागो मे करवाताओं को बौटा गया है :-) व्यक्ति (Individual), सम्मिलित हिन्दू परिवार. मन्य सस्याएँ (Other association of persons), कम्पनी. ) स्थानीय सरकार (Local Authorities)। ऊपर लिखे हुए करदाताओं में से प्रत्येक करदाता का वर्णन क्रम बार किया जायेगा । इस अध्याय में हम एक व्यक्ति की कर देय छाय का वर्णन करेंगे । एक व्यक्ति नीचे लिखे साधनो से श्राय प्राप्त कर सकता है :--स्वयकी ग्राय रजिस्टर्डफर्मके (वेतन ग्रादि) लाभ का भाग लाभ का भाग ग्रन रजिस्दर्ड सम्मिलित हिन्दू परिवार की फर्मके लाभ ग्राय का लाभ का भाग

ह्य कि

प्राप्त साय

(Individual)

| प्रवयहरू को इस्ता- अवयुरू को कर्म
-तरित को हुई को सामेदारी से
सम्मति से माप / प्राप्त माप
स्वी को कर्म की
समन्दारी से
हरावारित को हुई

सम्पत्ति से ग्राप

tw ]

ऊपर के चित्र में दिखाये हुए भिन-भिन्न साथनों को नीचे समझाया गया है— (१) स्वयं प्रति झाय़—इस आयं का विवरण विद्यंत कियाओं में विया जा उपा है। (२) समिमिलत हिन्द परिवार की झाय का भाग—यदि सम्मिविट

हिन्दू परिवार को आय प्राप्त करने मे ब्यक्ति ने स्वय परिश्रम क्या है तो इस परिश्रम के फलस्वरूप मिक्षी आय पर कर कोगा, परन्तु जो स्राय सम्मितित हिन्दू परिवार से मिलती है उस पर कर नहीं

लगता है। (३) रिजिस्टर्ड फर्म के लाभ का भाग—यदि व्यक्ति इस फर्म का साफे-दार है तो इस फर्म की घाय का वह भाग जिसका कि वह प्रविकारी है, उसकी प्राय में जोड दिया जायेगा और उसे उसके ऊपर कर देना

पडेगा।
(४) अनरजिस्टर्ड फर्म के लाभ का भाग--देकि अनरजिस्टर्ड फर्म के अपनी कुल प्राय पर कर देना पहता है, इसलिए उस व्यक्ति को जो कि इसका सामेदार है, इस फर्म से प्राप्त होने वाले अपने भाग को कुल प्राय में कर निर्धारण के लिए जोडना पटता है, परम्तु इस पर कर नहीं देना पडता है।

(४) अन्य सस्थाओं कं लाभ का भाग-विद व्यक्ति इन सस्याओं का सदस्य है तो इनसे आप्त होने यात अपने माग को कुल आप मे नर निर्धारण के लिए जोडेगा, परन्तु इस पर कर नहीं देना पडेगा, न्योंकि सस्थाओं को अपनी आप पर कर देना पडता है।

(६) कम्पनी का लाभाश-व्यक्ति की माय मे कम्पनी के लाभाग को सम्प्रण करने के बाद जोडा जाता है।

(७) स्त्री की हस्तान्तरित की हुई सम्पत्ति से ग्राय।

( = )- श्रवयस्क को हस्तान्त-रित की हुई सम्पत्ति से भाग।

(६) श्रवपस्त को फर्म की साभेदारी से प्राप्त व्याप ।

(१०) अन्य व्यक्तिको हस्ता तरित की हुई सम्पत्ति से भाग। इनका विस्तृत वर्णन अध्याय १० में किया गया है। वे सब आयें उस व्यक्ति की ग्राय म जांडा जांडी हैं जिसने सम्पत्ति को हस्तान्तरित किया है।

Mr. X gets a salary of Rs 500 rer month He uses his Illustration No 1ewa house for residence, its municipal valuation is Rs 3 000 He has insured his hie for Rs. 12 000 and pags a hie insurance and missing his the LM  $_{\rm LS}$   $_{\rm LS}$   $_{\rm LS}$  and pays a hig insurance premium of Ks 300 yearly. He is a member of Statutory P F, to which he contributes  $_{\rm LS}^{20}$  of his salary and similar contribution towards this find is made by his employer He invested Rs. 20 000 in 2% Govt. Bonds and Rs 10,000 in 3% Bombay Port Trust m 2/0 cover bonus and as a cover in 5/0 Bonds. His interest from bank deposit is Rs 600. Interest on

accumulated balance of P. F. is Rs. 200 Find out his total income for the assessment year 1960-61.

Find out his total		
Solution No 1 Statement of Total In	come	Rs 6,000
Income from Salary Interest from Securities 2% Govt. Bonds 3% Bombay Port Trust Bon	Rs 400 nds300	700
Income from property Annual value Lees } statutory allowance Since it is more than 10% of his hence only 10% mill be taken (7300×10 × 12)	1,500 1,500 mcome	
Less Admissible deduction & for repairs Interest from Bank Depo Total I	133 osit Income Rs-	663 600 Rs. 7963
Exempted Income Contributions to P. F (by employee) Insurance Fremium	120 300 420 nearest rupee	
Olan e h	Inches	

Note-Calculations are made upto nearest rupee

Mr Y gets a salary of Rs 700 per month, 3% of it he con-Illustration No 2tributes towards a Provident Fund His employer also contributes प्राव्यविश्वाद (१०)

188 ]

a similar amount towards it. His Fund is governed by P. F. Act 1925 Interest on his accumulated Balance of Provident Fund is Rs. 300 He is owner of one house, half of which is let Rs. 50 per month and the remainder is used by him for his own residence He pays Rs 200 Municipal Taxes, Rs 100 Fire Insurance Premium and Rs 60 Ground rest for it. The Municipal valuation of the house is Rs- 1.000 He purchased cum interest 3% Calcutta Municipal Debentures of the face value of Rs 30,000 on 1st Nov 1959 Interest on these debentures is declared on first January and first July each year. Collection charges for interest amount to Rs 20 Rs 130 was paid as interest on a loan which he took for purchasing these debentures He pays Rs. 400 Life Insurance Premium for his life.

Find out his total income for 1960-61 assuming that the house was constructed in 1953

# Solution No. 2-

Staten	nent of Total In	come	
			Rs
Saiary			১ 400
Interest from securi	ties -	$R_s$	
3% Calcutta	Municipal Debent	ures	
(for half year)	†	450	
Less -	Rs.		
Collection Ch	arges 20		
Interest	130	150	
Taxable Incom	me from Securitie	s	300
Income from propert	y —		
Rent of the h	ouse let	600	
Less 1 of Mun	icipal Taxes	_50	
Annual value of the		550	
Value of residential	portion (It is cal-		
culated on the basis			
Less 🕯 Statuto		_275	
Annual value of re		275	
Total annual valu	e of the house		
(Rs 550+275)		825	
Less Admissible D	eductions —		
	Rs	Rs	
l Repairs	137 5		
Ground Rent	60		

Fire Insurance Premimum 160	297 5		
Taxable Income from property			527 5
Total I	come	Rs.	9 227.5
Exempted Income .	$R_s$		
Provident Fund (by employee only)	252		
Insurance Premium	400		
Rs	652		

Illustration No 3-

Find out the total income of Mr Y from the following infor-

He gets a salary of Rs 600/- per month. He received Rs 500 interest from bank deposits, Rs 800 from Hindu undivided family as his share and Rs 500 from Registered Firm as his share of profit.

He held the following investments

3% Govt. Securities Rs. 10,000

2% Municipal Debentures Rs- 20,000

3% U. P. Govt. Loans Rs 30 000.

4% Improvement Trust Debentures Rs. 10 000

The Bank charges for collection of interest amounted to Rs. 150. He had two houses, which were constructed in 1953. One of them was let as Rs. 200 per month and \( \frac{1}{2} \) of the other house was let at Rs. 25 per month. Remaining \( \frac{3}{4} \) was used by him for his own residence. He paid Rs. 300 as Muniapal Taxes for both the houses. Municipal valuation of the first house was Rs. 2000 and of the second house Rs. 1000. He has a house attached to his agricultural plot, which is used for storing seeds and agricultural implements and other activities connected with Agriculture. The Municipal valuation of this house is Rs. 2500.

Find out his total income for the assessment year 1960 61.

Solution No. 3—
Statement of Total Income

 Salary
 7,200

 Interest from securities
 300

 3% Govt Securities
 300

 2% Municipal Debentures
 400

 3% U- P. Govt Loans
 900

4% Improvement Trust Debentures

2,000

tear 19 0 51

Collection charges

+-11001-0	130	_
Income from securities		1 850
Rental value of the house	2 400	
Less 1 Municipal taxes	100	
Annual value of the house		
Rental value of the rente		
portion of the house	300	
Less 2 of proportionate M	unicipal	
taxes	125	
Annual value of Rented portion	n Rs 287 5	
Annual value of the reside		
in accordance with the	portion let 862 5	
Less 1 statutory allowance	431 25	i
-	Rs 431 25	
Total Annual value of both the		•
(Rs 2 300+287 5+	431 25) = Rs 3 918 75	
Less for repairs	503 12	2 515 63
Income from registered for		500
Income from other sources		
Interest from bank deposi	ts	500
-	Total Income	Rs. 12 565 63
Illustration No 4-		
Following is the profit and	l loss account of Mr S	hvam Sunder
Shukla Chartered Accountant fo		, Januar
To Rs.	By	Rs
Office salarses 5 000	Audit Fees	25 000
Depreciation on Furniture 500	Institute Fee	20 000

150

Off Depre 800 Interest on Investment Income tax Depreciation on Motor car 300 (gross) 3 400 Bad debt 200 Reserve for doubtful debts 150 Miscellaneous Exp. 700 Life Insurance Premium 900 Net Profit 39 850 48 400 R٩ Rs 48 400 Depreciation allowable on Lurniture is Rs 400 and on Motor car Rs 200 Find out his total income for the assessment

#### Solution No 4-

	39 850
Rs	
S90	
150	
900	
100	
100	2 050
	41 900
	\$90 150 900 100

Not Profit as disclosed by Profit and

#### Les

38		
Interest on Investments		3 400
Add Income from profession		38 500
Interest on Investment (Gros	s)	3 400
	Total Income	Rs. 41 900

#### \_

Illustration No 5—

From the following particulars find out the total Income of Mr X (ordinary resident) for the year ending 31st March 1960

- (a) He and his w fe are equal partners in a partnership business. He has contributed full capital of the firm. For the accounting year 1959 60 its assessable profits were Rs 30 000.
- (b) He is also employed at other place on a monthly salary of Rs 400/ and is a member of recognised provident fund. He contributes 12% of his salary towards his PF, to which his emplyer contributes an equal amount. The interest on his P. F. amounted to Rs. 250/-...
  - (c) He has transferred his assets to his minor child without any consideration Income from such assets is Rs-
  - (d) He has made a benami transaction. The fact is that he is the real owner. Income from such transaction is Rs 4 000
    - (e) He has made a revocable transfer of assets to his wife the income from such a sets is Rs 2 400
    - the income from such assets is Rs 2 400

      (f) He received Rs 9 000 from his life policy on expiry of the period for which the policy was taken

#### Solution No. 5-

	<b>₹</b> .5•		R-
Salary	4,890		
Annual Accretion —			
Employee's Contribution to P. F			
in excess of 10% of his salary	96		
Interest in excess of 1 of his salary a	nd		
prescribed rate of 6% per annum is	Nıl		4 896
Income from Salary			
Income from Business			
From firm			15 000
Income from other sources :-			
His wife's share of Profit of			
the firm	15 000		
Income from Assets transferred			
to his minor child	3,000		
Income from Benom: Transaction	4 000		
Income from revocable transfer to			
his wife	2,400		24 400
Total Income		Rs	44 296

# QUESTIONS

- How are the following incomes treated in the assessment of an individual who is resident and ordinary resident ? -(a) Share of income from uncivided Hindu Family (b) Share of profit from unregistered firm
  - (Agra B Com. 1948 54)
- Briefly explain the various sources of income of an individual

# अध्याय १३ सम्मिलित हिन्द परिवार

(Joint Hindu Family)

हिन्दू लॉ के अनुसार सिम्मित हिन्दू परिवार में वे सब व्यक्ति आते हैं जो एक ही पूर्वज को सन्तान होते हैं। इसमें उनकी परिनर्गों और प्रमियाहित लडिस्यों की सामिल हैं। प्राय रर प्राधिनियम में हिन्दू सिम्मिलित परिवार का यह आदास नहीं है। इस प्रधिनियम के सनुसार हिन्दू सिम्मिलित परिवार का प्रायय उद्घ परिवार से हैं (प्र) जिसकी सम्मिल एक साथ हो, (ब) उत परिवार के सदस्यों में सहमागिता ही।

- (झ) सम्मत्ति का एक साथ होना— इसका आसय उस मम्मति से है वो पूर्वजो से प्राप्त होती है। या पूर्वजो मे प्राप्त हुई सम्मति की मदद से प्राप्त होने बाली सम्मति भी सम्मिलित हिंदू परिवार की सम्मति मानी जाती है। यदि सम्मिलित हिंदू परिवार के किसी सदस्य ने कोई सम्मति यो को और समिलित हिंदू परिवार के मुनुद वर दिया है और उस पर प्रमना व्यक्तिगत प्रविकार नहीं रक्ता है तो यह सम्मति सम्मिलित हिंदू परिवार की सम्मति मानी जायभी। समिलित हिंदू परिवार के किसी सदस्य हारा सम्मती निजो सम्मति से प्राप्त हुई साथ को भी इस समिलित परिवार की प्राप्त माना जा सक्ता है, यदि यह ग्राय सम्मिलित परिवार को विना किसी
- (व) उस परिवार के सदस्यों में सहभागिता का होना—सिमालित हिन्दू परिवार में दो या दो से प्रियक वयस्क ऐसे होने चाहिए जो कि बैटवारे के प्रियकारी हो और अन्य व्यक्ति ऐसे हो जिनका पानन पोपए। करना हिन्दू सीमालित परिवार के कर्त्ता का मुख्य कर्ताव्य हो। परिवार का सबसे बडा व उत्तरदायी व्यक्ति कर्ता (Head) कहा जाता है। परिवार की प्राय पर कर देने का दायिस्व इसी पर होता है।

हिन्दू सम्मिलित परिवार मिताक्षरा य दयाभाग द्वारा भारतवर्ष मे नियन्त्रित होता है।

# हिन्दू सम्मिलित परिवार के विभाजन सम्बन्धी नियम-

(१) एक सम्मिलित हिन्दू परिवार में विभाजन होने के बाद भी सम्मिलित परिवार की तरह कर लगता है, जब तक यह विभाजन इनकम टैक्स भविकारी को मान्य न हो।

- (२) जब सम्मिलित परिवार से कुछ सदस्य द्यलग हो जाते हे तो उन पर व्यक्तिगत रूप से कर सगता है 1
- (३) यदि परिवार की कुछ सम्पत्तियों का विभाजन हुमा हो तो उन सम्पत्तियों की भाग प्रत्येक सदस्य की निजी भाग में जोड़ दी जागगी।

हिन्दू सम्मिलित परिवार मिताक्षरा घोर दमाभाग द्वारा नियातित होता है। इन योगो का सूद्य विवरस्य नीचे किया जाता है •--

### मितात्तरा का नियम---

यह नियम बगाल को छोड कर सारे भारत मे लागू होता है। इसके घनुनार पुत्र सन्ते पूर्वजो की सम्मत्ति म पैदा होते ही धिकार प्राप्त कर लेता है। यदि किसी क्यांचि का कोई पुत्र नहीं है तो उसे पूर्वजो की सम्मत्ति से प्राप्त होने वाली भाग पर क्यांचिगत रूप से कर देना पडेंगा। इस नियम के घनुतार दिवदा व पुत्रियो को पिता की लिया निर्वाचिगत की हुई सम्पत्ति में कोई प्राप्त होता है, उनके जीवत निर्वाद करने का भार सम्मत्ति से परिवार का प्राप्त स्थान परिवार पर धावदय रहता है। पिता की सम्पत्ति से केवल पुत्रों को हो धिकार सम्पत्ति हो है। यूप्प में, हम इस प्रवार कह सकते हैं कि मिताक्षरा नियम के सनुसार होता है। यूप्प में, हम इस प्रवार कह सकते हैं कि मिताक्षरा नियम के सनुसार होता है। यूप्प में, हम इस प्रवार कह सकते हैं कि मिताक्षरा नियम के सनुसार होता है। यूप्प में, हम इस प्रवार कह सकते हैं कि मिताक्षरा

#### दयाभाग नियम-

यह नियम केवल बगाल में लाग्न होता है। इस नियम के अनुनार पुत्र को पिता को मूख के बाद ही पूर्वजों की सम्पत्ति पर अधिकार प्राप्त होता है। पुत्र को न तो पिता को स्वय उपाजित की हुई सम्पत्ति में और न पूर्वजों की सम्पत्ति में, पिता के जीवित होते हुए, कोई अधिकार होता है, इसियों पिता उसे पंता वाहे प्रयोग करे, परिता की मुख्य के परवात पुत्रों को सारी सम्पत्ति पर प्रिथमार प्राप्त होता है। किती पुत्र विता की मुख्य होने पर अधिकार प्राप्त होता हो। किती पुत्र विता की मुख्य होने पर अधिकार प्राप्त होता हो। किता और अधिकार की भागीदार वनती हैं। यदि विता के पास पुत्र को की सम्पत्ति हो और उसकी दिवा और सहभागिता का सदस्य न हो तो उस पर एक व्यक्ति हो, परन्तु वह अनेला हो और सहभागिता का सदस्य न हो तो उस पर एक व्यक्ति की तरह कर स्वताया जारेगा, परन्तु उसकी मुख्य की भागित कर सगाया जाता है।

हिन्द सम्मिलित परिवार के सम्बन्ध में कुछ महत्त्वपूर्ण नियम—

- (१) एक हिन्दू सिम्मिलित परिवार के संदर्ध की उस आय पर न तो कोई कर लगता है और न उसकी कुल माप में ही जोडी जाती है जोकि उसे हिन्दू सम्मिलित परिवार से उसके सदस्य होने के नाते प्राप्त हुई है।
- (२) हिंदू सम्मिलित परिवार के सदस्य ने यदि किसी द्याय को स्वय उपाजित किया है और इस द्याय को सम्मिलित परिवार की द्याय माने जाने के

उद्देश्य से परिवार में नहीं दिया है तो उसे इस घाय पर व्यक्ति की हैसियन से कर देना पडेगा।

[Kalyanji Vithal Das Ve. C. I. T.]

(३) एक ब्यापार करने वाले हिन्दू सम्मितित परिवार का सदस्य मदि प्रामी व्यक्तिगत हैसितात में कोई ब्यापार करता है तो इस व्यापार में हुये लाभ उसकी ब्यक्तिगत बाय माने जप्येंगे, चाहे इस सदस्य में भले ही हिन्दू मम्मिलित परिवार में इस व्यापार के लिए काया उचार लिया हो।

[Sir Padampat Singhania Vs. C. I. T 1953]

[C I. T Vs Thaver Bros.]

(४) यदि सिम्मलित हिन्दू परिवार का कर्ता सिम्मलित हिन्दू परिवार की और से किसी ग्रन्थ व्यक्ति के साथ साभैवारी में साभैवार बनता है तो इम कर्ता को साभैवारी से मिलने वाजी आप सिम्मलित परिवार की बाय मानी जायेगी।

[Dhanwatay Vs. C I. T. 1957]

[Kanıram Hazarımall Vs. C. I. T. 1955]

(४) एक सम्मिलित हिन्दू परिवार के कर्ता ने एक कम्पनी के बाग ज्या क्या क्या ह्या है। यह क्या है। यह कम्पनी का सवावक वनना स्वीकार किया। सवाक के रूप में सिक्षी हुई फीस को उपकी व्यक्तिगत आय माना गया, एक मान का स्विकारियों ने उत्कों इस मान को सम्मिलित हिन्दू परिवार की स्वाम माना वाहा, क्योंकि कर्ता ने कम्पनी के बाग सिम्मिलत परिवार की ब्राम से करीदे थे। न्यासाधीयों ने यह निर्णय दिवा कि चूँ कि यह साय कर्त्ता ने अपने परिवास के उपास कर्ता ने अपने परिवास से उपासित की है और सम्मिलत परिवार की सम्मिल को कोई हानि नहीं पहुँचाया है। इसलिय इस व्यक्तिगत मारा मारा गया।

हिन्द सम्मिलित परिवार का कर निर्धारण-

- (१) एक सम्मितित हिन्दू परिवार की कुल साय पर एक व्यक्ति के सनुसार ही कर लगड़ा है, परन्तु समितित हिन्दू परिवार यदि नीचे विली हुई सतों से से एक की भी भूत कर दे और ६,००० राग्ये तक वार्षिक साय हो तो कर नहीं देना एक तो भी
  - ( घ ) परिवार में दो में धिक वयस्क ऐसे हो जो वेंटवारे के अधिकारी हों। ( व ) यदि दोनों वयस्क न हो तो दोनों धादमी वेंटवारे के धावकारी हो

भीर एक ही सादमी के Lineal Descendents न हो।

(२) इस परिवार के किसी भी पुरुष सदस्य तथा उनकी लो के जीवन बीमें पर जो प्रीमियम दिया जाता है तो उस पर आय-कर नहीं तयता है, पर सुयह प्रीमियम सम्मित हिन्दू परिवार की आय के ्रैया १६,००० रुपए से जो भी कम ही उसमें प्रियक नहीं होना चाहिए। [बारा ११ (२)]

- (३) यदि एक परिवाद के सदस्य साफ्रेतारी के रूप में व्यापार करें तो जनकी आय सम्मिलित आय नहीं मानी जायेगी। इस व्यापार का साभ वनकी व्यक्ति पत आय मानी जायेगी।
- (४) एक हिंदू सिम्मिलित परिकार में जो मिताशरा द्वारा नियन्त्रित होता है, यदि नेवल एक ही पुष्प बचता है धीर उसके कोई पुत्र भी नही है, वसपि उसकी स्त्री ब सडिकर्षा है तो उस पर एक व्यक्ति की तरह कर तथेगा। (१) विदि हिन्द सिम्मिलित परिवार की एक स्त्री धपने पति की प्रस्तु के बाव

(१) विदिहित्तु सिम्मिलित परिवार की एक क्षी अपने पति की प्रुप्तु के बाद में पूर्वजो की सब सम्पत्ति की मालिक वन जाती है, क्योंकि इस परिवार में अन्य स्पत्ति नहीं है तो इस सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली उस ली की आप पर व्यक्तिगत रूप से कर लगेगा:

(६) हिंदू जनसम्बद्धार नियम सन् १९४६ (Hindu Succession Act, 1956) के अनुसार लडिक्यों को सहते में ही बरावर पूर्वयों की सम्पत्ति में प्रयोक्तार प्राप्त है।

#### Illustration No 1-

Following are the incomes of a Joint Hindu family Find out its total income, assuming that the property was constructed in 1954

Rs.

The head of the family receives as	director s fees	5 000
Taxable Business Income		25 000
Municipal valuation of property		12 000
Municipal Taxes on property		2 000
Solution No 1-		
	Rs	
Municipal valuation of property	12 000	
Less ½ Municipal Tax	1 000	
Annual value of property	11 000	

Less ½ Municipal Tax	1 000	
Annual value of property	11 000	
Less & for repairs	1 833	9 167
Income from Business		25 000
	Total Income Rs	34 167
Note-Director's fees will be treated	ed as personal incom	e of the

recipient

Mustration No 2-

From the following information find out the total income of a Joint Hindu Family assuming that property in this case was constructed in 1934—

		ि १४%
		Rs
Rental income from first house		25 000
Municipal valuation of residential	house	10 000
Expenses incurred in criminal case		3 000
Income from Business		45,000
The Family paid Municipal Taxes	for the first	
house		200
Solution No 2-		
	Rs	Rs
Income from the first house	25 000	
Less ½ of Municipal taxes	100	
Annual value of the first house	24 900	
Less & for repairs	4 150	20 750
Annual value of residential house	10 000	
Deduct 2 or Rs 1 800 whichever	18 less 1 800	
	_ 6 200	

# Taxable Income of both the houses Statement of the Total Income

Income from property

But since it is more than 10% of the total income only 10% will be taken

Less & for repairs nearest Rupee

Total Income

7 172 7

1 195

Rs

5 977 7

# OUESTIONS

 What is a Joint Hindu Family from Income tax point of view? Explain briefly the important rules of assessment regarding assessment of this family

2 Describe briefly the following from the point of view of Income tex

(a) }

(b) These parts relate to other topics

(a) 1

(e) H ndu Joint Family

### अध्याय १५

# करदाता (२)

## (Assessee 2)

षामेंदारी में मध्यप्ति नियम नारतीय सामेदारी प्रधिनियम सन् १६३२ में दिये हुए हैं । इसी धर्म-नियम में रिजरटर्ड पर्य थीर सनरिजरट्ड पर्य से तरक्वत में विवस्त में से तरक्वत में विवस्त दिया हुआ है, परन्तु थाय कर प्रधिनियम के धनुसार एक रिजरट्ड धीर प्रम् रिजरट्ड पर्य से प्रमूद करन के रिष् चारा '३६ ए' ना प्रयोग प्रावस्वक है। नो वर्म इस प्रयोग प्रावस्वक है। नो वर्म इस में प्रमुत हैं के से प्रमुत में कि स्वृतार रिजरट्ड होती है जमें रिजरट्ड पर्य में कि हमें कि प्रोप्त प्रवास में विवस्त है। वर्म प्रमुत्त हमें प्रयोग प्रवास में विवस्त हमें कि प्रमुत्त हमें कि प्रयोग प्रवास कि प्रमुत्त हमें स्वस्त हमें कि प्रमुत्त हमें कि प्रमुत्त हमें प्रमुत्त हमें कि प्रमुत्त हमें कि प्रमुत्त हमें कि प्रमुत्त हमें कि प्रमुत्त हमें कि प्रमुत्त हमें कि प्रमुत्त हमें स्वस्त हमें कि प्रमुत्त हमें कि प्रमुत्त हमें कि प्रमुत्त हमें स्वस्त हमें कि प्रमुत्त हमें कि प्रमुत्त हमें कि प्रमुत्त हमें स्वस्त हमें स्वस हमें स्वस्त हमें स्वस्त हमें स्वस्त हमें स्वस्त हमें स्वस्त हमे हमें स्वस्त हमें स्वस्त हमें स्वस्त हमें स्वस्त हमें स्वस्त हमे स्वस्त हमें स्वस

फर्म की रजिस्ट्री कराने के उद्देश्य-

ुमाय-गर प्रधितियम के प्रतुमार एह एमें की रिजिस्ट्री कराने मे सबसे बड़ा साम यह होता है कि इसनी श्राय पर तीची दर से कर लगाया जाता है, इमिनए यदि कोई एमें इस रियायत में साम उजाता चाहती है तो वह धारा '२६ ए' के प्रतुमार रिजिस्ट्री कराती है।

# रजिस्ट्री कराने की शर्ने (Conditions for Registration)—

ग्राय कर प्रावित्यम के प्रतुनार किमी कमें को रिजिस्ट्री कराने से पहले नीवे लिखी हुई मनों को पूरा करना जायररक होता है .—

(१) मामेतारी को स्यापना मामेतारी मतेल के धनुमार होनी चाहिये।
Padam Prashad Rattan Chand Vs. C. I. T.,
1954 के मामने म यह निराष दिया गया चा कि एक ऐसे इसे के
सामेतार को, जीकि सामेतारी सनेल को सबुक रूप से निराते हैं कि
वह पहले मीसिक प्रमावित के श्रमुलार सामेतार के मौर उन्हों सामी धनुमार कार्य करन से, जी कि इस सतेल में विसी हुई हैं, एफिस्ट्री

चराने से नहीं रोजा जा सबता है। (२) यह प्रावस्थन है कि सामेंदारी सभी होनी चाहिने, प्रयाद यह Existence में हो। यह निर्मुख Khinji Walji & Co. Vs. C. I. T. 1954 के मानते में दिया गया था।

(३) मार्भेदारी सनेख म यह सारु-मारु दिया दिया जाना चाहिए कि सामें दार का सामीदारी में क्या माग होगा।  (४) फर्म हारा ब्राय कर अधिकारी के पास एक प्रार्थना-पत्र रिजस्ट्री कराने के लिए देना चाहिए।

रजिस्ट्री कराने की विधि (Procedure for Registration under the Income-tax Act)—

(१) धारा '२६ ए' के ब्रमुक्षार कर्म द्वारा एक निश्चित कार्म (Presorib ed Form) को धाप कर प्रविकारी के पास भेजना चाहिए। इस कार्म में यह शबस्य ' जिल्ला चाहिए कि सामेदारी ने स्थापना सामेदारी सलेख के ब्रन्दर हो गई है मोर प्रदेक सामेदार का कितना भाग सामेदारी में है।

(२) इस प्रार्थना पत्र पर अवयस्को को छोडकर बाकी सब सामेदारो के

हस्ताक्षर होने चाहिए।

- (३) यदि सामेदारी सस्या भारतीय सामेदारी अधिनियम सन् १६३२ के अनुसार या भारतीय राजस्ट्रेशन प्रधिनियम सन् १६०६ के अनुमार पजीहत हो जुकी है तो इस फर्म को प्राथंना पत्र मत वर्ष समात होने थे नहले देना चाहिए। यदि पर्में इन दोनों में से किसी अधिनियम के अनुसार राजस्ट्रेड नहीं है और राजस्ट्री के लिए प्रायंना पत्र पहिली बार दिया जा रहा है तो क्यां के बनने के ६ महोने में अन्दर सा पत वर्ष के समात होने के एवले में से जो भी कम हो उस समय के अन्दर प्रायंना पत्र देना चाहिए।
  - (४) साय कर सधिकारी को यह सधिकार है कि वह सबधि के बाद दिये हुमें प्रार्थना पत्र को भी स्वाकार कर सकता है, यदि छने इस बात का विश्वास हो जाय कि कुछ सावश्यक कारहों के कारहा कमें निश्चित समय के अन्दर प्रार्थना पत्र नहीं दे सकी थी।
    - ( ५ ) इम प्रार्थना यत्र के साथ साभेदारी संतेख लगा देना चाहिए।
  - (६) सामेतारी सलेख सहित प्रार्थना पत्र प्रात करने के पहचात आय-कर प्रियकारी को यह जांच करनी चाहिए कि सामेदारी सलेख मे दिये हुए प्रियकार और दायिक्वी व नियमों के अनुनार वास्तव में कार्य होता है या इस सलेख को सिर्फ दिखावे के लिए ही जोड दिया गया है, ताकि कर के दायिक्व में रियापत मिस जाय 1

(Sir Sunder Singh Majithia Vs. C. I. T , 1942)

( ७ ) यदि प्राथना पत्र और साम्देशारी सलेल दोनों से ही आय-कर अधिकारी सन्तुष्ट है और उसे इस बात का विश्वास है कि वास्तव में इस नाम की कोई कर्म कार्य कर रही है तो वह सलल के नीचे (At the foot of the instrument) इस बात ना प्रमाण पत्र लिल देया कि रजिस्ट्रों कर दी गई है।

( प ) यह रिजस्ट्री देवल १ वर्ष के लिए ही होती है।

( १) आप वर नियमों से से ६ वें नियम के अनुनार रजिस्ट्रेशन के नवीनी-करण (Renewal of Registration) के लिए प्राथना पत्र सम्बन्धित करदेश वर्ष के ३० जुन के पहले नेजना काहिए। रजिस्ट्री के प्रार्थना-पत्र को ग्रस्वीकृत करना (Rejecting the application made for Registration)—

मद्रास हाई कोर्ट ने Raju Chattiar & Bros. Vs. C. I. T. के मामले में यह निर्णय दिया था कि यदि प्राय कर प्रधिवारों को यह पता लगता है कि भीचे लिखी बातों में से कोई भी बात गलत है तो वह रिजस्ट्री के लिए दिए हुए प्रार्थना-पत्र को प्रस्वीकार कर सकता है :—

(१) सामेदारी सच है या नहीं.

नहीं किया जा सकता है।

- (२) सामेदारी सलेख में लिखे हुए सभी सामेदार श्रसली सामेदार हैं या नहीं,
- (३) प्रत्येक साभेदार का ग्रश उचित रूप से लिखा गया है या नहीं,
- (४) सलेख के प्रमुसार जो लाम बाँटे जायेंगे वे क्या वास्तव में कोई

विशेष व्यक्तियों के लाभ होगे।
यदि स्नाय कर प्रधिकारी को ऊपर लिखे हुए मामलों के बारे में केवल सन्देह ही होता है. परस्त यह सामेदारी वास्तव में सची है तो इसके प्रार्थना पत्र को प्रस्वीकार

(Central Talkies circut Matunga, In re)

माय कर प्रधिकारी रिजिस्ट्री कराने के लिए दिए हुये प्रार्थना पत्र को अस्वी-कार कर सकता है, यदि उसे यह विस्वास है कि सलेख के अनुसार बनाई हुई सामेदारी कानून की ट्रिट में शब्देश है या सामेदारी तो है, लेकिन कानून की ट्रिट में वह सामेदारी नहीं कही जा सकती।

(Hossen Kasam Dada Vs. C. I. T.)

फर्म की रजिस्ट्री को रह करना (Cancellation of the Registration) of Firm)—

यदि दिजिस्ट्री करने के बाद शाय-कर प्रियकारों को यह विश्वाह हो जाय कि रिज़्द्री कराने वाकी शतों से से कोई शतों गतत थी, या फर्म फूठी थी, जिसकों कि वह रिज़िस्ट्री का प्रमाण पत्र देते समय नहीं जान पामा था, तो वह विमे हुए रिज़स्ट्री के प्रमाण पत्र के दे समय नहीं जान पामा था, तो वह विमे हुए रिज़स्ट्री के प्रमाण पत्र को रह कर सकता है।

यदि रजिस्ट्री कराने के लिए दी हुई मानस्यक शर्तों में से सन शर्तों को पूरा

किया गया है, किर भी आय कर अधिकारी अपने दिए हुए प्रमाश-मन्न को रह कर

सकता है, यदि करदाता ने कोई ऐसी भूल की हो जिसके कारण Best Judgement Assessment किया जाता हो। [घारा २३ (४)]

### फर्म पर कर लगाना (Assessment of Firms)-

- े फर्म की करदेय फ्राय निकालने के लिए नीचे लिखे हुए नियमों को घ्यान में र सबना चाहिए:—
  - (१) फर्म के लाभ मे से ऐसी कोई भी रकम नही काटो जासकती है जो कि फर्म के सामेदार को दी गई हो,जैसे :—
    - (ध) वेतन.
    - (व) व्याज.
    - (स) कमीशन.
    - (द) ब्रन्य प्रकार का पारिश्रमिक।

[धारा १० (४) (b)]

- (२) फर्म के लाभ-हानि खाते के डेबिट पक्ष में से उन व्ययों को हटा देना चाहिए जोकि घारा १० के अनुसार अस्वीकृत (Inadmissible) हैं ।
- (३) उन व्ययों को फर्न के लाभ-हानि खाते के डेबिट पक्ष मे लिखना चाहिए जो कि घारा १० के अनुसार स्थीकृत हैं।
- (४) फर्म के लाम-हानि खाते के क्रेडिट पक्ष से पूँजीगत प्राप्तियों को हटा देना चाहिए।
- (५) मदि कोई फाम प्राप्ति छूट गई हो तो उसे फर्म के लाभ मे जोड़ देना चाहिए !
- (६) यदि फर्म ने कोई दान दिये हो तो इन दोनो को लाभ-हानि खाते से इटा देना चाहिए।
- (७) यदि एक फर्म के सामेदार से कर बसूल नहीं किया जा सकता है तो यह कर फर्म से बसल किया जाता है।
- (८) यदि फर्म के उपयोग में किसी सामेदार का मकान लाया जाता है तो किराया फर्म इस सामेदार को देती है उसे फर्म के साभ में से घटा देता चाहिए।

फर्म के लाभ-हानि खावो को घारा १० के बनुसार सुधार लेना चाहिए। इस प्रकार का सुधार करने के बाद प्राप्त हुए लाभ में साभेदार को मिली हुई सब रक्मो को जोड़ देना चाहिए, चाहें में किसी भी प्रकार उसे मिली हों।

#### Illustration No. 1-

Following is the Profit and Loss account of a firm for the year ending 31st March 1960.

#### Profit and Loss Account

	R.	1	Rs
General Expenses	3 000	Gross Profit	1,00 000
Office Salaries	2,000	Discount recd.	1 000
Subscription to Polit	ıcal	Other business	
Party	800	Receipts	500
	Rs.	Commission recd.	50
	000	Interest on Securities	
	800	(gross)	3,000
Z capital	500 2,300	_	
Salary to Y	500		
Salary to Z	300		
Commission to X	200	•	
Bad debt Reserve	500		
Bad debt	100		
Depreciation (Allowal	ole) 80		
Net Profit	[		
X 31.590			
Y 31,590			
Z 31.590	94,770		
Rs	. 1 04,550	Rs-	1 04 550

X, Y and Z are equal partners in the firm Find out the taxable income of the firm for the assessment year 1960-61 and allocate it amongst the partners for income tax purposes.

#### Solution No. 1-

continua trai t—		Rs
Profit as disclosed by P. &. L A/c.		94 770
Add	Rs.	
Subscription to political Party	800	•
Bad debt Reserve	500	
Interest on capitals of X, Y, Z,	2,300	
Partners Salaries (500Y+300Z)	800	
Partner's Commission	200	4 600 99 370
Less —	$\mathbf{R}_{\mathbf{S}}$	Re.
Interest on Securities	2 000	
Dividends	1 000	3 000
Firms Income from business		96 370
Interest from securities (gross)		3,000

Total Income of the firm Balance Divisible to Partners

Less Interest Salaries and Commission to Partners (2 300 + 800 + 200)

Rs 90 070

Distribution of Firm's Income amongst Y Y, Z

Particulars	,	ď			Y		2	ż	_
Interest on Capital Salary Commission Profit (\$\frac{1}{2}\$ of 96 0.0 to each partner)	Rs 1000 200 37023	a 0 0	P 0 0 4	Rs 800 500 	a 0 0	р 0 0 —	Rs 500 300 —	a 0 0	P 0 0 -
Total Rs	33273	5	4	3323°c	5	4	32823	5	4

Illustration No. 2-

A Y and Z are partners in a firm in which X gets a salary of Rs 2000 Y Rs 1000 and Z gets commission of Rs 700 accord ing to their partnership deed. They share profit and loss in the ratio of  $\frac{1}{2}$  hand  $\frac{1}{2}$  espectively. Interest on their capitals amoun ted to X Rs 500 Y Rs 800 and Z Rs 2000 The firm suffered a loss of Rs 5 000 before providing for partners, salaries commission and interest on capital for the year ending 31st March 1960 How will the income of the firm be allocated amongst the partners in the assessment year 1960 61

Solution No 2-

Loss of the firm मा०क०वि०खा० (११)

		Rs
Firm s Loss		5,000
Add Inadmissible ex	penses	
Interest on capita	al	
_	<b>R</b> s.	
X	500	
Y	800	
Z	2 000	3 300
Partner s Salary	Rs	
λ	2 000	
Y	1 000	3 000
Partners s Commission	(Z)	700

Particulars	λ	Y	Z
Interest on Capital Salary	Rs 500 2 000	Rs 800 1 000	Rs 2 000
Commission  Share of firm s loss	2 500 -4 000	1 800 -2 000	700 2 700 -6 000
III N 2	<del>-</del> 1 500	- 200	-3,300
Illustration No 3—  L M and N are partners ratio of \$\frac{1}{2}\$ and \$\frac{2}{3}\$ Firms profeeding 31st March 1960 is given moome of the firm for the as es	fit and loss en below	account for	or the year the taxable
it amongst L M and N	Jane your	2500 01 2410	1 distribute
	Loss Accou	ınt	
Rs   2000	Sundry I   Net Loss 		Rs 2 000 2 000 2 000 Rs 4 600 Rs 4 600 Rs 400
Particulars of Income	L	M	N \
Commission Salary Interest on Cap tal	Rs 500 600 1 100	200 200	Rs 300
Share of firm s loss	- 313 33 1- - 766 67 1-		1 333 34 1 033 34

# रजिस्टर्ड फर्म (Registered Firm)-

स्राय-कर प्रधिनियम के स्नुसार एक राजिस्ट इंफ्रमें को अपनी आय-पर कर नहीं देना पड़ता था, परन्तु Finance Act, 1956 के स्नुसार अब राजिस्ट इं फ्रमों को अपनी आय पर कर देना पड़ता है। इस सम्बन्ध में नीचे दिये हुए नियम महत्त्वपूर्ण हैं:—

- (१) यदि रजिस्टरं फर्म की आय ४०,००० रुपये से अधिक है तो इस फर्म की कर देना पडता है!
- (२) इस फर्म पर लगने वाले कर की दरें करदेय वर्ष सन् १९६०-६१ के लिए इस प्रकार है:—
  - (1) प्रथम ४०,००० ६० पर कुछ नहीं,
  - (11) भ्रमल ३४,००० रु० पर ५%.
  - (111) झगले ७५,००० ६० पर ६%।
  - (17) नेप पर ६%.
  - (३) रजिस्टर्ड फर्म की आय प्रत्येक सामेदार मे उसके लामाश बांटने के अनुपात मे विभाजित की जाती है।
  - (४) प्रत्येक सामेश्वार की ग्रन्य आयो में इस कमें से प्राप्त होने वाली आय जोड दी जाती है और इस जुड़ी हुई आय पर उसे कर देना पड़ना है।
    - (४) प्रत्येक सामेशर को फर्मे डारा दिये गये श्राय कर के अपने भाग पर अपनी व्यक्तिगत दरों पर छूट मिलती है।
    - (६) यदि कोई सामेदार विदेशी है तो फर्म को उसके लाभ के भाग पर कर देना पड़ता है।
    - (७) यदि ग्राय-कर भ्रविकारी किसी साभेदार से कर वसूल नहीं कर पाता है तो वह कर भी फर्म से वसल कर लिया जाता है।
    - (=) यदि राजिस्ट इंग्सें को नोई हानि हुई है हो सर्व प्रथम फर्म के लाम में से पूरी को जाता है और यदि फर्म की आप हानि पूरी करने के जिए प्यति न हो तो करें सानेक्टरों में बादि दिया जाता है और साने-वारों की प्रम्य आयों से अपिलिखित कर दी जाती है। यदि सामेज्ञारों की भी प्रप्रार्थ में सुर्गित को पूछा न किए जर सके दो सामेंक्टरों अपनी सान ले जायेंगे और ले जामे जाने वाले ब्यापारिक हानि की तरह स्पिलिख करेंगे।
    - (६) कभी कभी रिजस्टर्ड फर्म के साफैदार फर्म के साम की उस धनुपात में नहीं बोटंते हैं जिनमें कि साम बीटना निष्टिन क्या गया था। ऐसा वे इसलिए करते हैं ताकि ग्राम कर बचा सकें। यदि ऐसा करने से मिसी साफैदार की प्राय भ्राय-कर की म्यूनटाए सीमा से कम हो

जाय तो ग्राय-कर प्रधिकारी धारा २८ (२) के अनुसार ऐसे साम्देशर पर ग्राधिक दण्ड लगा सकता है।

#### Illustration No. 4-

Lean Thm and Strong are equal partners of a Registered Firm which made a profit of Rs. 60 000 from business for the year ending 31st March, 1900. Find out the taxable income of the Firm for the as essment year 1960-61 and also the position of partners in relation thereto when their other incomes are Rs. 8,000. Rs. 3,000 and Rs. 2,000 respectively.

#### Solution No. 4-

Tax on the firm's profit Rs 60,000 will be calculated as below --

On first	Rs. 40,000	Nil
On next	Rs. 20,000 @ 5%	1,000

# Position of Partners

		Lean	Thin	Strong
Profit of Registered Firm Income from other sources		Rs- 20,000 8 000	Rs 20,000 3 000	20,000 2,000
	Rs.	28,000	23,000	22 000

Lean will pay tax on Rs. 28,000 All of them will get a Thin will pay tax on Rs. 23,000 rebate on Rs 333 3. Strong will pay tax on Rs. 22,000 .

Note-The amount of Rs. 333'3 is arrived at by dividing Rs. 1,000 by 3, because all the partners are sharing profits equally.

### श्चनरजिस्टर्ड फर्म (Unregistered Firm)-

स्माय-कर स्वधितियम के सनुसार स्रतरिक्टर फर्म के सम्बन्ध में नीचे विसे हुए नियम महत्ववर्षा है :—

- (१) इस फर्म को अपनी आय पर एक ध्यक्ति की तरह कर देना पडता है।
- (२) इस एमं के लाभ की इसके साभीदारों में बॉट दिया जाता है और यह लाभ तनकी अन्य आयों के साथ जोड़ दिया जाता है।
- (३) प्रत्येक साभेदार की फर्म से प्राप्त हुये लाभ पर भाष-कर तो नही देना पडता है, परन्तु उसकी करदेव भाग की दर वह जाती है, क्योंकि फर्म का ताभ उसकी करदेव भाग में जीड दिया जाता है।
- (४) यदि भर्म की कूल झाय कर लगने वाली न्यूनतम् सीमा से कम है तो

इसके साफ्तेदारों से फर्म से प्राप्त होने वाले नाम धर कर ते लिया जायेगा। यह ग्राय उनकी ग्रन्य ग्राय मे जोड दो जावेगी।

(१) यदि इस फर्म को कोई हानि हुई है तो इसे फर्म ही अपनी आय से पूरा करेगी, सामेदार नहीं । यदि उस वर्ष फर्म की हानि पूरी न हो सके तो फर्म उसे क्राने वर्ष नी आय से पूरा करेगी ।

# रजिस्टर्ड फर्म और अनरजिस्टर्ड फर्म मे अन्तर

रजिस्टर्ड फर्म	धनरजिस्टर्ड फर्म		
(१) यदि इनकी भाग ४०,००० रु० से	(१) यदि इसकी आय कर देने की न्यूनतम्		
कम हो तो इसे अपनी आय पर कोई	सीमासे कम है तो इसे करनही		
कर नहीं दना पड़ता है।	देना पडेगा ।		
(२) यदि इमनी झाय ४०,००० २० से	(२) यदि इसकी (ग्राय कर देने की		
अधिक है तो इसे कर देना पडता है।			

(३) इसके लाभ की इसके साम्दारो की प्रत्य धाय ने उनके लाभ वाँटने के अनुराव में जोड़ दिया जाता है और प्रत्येक सामतार को प्राय चायों के साम फर्म के लाभ पर भी कर देशा

(Special rates it)

पडना है।

- (४) इस फर्म की शांत को सर्व प्रयक्त फर्म की मात्र से पूरा किया जाता है धौर यदि कर्म की झात अपयोत है तो इस हाति को इसके सामेंदारों की घन्य प्राच्चों से प्रयु किया जाता है। यदि सामेचारों की प्राप्त हाति प्रयो करने के निश्चे ध्ययक्ति है तो के की समये कप की का सकते हैं।
- (४) यदि फर्म पर कर लग जुका है, तो अत्येक साभेदार को फर्म हारा दिने गये साथ कर के घपने भाग पर छूट मिनती है

- र) याद देतना क्रांच कर देत कर न्यूनलम सीमा ने अधिक है तो इसे एक व्यक्ति की तरह कर देत। पढता है।
- (३) इस फर्म के लाभ को सामेदारों की श्रम्य ग्राय में कर की दर निर्पारित करने के लिए जोड दिया जाता है, परन्तु इस फर्म से मिले हुए लाभ पर सामेदार को कर नहीं देना चवता है।
- (४) गह फर्मे परनी हानि वो अपनी ही साय से पूरा कर सकती है, सामेदारों की साय से नहीं। यदि उस कमें की साय होनि की पूरा करने के विष् स्पर्यापन है तो एमें देखे प्रस्ताती साम के बाकर सपनी ही सास से पूरा करेगी।
- (५) यदि पर्यं की आग कर देने की गुनतम शीमा से बम है तो इस आय पर इसके सामेगारों को अपनी अन्य आयो के साथ कर देना पहला है, परंगु इस समिशारों को कोई कर की सुद नहीं मिनती है।

(६) रजिस्टर्ड फर्मको वभी भी सन-रजिस्टर्ड फर्म की तरह से नही माना जाता है. परन्त् रजिस्टे शन के नवीनी करण (renewal) का प्रायंना पन हर वर्ष ३० जुन के झन्दर देना चाहिए ।

। (६) धनरजिस्टर्डफर्मको रजिस्टर्डफर्म की तरह मानाजा सकता है। ऐसा तब होता है (म) जबकि माय कर ग्रधिकारी को यह विख्वास हो जाय कि धनश्रीनस्टर्ट एमें को रहित स्टर्ड मान कर कर लगाने से ग्रहिक आय प्राप्त होगी। (ब) या भनरजि-स्टर्ड फर्म रजिस्टी के लिये नियमा-नसार भावेदन करे।

# Illustration No. 5-

Good. Bad and Indifferent are equal partners of a firm. Their Profit and Loss A/c. for the year ending 31st March 1960 is given below -

	Profit a	nd Lo	ss Account	
		Rs.	ſ	Rs-
Office Salaries		2,000	Gross Profit	600
Interest on capital	١.		Net Loss	Rs.
•	$\mathbf{R}\mathbf{s}$	ļ	Good	3,400
Good	4,000		Bad	3,400
Bad	1,500		Indifferent	3 400 10,200
Indifferent	2,500	8 000		
Salaries				
Good	500	Į		
Bad	100	600		
Commission .				
Indifferent	150	1		
Bad	_50	200		
	Rs.	10 800		Rs 10 800
				consideration.

After taking the following information into consideration, point out how the assessment would be made when (i) the firm is registered and (11) when the firm is unregistered

Good's taxable Income from other sources was Rs. 4,000, Bad's income from other sources was Rs 750, and Indifferent had no other mcome.

#### Solution No 5-

Loss as disclosed by Profit & Loss A/c Less -

Rs. 8 000 Rc.

10,200

Interest on capital

600

Partner's salar Partner's Com Loss of the firm fro	ie tas, point	200 of view	Rs. 1,400			
Particulars of Incom	ne	Good	Bad	Indifferent		
Salary Commission Interest on Capital Share of firm's loss	Re	Rs. 500 4,000 -3 400 1 100	Rs 100 50 1,500 -3,400 -1 750	Rs- 150 2,500 -3 400 -750		
Following will be t when the firm is register	he positi red —	on of Good,	Bad and	Indifferent		
Good	which is	re to pay me s total of his share of fir	other income	Rs 1,100,		
will set off his firm's loss of Rs. 1.750 only to the extent of Rs. 750 out of his income from other sources. Remaining loss of Rs. 1000 will be carried forward for next eight years by him. In those years he will set it off either from firm's profit or in the absence of it, from his other business profits						
Indifferent will carry forward his loss to next eight years and will set it off either from the same firm's share of Profit or in the absence of it from his other business profits.						
Following will be when the firm is unreg		tion of all t	he partners	of the firm		
Firm	the ne	rry forward: xt eight 56 ts income				
Good	added	ire of profit to his other innation of t	income of R	100 will be is 4,000 for		
Bad	his otl	t set off his her income	He will no	n's loss from of pay any		

Indifferent
Illustration No. 6—

A and B are partners of an unregistered firm. The net profit

mum taxable limit

tax as his other income is less than mini-

will not carry forward the firm's loss to

for the year ending 31st March 1960 is Rs. 20 000 after allowing Rs 4000 and Rs 5,000 salary for A and B respectively and Rs 2000 and Rs 3,000 interest on their capital accounts. Find out the firm s taxable profits and distribute it amongst A and B

#### Solution No 6-

Particulars of Income		A	В
Salary Interest on capital Profit	<del></del> ,	4 000 2 000 10 000	5 000 3 000 10 000
11000	Rs		18 000
Profit as disclosed by P & L A/c			Rs. 20 000
Salary A B Interest on capital	Rs 40 50	00	9 000
A B Firm's taxable Profit	Rs ∠0 30	00	5 000 34 000

Firm's taxable Profit

Illustration No. 7-Good and Intelligent are equal ordinary resident partners in a firm Its P & L A/c for the year ending 31st March 1960 is

#### as follows -Profit & Loss Account

Rs

	1 1011	( Or HOD	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		_
		Rs			Rs-
Office Expenses		1 500	Gross Profit		20 000
Rent		300	Bank Interest		550
Repairs		200			
Interest on Capital	1				
Good	800				
Intelligent	900	1 700			
Salary of Good		100			
Commission of Ind	ifferent	50			
Sales tax		1 000			
Depreciation Reser	ve	1 500			
Bad Debts		200			
Advertising		4 500			
Subscription					
(a) Trade	300	[			
(b) Charity	200	500			
Net profit		9 000		_	20.550
=	TO a	20.550		Rs.	20 550

After taking following information into consideration compute the taxeble profit of the frm and allocate it amongst the partners. Advertising expences include Rs 1,000 cost of permanent sign.

#### Sa

olution No. 7—			Rs
			0.000 v.e
Profit as disclosed by P. & L A/c			9,000
Add madmissible expenditures			
	Rs.		
Interest on Capital	1,700		
Depreciation Reserve	1,500		
Partner's Salary	100		
Advertisement (Capital Exp.)	1,000		
Charity	200		
Indifferent Commission	50		4,550
Firm's taxable Profit		Rs	13,550
Firms Taxable Profit			13,550
Less Interest, Salary and Commission			
to Partners (1,700+100+50)			1,850
Balance divisible amongst partners		Rs.	11,700

		Good	Indifferent
		Rs.	Re.
Commission			50
Salary		100	
Interest on Capital		800	900
Profit		_	
(½ cf 11.700 to each partner)		5,850	5,850
	Rs.	6 750	6,800

# फर्म की समाप्ति (Dissolution of a firm)-

ब्राय वर अधिनियम वी घारा ४४ के अनुसार एक फर्म की समाप्ति (Dissolution) के सम्बन्ध में नीचे लिखे हए नियम महत्त्वपूर्ण हैं :-

- (१) यदि फर्म का व्यापार, पेशा या व्यवसाय बन्द हो जायै सो उन सब लोगो पर जो कि इमनी समाप्ति के समय सामेदार थे, वर लगाया जायेगा ।
- (२) यदि फर्म पर कर लग चुका या और उसने भ्रदानही कियाया, तो सब साभैदारी की भूगतान करना पडेगा।
- (३) सामेदार फर्म पर कर लगाने या फर्म द्वारा कर भूगतान वरने के दायित्वो में सम्मिलित व पृथक दोनों ही रूप से उत्तरदायी होते हैं।

- (४) यदि फर्गके गत वर्षके लाभ के फ्रीतिरिच पुराने बचों के लाभों पर कर लगना हो या कर देना हो तो उस दायिल्द काभी मार सब साकेदारो पर है।
  - ( ४ ) इन प्रकार के कर लगाने (Assessment) पर धाय कर प्रविनियम के भ्रष्ट्याय ४ में दिए हमें सब नियम लगेंगे।
- (६) पारा ४४ केवल उन्हीं सामेत्रारियों पर लगती है जिहोने मणना व्यापार, पेशा या व्यवसाय सर्देव के लिए बन्द कर दिया है। यदि सामेत्रारी को बदल कर कथ्यनी बना जी जाये सो यह पारा नहीं लगेगी। ऐसी दशा में फर्में के कर देने का दाविस्व कम्पनी पर खा जायेगा।

फर्म के विधान में परिवर्तन (Change in the constitution of a firm)-

- (१) पराने सामेदार का भवकाश ग्रहण करना।
- (२) नये सामेदार का ग्राता।
- (३) साभेदारकी मत्य।

साभेदार का श्रवकाश प्रहण करना और नये साभेदार का श्रामा (Retirement of a Partner and admission of a Partner)—

- (१) यदि एक साभेदार कर्मको छोड देता है श्रीर दूषरा साभेदार उसके स्थान पर प्रदेश करता है तो भ्राय पर अधिकारी नये कर्मके नाम पर वर देय श्राय निकालेगा, यद्यपि उस समय तक का कर भुगतान पुराने साभेदारों को करना पृष्टेगा।
- (२) इस दशा में यह ध्यान धेने योग्य बात है कि अवकाश ग्रहण करने व प्रवेश होने की तारीकों को ठीक से देखा जाय मौर इन्हीं के भनुसार पुराने य नये सामेदारों पर कर लगाना चाहिए।

साभेदार की मृत्यु (Death of a Partner)—

घारा २४ डी (Sec. 24-B) के अनुसार एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियो पर उस आब के लिए कर लगता है जिस पर कि मरने वासे को देना चाहिए वा।

इसलिए यदि एक सामेशार की प्रापु हो जारी है से उसके उसराधिकारियों के कर दायित्व वहीं होगे जो कि उस सामीदार के थे।

नोट—(१) यदि प्रवकाय प्रहण करने वाले साम्हेदार के हिस्से में छमं की हानि प्राई थी तो इस हानि को सामेदार ही प्रपनी ग्राय से पूरा करेगा, फर्म नही। [पारा २४ (२) (e)]

(२) यदि कोई नया सामेदार आता है या पुराना साभेदार अवनाम ग्रहरण करता है या मर जाता है नो घारा २६ (1), घारा २४ (२) (e) भौर धारा २४ (B) के नियम महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं।

#### Illustration No. 8-

Following is the P and L account of a registered firm for

the year ending 31s	t Marc	ь 1960		
	P	& L	Account	
		Rs		Rs
Commission to A		2 000	Gross Profit	29,500
Salary to B		1 000		
General Expenses		3 000		
Interest on capital			(	
-	Rs		1	
A	2 500		į	
В	1 000		i	

Net Profit 18 000 Rs 29 500 Rs 29 500 B retires on 1st October 1959 and other partners A and C continue the business Other incomes of the partners are -

As income of Interest from Securities is Rs 25 000 (gross) B s income of Interest from Securities is Rs 9 000 (gross) C s income of interest from securities is Rs 2 000 (gross)

Find out total income of the partners

2 00( 5 500

201	ution No. 5-		
	Net Profit as disclosed by	P & L. A/c.	Rs 18 000
	Add	Rs	
	Commission to 4	2 000	

Commission to M	2 000		
Salary to B	1 000		
Int on Capitals	5,5 0	<del>)</del>	≈ 500
Total Income of the firm			Rs 26 500
Particulars of Income	A	В	C
	Rs	Rs	Rs
Salary	0.000	1 000	, •

Commission to A			
Salary to B	1 000		
Int on Capitals	5,5 0	r	≈ 500
Total Income	of the firm		Rs 26 500
Particulars of Income	A	В	C
Salary Commission	Rs 2 000	Rs 1 000	Rs
Interest Profit*	2 500 7,500*	1 000 3 000*	2 000 7 500*
Income from firm Other Income —	12 000	∋ 000	9 500
Interest on Securities	25 000	9 000	2 000
Total Income R	s 37 000	14 000	11 500

_	•
• •	
• •	•

*This profit is arrived a	t as follows :	Rs.	Rs
Total profit for the year		110+	18 000
Profit upto 30th Sept. 1		9 000	*
(six months)	Rs.	, 000	
A's Share 1	3,000		
B's Share 1	3 000		
C's Share 1	3 000		
	Rs. 9 000		
Profit from 1st Oct. to 31st		9 000	-
A's Share 1	4,500		
C's Share ½	4,500		
O S OTHER C	Rs 9 000		
Thus A's profit			
(Rs 3,000+4,500)	7,500		
Bs profit	3 000		
C's profit			
(Rs. 3 000 + 4,500)	7 500		
	Rs 18,000		
Illustration No 9			•
	C4	ount of	a redis
The Profit disclosed by a P	ront of Loss acc	was Re	45 000
tered Firm for the year ended 31	st March 1900.	f Rs 4.0	00 Rs-
before charging salaries of its parti	iers A. F and 2 o	-m 1a+	Andret

3 000 and Rs 2 000 respectively. X left the firm on 1st August 1959

Find out the total Income of partners assuming that they share Profits and Losses in the ratio of 1, 1 and 1 respectively

Solution No. 9—	Rs.
Firm's Taxable Profit	45,000

The profit to be allocated among the partners will be found

ine pront to	be amorated among the partition	
out as follows —		
	Profit and Loss Account	
	D- i	Rs

Profit and Loss Account					
Partners Salary		Rs	Gross Profit	Rs 45 000	
X	Rs 4,000				
**	2.000				

3 000

2 000

Net Profit Rs. 45 000

Allocation of a				
	X	Y	Z	
	$-\left  -\frac{R}{Rs.} \right $	Rs	Rs.	
Profit upto 1st August 1959 [13 of Rs 36,000] = 12 000]	6,000	4,000	2,000	
March [(36 000 - 12,000) = 24,000] New profit sharing ratio	,	16,000	8 000	
$Y = \frac{3}{2}$ $Z = \frac{3}{3}$ Share of profit in the firm	6,000 4 000 Rs 10 000	3 000	2 000	

# Illustration No. 10-

The profit of a firm for the year ending 31st March 1960 was Rs 48,000 after charging interest on capitals of A, B and C as Rs. 2,000, Rs 1,000 and Rs, 3,000 respectively and Rs 1,000 salary paid to B

A, B and C who are partners of the firm, share profit and losses in the ratio of  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$  and  $\frac{1}{6}$  respectively. On 1st O.t. 1959 A left the firm and X joined it on the same date as a new partner. He was given  $\frac{1}{4}$  share of profit in the firm. Find out the total income of the firm for the assessment year 1960-61 and allocate it in amongst the partners.

# Solution No. 10-

Profit as disclosed by Profit and	Loss			Rs. 48,000
Account				
Add		Rs-		
Interest on Capital .	′	2,000		
A		1,000		
В		3 000		6,000
С				1,000_
Salary to B			Rs.	55,000
Taxable Income of the firm			_	

Particulars of Income	A	В	С	X
Interest Salary Profit of the firm:— (upto 1st Oct, 1959)	Rs. 2,000	Rs 1,000 1,000	Rs 3,000	Rs.
$\frac{1}{4}$ of Rs. 48.000 i.e. 24,000 (Profit from 1st Oct. to 31st March) is Rs. 24,000 Profit sharing ratio's will be $B=\frac{u}{10}$	8,000	12,000	4,000	
C = 3/16		13,500	4.500	6,000
$X=\frac{1}{4}$ Rs.	10,000	27,500	11,500	6,000

# श्रन्य संस्थापँ (Other Association of Persons)—

- (१) इन सस्यामी पर उसी प्रकार कर लगता है जिस प्रकार व्यक्तियो पर।
  - (२) इन सस्यामी के प्रत्येक सदस्य पर सदस्य की क्राय में संस्था से प्रप्त होने वाला भाग जोड़ दिया जाता है।
  - (३) इन सस्याओं के सदस्यों की स्थिति कर लगाने के दृष्टिकोण से नहीं होती है जो कि धनरजिस्टई फर्म की।

### कम्पनी---

कामनी की परिभाषा भारतीय कम्पनी ग्रविनियम सन् १९५६ की घारा २ (१०) व घारा ३ में दी हुई है, परन्तु आय-कर प्रधिनियम मे कम्पनी की परिभाषा

घारा २ (४-A) में बी हुई है, जो कि इस प्रकार है-

"कस्पती का अर्थ है (1) एक भारतीय कस्पती से या (11) उन संस्थाओं से जिन पर ३१ मार्च सन् १६४८ के वर्ष में कस्पती की तरह कर लग हुका हो, चाहें उनकी रिजस्ट्री हुई हो या नहीं कर चाहे वे क्षारतीय हो या विदेशी या जि हे सेन्द्रस बीडं झॉफ रेसेयू ने सामान्य या विशेष प्रारंश हारा प्रायन्तर के लिए कस्पती घोषित किया हो।"

> कश्वमी का निवासी होना (Company's Residence)

# नियासी कम्पनी (Resident Company)-

एक कम्पनी करदेव प्रदेश में किसी भी वर्ष निवासी कही जा सकती है, यदि-

(ध) यह एक भारतीय कम्पनी है,

( म ) उसे वर्ष इसका प्रबन्ध एवं नियन्त्रसा पूर्णतया करदेव प्रदेश से ही होता है। कस्त्रनी के निवासी होने की यह परिभाषा आय-कर श्रीपनियम की धारा  $\mathbf{Y} - \mathbf{A} (\mathbf{c})$  में दी हुई है।

साधारण निवासी कम्पनी (Ordinary Resident Company)-

वो बम्पनी निवासी होती है वही साधारए निवासी भी मानी जाती है। यह निवम धावकर श्रीधनिवम की धारा ४-B (c) मे दिया हुन्ना है।

विदेशी कम्पनी (Non-resident Company)-

- m

भिन्न हैं।

यदि कम्पनी वा प्रकास तथा निवाजाए पूर्णतया करदेव प्रदेश के बाहर से होता है तो वह कम्पनी विदेशी मानी जाती है। यह नियम प्राय-कर प्रधिनियम की किसी भी धारा में दिया हुमा नहीं है, परन्तु अनुमान ढारा निकाला गया है व न्याया-भीशों के निर्दोशी द्वारा प्राप्त किया गया है।

# कस्पनी व अन्य करदाताओं में अन्तर (Difference between Company and other Assessees)

राज्य क्षत्र-साम

की दरों से भिन्न है।

	494411	•	7-3 (-4-10)
(1)	कम्पनी की चाहे जितनी कम	(१)	ग्रत्य कर-दाताओं को ग्राय-कर
• •	'बाय' हो, इसे आय कर व अधि-		ब ग्रधिकर तभीदेने पडते हैं
	कर दोनो देने पडते हैं।		जबकि उनकी भ्राय भाय-कर देने
			की एक निश्चित न्यूनतम् सीमा
			से अधिक हो।
(२)	एक कम्पनी पर ग्राय कर व	(7)	ग्राय-कर व ग्रधि-कर के लिए
	मधि-कर लेने की दरें धन्य कर-	( ' '	दरों की एक तालिका दी हुई है,
	दातामो की कर की दरौं से	1	जोकि कम्पनी पर लगने वाले कर

करपनी का कर निर्धारण (Assessment of Companies)-

प्रत्येक कम्पनी के प्रमुख घषिकारी को आय-कर अधिकारी के पात कम्पनी की माम का एक विवरण-पन भेजना पडता है। माय-कर कम्पनी के उपर सगता है भीर यह भागभारियों की भीर से (on behalf of) माम-कर नहीं देती है। अध-भारी को भारने सिक्तन वाले लाभांदा पर स्वयं कर देना पडता है। एक कम्पनी की माम कितनी हो कम नयों न हो, परन्तु उस पर ग्राय-कर सनेगा है। पित्रीमित किये हुए बीनक मुखी पर विशेष मीच-कर सनता है।

### स्राय-कर अधिनियम की धारा २३-A --

जो क्रांतियाँ कुछ घनवान व्यक्तियो द्वारा चलाई जाती है, प्राय: उनके मालिक क्रमनों के लाभ के बहुत कम भाग की लाभाँश के रूप में वितरण करते हैं, क्योंकि

वे लोग यह जानते हैं कि यदि उन्हें कम्पनी से ब्रधिक लाभाग प्राप्त होगा तो उनको प्रधिक ग्राय वर देना पडेगा। अतः भ्राय-कर थचाने की दृष्टि से वे लोगकम लाओं ब बाँटते हैं। इस प्रकार की मालिकों की चालाकी को समाप्त करने के लिए भाग-कर मधिनियम की धारा २३ A मे निम्नलिखित नियम बनाए गए हैं :---

यदि भाय-कर अधिकारी को यह विश्वाम हो जाय कि एक कम्पनी द्वारा बाँटे हुए लाभांश उस लाभांश से कम है जो कि आय कर अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया है तथा जिनका वर्णन भागे किया गया है तो ऐसी कम्पनी धारा २३ के अनुसार निर्पारित स्राय कर देने के सलावा गदि विनियोगी कम्पनी है तो ५०% प्रवि-कर सुमनि के रूप में देगी और यदि ऐसी बम्पनी विनियोगी कम्पनी नहीं है तो निर्धारित प्राय-कर देने के अतिरिक्त ३०% अधि-कर जुमनि के रूप मे देशी। ये जुमनि बिना बेटे हुँए लाभ पर निकाले जाते हैं। परन्त इस प्रकार के जमनि करने के लिए बाय कर मिषकारी को 'इन्सपेबिटम ग्रासिस्टेन्ट कमिश्नर' से ग्राजा लेनी पडेगी।

जो कम्पनियाँ नीचे लिखी हुई दरों से भ्रपने लाभ में से लाभाँश बाँटती हैं उन पर ऊपर लिखे हए जुर्माने नहीं किए जाते हैं :--

( अ ) एक विनियोगी कम्पनी होने पर 80%

(ब) एक ऐसी भारतीय कम्पनी होने पर जो कि निर्माण नार्य या खानों का कार्य या बिजली बनाने व वितरश करने का

कार्य या अन्य किसी शक्ति बनाने का कार्य करती हो। ٧٠% (स) एक ऐसी भारतीय कम्पनी जो कि अगतः '(ब)' मे बताए हए

20% कार्य करती है तो इस कार्य के लाभ पर परन्त ग्रन्य कार्य के लाभ पर :-यदि यह कम्पनी घारा २३-A

sub clause (a) of clause (1v) की शर्ते परी करती है % هع (11) अन्य मामलो पर **£**½%

(द) ग्रन्य कम्पनियां जो ऊपर दिये हुए विवरण मे नही

ग्राती हैं :--( 1 ) यदि इनके एकत्रित किए हुए लाभ भौर सचय

इनकी चुकता पुँजी से अधिक ही

80% (11) धन्य कम्पनियों मे **54%** 

नीचे लिखी दशामों में भाग-कर प्रधिकारी जुमति के रूप में मधि कर नहीं

लेंगे :----( 1 ) जहाँ कम्पनी ने पिछले वर्षों में बहुत सी हानियाँ उठाई हो। या लाभ

बहुत कम हुए हों ग्रीर प्रधिक लाभाश बाँटना उचित प्रतीत न होता हो,

( 11 ) जहाँ भिषक लाभाश बाँटने से माय (Revenue) की हानि होगी ।

पारा २३ A उन कम्पनियो पर नहीं लगती है जिनमें 'पब्लिक वास्तव में दिलवस्सो रखती है।' या जो ऐसी कम्पनियो को शत प्रतिशत सहायक वर्म्यानिया है। पारा २३-A Explanation 1 के ब्रमुतार जो वर्म्यानी नीचे लिखी हुई

घारा २३-A Explantion 1 के अनुसार जो कम्मती नीचे लिखी हुई सर्ते पूरी करती है वही ऐसी कम्मती कही जायगी जिसम 'पब्लिक वास्तव मे दिलबस्सी रखती है':---

्रा) ग्रह एक ऐसी कम्ननी है जिस पर कि सरकार का स्वामित्व है या जिसमें ४० प्रतिसत या इससे प्रविक ग्रस सरकार के हैं।

(11) यदि यह कप्पनी प्रधितियम के अनुमार एक प्राईवेट कम्पनी नही है भ्रोर यह पारा २३ A Explanation 1 के clause (b) में दी हुई सब शर्तों को परा करती है।

कम्पनी और आय-कर-

प्रत्येक कम्पनो के लिये आय-कर की दर कुल का २० प्रतिशत कर दो गई है। ऋधि-कर (Super-tax)—

नम्पनी के लिए कुल झाय पर जुनर टैनस की दर ११ प्रतिशत निस्चित की गई है. परन्त नीचे लिखी परिस्थितियों में कम्पनी को छूट (Rebate) मिलेगी :—

- (१) जुल ग्राय के उस भाग पर ४४% जो कि एक भारतीय सहायक कम्पनी के लाभाश से सम्बन्धित है, कुल ग्राय के उस भाग का ४०% जो कि किसी हुगरी ऐसी भारतीय कमनी के लाभाश से सम्बन्धित है जो कि १ ग्राम्त सन् १६४६ सने को बार जिस्टर्ट हुई है, और जुल ग्राय के बाकी भाग पर ३४% की छूट उस कम्पनी ने से लागाओं के कि
  - (ब्र) ३१ मार्च सन् १६६१ को समाप्त होने बाते वयं के लिये ब्रपने लाभो पर प्राय कर प्रधिनियम के घनवांत कर देने के योग्य होगी, जिसमे प्राय कर प्रधिनियम को घारा १८ (३) के प्रमुदार इन लाभो मे से भारतवर्ष के घनदर लाभाश घोषित करने धौर भ्रुगतान करने के लिये निर्घारित प्रकथ कर लिया है।
  - ( ब ) ऐसी कम्पनी है जिसना वर्णन भाय-कर अधिनियम की धारा २३ A (६) में किया गया है और इसनी कुल ग्राय २४,००० रु० से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ~; (२) हुल झाय के उस भाग पर ४५% जो कि एक भारतीय सहायक कम्पती के लाभाग से सम्बन्धित है, कुल झाय के उस भाग का ३५% जो कि किसी दूसरी ऐसी भारतीय कम्पनी के लाभाग से सम्बन्धित है जो कि १ प्रमेंत सद १६४६ या सके वाद रिकटर्ड हूं है थोर कुल झाय के वादी भाग पर ३०% की सूट उस कम्पने का दी आपमी जो कि उत्तर प०१ के झन्तगत दो हुई दो सतों में से मानक विच्छा (१२)

\$0= ]

पहली शर्त जो (अ) के अन्तगंत दो हुई है, को पूरा करती है और (व) वालो शर्त नहीं पूरा करती ।

(३) जुल आय ने उस माग पर ४५% जो कि एन मारतीय सहायक कम्पानी ने लामाय से सम्बन्धित है, जुन प्राय के उस माग ना २२% जो कि विसी हुसरी ऐसी भारतीय कम्पानी ने लाभारा से सम्बन्धित है जो नि १ प्रमंत सन् १६५६ या इसके बाद रिनस्टर्ड हुई है, फ्रीर कुल खाय के बानी भाग पर १२% की छूट ऐसी कम्पानी की दी जायगी जिल्ह ऊगर समझायी हुई (१) धीर (२) वे धन्तगत कीई छट नहीं मिलती।

घाटे की पूर्ति (Set-off Losses)-

यदि एक कम्पनी क्ट्रं ब्यापार करती है हो वह एक ब्यापार की हानि को दूसरे ब्यापार के लाम से पूरा कर सकती है। यदि दूसरे ब्यापार का लाम उस हानि को पूरा करने के लिए पर्यात न हो तो हानि प्रगत वर्ष के बाई बाती है।

यदि एक निवासी करानी को विदेशी व्यापार में कुछ हानि हुई है हो उस हानि को भारत के व्यापार की झाय स पुरा किया जा सकता है।

जो क्यांनी एक ही ब्यापार करती है उसे यदि हानि हो तो वह अपनी हानि को अपने वर्ष की आय से पूरा कर सकती है।

श्राय-कर से सम्बन्धित बम्पनी के वर्त्तन्य--

(१) लाभारा के बारे में मूचना देना—एक कम्पनी के मुख्य प्रधिकारी को प्रति वर्ष १५ जून की या उनक पहल प्राव कर प्रधिकारों के पास एक विवरण भेजना चाहिए, जिसमें उन प्रदाशारियों के नाम व पत विवतना चाहिए जिए इस प्रधिनियम में निश्चित की हुई रक्त में प्रधिनियम में निश्चित की हुई रक्त में प्रधिन लाभारा गत वर्ष दिया गया है। यह ना चाहिए। इन स्वाधितियों को कितना लाभाव दिया गया है, इसका भी उल्लेस उसी प्रारं पर होना चाहिए। विवर्ष होते हुई हो कि तम स्वाधित्यों के कितना लाभाव दिया गया है, इसका भी उल्लेस उसी प्रायं पर होना चाहिए।

(२) प्रत्येक कम्पनी का मुख्य श्रीयकारी प्रत्येक वर्ष ३१ माच के बाद ३० दिन के अन्दर प्राय-वर प्रियक्तरी के पास उन सब लागो के नाम व पते मेजता है जिनता बेनन प्राय-कर लग्ने योग्य हो।

(३) प्रत्यक कम्पनी का मुख्य प्रधिकारी कम्पनी की बुल ग्राय का विवरण

द्याय कर प्रधिकारी के पास भेजता है।

घारा ४६ B B--

(१) यदि एक भारतीय करानी ने या एभी करानी ने जिसने भारत के भ्रादर लामाय का पोषिन करने भ्रीर धुगतान करने का निर्धारित प्रकथ किया है। भ्रापनी जन गत वय स सम्बंधित जो कि ३१ मार्च सन् १९६० से पुरु होनी बाली करदय दर्प से पहल भ्राजी है, किसी एस लाभीत का पूर्णत्या या भगतः, जो कि भ्रपने ऐसे लाभ में से दिए गये हैं जिस पर कि १ मर्पन सन् १६६० के गहले करदेय वर्ष म म्राय-कर लग चुका है, चुनतान करती है भीर धारा १० के मनुतार मास-कर कटती है तो ऐसे कम्पनी को उस मास-कर पर क्रीडिट दिया आपगा, जो कि इसके हारा उठ गत वर्ष के लाम-हानि पर देय है, विसमें लाभाग का मुगतान किया जाता है।

(२) उप पारा १ के प्रतुनार प्राय कर की जिननी रकम की क्रेंडिट दिया जादमा बहु उन पारा १ में समभावे क्वे लागीन के १०% के बरावर होनी चाहिए।

यह घारा वित्त समिनियम छन् १६२० द्वारा जोडी गई है।

करानी श्रोर वित्त अधिनियम सन् १६६०--

- (१) कम्मिनियो पर आय-कर की दर २० प्रतिकात कर दी गई है, अवकि मनी तक माय-कर व सरकार्ज मिला कर ३१ ५ प्रतिकात थी।
- (२) जिन मारतीय वस्पनियों की साथ २४,००० र० से स्थिक है. स्न पर सुर टैक्स की दर २५ प्रतिन्तत कर दी गई है, इतलिए इन कम्मनियों पर साथ कर क मुक्तर टैक्स मिलाकर ४५ प्रतिनात होता है, जबकि इस समय तक दे दरें ४१-५ प्रतिनात थीं।
- (३) विदेशी वन्त्रतियों की भारतीय सालामी पर आय-कर व सुपर टैक्स की दर ६३ प्रतिगत कर दो गई है, जबकि सभी तक यह दर ६१ ५ प्रत्यित यो ।
- (४) मूत्रवारी क्नानियों के लिए, चाहे वे भारतीय हो प्रयवा विश्वी, भारती सहायक भारतीय कम्पनियों से प्राप्त होने वाले सामीन पर मुपर टैक्स की दर १० प्रतितत है और यही दर भव तक थी।
- (१) एक भारतीय कम्मती है, जो कि सहायक कम्मती नहीं है धौर १ धर्मत तुन् १६६० या इनके याद बनी है, क्लिंग कम्मती द्वारा प्राप्त होने वाले लामास पर सुपर टैन्स की दर, यदि वह भारतीय कम्मती हो, १ प्रतिसात से धौर यदि वह विदेशी कम्मती है से १० प्रतिसात कम्मता हो गई है।
- (६) तरुद प्राप्त हुए प्रीतियम में से निगमित हुए बोनस भ्रा नुपर टेंस्ट के लिए इपरे बोनस भ्रा की तरह प्रयोग किए बार्ची। मारतीय कम्पनियो को दिए जाने वाले प्रनिष्ठियो के क्याज व लाभीग पर ट्वाम के स्थान पर कार्ट जाने वाले तुपर टेंस्स के प्रदा कर १० प्रतिज्ञत कर ११ गर्दी है। इस प्रकार कि क्याच में किए से प्रदा है। इस प्रवार के क्या कर १० प्रतिज्ञत कर ११ गर्दी है। इस प्रकार कि स्वत में किए की प्रतिज्ञत कर ११ गर्दी है। इस प्रकार कर कर श्री गर्दी है।
  - (७) एक मास्तीय कमानी द्वारा, जो कि सहायक कमानी नहीं है और १ मनैत तुन् १८४६ की या इतके बाद स्थानित हुई है, एक विश्वी कमानी की जिस बाने वाने लामाय पर वाट बाने बाते नुसर टैक्स की दर ४०% में घटा कर ३३ प्रतिशत कर थी नहीं है।

( प ) भारत का जीवन बीमा निगम के लिये सुपर टैक्स की दर २२ ध प्रति शत पर स्थिर कर दी गई है। ताकि वाय कर व मुपर टैक्स की दर मिलाकर ४२ ध प्रतिसत हो जाय, जैसी कि कमी तक रही है।

### स्थानीय सरकार (Local Authorities)-

स्थानीय सरनार को उस आय पर कर देना पडता है जोकि उसने धनने धन के बाहर से प्राप्त की हो, जैसे—यदि एक म्यूनिसपेलिटी पनने केन के बाहर कीई प्राय प्राप्त करे तो वह चाहे जितनी कम क्यो न हो, उसे उस पर कर देना पडणा। स्थानीय सरचार की मुल भ्राय पर ३०% श्राय कर सगता है और १६% सर चाज सगता है।

यहा यह घ्यान देने योग्य बात है कि बाँद स्थानीय सरकर अपने क्षेत्र म कोई आय प्राप्त करती है तो उस आय पर कोई वर नही लगेगा।

### QUESTIONS

- 1 (a) State briefly the difference between registered firm and unregistered firm

  (Agra B Com 1949 50 52 56 58)
  - (b) Explain the procedure of registration of firm from Income tax point of view
- What important changes have been introduced in Company Taxation by Finance Act 1960
- 3 Differentiate between —
- 3 Differentiate between
  - (a) Losses of Regd firm and Unregd firm (b) Assessment of Regd firm and Unregd firm
  - (b) Assessment of Regd firm and Unregd firm
    (Rat B Com 1956)
- 4 Explain any two of the following terms -
  - (a) }
    (b) } These parts do not relate to this chapter
    - (c) I nese parts do not relate to this chapte
  - (d) Assessment of a registered firm (Raj B Com 1960)

## श्रध्याय १५

# कर निर्धारण करने की विधि तथा अपील

(Assessment Procedure and Appeal)

साधारण नोटिस (General Notice)-

प्रति वर्ष र प्रप्रेल व १ मई के दोच में प्राय कर प्रियंकारी एक साधारण नीटिस उन व्यक्तियों के लिसे प्रखबारों में दूराता है जिनकी गत वर्ष की प्राय करदेव हो। इन व्यक्तियों को प्रत्नी आमदनी के नकतों को ६० दिन के घन्दर शाय-कर प्रविकारी के पास भेवना चाहिए।

दयक्तिगत नोटिस (Individual Notice)--

घारा २२ (२) के ब्रनुपार ब्राय-कर अधिकारी व्यक्तिगत नोटिस उन व्यक्तियों के पास भेजता है जितके बारे में बड़ सड़ समक्ता है कि उनकी आय करदेव हो गई है। इस नोटिस के प्राप्त होने के ३० दिन के धन्दर प्रत्येक करदाता को अपनी आय का नवता क्या-कर अधिकारी के पास भेज देना चाहिए।

धारा ३४—

यदि किसी व्यक्ति को व्यक्तिमत नोटिस नही मिला है घीर यदि वह साधारण नोटिस के अनुसार अपनी आमदनी का नव्या आय कर अधिकारी के पास नहीं भेजता है, तो भी उस पर आय-कर प्रधिनियम की धारा ३४ के अनुसार कर लग सकता है। हालि का विकास-

यदि किसी ब्यापारी को हानि हुई है और उसे आमदनी का नवता देने के लिये व्यक्तित्व सीदेश नहीं मिला है तो भी उमे अपनी आमदनी का नवता आय-कर अधि-कारी के पास भेंत्र देना चाहिए, ताकि उसे भविष्य में अपनी हानि की अतिसाद करने का अधिकार बना रहे।

जर दिए हुए साधारख नीटिस और ध्यत्तिगत नीटिस के अनुसार आमदनी ' का नन्ता आय-कर प्रधिकारी के पास भेजने की श्रवधि ६० दिन व ३० दिन है। यदि साय-नर संधिनारी चाहे तो इन श्रवधियों को वहा सकता है।

(१) यदि साधारए। नोटिस के अनुसार ६० दिन की भवधि पूरी हो गई है। (२) व्यक्तिगत नोटिस के अनुसार ३० दिन की भवधि पूरी हो गई है और

किर भी करदाताम्रो ने अपनी मामदनी का नक्ता भाग-कर मधिकारी के पास नहीं भेजा है भौर म्राय-कर मधिकारी ने इन नक्तो के भेजने की मनधि को बढायाभी नहीं है तो आयकर द्यप्तिकारी जन पर जुर्मानाकर सकताहै, जो कि जनके द्वारा दिये जाने बाले आयकर के १-३ प्रनेसे मधिक न हो ।

## कर निर्धारण भी निधियाँ (Methods of Assessment)-

- (१) नियमित कर निर्धारण (Regular Assessment) ।
- (२) घस्थायी वर निर्धारण (Provisional Asse-sment)।
- (३) ग्रमाबारण कर निर्धारण (Emergency Assessment)। (४) ग्रतिरिक्त कर निर्धारण (Additional Assessment)।
- ( १ ) प्रतिनिधियो पर कर निर्धारण (Representative Assess

## नियमित कर निर्धारण---

ग्राय उर ग्रविनियम की घारा २३ में इसके सम्बन्ध में नियम दिये हुए हैं—

- (१) यदि करदाता द्वारा दिए हुए आमदनी के नवने को देखकर आय-कर अविकारी भो यह सन्तोष हो जाता है कि करदाता द्वारा प्रस्तुत किया गया आयदग्री का विवरण मन्तोषजनक है तो दह हती के आयार पर कर नियम्पित कर देता है। इस प्रकार के नियम्बित विय हुए कर को 'विवरण के आयार पर नियम्बि' (On the basis of Return) विया हमा कर कहते हैं।
- (२) परस्तु यदि आय कर अधिकारी करवाता द्वारा प्रस्तुत किए गये खानबनी के नवगे से सनुष्ट नहीं है तो वह करवाना से जसकी प्रसानी प्राधिक स्थित का
  पता लगाने के लिए मिन भिन अदन पूछना है घोर जिन बातो पर शहायें होती हैं
  जनक लिए सबूत मौराता है। करवाता का यह करांच्य है कि वह जीवत सद्वी के
  द्वारा आय कर प्रधिकारी को धरनो सही प्राधिक स्थिति का स्वात कराये। आय कर
  प्रधिकारी जक्ते नहीं खातों से सम्बन्धित अपनी (Documents) और प्रमाणको
  (Vouchers) को भी मौग सकता है। इस प्रकार को परिस्थित क धनुनार निन
  निन्न सेखी, प्रथो और प्रमाणकों की मदद से करवाना की सही आय का जान आय
  कर प्रधिवारी आह करता है और इन्हों के भाषार पर कर लगाता है। इस प्रकार
  लगाव हुन कर को 'सबूत के धाषार पर' (On the basis of Evidence)
  लगाया हुता कर कहते हैं।
- ( ३ ) जब स्टूत के झाधार पर कर लगाया जाता है तो आवश्यकता पडने पर साय कर ऋषिपारी करदाता को भी छुना सकता है। यह प्रधिकार पारा ३७ मे दिया हमा है।

(४) आय कर प्रीयकारी गत वर्ष से पहले ३ वर्ष क्षक के साते माँग सकता है और इनसे प्रीयक वर्ष के खाते नहीं माँग सकता है, पर तु जहाँ तक पत्रों व प्रमा-सात्रों का प्रका है, इस पर तीन वर्ष की प्रविध साम्न नहीं होती है। ( ५ ) घारा २३ (२) के अनुसार आय कर अधिकारी को सबूत (Evidence) के ब्राधार पर ब्राय-कर सगामे का श्रधिकार है।

उत्तम निर्णय के श्रमुसार कर निर्धारण (Best Judgement Assessment) —

नीचे लिखों तीन दशाग्रों में श्राय कर अधिकारी अपने निर्णय के अनुसार कर निर्धारण काता है:---

- (१) यदि व्यक्तिभत व रदाता घारा २२ (२) के ब्रमुक्तार एक निश्चित समय ने अन्दर अपनी बामदनी का नक्शा ब्राय-कर ब्रियिकारी के पास नहीं भेजता है।
  - (२) घारा २२ (४) के अनुसार आय कर अधिकारी द्वारा माँगे जाने पर अपने खाते, प्रपत्र (Documents) व प्रमाणक (Vouchers) को प्रस्तुत नहीं करता है।
    - (२) घारा २३ (२) के अनुसार बाद कर अधिकारी को सन्तुष्ट करने के लिए उसके द्वारा मंगि जाने पर सबुत पेश नहीं करता है।

सूच्य मे, इस प्रकार सम्फना चाहिए कि यदि ग्राय-कर प्रविकारी के पास ग्रामन्ती का नवशा दाखिल नहीं किया जाता है सौर यदि किया जाता है, तो प्राय-कर प्रविकारी उत्तमें सन्तुरूट न होने पर उसके रातते व प्रपत्न मंगता है, परन्तु करवाता है हे उसके पाम नहीं मेजता है ग्री यदि ग्राय कर प्रविकारी छुन्त देने के लिए करता है, तो करवाता कोई परवाह नहीं करता है। ऐसी दाशाओं में वाच्य होकर प्राय कर प्रविकारी अपनी बुद्धि के अनुसार निर्णय करके एक-पक्षीय (Ex-party) फैसवा देकर कर निर्विचत करने ही दिश्य के अनुसार निर्णय के अनुसार कर निर्विचत करने की विश्व को 'जसम निर्णय के अनुसार कर निर्विचत करने की विश्व को 'जसम निर्णय के अनुसार कर निर्विचत करने की त्रिव को 'जसम निर्णय के अनुसार कर निर्विचत करने की त्रिव को 'जसम निर्णय के अनुसार कर निर्विचत करने की त्रिव को 'जसम निर्णय के अनुसार कर निर्विचत करने की कर निर्विचत करने की विश्व को 'जसम निर्णय के अनुसार कर निर्विचत करने की त्रिव को 'जसम निर्णय के अनुसार कर निर्विचत करने की कर निर्विचत करने की विश्व को 'जसम निर्विचत करने की मुर्व बुराई यह है कि इसने करवाता का नकसान हो संक्वा है।

रण अथा का पुरंप कुष्य यह है। कि इसमें करदाता को मुक्तान हो सकता है। विताना उसे कर वास्तव में देना पड़ता है उसके देड गुने तक बुधांना देना पड़ता है, परन्तु दूतरे हॉप्टकेंग्र में यह पर स्वीत केर वास्तव में देना पड़ता है उसके देड गुने तक बुधांना देना पड़ता है, परन्तु दूतरे हॉप्टकेंग्र में यह पर सिवार की सीत उचित भी है, क्योंकि वह करदाता आयक्त प्रधानकारों के साथ सहकारिया न करने पर उताह हो जाता है तो आयव्य प्रधानकारों के पास एक पत्तीय कैताना देने के स्रतिरिक्त और कोई उपाय हो नहीं बचना है। उसा निर्माण के विकस्त उपाय (Remedies against Best Judgement Assessment)

(१) बारा २७ के अनुसार वरदाता उसी साय-कर प्रविकारी से जिसने कि इस प्रकार कर लगाया है, यह प्रायंत्रा कर सकता है कि वह प्रपत्ने दिये हुए निर्णय को रह कर दे और ऐमा करने के लिये उपके सामने उचित व सन्तोपवनक कारणों को दल । यह कारणा निर्वं हम प्राप्त का होना चाहिये कि जिन कारणों से बाध्य हो कर प्रविकारी ने एक-पत्तीय फैनला किया उनको करदाजा को न पूरा करने के कथा कारण में ? किये इस बात से कि कर क्षिक तम गया है, यह पैस्ता बहु नहीं हो अकता । यदि साम कर प्रविकारी करवाजा के हारा दिये गये कारणों में उन्तुट होना है, तो वह अपने निर्णय नो रह कर देता है स्रोर किर से कर निर्यारण करना है।

(२) यदि भाग वर अभिवारी वरदाता ने आर्थना वरले पर भी अपने दिथे हुये निर्माय को व्ह नहीं करता है हो वरदाता इस निर्मय के विद्य भाग ३० के प्रमुमार Appellate Assistant Commissioner के यहाँ अर्थाल वर सकता है।

Pratap Chand Gangault Vs. C. I. T. हे मामते में यह निर्मुच दिया गया था कि यदि यादा ३० के प्रन्तर्गत कोई मगित की जात सी Appellate Assistant Commissioner को इस कर निर्माश के उनित व अमुनित होने पर क्यान न देकर यह देखना स्रथनत आवस्यक है कि क्या कर निर्माश किर से गुरू किया जा सनता है। यह व्यान देने योग्य बात है कि Notice of Demand मात होने क ३० दिन के प्रन्यर ही यह स्वीन होनी चाहिए।

द्यस्यायी कर निर्घाग्स (Provisional Assessment)-

## धारा २३—B के ग्रजनार—

- (१) आय कर अनिकारी घारा २२ के अन्तर्गत आत हुन विकरणों ने बाद किसी भी छमन करदाता के लगर चनके विवरण, कार्जे और अनवीं के आयार कर अन्यामी कर निर्धारण कर सकता है।
- (२) पारा २२— B वे प्रतुसार प्रायक्तर प्रविवासी एवं ऐसे सामेदार की स्राय पर कर निर्धारण कर सकता है जिसने प्रपत्ती निजी प्राय का नक्सा साय-कर अधिकारी वे काम न भेता हो, यदावि उस फर्म की स्राय का नक्सा प्रायक्तर समिकारी के पास पहुँच गया हो।
  - (३) धारा २२—B (४) ने कतुमार ब्रह्मायी नर निर्धारण के विरुद्ध भरील नहीं नी जा मुक्ती है।
- (४) भारा १० दा १०— À हे भट्टचार दिया गया ग्राय कर ग्रस्थायी कर किन्द्रीराष्ट्र के निर्देश द्वार साना जाता है।
- ( ५ ) बारा २३—B (३) ने प्रमुखार एक धनरजिल्टड फर्म पर सम्यामी कर निर्वारण किया जा उनता है, यदि यह पर्म केन्द्रीय सरकार हास इस सम्बन्ध में निदिक्त की हुई राजों को पूरा नहीं करती है।
  - (६) निर्धारित विया हुमा धम्थायी कर करवाता हारा प्रवस्य ही निविचत

समय के फ्रन्दर भुगतान कर देना चाहिए। ऐसा न करने पर कर के बराबर जुर्माना किया जा सकता है।

(७) अस्थायो कर पर दी हुई रवम नियमित कर निर्धारण के समय समा-योजित (Adjust) कर दी जाती है।

### ग्रसाधारण कर निर्धारण (Emergency Assessment)-

- (१) 'गत वयं' की परिभाषा समक्तित समय ग्रह बताया जा जुका है कि प्रत्येक कर-दाता को सपनी गत वर्ष की झाय पर वर्तमान वर्ष में कर देना पड़ता है, परन्तु धारा २४— A के भ्रमुक्ता कर-दाछा की वर्त-सान वर्ष की झाय पर वर्तमान वर्ष में ही वर देना पड़ना है।
- (२) बाद प्रत्येक व्यक्ति की गत वर्ष की ब्राय पर ही कर लगाया जाय तो कुछ व्यक्ति कर देने से बच सकते हैं, जैसे विद कोई व्यक्ति कार देने साम कर पैदा करने के बाद उसी वर्ष हमेशा के निये विदेश चका जाय तो वह बपने को कर देने से बचा सकता था। इस प्रकार के कर अपवन्त (Tax Evasion) को रोक्ते के लिए झाय-कर अधि-बारियो को यह प्रयिकार दे दिया गया है कि विद छोय इस बात का विद्वास हो जाय कि कोई व्यक्ति हमेशा के लिए भारत छोड़ कर जा रहा है तो वह ऐसे व्यक्ति से प्यानी झामश्री का नकशा सात दिन के अस्तर दाखिल करने के लिए वह ।
  - (३) यह नक्ना प्राप्त हो जाने के पश्चात् या यदि नक्या प्राप्त न हो वो सात दिन की प्रत्रिव समात होने के पश्चात् ग्राय कर प्रविकारी उस व्यक्ति पर कर निर्धारण कर सहता है।
  - (४) कोई व्यक्ति बिना कर दिये हुए भारत से बाहर न जा सके, इसिलए यारा ४६ — A के भनुतार उसे आय-कर अधिकारों से कर भुगतान का प्रमाण-पत्र (Tax Clearance Certificate) लेना पडता है। यदि आय-तर प्रधिकारों को यह विस्तात हो। यदा है कि विदेश जाने वाले व्यक्ति की आय कर देने योग्य नही है या नर देने योग्य और उसने कर दे दिया है या कर देने योग्य है, परन्तु वह व्यक्ति गीझ ही भारत वारास आ जायेगा तो उसे 'कर-मुक प्रमाण पत्र' या 'कर भुगतान का प्रमाण-पत्र' दे सकता है।

## श्रतिरिक्त कर निर्धारण (Additional Assessment)-

घारा २४ के अनुसार यदि भाय-कर अधिकारी थे। इन बात का विश्वास है कि सूत्र से करदाता की किसी वर्ष की आय पर कर नहीं लगाया गया है या यदि लगाया गया है सो उचित दर से कम पर लगाया गया है या करदाता ने उचित्र छूट से अधिक छूट ले ली है या अधिक हानि या ह्रास को काटा गया है तो वह किसी भी समय फिर से कर निर्धारण कर सकता है।

नीचे लिखी हुई दत्ताग्रो मे आय कर अधिकारी 'प्रतिरिक्त प्राय-कर' के लिये नोटिस निर्णेयन नही कर सकता है :—

- (१) ३१ मार्च सन् १६३६ के पहले की विसी वर्ष के लिए।
- (२) उस वर्ष के बाद द साल समाप्त हो जाने पर, यदि ग्राय १ लाख रूपी से म्यायक नहीं है।
- (३) अन्य किसी वर्ष के लिए, जिमे कि झाय-कर अधिकारी स्वय उचित समके।
- (४) यदि घारा ४३ के अनुसार नरदाता जियेगी व्यक्ति ना एजेंग्ट है तो उस वर्ष के बाद दो साल समाप्त हो जाने पर श्रतिरिक्त कर किसी भी वर्ष की आय पर निर्धारित नहीं किया जा सकता।

🆊 जैसे कमाश्रा वैसे ही चुकाश्रो (Pay as You earn)—

प्रत्येद व्यक्ति को वर्ष के अन्त में इक्ट्रा आयत्कर देने में बिठनाई, मनुविषा व भार अनुभव होता है, मतः सरकार को और से बेतन वो छोडकर बाको आयों पर 'जैंते कमाओं वेरे ही चुकाओं' वाली विधि अयोग की जा सकती है। इस विधि के मनुवार जैसे जैसे आम पैदा होती जाती है वैसे-बैत उसी समय पर कर भी दिया जाता है, ताकि वर्ष के अन्त में इक्ट्रा कर न देना पड़े। बादवर में यह कर समय पे पहले दिया जाता है। इसनिष् इसे 'कर का अधिम सुगतान' (Advance Payment of '(Lax) भी वहते हैं। यद्यपि धेतन को छोडकर वाकी तभी आयों पर आय-कर वा प्रविम गुनतान होता पत्नु जिन जिन सायों पर धारा १८ के अनुमार उद्शम पर कर वाट विया गया होता परन पर कटे हुए साय-कर का अंडिट दिया जायेगा।

(१) यह कर देने का दायित्व उसी समय पाता है जबकि करदाता की भ्राय पिछले वर्ष में न्यूनतम् करदेय भाग से २,४००) रुपए प्रिषक रही हो।

- (२) कार दिए हुये न० १ की परिस्थिति में आप-कर अधिकारी करवाता के पास तिमाही कर घडा करने के लिए नोटिस मेजते हैं। इस नोटिस के अनुसार १५ इन, १५ मितम्बर, १५ दिसम्बर और १५ मार्च को प्रति वर्ष कर देना पडता है।
- (३) इसमें वर्तमान वर्ष की दर से झाय कर लगता है।
- (४) कर की दर निश्चित करने के लिए करवाता की वही स्राय मानी जाती है जो कि पिछले वर्ष थी।
- (५) जनर दो हुई तिथियो पर नर देना झावस्यक है। इन किस्तो के भुगतान के लिए अवधि बढ़ार्द नहीं जातो है, केवल कमीधन के लिए घवधि वढ़ सकती है, क्योंकि इसका भुगतान एक विशेष प्रकार की निस्चित तिथियो पर होता है भीर ये तिथियों प्रत्येक कम्पनी में भ्रवण प्रवण हों सकती है।
- (६) यदि करदाता का विश्वास है कि उसकी कुल ग्राय उस आय से कम होगी जिसे आय कर दिभाग ने निश्चित किया है तो वह अपने अनुमान के आधार पर कर अदा कर सकता है।
- (७) यदि करदावा धरानी कुल आय के अनुमान के आधार पर कर देवा है तो भूल के लिए २० प्रतिशत की Margin दी जाती है। यदि निमित्त कर निपारिए। (Regular Assessment) के कमन यह पाया गया कि करदावा ने निव अनुमानित आय पर कर निया घा वह कर सबली आय पर दिये जाने वाले कर के प्रतिशत ते कमा है तो पा प्रतिशत से कमा कमाया जायागा। यह व्याज उस आधिकत से कमा कमाया जायागा। यह व्याज उस आधिकत से कमा कमाया जायागा। यह व्याज उस आधिकत से विश्वा की अनिस्त कर निर्मारिक कि अधिम (Advance) कर दिया था, निय्मित कर निर्मारिक की अधिक तक ला लगाया जायागा और यदि आय कर अधिकारी की यह विश्वास हो। जाय कि सह भूल जान नुभकर की गई यो तो वह उस पर जिनना कम कर दिया है उसके १३ नुने के कराजर तक जुमनिता भी वर सकता है, दिशिष करदावा को यह अधिकार है कि वह १५ मार्च के पहले कमी भी अपने अनुसान की दूरदा सकता है।

कहीं करदाता, जो कि निवासी है, को घारा १८ A (१) के अनुसार याधिम कर देना पड़ता है और करवाता घारा १८ A (२) के अनुसार कपनी आप का अनुसार नमाता है तो उसे अपने अनुसान में साभात की रवण को भी गामिल करना चाहिये। ये विक करवाता ने ताभारा की रवण की अनुसान में शामिल नहीं किया है और उसके द्वारा मुगतान किया हुआ कर निवमानुद्वार संग्रे गांधि कर के द्वार प्रतिवात से

कम है तो करदाता की प्रपत्ती लाभाश की घाय पर जुमनि के रूप में घारा १८ A
(6) के प्रमुखार ब्याज देना पड़ेगा ।

[C. I. T. Bombry city V. Purshottamdas Thakurdas July 3, 1959]

- ( म.) यदि किसी ऐसे वरदाता ने बश्चिम कर नहीं दिया या, जिसकी कुल ब्राय ऐसे कर देने नी निस्चित सीमा से अधिक घी सो उसकी ब्राय के कर पर भी ४%, ब्याज सिया जायेगा और खर्माना भी किया जायेगा।
- (६) यदि अग्निम दिया हुआ। कर वर्ष के अन्त में निकाले हुए कर की गुलना में अधिक हैं तो केन्द्रीय सरकार ४% ब्याज इस अधिक रकम पर देती हैं।
- (१०) यह योजना सन् १९४४ में मुद्रा स्फीति (Inflation) की रोकने के लिए शरू की गई थी।

### Postponement of Advance Payment of Tax-

घारा १५— $\Lambda$  (4) के स्रवुतार यदि कोई द्वाय करराता कमीशन के रूप में प्राप्त करता है तो इस साथ पर कर भिवय्य के लिए टाला जा सकता है, परन्तु जिस तारील पर कमीशन प्राप्त हो उस तारील के १५ दिन के स्र दर यदि कर स्रदा नहीं किया गया है सो इस कर पर ६% व्यात्र लिया गया है सो इस कर पर ६% व्यात्र लिया लाएगा। यह कर टालने की सूचना करताता की साथ कर स्रिकारी नो सबस्य देनी चाहिये।

## प्रतिनिधियों पर कर निर्धारण (Representative Assessment)—

आय-कर अधिनियम की धारा ४० और घारा ४१ में इस प्रनार के कर निर्धारण ना निवरण दिवा हुमा है। इसका आध्य यह है कि कर बजाब उस ट्यसिं पर लगाने ने, जिये कि धाय प्रास्त हुई है उसके प्रतिनिधियों पर सवाया जाता है जैसे—सरसक (Guardians), प्रयागी (Trustees) आदि।

श्रावयस्क की श्राय पर कर निर्धारण (Assessment on minors income)—

धारा ४० के धनुसार प्रवयस्क पर कर लिया जा सकता है, यदि प्रवयस्क का कोई सरक्षक है, जिसे कि प्रथयस्क की धारा प्राप्त करने का प्रविकार है वो उसके उगर बढ़ी प्रकार कर सवाया जाएगा जिस प्रकार कि घययस्क पर वयस्क हो जाने के बाद सकते द्वारा प्राप्त की हुई कार पर लगाया जाता है।

यही नियम पागल व्यक्तियों के सरक्षकों के ऊपर भी लगता है।

कर निर्धारण का स्थाम (Place of Assessment)---धारा ६४ के प्रनुवार---

(१) कर निर्धारण का प्रधिकार उस स्थान के प्राय-कर प्रधिकारी मो होता

है, जहाँ करदाक्षा निवास करदाता है।

- (२) यदि कोई करदाता एक स्थान पर रहता है और दूसरे स्थान पर व्यापार करता है तो जिस स्थान पर व्यापार करता है उस स्थान का साथ कर सथिकारों उस पर कर लगायेगा।
- (३) यदि एक करदाता भिन्न-भिन्न स्थानो पर व्यापार करता है तो वहां का प्राय-कर अधिकारी वर लगायेगा, जहां कि करदाता का मुख्य व्यापार होता है।

कर प्रमुली की सूचना और कर की वसूली ( Notice of Demand & Recovery of tax)---

में से किसी भी अकार को नियांत्रित कर को के बाद आय-कर अधिकारों के राज विधियों में से किसी भी अकार को नियांत्रित कर को के बाद आय-कर अधिकारी कर यूज़्त करने को यू त्वान करते की एक में किसी (अ) कर (अ) करने को त्वाना या (अ) कर (अ) कर (अ) कुमांता या (अ) क्याज, जो कि आय कर अधिनियम के अयत्र त्यापी गए हैं, को वसूत करने के लिए दी जानी है। आय-कर अधिनारी को इस मुख्ना देने का अधि-वस्त अधिनारी को इस अधुवार अपने इस अधिन अधिक के साथ वस आया कर अधिकारी की आशा की निवार भी जीती हैं, जिसके अधुवार कर नियांत्रिण किया गया था।

करदाता का यह कर्तव्य है कि वह इस नोटिस में लिखी हुई झविष के अन्दर किसी सरकारी खजाने म कर जमा कर दे।

यदि करवाता कुछ कारायुवा इस मूनना में दी हुई घर्षाय के सन्दर भुगतान नहीं कर पाता है तो यह साय-कर स्रियारों ने प्राप्तन करके इस स्वर्षय को बढ़वा सकता है, परनु पर्यि को करवाता तान हुक्कर निश्चित प्रत्यों के स्वर्पर कर सुध्यान नहीं करता है तो साम कर प्रविकारी बाग ४६ के अनुसार तथ पर जुर्माना कर सकता है, परनु यह जुर्माना स्वर्पक से स्वर्पय कर सकता है, परनु यह जुर्माना स्विक से स्वर्पय कर सकता है, परनु यह जुर्माना स्विक से स्वर्पय कर सकता है, परनु यह जुर्माना स्वर्पक से स्वर्पय कर सकता है, परनु यह जुर्माना स्विक से स्वर्पय कर सकता है, परनु यह जुर्माना स्विक से स्वर्पय कर सकता है, परनु यह जुर्माना स्विक से स्वर्पय कर सकता है, परनु यह जुर्माना स्विक से स्वर्पय कर सकता है, परनु यह जुर्माना स्वर्पक से स्वर्पय कर सकता है, परनु यह जुर्माना स्वर्पक से स्वर्पय कर सकता है, परनु यह जुर्माना स्वर्पक से स्वर्पय कर स्वर्य कर स्वर्पय कर स्वर्पय कर स्वर्पय कर स्वर्पय कर स्वर्पय

यदि ग्राय कर प्रधिकारी के पूरे प्रयत्न किये जाने पर भी करदाता कर का भूगतान नहीं करता है। तो वह नीचे लिखी हुई विधियों को अपना सक्ता है :—


- (१) यदि करदाता का बैक में खाता है तो वह उस खात पर कब्जा कर सकता है और उस रकम के द्वारा कर वसल कर सकता है।
  - (२) यदि करदाता कही नौकर है तो ग्राय-कर ग्रंथिकारी उसके मालिक से वेतन में से ग्राय-कर भुगतान वरने के लिए कह सकता है।
  - वतन म सं याय-कर भुगतान करने के लिए कह सकता है। (३) यदि किसी के पास करदाता का रुपया जमा है तो उससे याय-कर अधिकारी कर वसूल कर सकता है।
  - (४) मिट ज्यर दो हुई सीनों विधियों से कर वसून न हो या पूरा कर बसून न हो तो बढ़ जिलाधीश को सूबना दे सकता है कि वह इस करवाठा से कर की रकम मालगुजारी (Land Revenue) की तरह वसून करें।
  - तरह वसून करे।
    (५) जिलाशीरा के मागने पर भी यदि करदाता प्राय-कर की रकम नही दता
    है तो उसकी सम्पत्ति मीलाम की जायगी भीर जैसे भी सरकारी लगान

की बसूली होती है वैसे ही कर बसूल किया जायगा।

₹€• 1

Attached

कर निर्घारए। नी विधि को भली भाति समभने के लिए नीचे बने हुए चार्ट



Realises like land revenue if does not comply with demand notice within specified time Note-1f I T. O is satisfied with returns, accounts & evidence he

may pass assessment order and then issue demand notice मतक की आय पर कर निर्धारण (Assessment of the Deceased)-यदि कोई व्यक्ति आप पैदा करने के बाद विना धाय-कर का भुगतान किए हुए मर गया है तो घारा २४-छ के प्रनुष्ठार उपकी प्राय पर कर मुगताण करने का दायित्व उसके उत्तराधिकारियो पर होता है, परन्तु यह कर उस मरे व्यक्ति की सम्पत्ति में से बनूत किया जाता है। यदि उसकी पूरी सम्पत्ति प्रयोग करने पर भी कर का सुगतान नहीं होता है तो उत्तराधिकारी अपनी सम्पत्ति में से बुद भी नहीं देगा।

यदि करवाता नोटिस छ्पने के पहिले ही भर जाता है, तो उसके उत्तराधि-कारियों को नोटिस दिया जायना भीर ने सब कार्यवाडियों, जो कि मरे हुए करवाता पर भरते के पहले होती, प्रब उद्यक्ते उत्तराधिकारियों पर होगी, परन्तु उत्तराधिकारियों पर मत करवाता की गलतियों का दुर्यांग नहीं हो सकता है।

## उद्यम पर कर काटना (Deduction of Tax at Source)-

(१) कोई भी आिंक जिसका दायिरन वेतन देने का है, धाय-कर भीर श्रिक पर केर ने देन का है, धाय-कर भीर श्रिक करने केर कार्टिया (निवासी वर्मवारियों के वेतन में से धाय-कर भीर श्रीय-कर उस दर पर काटा जायगा जो कर्मवारी को वेतन नीपेंक के श्रान्टर प्राने वाली प्रमुमानित श्राय पर लगती हो। यहाँ यह स्थान देने योध्य बात है कि वेतन देने वाला निवासी कर्मवारी की आय में से उस दर पर कर नही काटता है जीकि उसकी कुल प्राय पर लगती हो।

विदेशी कर्मचारियों के बेतन शीर्यंक में आने वाली अनुमानित आय पर निर्धारित दर (Prescribed Rates) पर उद्गम स्थान पर कर काटा जामेगा।

- (२) कोई भी ब्यक्ति, जिसे करदाता को प्रतिभूतियो पर ध्याज देना है, कर काटने के बाद ही ब्याज देगा । यह कर निर्धारित दरी पर काटा जाता है।
- (३) लाभाय देने के पहिले भी लाभाग पर कर निर्धारित दरों से काट लिया जाता है।
- (४) विदेशी की धाय पर भी कर पहिले ही काट लिया जाता है।
- (५) कर काटने वाले का यह दास्त्रिक्त है कि वह इस कर को सरकारो खलाने में कर काटने के बाद एक निश्चित समय के झन्दर जमा कर दे। [बारा १० (६)]
- (६) यदि उन्तम पर कटा हुमा कर निश्चित प्रविध के क्षर्यर विकी सरकारी खत्राने में जमा नहीं किया जाता है या जहां उद्गम पर कर काटना चाहिए वहीं नाटा हो नहीं जाता है तो उत पर इन प्रवस्था में जिए मुद्दमा भी पत्रामा जा चनता है और वह कर काटने बाते मो ही देना पडता है।
  [घारा १६(७)]

श्राय-कर श्रधिनियम की धारा १= के श्रनुसार कर काटने की निर्धारित टरों--

भाय-कर भविनियम की बारा १८ के अनुसार जिन निर्वारित दरों पर सदयन के स्थान पर कर बाटा जाता है। उनको सूची नीचे दी हुई है:--

	म्राप-कर	सरचान का दरें	सुपर टैक्स	
	की दर	मूनियन स्पेशल के लिये सर चार्ज	सुगर-टैक्स कीदर	ध्रषि-कर की दर
(१) सम्मनी को छोड सर				

ग्रन्य ध्यक्तियो की रशाधो में — (ब) प्रस्थेक दशा में क्ल ग्राय पर (वेन्द्रीय मर-

कार द्वारा निर्गमित की की हुई कर सक्त प्रति-

मृतियों के ब्याज को छोड वर। घोर (व) यदि व्यक्ति विदेशी है तो उसकी कुल आय

पर ।

(२) एक कम्पनी की दशार्म---

२४% १.२५% ३.०५%

' सुपर टैक्स भीर इसका सर चार्ज ग्राय-कर निकाला जायेगा। टर

श्रीवितियम की घारा १७ (१) (b) के अनुसार श्राय-कर की भूपर-टैक्स की दर

# (छ) प्रत्येक दशा मे---

(1) कूल आय पर ( देन्द्रीय सरकार द्वारा निर्गमित की २०%

हुई कर मुक्त प्रतिमृतियों की ब्याज को छोड़ कर )

सीर

(11) क्ल साय पर (साय-कर प्रवितियम की घारा ५६ A में विशित की हुई मारतीय कम्पनियो द्वारा

दिये जाने वाले लाभारा को छोड़कर) भीर:

10%

- (व) इसके प्रतिरिक्त जहाँ कि कम्पनी न तो एक भार-तीय कम्पनी है प्रीर न ऐसी कम्पनी है जिसने भारत के घादर लामाँग की घोषणा करने के लिए निर्घारित प्रवन्ध कर लिया है—
- (1) लामीश से आय पर (इसकी सहायक भारतीय करनती या ऐमी कर्मती, जिमका वर्शन आय कर प्रिपित्यम की घारा १६ A मे किया गया है, कै हारा दिये जाने वाले लामीश को छोड कर)—

(म) १ धप्रैल सन् १९५६ या इसके बाद बनी हुई कम्पनी द्वारा दिय जाने वाले लाभारा पर.

(व) ग्रन्य लाभीन पर। (11) लाभीन की भाय को छोडकर ग्रन्य ग्राय पर। ₹३%

₹₹% ₹₹%

कर भुगतान-प्रमाण-पत्र (Tax Clearance Certificate)—

षारा ४६ A के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को, जो कि विदेन जा रहा है, वर चुकाने वा प्रमाण-पन आप-कर अधिकारी से लेना आदर्शक है। यदि उस व्यक्ति की भाग करदेग आग से कम है तो उसे छूट वा प्रमाण पन (Exemption Certificate) तेना पडता है और यदि उसको आग करदेग है तो कर मुस्तान वरने के बाद एक 'वर भुग्तान प्रमाण पत्र' लेना पडना है। कर मुस्तान प्रमाण-पन्न वा आदाय यह है कि इस व्यक्ति ने कर मुस्तान कर दिया है। जब दी यह प्रमाण-पन्न सुम्ब हुमा है, लोग वर बचाकर बाहर मान नहीं सकते हैं।

कर निर्धारण को रह करना (Cancellation of Assessment)-

' आप-कर अधिकारी नीचे लिखी हुई दशाब्रो में अपने लगाये हुए कर को रह् कर सकता है:---

- (१) यदि वरताता आय कर प्रधिकारी को यह विश्वास करवा दे कि उसने यारा २४ (४) या घारा २३ (२) के अनुसार दिये हुए नोटिस को प्राप्त नहीं किया था।
- (२) उसे नोटिस तो मिला, परन्तु वह कुछ झावस्यक कारएों की वजह से उसकी तामील न कर सका झीर के वारए। उसकी शक्ति के बाहर थे।

साय कर स्रोपकारी को जब पूर्ण क्य से विश्वास हो जाता है कि उसकी साझायों का उत्तयन करताता ने जान-कुमकर नहीं किया या स्रोर यह निदोंन है तो बहु धवना दिया हुवा निराय रहे कर सकता है तथा नई सूचनासी के सासार पर फिर से कर निर्वाह्ण कर सकता है।

मा०क • वि० वा० (१:)

यन्द हुए ज्यापार पर कर लगाना (Assessment of Discontinued Business)—

प्राय-कर प्रधिनियम की घारा २५ में इस सम्बन्ध मे नियम दिये हुये हैं—
(१) यदि कोई व्यापार साल के बीच मे बन्द हो जाता है तो उस व्यापार
की वर्तमान वर्ष की आय पर वर्तमान वर्ष मे ही आयकर का सकता

है। शर्त यह है कि ध्यापार सदैव के लिये बन्द हुआ हो। (२) पिछले वप के अन्त से ध्यापार के समाप्त होने तक की बीच की

(२) पिछले वप कं अन्त संध्यापार कं समाप्त होने तक की ब श्रविध मे प्राप्त हुये घन पर श्राय-वर लगताहै।

(३) गत वर्षकी द्याय व वर्तमान वर्षकी द्याय दोनो पर वर्तमान वर्षमे

् ही धाय कर लग जाता है।

(४) जो व्यक्ति व्यापार बन्द कर रहा हो उसका यह कर्सव्य है कि यह प्राय-कर अधिकारी को अपने व्यापार बन्द होने के १५ दिन के अप्तर सूचना दे दे, यदि नह ऐसा नही करता है तो प्राय-कर अधिकारी उस पर जुर्माना कर सकता है, परन्तु यह जुर्माना कर की रकम से अधिक नही होता चाहिये।

श्चपील--

प्राय-कर प्रधिकारी द्वारा दिये हुए निराय से यदि करवाता सन्तृष्ट नहीं हैं, तो वह उसकी ब्राज्ञा के विरोध में ध्रपील कर सकता है। नीचे अपील की विधि समक्राई गई है:

अपेलेट असिसटेन्ट कमिश्नर (Appellate Assistant Commissioner)---

(ग्र) धारा ३० के भनुसार— धरील बाय कर ग्रधिकारी की स्राज्ञा के

विरुद्ध ३० दिन के अन्दर अपैलेट असिसटेन्ट विमानर के पास करनी चाहिए।

(ब) श्रदील एक निश्चित फार्मपर मीर निश्चित विधि के अनुसार करनी चाहिए। धारा ३० ()]

(स) प्रपंतिट प्रसिसटेन्ट कमिश्तर प्रपील सुनने के लिए एक तारीस व स्थान निष्यस करता है और इसकी सचना Call Nobice द्वारा देता है।

नाश्यत करता हुआर इसका सूचना Can Aonce द्वारा बता है। [घारा ३१ (१)]

्यार २२ (१) प्र (द) ग्रंपील सुनते समय वह जो जाच करना चाह, कर सकता है या ग्रंपि

(द) ग्रंपील सुनत समय वह जो जाच करना चाह, कर सकता है या ग्राध नारी द्वारा जाँच *करा सकता है* । श्वारा ३१ (१)]

(य) अर्पलट प्रसिसटेन्ट कमिश्तर श्राय कर श्रविकारी की आजा को जैसी का तैसा रहते दे सकता है या उसके द्वारा लगाये हुए कर को घटा या बढा सकता है।

[घारा ३१ (३) (a)]

(र) भाय-कर प्रधिकारी की माझा को रह कर सकता है, फिर से वर

निर्वारण की ब्राह्म पास कर सकना है। ऐसी दशा में झाय-कर अधिकारी की किर कें कर निर्वारण करना पडता है। [बारा ३१ (३) (b)]

( ल ) अपेलेट असिस्टेन्ट किमस्नर की ब्राज्ञा की नक्ल करदाता व किमरेनर के पास भेन दी जाती है। [घारा ३१ (५)]

कमिशनर द्वारा कर निर्घारण को दुहराना (Revision by Commi-

~ ssioner)—

٠,

धारा ३३—A (१) के अनुतार कमिश्तर की यह प्रविकार है कि वह आय-कर अधिकारी द्वारा दिए गए किसी भी निर्माय से सम्बन्धित विवरण की प्राप्त कर सकता है और यदि उचित समझे तो किर से चाच कर सकता है और अपनी इच्छा-नूसार उचित प्रार्डर पास कर सकता है।

कोई करदाता आय-कर अधिकारी के द्वारा दिये गए निर्माय के प्राप्त करने के १ वर्ष के सन्दर निमन्तर के पास दुहरांते का प्रार्थना-पत्र दे सनता है। इस प्रार्थना-पत्र के साथ २५ राग्ये फीस दंता जरूरी है। क्मिस्तर यदि इस प्रार्थना से सन्तुष्ट होता है तो वह साय-कर अधिकारी से इस मामले में पूरा निवरण प्राप्त कर फिल्से जीच करता है और अपना निर्माय देता है।

कमिश्तर नीचे दी हुई परिस्थितियों में आउँर नो दुहरा नहीं सकता है—

(१) यदि आईर के विरुद्ध सपैलेट प्रसिस्टेस्ट किम्ब्लर के यहाँ या अपैलेट ट्रिब्यूनन के यहाँ सपील की जा सकती है और यह सपील करने की सर्वाय समाप्त नहीं हुई है। [घारा ३२-五 (1) (a)]

(२) यदि इस आर्डर के किरुद्ध प्रदेश टासिसटेन्ट किम्बर के यहाँ आपील कर दी गई है और यह अपील विचाराधीन (Pending) पडी हुई है। [बारा ३३-A (१) (b)]

हुइ हा [थारा २२-A. (१) (छ (३) मार्डर हसाल से अधिक पुराना हो गया है।

[चारा ३३-A (१) (c)]

किनश्तर ना दिया हुमा निर्णुय मन्तिम निर्णुय होता है, परन्तु कॉनश्तर कोई ऐसा भाडेर पास नहीं कर सकता है जो कि करदाता के महित में हो।

[बारा ३३-B (4)]

श्रपैलेट ट्रिब्यूनल (Apellate Tribunal)--

(ध) यदि मान-कर अधिकारी मर्पलेट असिसटेन्ट कमिश्तर के दिए हुए

मार्डर से सन्तुष्ट नहीं है तो वह इस बार्डर के पाने के ६० दिन के भन्दर धर्षतेट दिव्यनल के यहाँ अपील कर सकता है।

[घारा ३३ (१)]

(व) विमस्तर अपने आईर के विरुद्ध अपील करने का अधिकार आध कर भिष्वारी को भी दे सकता है और उने भी यह बचील ६० दिन के ब्रन्दर करती वहंती । विश्व ३३ (२)]

(स) दिव्यानल इस प्रापील को ६० दिन के बाद भी स्वीमार कर सकता है, यदि उसे इस बात का विस्वास करा दिया जाय कि यह देर विवशता के कारण हुई है। िधात ३३ (र A)]

(द) ग्रपील निस्तित पार्म पर और निष्टिचत विधि ने बनसार करनी चाहिए। करदाता को प्रत्येक प्रयोक्त के साथ १०० हुवये जमा करना प्रावस्यक है, परन्तु यदि ग्राय-नर अधिकारी अपील करेगा तो उसे १०० ६० जमा नहीं करने वहाँते । विश्रा ३३ (४)]

( द ) धर्पलट टिब्युनल दोनो पक्षो की बहस समने के बाद जो रुचिन समग्रेगा

वही निर्णय देगा और इस निर्णय को करदाता व किमश्नर के पास भेज देगा। बारा ३३ (४)]

(र) घारा ६६ में दिए हुए नियमों को छोडकर बाकी सब मामलों पर धपैलेट दिन्यूनल द्वारा दिया हथा निर्माय अन्तिम निर्माय माना जाता है, धर्मात् तथा के विषय (Point of Fact) पर इस ग्रजनत का निर्णय ग्रन्तिम होता है, पर तु कारून के प्रका (Question of law) पर हाई कोर्ट म अपील की जा सकती है।

[यारा ३३ (६)]

## हाई कोर्ट (High Court)-

( भ्र ) भपैलेट टिब्युनल की बाजा प्राप्त करने के ६० दिन के अन्दर हाई कोर्ट में भ्रापील की जा सकती है। यह ग्रापील एक निश्चित पार्म पर होती चाहिए। करदाना को अपने प्रार्थना पन के साथ १०० रुपये कीस भी देनी पडेगी। करदाता या कमिस्तर, क्षोनों में से जो भी ग्रसन्तुष्ट हो, धर्मलट दिन्युनल की ग्राज़ा से हाई बोर्ट में ग्रामिल कर सबता है। धर्पलेट दिव्यूनल हाई कोट में जाने वाली धरील के प्रार्थना-पत्र पाने के Fo दिन के बन्दर हाई कोर्ट को विवरण भेत देता है, परन्त दिख्यनल को यह प्रधिकार । है कि वह इस प्रपील को हाई कोर्न में मेजन स मना कर द। ीबारा १६ ११)। -

(व) यदि टिब्युनल की यह निस्त्रास है कि कानून का विरोध नहीं हुमा है हो बहु ग्रंपील हाई वोर्ट मेजने से मना करता है। इस मना करने की सूचना प्राप्त करने के ६ महीने के अन्दर करदाता या विभिन्नर हाई कोर में प्राप्ति के निए प्रायंता-पत्र दे सकते हैं। यदि हाई कोर्ट को यह विश्वास हो जाय कि यह मामला बास्तव में प्रपोल के योग्य है तो वह ट्रिब्यूनल को इस मामले की कार्यवाही मेंजने के लिए बाध्य कर सकता है। [घारा ६६ (२)]

(सं) इस मामले की सुनवाई करते समय हाई कोर्ट यह निश्चय करेगा कि क्या दास्तव में बोई बानूनी विरोध हुमा है। वह अपना निर्माय अपेनेट ट्रिव्यूनल के पास भेजता है। यह ट्रिव्यूनल इस निर्माय की ध्यान मे रखते हुए समा प्रेसला देता है। [बारा ६६ (१)]

( द ) अपीस किये जाते पर भी आय-कर देना आवश्यक है। कोई व्यक्ति इस कारणा कि अपील की गई, अपने को आय कर देने से फैनले के समय तक बचा नहीं सक्ता है। यदि फैनले में कर की कुछ कम रकम लगाई जायेगी तो शिविक दिया हुआ क्या श्यान सहित वापिस कर विया जाता है। [बारा ६६ (७)]

(य) बारा ६६ के ग्रन्तगंत जो अपील हाई-कोर्ट में की जाती है उस अपील को हाई कोट के कम से कम दो जल सनते हैं।

सत्रीम कोर्ट-

हाई कोर्ट के दिए हुए पैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में प्रशीस दी जा सकती है, परन्तु ऐसा करने के लिए हाई कोर्ट का प्रमास पत्र लेता प्रावस्थक है। यह पपील केवल कालनी प्रस्त पर ही होत्ती है।

कानून के प्रस्त पर इस कीर्ट द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम निर्णय माना

जाता है।

जुमीने (Penalties)-

प्राय-कर अधिनियम की कई पाराधों में जुमिन का वर्णन आया है, जिनमें से कुछ पारायें नीचे दी जाती हैं :—

- (१) यदि कोई व्यापार वर्तमान वर्ष मे सर्दव के लिए बन्द कर दिया जाता है तो जब व्यापार के मालिक का यह कर्त्ताव्य है कि वह कर करने के १५ दिन के सन्दर माय कर प्रक्रिकारी को व्यापार बन्द करने की सुबना दे दे, यदि वह ऐसा नहीं करता है तो जस पर उस व्यापार की करदेय प्राप्य के बरावर जुलीना किया जा सकता है।
- (२) साय-कर प्रविकारी या धर्यलेट प्रमिस्टेन्ट कमिस्तर को यदि यह विस्तास हो जाय कि किसी व्यक्ति ने (य) बिना उचित कारण के अपनी आय का नक्सा व्यक्ति नहीं किया है, (व) या घारा २२ (४) या घारा २३ (२) के मन्तर्गत दिये गये गीटिस का बिना किसी उचित कारण के पानन नहीं किया है या (क) अपनी भाग के वितरणों को दिहाला है या जान-कुक्तर आय का गलत विवरण दिया है, तो उस व्यक्ति पर कर-देश रक्तम के ब्योडे तक बुनांना किया आ सकता है।

गरा २८ (१)]

(३) यदि किसी करदाता ने प्रतिमूतियों के क्याज पर दिये जाने वाले कर

को बचाने के लिये Bond Washing के सीदे किये हैं और आय-कर अधिकारी होरा इस सम्बन्ध मे प्रश्न पूछे गये हैं, परन्तु यह व्यक्ति उन प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है सो उसके ऊपर प्रति दिन देर के लिये ५०० रुपये तक जुर्माना हो सकता है।

(४) घारा ४४-F के अनुसार यदि करदाता ने कर बचाने के लिये Cum-Dividend बिकी की है और आय-कर अधिकारी द्वारा इसकी सुबना माँगने पर उत्तर नहीं हिया है तो प्रत्येक दिन के लिये ५०० रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। बारा ४४-F (१)

( ५ ) यदि कोई करवाता निश्चित अवधि के अन्दर आय-कर का भूगतीन नहीं करता है तो भ्राय-कर मधिकारी को यह मधिकार है कि वह करदेय रकम के बराबर तक जुर्थाना कर सकता है। धारा ४६ (१)]

(६) यदि कोई व्यक्ति विना किसी उचित कारता के (अ) घारा १ प्र या ४६

- (१) के अनुसार उद्गम के स्थान पर कर नहीं काटता है और यदि काटता है तो उसका भुगतान नही करता है। (ब) घारा १० (६) और घारा २० के ब्रनुसार प्रमारा पत्र प्रस्तुत नहीं करता है। (स) घारा १६-A, घारा २०-A, घारा २१, घारा २२ (२) और घारा ३८ के अनुसार निश्चित समय के अन्दर विवरण नहीं भेजे हैं या (द) धारा २२ (४) के ब्रन्तगंत दिए हुये नोटिस के अनुसार खातो और विपत्रों की निश्चित भवधि के अन्दर प्रस्तृत नहीं किया है। (य) धारा ३६ के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने खातो की जांच या नक्ल करने से रोकता है तो उस पर मजिल्ट्रेंट कै सामने मुकद्मा चलाया जा सकता है और प्रति दिन के लिये १० रुपये तक जुर्माना [घारा ५१] किया जासवता हैं।
- (७) यदिकोई व्यक्ति जान बुक्तकर गलत विवरण देताहै तो उस पर मिनस्ट्रेंट के सामने मुनद्दमा चलाया जा सनता है और ६ महीने तक की सजा मी १,००० रुपये तक जुर्माना या दोनी किया जा सकता है। बिरस ५२ी कर की वापसी (Refund)-

यदि किसी व्यक्ति, हिन्दू सम्मिलित परिवार, कम्पनी, स्वानीय सरकार, फर्म या अन्य व्यक्तियों की संस्थाएँ या किसी कर्म का सामेदार या किसी संस्था का सदस्य भ्राय कर ग्राधिकारी को या किसी ऐसे ग्राधिकारी को जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो, इस बात का विश्वास दिलाता है कि उसके द्वारा दिया हुआ कर उस कर से ज्यादा है जो कि वास्तव मे ग्राय-कर ग्राधिनियम के प्रनुसार उसे देना) चाहिए सो उससे ली हुई ग्राधिन कर की रकम वापिस कर दी जावेगी।

[घारा ४= (१) (२)]

कर निर्धारण वर्ष के अन्त से चार वर्ष के अन्दर कर वापिसी का प्रमाण-पत्र देना चाहिये । इसके बाद दिये हुए प्रमाश पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

धारा ४०]

नीचे लिखी हुई दशाधों से करदाता कर वापिसी की प्रार्थना कर सकता है:—

- (१) जब कि बेतन या प्रतिमूतियों के ब्याज या करदाता की कुल ग्राय पर लयने वाले कर से ग्रविक कर लिया गया हो।
- (२) यदि लाभोतों पर ऊँची दर से कर काटा गया हो।
- (३) यदि विदेशियों को किये गये भुगतानो पर अधिक से अधिक दर पर आय-कर काटा गया हो, परन्तु वास्तव मे उसकी आग पर कम दर से कर नगा हो।
- (४) यदि एक रकम पर दो बार कर लग चुका हो।
- (१) यदि आय-कर श्रविकारियो की किसी भूल के कारण अधिक कर लग चुना हो।
- (६) यदि श्लिम अपील करने से कर कम हो जाय, जबकि पहने अधिक कर दिया जा जुका हो।
- (७) यदि करदाता के प्रायंना करने पर भी खिषक दिया हुआ कर वामस नही क्या जाता है तो इतकी खगील ध्रमैलेट ख्रांसस्टेन्ट कमिक्तर के यहाँ और उसके भी मना वरने पर अपैलेट ड्रिक्यूनल में की जा सकती है।

### मल संचार (Rectification of Mistake)-

कमिस्तर या यपैलेट घरिस्टेंट कमिक्तर या ग्राय कर ग्राधिकारी अपने दिए हुए निर्णय के चार वर्ष के अन्दर अपनी भूल सुधार सन्ते हैं, जो कि जन्हें स्वयं प्रतीत हुई हो या करदाता द्वारा उनके सामने लाई गई हो । [धारा ३४ (१)]

यदि इस भूल सुंगर के कारण करवाता पर लगाया गया कर कम हो जाता है तो भाय-कर भविकारी इस कर को वापिस करता है। [घारा ३४ (३)]

यदि इस भूत मुघार के कारण करदाता पर कर वट जाता है तो ग्राय-कर ग्राधिकारी इस बढे हुए कर को बमूल करता है। [घारा ३५ (४)]

करदाता के प्रतिनिधि (Authorised Representatives of Assessee)— कोई भी करवाता व्यने प्रतिनिधि को बाय-कर अधिकारी के सामने अपनी भीर से पेग कर सकता है, परन्तु यदि कोई त्रिवरस करवाता को कसन (Oath) पर देना है तो उमे स्वय उपस्थित होना पड़ेगा। २०० ]

करदाता के प्रतिनिधि, जो कि जमकी ग्रोर से ग्राय-कर प्रविकारी के सामने जा सकते हैं:---

- (१) उसका सम्बन्धी।
  - ( र ) करवाला द्वारा नियमित रूप से रखा गया नौकर, जैसे भनुपूर्वित वैक ।
- (३) उसका बकील ।
  - (४) ग्रॅंकेसका
  - (५) इनकम-टैबम प्रैनिटशनर, जो कि अयोग्य घोषित न किया गया हो। [घारा ६१ (२)]

नोट यह मावश्यन है कि ऊतर दिये हुए ध्यक्तियों में से प्रत्येक की नरदाता का लिखित यधिकार मिलना चाहिए। यदि इसमें से कोई भी ध्यक्ति धपने हुरे चाल चलन के लिए सजा पाबा हुमा हो या सरकारी नौकरी से निनाला हुमा

हो तो वह नरदाता के प्रतिनिधि का कार्यनहीं कर सकता है। यारा ६१ (३)]

श्राय-कर सचना को गप्त रखना--

ष्ट्राप कर प्रधिकारियों व इस विभाग के कर्भवारियों का यह कर्मच्य है कि वे करहाता हारा दी हुई सभी मूचनाओं को ग्रुप्त रखें। [घारा ४४ (१) (२)]

- यदि कोई सरनारी नौकर करदाता के धामदनों के नक्तो, खाते, प्रपत्नों व क्रन्य बातों की भूषना बाहरी व्यक्तियों को देता है तो उसे ६ महीने तक नी सजा कौर खुर्माना, विद्या सकता है। [धास १४ (२)]

स्चना देने का उत्तरदायिस्व-

प्रत्येक पम्पनी के मुख्य कर्मचारी को प्रति वर्ष १५ छून वा उसके पहले उन ग्रह्माधारियों के नाम वापते की सूचना श्राय-भार झर्पिकारी के पास भेजनी चाहिए 'जिनको कि एक निरिचत दर से ऋषिक लाभाश पिछले वर्ष में दिया गया या।

[पारा ११-A] /
ऐसे व्यक्ति को जिसे प्रतिप्रुतियों के ब्याज को छोडकर प्रत्य प्रकार का ब्याज
देना है, प्रत्येक वर्ष की ११ इन को या इसके पहले धाय-कर अधिकारी के पास उन
सोगों के नाम व पते भेजने चाहिए, जिन्हें गत वर्ष में ४०० रुपये से अधिक ब्याज
रिवा हो।
[पारा २०-A]

क्सी व्यापार के मालिक को व्यापार समाप्त कर देने की सूचना ऐसा करने के १५ दिन के अन्दर आय कर अधिकारी को अवस्य देनी चाहिए। [धारा २४ (२)]

धाय-कर अधिकारी या श्रीसस्टेंग्ट किमश्तर किसी फर्म था सिम्मितित हिन्दू परिवार से फर्म के साम्प्रेदारों के नाम और परिवार के कर्त्ता व वयस्क सदस्यों के नाम व पते पूछ सकता है। [बारा ६० (२)]

प्रत्यासियो, सरक्षको व ग्रामिकसीप्रो से उन व्यक्तियो के नाम व पते पूछ सकते हैं जिनके कि वह प्रत्यासी, सरक्षक या ग्रामिकसी हो। [घारा ३८ (२)]

करदाता से उन सब ब्यक्तियों के नाम व पते पूछ सनता है जिन्हे उसने किसी वर्ष ४०० रुपये से प्रविक किराया, ब्याज, कमीशन, ग्रविकार शुक्त या दलाशी दी है। [घारा ३८ (३)]

किसी स्टॉक एक्सचेन्त्र या कमीडिटी एक्सचेन्त्र के प्रवच्य से सम्बन्धित दलाज, स्रिमक्ती या स्रन्य व्यक्तियों से उन व्यक्तियों के नाम न पते पूछ, सकता है जिनकों कि बिक्री, विनिमय या पूँजी सम्पत्ति के हस्तात्तरए में उन्होंने या एक्सचेन्त्र ने कोई रक्त मुगतान की हो या उनसे कोई रक्तम उन्होंने या एक्सचेन्त्र ने प्राप्त की हो।

[घारा ३= (४)]


वैकिंग कम्पनी या इसके किसी मक्सर से उन वाती की सूचना ले सकता है जिनकी भ्रावस्थकता भ्राय-कर या मसिस्टेन्ट कमिश्नर की हो। यह नियम Finance Act, 1956 के द्वारा जोडा गया है।

आय कर प्रधिकारी व प्रसिस्टेंग्ट कमिस्तर व प्रत्य किसी व्यक्ति को, जिसे प्राय कर प्रधिकारी ने या प्रसिस्टेंग्ट कमिस्तर ने लिखित प्राजा देकर नियुक्त किया हो, यह प्रधिकार है कि वे किसी भी कापनी के प्रशासियों के रिजस्टर या बन्यक के रिजस्टर (Mortgage Register) या श्रास पत्रों के र्राजस्टरों को नकलें ले सकते हैं।

प्रतिप्तृतियों के मालिक ग्रीर अशो के मालिक को यह सूचना देनी पड़ती है जो कि भाग कर अधिकारी ने जनसे पूछी हो। [धारा ४४-E, F]

्षारा ४४-छ. हो।

दलालों व एजेन्टो को उन शोगो के नाम व पते बताने पड़ने हैं जो कोई
सम्पत्ति के क्रय या विक्रय से सम्बन्धित होते हैं।



### QUESTIONS

- Write a short essay on 'Deduction of Tax at Source' 1 (Agra, B. Com 1944, 48 Raj, B Com, 1952) (Agra, B Com, 1945, 46) 2 Explain Refund of Tax
  - 3. Section 18 A of the Indian Income tax Act introduced by the Indian Income-tax Amendment Act 1944 provides for advance payment of Income-tax by laying down 'Pay as you earn scheme' discuss briefly the salient features of this scheme.

(Alld B Com., 1953 Ray B Com., 1951 Agra B Com., 1947)

Note: -Answer this question after taking into consideration the changes introduced by Finance Act, 1960

- Write short notes on any three of the following --
  - (a) (b) ( These parts relate to other topics ici C
  - (a) ) (e) Best Judgement Assessment

- (Alld . B Com. 1953, 55 , Agra , B. Com . 1949) 5. Write note on 'pay as you earn scheme'
- (Agra, B. Com, 1951) 6. (a) What is a provisional assessment and on what basis is it made?
  - (b) These parts relate to other topics. (c)

(Raj, B Com, 1950, Agra, M Com, 1960)

- 7 What is best judgement assessment ? What are the circumstances under which it can be made? State the remedies open to aggrieved party in such a case
- (Alld., B Com , 1959) 8. How is Income tax assessment in case of a discontinued business (Rai, B Com, 1953)
- 9. Explain briefly the assessment procedure of Income-tax.
- 10. Explain briefly the appeal procedure under Income tax Act.

# अध्याय १६ कर निर्धारण

(Computation of tax)

भारतीय सरणार हारा प्रति वर्ष एक प्रधितयम (Finance Act) पात्र किया जाता है। इस गयट में ये दर्र निश्चित की जाती है। जिसे अनुसार करवाता की गउ वर्ष की आप पर कर दिया जाता है। यह एक्ट प्रति वर्ष के गुरू से पास कर दिया जाता है, परन्तु प्रदि इस एक्ट के पास कर की में दि हो जाय तो कर पिछले को की को किया की कर पिछले को है। इस दोनों दर्रों से या दस वर्षों में जोति फाइनैस्त दिन में दी हुई हों, निया जाता है। इस दोनों दर्रों में से वही दर्रे प्रयोग की जायोगी जोति करवाता के पक्ष में पटती हों। कर दोनों दर्रों में से वही दर्रे प्रयोग की जायोगी जोति करवाता के पक्ष में पटती हों। कर दोनों दर्रों से से वही वर्षों प्रयोग की जायोगी जोति करवाता के पक्ष में पटती हों।

(१) बाय ने अनुसार नर निर्धारण (Step system of taxation)।

(२) विभाग के अनुसार कर निर्धारण (Slab system of taxation)।

श्राय के श्रनुसार कर निर्घारण (Step system of taxation)-

र ब्रप्रेंत सन् १६३६ के पहले इसी प्रया के अनुसार कर निया आता था। यह इस प्रकार थी:—

स्राय को निम्न-मिन विभागों में बीटा जाता था। प्रत्येक विभाग के लिए दर्रे निदिकत भी। प्रत्येक सामें वाले विभाग पर लगने वाली दर गीहे वाले विभाग की दर है बड़ी होती थी। जिस ब्यक्ति को स्नाय जिम विभाग में पटनी थी उसी दिमाग की दर के मतुसार दूरी माय पर कर देगाँ पटता था। नीचे दिए हुए उदाहरण से यह प्रधास्तव्य हो जायेगी:—

माना कि दरें इस प्रकार थी :--

म्रजमाना कि एक ब्यक्ति की स्नाय ७,४०१ रसये है तो इसे इस साय पर २ स्नाना ६ पाई प्रति रूपए के हिमाज से कर देना पडेगा और यदि उसकी साय ७,४०० इनए हैं तो उसे १ साना ६ पाई प्रति स्वरुपे हिसाब से मुत स्नाय पर कर देना पड़ेगा। इस उदाहरए। से यह स्पष्ट होता है कि एवं व्यक्ति की ब्राय जैसे ही एक श्रेंसी से दूसरी श्रेंसी में पहुँचती है तो उसकी कुल काय पर बगली श्रेसी वाली दर से कर सबने लगता है।

## इस प्रणाली के दोप--

- (१) जन व्यक्तिमें को बहुत हानि होती है जिनकी जाम एक थेंगी से थोंडी ही बडी होती है, जैसे उत्तर दिए हुए उताहरण में । यदि एक व्यक्ति की जाय ५,४०० का से बेबल एक रूपया प्रिषक है तो उसे २ आता ६ पाई प्रति रुपया वी दर से कुल आय पर कर देना पड़ेगां और बहु व्यक्ति जिसकी आय इससे कुल १ क्या कम है, १ आना ६ पाई प्रति रूपए के हिसाब से कर देगा । इन दोनों की आय में केवल १ रुपए का ही अन्तर है, परन्तु कर में काकी अन्तर हो जायेगा।
  - (२) यह प्रथा वरावर त्याग (Equal Sacrifice) की प्रथा नही यी। एक ही दर से कुल आय पर कर लगने के कारण रईस व कम रईस के त्याग में विशेष अन्तर नहीं रहता था।

इस प्रथा को १ अप्रैल सन् १९३६ से बन्द कर दिया गया है और इसी तारीख से कर स्लैब प्रया के अनुसार निकाला जाता है।

## विभाग के श्रमुसार कर निर्धारण (Slab System of Taxation)-

इस प्रपा के धनुसार धाव को छोटे-छोट विभागों में वॉट दिया गया है। प्रत्येक विभाग के लिए एक दर निश्चित है भीर जो धाय जिस विभाग में धाती है उस पर उसी विभाग में बाने वाली दर है कर समाया जाता है। इसका विस्तृत वर्णन इसी प्रध्याय में धाने किया गया है।

## Difference between Step System & Slab System-

दोनो प्रथामों में मुख्य मन्तर यह है कि Step System मे कुल क्षाम पर उस दर से कर लगामा जाता था जो कि मान के माजियों निमाग पर लगती थी, परन्तु Slab System में कुल ब्राय पर एक दर से कर नहीं तगता है। इसमें जो माय जिस निमाग में पडती है उस पर उसी विमाग में लगने वाली दर से कर निकाला जाता है भीर भिन्न मिन निमागी के निक्ते हुए करों को जोड तिया जाता है।

नीचे Slab System की दरें Finance Act, 1960 के अमुसार दी हुई हैं। बल में अङ्गरेजी में दिए हुए फाइनेन्स एवट की भी देखिए।

## श्राय की दरें (Income Tax Rates)-

(१) प्रत्येक दिवाहित व्यक्ति के लिए, जिसके कि एक बचा है व सम्मिलित

```
₹0 € 7
```

हिन्दू परिवार के लिए. जिसमें एक minor coparcener है भीर उनकी कुल

भाय २०,००० रुपये से अधिक नहीं है :---स्राय के विभाग दर्रे

माय के प्रथम ३.३०० रुपये पर क्छ नही

इसके परचात १.७०० रुपये पर 1%

,, २,५०० रुपये पर \$% .. २.५०० रुपये पर ..

२.४०० रुपये पर 11% २.५०० स्वये पर 18% .,

४,००० रुपये पर 2=%

(२) प्रत्येक विवाहित व्यक्ति के लिए, जिसके २ या २ से समिक बच्चे है, भीर उस हिन्दू सम्मिलित परिवार के निए जिसमे एक से भविक minor copar-

cener हैं और उनकी कुल भाग २०,००० रुपने से मधिक नही है :-ग्राय के विभाग द₹

द्याय के प्रथम ३,६०० रुपये पर कुछ नही इसके परचात् १,४०० रुपने पर

,, २,५०० रुपये पर .. ,, २,५०० रुपये पर .. .. २.५०० रुपये पर 21%

२.५०० रुपये पर 28% ५,००० रुपये पर

25% (३) प्रत्येक ऐसे विवाहित व्यक्ति के लिए जिसके कोई बचा न हो भीर

उस सम्मिलित हिन्दू परिवार के लिए जिसमें कोई minor coparcener नहीं है

धौर उनको कुल आय २०,००० रुपये से सधिक न हो :-ग्राय के विभाग ਫਵੇਂ

द्याय के प्रथम ३,००० रुपये पर क्छ नही

इसके पश्चात् २,००० रुपये पर ₹% २.५०० रुपये पर

२,५०० रुपये पर

, २,५०० स्पये पर

२,५०० रुपये पर 18%

५,००० रपने पर 2=%

( ४ ) प्रत्येक स्रविवाहित व्यक्ति मोर विवाहित व्यक्ति मोर सम्मिनित हिन्दू परिवार, जिसकी आय २०,००० रुपये से शिक है, अनरजिस्टें फर्म तथा अन्य

व्यक्तियों के सघ के लिये बाय की दरें: --

	ग्राय	के विभाग		दर्रे
याय है	के प्रथम	8,000	रुपये पर	कुछ नही
इसके	परचात्	8,000	रुपये पर	₹%
	,,	7,400	रुपये पर	€%
15	*1	२,५००	रुपये पर	%ع
,,	1)	5,400	रुपये पर	11%
,,	,,	२,५००	रुपये पर	88%
"	**	X,000	रुपये पर	₹ <b>=</b> %
"	11	रोप भ्राय '	पर	२४%

### ऊपर के करों के सम्बन्ध मे शर्तै--

- (१) किसी दता में प्राय-कर की रकम उन रकम के आधे से प्रापिक नहीं होगी, जो कि न्यूनतम् छूट सीमा (Minimum exemption limit) भीर भसती रकम का प्रनार है।
  - (२) हिसी भी सिम्मिलित हिन्दू परिवार की यदि ६,००० रुपये तक माय होगी तो उत्ते कोई कर नहीं देना पडेगा, परन्त इस सीमा के लिये भी दो शर्ते हैं—
    - (अ) एस परिवार में कम से कम दो व्यक्ति १० वर्ष या इससे अधिक के हो. जो कि वँटवारा कराने का प्रधिकार रखते हो. और
    - (व) इसमें कम से कम दो व्यक्ति बैटवारे का प्रविकार रखने वाले ऐसे हो, जो कि एक दूसरे के बराज (Lineally descendent) न हो और जो कि परिवार के किसी भी जीवित सदस्य के बराज न हो।

जपर समभाये हुये सम्मिलित हिन्दू परिवार को छोडकर अन्य मामलो में माय-कर ३.००० रुपए तक की आग पर नहीं लगता है।

(३) विषवा स्रो व उन पुरुषों की गणना जिनकी लियाँ मर चुकी हैं, विवाहित पुरुषों की मौति की जावेगी।

### Surcharge on Income tax-

- (१) बाय-कर की रकम ना ५ प्रतिशत ।
- (२) कुल घाय पर निकाले गये ध्राय-कर य कुल उपाजित घ्राय, जो कि कुल माय में शामिल हैं, पर निकाले गर्ये घ्राय कर के बस्तर का २४ प्रतिसत ।
  - ( ३ ) यदि नुत्र आय मे तानिल हुई उपाजित आय १,००,००० रुपये से भिक हो तो इस आय पर निकाले हुए आय-मर व १,००,००० रुपये पर निकाले हुए आय पर के अन्तर का ५ प्रतिसत्।
  - (४) एक सम्मिलित हिन्दू परिवार, जिसे पहिले समस्राया जा चुका है, की

भाय यदि १५.००० रुपये से कम होगी तो कोई सरचार्ज नहीं लगेशा ।

- (५) ग्रन्य मामलो मे यदि ७.५०० रुपये से बम ग्राय होगी तो सरवाजं नहीं लगेगा 1
- (६) वित्त-ग्रधिनियम सन् १६६० के प्रनुसार यदि किसी करदाता की ग्राय में साधारण असी का लामाश शामिल है तो विशेष सरवाजें (Special Sur-charge) तब तक नहीं लगेगा जब तक कि करदाता नी दूत श्राय उस रकम से अधिक न हो जो कि ७ ४०० रु० में १,५०० रु० या लाभाग की रकम मे से जो भी कम हो, जोडकर ग्राने वाली रूप से ग्रधिक न हो।

प्रत्येक रजिस्टर्ड फर्म से धाय-कर की दर्रे इस प्रकार होगी :--

46
कुछ नही
<b>x%</b>
₹0/
٤%

## श्रधि-कर---

\_\_ \_ \_ \_

प्रत्येक व्यक्ति, हिन्दू सम्मिलित परिवार, धनरजिस्टर्ड फर्म ग्रीर ग्रन्य संस्थाओं

में ग्रधि-कर की दरें इस प्रकार होगी:---धाय के विभाग दरें कुल भ्राय के प्रथम २०,००० रुपए पर बुछ नहीं इसके पश्चात् के ४.००० रुपए पर ٧% ४.००० रुपए पर 24% १०,००० हमए पर ₹0% १०,००० रुपए पर 30% १०,००० रुपए पर ₹%% १०,००० रुपए पर 80% की शेष स्राथ पर 84%

श्रुधि-कर पर सर चार्ज (Surcharge on Super-tax)— (१) द्राधि-करका ५ प्रतिशत ।

(२) कुल ग्राय पर निकाले गये श्रधि कर व कुल उपाजित ग्राय, जीकि कुल भाग में शामिल है, पर निकाले गये अधि-कर के अन्तर का १५ प्रतिशत ।

(३) यदि कुल भाय में शामिल हुई उपाजित भाय १,००,००० रुपए से

प्रथिक हो तो इस ब्राय पर निकाले हुए अधि-कर व १,००,००० रूपए पर निकाले हुए अधि-कर के प्रन्तर का ५ प्रतिशत ।

(४) स्थानीय सरकार के लिये अघि कर की दर कुल आय का १६ प्रतिशत

होगी।

(५) प्रत्येक सस्या में, जो झाय कर झिंधनियम की घारा २ (५ B) के अनुसार सहकारी सिमितियों हैं, अधि-कर की दर इस प्रकार होगी:—

कुल भाय के प्रयम २४,००० रुपये पर ..... कुछ नहीं।

इसके पश्चात शेष वाकी पर ' '१६%।

इन दरों के सनुसार अधि कर निकाल कर इसका १२ई प्रतिशत से सर चार्ज निकाला जायेगा।

(६) प्रत्येक कम्पनी मे सुपर टैनस वी दर बीमा कम्पनी को छोडनर ५,५% होगो, परन्तु इसके क्यर छूट दी जाती है। छूट से सम्बन्धित नियमी को बम्पनी के विवरण मे समकाया जा फूका है।

नोट-चरों के विस्तृत विवरण के लिये परिशिष्ट में दिये हुए Finance Act,

करदाता द्वारा देव कर निकालने की विधि-

एक करदाता द्वारा देव कर निकालने के लिए निम्नलिखित रीतियाँ ग्रयनानी

चाहिए:---

(१) वरदाना की जुल आस बारा ७, ८, १० मीर १२ के मनुसार निकालनी चाहिए। इन एक साराधी का वर्णन देवन, प्रतिभूतियों से ज्यान, सम्मति से आप, ज्यापार, पेगा व व्यवसाय से प्राथ व अन्य साधनों से आय वाले भीर्पकों के प्रन्त-गंत क्या जा चका है।

(२) यदि करदाता विदेशी है तो उसकी कुल ससार की भ्राय भी निकालनी

चाहिये।

(३) करदाता की कुल आय का लेखा करते समय जिन आयो पर सद्गम के स्पान पर कर काटे भये हो उन करो का भी लेखा करना चाहिए।

(४) करदाता की कुल ग्राय पर आय-कर व ग्रीध-कर निर्धारित दरो के

भनुसार निकालना चाहिए। इन दरो की सूचा इसी अध्याय मे दी हुई है।

(५) इत प्रकार निकाले हुपे भाग-कर व क्षिक-कर में कुल माय का भाग देने ्से भ्राय-कर को ओसत दर निकाली जा सकती है।

(६) यदि करदाता की कुल झाय इतनी ग्रविक हो कि जिस पर सुपर टैक्स लग सकता है तो इस भाव पर सुपर टैक्स और इस पर सर चार्ज निकालना चाहिए।

(७) जगर देश देश चर्च प्राप्त प्राप्त है। पर तर चाल गलकालना चाहिए। (७) जगर देश है हैं विधि के अनुसार निकाने हुए माय-कर व स्रवि-कर में गुपर टैक्स व उसके अधि कर की जोड देशा चाहिए। इस प्रकार जोडने से निकाला

मा०क०वि०सा० (१०)

हुमा कर ही करदाता के कुल कर की रकम होगी, परन्तु इस रकम में से कुछ रहनें पटाने के बाद, जिनका वर्णन तीचे दिया हुमा है, जो कर की रकम बचेगी उसमें, यदि करदाता पर माय-कर भिषकारियो द्वारा कोई मार्थिक यण्ड लगाया गया है तो, का मार्थिक रण्डो को जोड़ दिया जायगा और इस प्रकार निकाली हुई कर की रहन है। करदाता द्वारा देय होगी।

ञ्चाय-कर श्रीर सुपर-टेक्स में से घटने वाली रकमें (Deductions from Income-tax and Super-tax)—

- (1) उदगम के स्थान पर काटा हुआ कर।
- ( 11) घारा १८ (A) के धनुसार ग्राग्रिस दिया हुआ कर।
- (111) बुद्ध भाग भाग-कर अधिनियम के मनुसार करमुक्त हैं, परन्तु हुन भाग में जोडी जाती हैं। इनका वर्णन शब्दाग १ में किया जा चुका है। यदि इस प्रकार को भागों में से कोई भी भाग करताता की जुन भाग निकासने समय उसकी भागों में जोडी गई है तो उन पर भाग-कर की भीतत दर से निकासा हुआ कर हुन कर में से प्रमुख्या जुलेगा।
- ( 17 ) यदि किसी करदाता ने विदेश में अपनी विदेशी आय पर आय-भर का भुगतान कर दिया है तो इसे दोहरे कर की छुट मिलेगी।

### Illustration No. I-

Earned income of Mr. X, who is married and has more than one child is Rs. 10,000, and unearned income is Rs. 5,000 for the year 1959-60. Find out the amount of tax payable by Mr. X for the assessment year 1960-61.

#### Solution No. 1-

lution No. 1	
	Rs.
Income-tax on Rs. 15,000	1,042*
Add: Surcharge	
Income-tax on Rs. 10,000 earned income Rs.	
(as if it is the total income) 417*	
Surcharge thereon @ 5%	20 85
Moonie-tex on Rs 15,000 is 1,042	
Less · Income-tax on earned income 417	
Rs 625	
Surcharge @ 20% on Rs 625.	125
Gross Income tax and Surcharge	Re. 1,187 85

\*Income-tax on Rs. 15,000, and Rs. 10,000—Rs.
On first Rs. 3,600......@...Nil...Nil

On Next , 1,400.....@...3%... 42 Rs. 417 on 10,000†
, , , , 2,500.....@...6%...150
, , , , , 2,500.....@...9%...225

, , , 2.500....@...11%..275 ... , 2.500.....@...14% .350

Rs. 1.042

#### Illustration No. 2-

Earned income of Mr. Y. who is unmarried, is Rs. 7,000 and his unearned income is Rs. 4,500 in the year 1959—60. Find out the amount of tax payable by him in the assessment year 1960-61.

### Solution No. 2-

Total Income of Mr. Y		
		Rs.
Earned Income		7,000
Unearned Income		4 500
Total Income		Rs. 11,500
Income-tax on Rs. 11,500		660*
Add: Surcharge:	Rs.	
Income-tax on Rs. 7.000 earned incom	ie.	
(as if it is the total income)	240t	
Surcharge thereon @ 5%		12
Income-tax on Rs. 11.500 is	660	
Less: Income-tax on earned income	240	
R		
Surcharge @ 20% on Rs. 420		<b>-</b> 84
Gross Income-tax and Surch	arge	Rs. 756
*Income-tax on Rs. 11,500-	Rs.	
On first Rs. 1,000@	Nil	
On next Rs. 4,000@3%	120	
, , Rs. 2,500@6%	150	
,, ,, Rs. 2,500@9%	225	
, , Rs. 1.500@11%	165	
Rs. 11,500	Rs. 660	-
Income-tax on Rs. 7,000-	Rs.	
On first Rs. 1,000@	Nil	
On next Rs. 4.000@3%	120	
, Rs. 2,000@6%	120	
Rs. 7.000	Re 240	-

### Illustration No. 3-

Earned income of Mr. Z. who is married and has only one child, is Rs 12,000 and his interned income is Rs 6400 for the year 1959 60. Find out the amount of tax payable by him for the assessment year 1960 61

R.,

## Solution No. 3-

T---- 3 T---

Earned Income				12,000
Unearned Income				6 400
				Rs 18 400
Income-tax on Rs 18,40	O 15			1,663*
Add Surcharge:				
Income-tax on Rs 12.000	) earned 11	come Rs.		
(as if it is the total incom	me)	6461		
Surcharge thereon @ 5%				32 30
Income tax on Rs. 18,400	15	1,663		
Less . Income-tax on ear	ned income	_646		
	1	Rs. 1017	_	
Surcharge @ 20% on Rs.	1.017			203*40
Gross Income-		rchage	Rs.	1,898 70
*Income-tax on Rs. 18,40	0-	-		Rs.
On the first Rs 3,300	@	Nil		
On the next ,, 1,700	@	3%		51
, , , , 2,500	<b>66888</b>	6%		150
., ., ., 2,500	@	9%		225
, , , , 2,500	<b>a</b>	11%		275
., ,, ,, ,, 2,500	@	14%		350
, 3 400	@	18%		612
Rs. 18,400			Rs.	1.663
Income tax on Rs. 12,000	) <b>;</b> —			Rs.
On the first Rs. 3,300	@	Nıl		
On the next ,, 1,700	@	3%		51
, 2,500	@	6%		150
, , , , 2,500	@ @ @	9%		225
2.000	Œ`	11%	_	220
Rs. 12,000			$R_s$	646

Illustration No. 4-

Following are incomes of Mr  $\Lambda$  for the year ending at 31st. March, 1960. - -

		Rs
Salary		12 000
Bonns commission etc		3 000
Annual value of Rented property	,	3 000
Interest on Deposit with Bank		2,500
Mr $\lambda$ is married and has more	e than one child	The tax
deducted from salary by the employer Statutory Provident Fund He contr tion towards h s fund and life insurar Rs 3 500 The employer has deducte	r is Rs 985 He is abutes Rs 1 500 as ace premium paid d the tax without	member of s subscrip by him is taking into
consideration the life insurance pren		
Find out total income of Mr Y and t	ne amount of tax	oryanie by
him in the assessment year 1960-61		
Solution No 4-		
		Rs
Salary		12 000
Bonus commission etc.		3 000
	Ŕs	
Annual value of property	3 000	
I are 1 for repaire	500	

[ २१३

Rs -

Salary			1 7 000
Bonus commission etc.			3 000
	Rs		
Annual value of property	3 000		
Less & for repairs	500		
Taxable Income from Property			2 500
			2 500
To al Income of Mr X		Rs	20 000
			Rs.
Income tax on Rs 20 000 total income	ome		1942*
Add Sur charge	Rs		
Income tax on Rs 15 000 earned in	come		
(as if it s the total income)	1 042		
Sur charge thereon @ 5%			52 10
Income tay on Rs 20 000 is	1 942		
Less Income tax on earned income	_		
(as above)	1 042		
	Rs 900		
Sur charge on Rs. 900 @ 20%			180
Gross Income tax and Sur cha	røe	Rs	2 174 10
•	Rs		
on Salaties	985		933
	Bonus commission etc.  Annual value of property Less & for repairs Tavable Income from Property Interest on bank deposit To al Income of Mr X  Income tax on Rs 20 000 total inc. Add Sur charge Income tax on Rs 15 000 earned in (as if it is the total income) Sur charge thereon @ 5% Income tax on Rs 20 000 is Less Income tax on earned income (as above)  Sur charge on Rs. 900 @ 20% Gross Income tax and Sur cha Less Tax pand at Source	Rs	Rs

```
[ 435
```

Salary

Business

Property

Less & for repairs

Tage .

```
Premium which is Rs 1,500+Rs. 3,500 :.e.
         Rs. 5,000 at the average rate (Rs 2.174 10
           is \left(\frac{2.174\cdot10\times5.000}{20.000}\right)
                                                                 543 52
           Tax payable
                                                            Rs- 645 58
        Income-tax on Rs 20,000 and Rs. 15000 :-
                                                   Rs.
        On the first Rs. 3,600
                                                   Nılì
        On the next
                       .. 1.400
                                                    42
                       u 2.500
                                                        1,042 on 15 000*
                      .. 2,500
                .
         ,,
                ..
                      +2.500
                                                  3:0
                      ., 5,000
                                                  900
                  Rs. 20,000
                                           Rs.
                                                1.942
  Illustration No. 5-
       A derives income from the following sources:
                                                 Ra.
       Salary per annum
                                               6.000
       Business (Earned income)
                                               8 000
       Property (Rents)
                                               3.000
      Interest on Tax free Govt. Securities
                                                 500
                                         Rs 17,500
      He has paid Rs. 600 as his contribution to a recognised provi-
dent fund and his employer contributes the same amount towards
    He has also taken a policy of Rs. 25,000 on which he pays an
annual premium of Rs 1,800.
      Work out his total income and tax thereon assuming that he
is a married individual with more than one dependent and tax
deducted at source out of salary is Rs. 102.
Solution No. 5-
                                                     Tax deducted
                                              Re.
                                                       at source
```

Relief on account of P. F. and Insurance

R٠.

Re

102

6.000

8,000

2,500

3,000

500

Interest on Securities	tax free Govt.		Rs-		
Securities	Total Income	Rs.	17,000		
Exempted I					
	and contribution	ı	600		
Insurance F	remium		1,800		
Interest on	Tax free Govt. S	ecurities	500		
		Rs	2 900		
Tax on Rs	1 700~				
First	Rs 3,600	Nil	Nil		
Next	Rs 1,400	3%	42		
Next	Rs 2,500	6%	150		
Next	Rs. 2,500	9%	225		
Next	Rs 2,500	11%	275		
Next	Rs 2,500	14%	350		
Balance	Rs 2,000	18%	360		
	Rs 17 000	Rs.	1,402		
					Rs.
Income-ta:	k on Rs. 17,000				1,402
Add Surc	harge				
			Rs		
	x on Rs 14 000 e				
	as if it is the tot:	al income	) 902		
	thereon @ 5%				45 10
	x on Rs 17 000 19		1,402		
	me-tax on earne	ď			
mcome	as above)		902		
			Rs 500		
Surcharge		_			100
	acome tax and St leducted at sourc				1,547 10
on Sala		е			102
on Saia	1162				
	on account of P	-			1,445 10
	e Premium and in				
	Fovt - securities at				
		r the aver	age		
rate (17.0	$\frac{4710}{000} \times 2.900$				263 92
		Tax p	ava ble	Rs	1,181 18
			.,	*43	-1.01 10

## 214 ]

### Illustration No 6-

Ram Babu Agnihotri is director and is unmarried. He gets Rs 20 000 as director's fee. He has two houses Taxable income from these two houses amounts to Dr. 12 000

from these two houses amount.			ese are the
incomes of Mr Agnihotri for	the year e	nding 31st	March 1960
Find out the amount of Income	-tax and Su	iper tax pay	able by him
in the assessment year 1960-11.			
Solution No 6-			
Ram Babu Agn	ihotri s Ass	essment	
(19	960 61)		Tax
			Rs
Income tax on Rs 32 000			5 020
Add Surcharge		Rs-	
Income-tax on Rs. 20,000	earned		
income (as if it is the to		2.020*	
Surcharge thereon @ 5%		•	101
Income tax on total incom	ne of		
Rs. 32 000 18		5 020	
Less Income-tax on earned	t		
income (2s above)		2 020	
(2	Rs		
Surcharge on Rs 3 000 @	20%		600
•			R . 5 721
Super tax on Rs 20 000 w	hich is earr	red income	Nil
Super-tax on Rs 12,000 v			1 400
Surcharge @ 20%			280
Super-tax			Rs 1680
Total tax payable by Mr.	Agnihotri		_
(Rs 5,721+1,680)	. 0		Rs. 7 401
		- a balany	
Tax on Rs. 20,000 will be	calculated :	Rs.	
0.4 . 7: 1000	Nil	Nil	
On first Rs. 1000	3%	120	
On next , 4,000 On next , 2,500	5% 6%	150	
	9%	225	
0,1 110.11	11%	275	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	14%	350	
	18%	900	
27 400	Rs		
Rs 20,000	143		

Note :-- If an assessee has earned and uncarned income both then unearned income will b long to that slab where earned income finishes and if necessary it may be treated to belong to higher slab.

Illustration No. 7-Total ircome of an assesse is Rs. 28,266. He received Rs. 27,000 as capital gains. Calculate capital gains tax only.

## Solution No 7-

Calculation of capital Gains Tax:-

Capital gains tax on Rs 27,000 will be levied at the average rate applicable to total income+3rd of capital gains i.e. Rs. 28,266 +Rs. 9.000=Rs. 37,266. Tax on Rs. 37,266 will be calculated as under --

C00 = Rs. 37,266. Tax on Rs. 37,266 will	Rs.
	Nil
On the first 1,000	120.00
On the next 4,000 @ of	150 00
On the next 2,500 @ of	225.00
On the next 2,500 @ of	275.00
On the next 2,500 @ of	350.00
On the next 2,500 to 0.	900 00
On the next 3000 to	4,316 50
	Rs. 6 336 50
Fotal tax on Rs. 37,266 is	100
Average rate will, therefore, be	
6,336 50×100 _17 19%	

Capital Gains tax on Rs. 27.000/-@ 17 19%=Rs. 4,641'30.

## **OUESTIONS**

- Distinguish between :-1.
  - (a) This part relates to other topic.
  - Slab System and Step System of taxation (Alld., B. Com , 1954 , Raj., B. Com , 1954)
- What are the rates of Income-tax for married individual who has two dependents?

## घ्याय १७

## व्यय-कर, सन् १९५७

## (Expenditure-Tax, 1957)

यह प्रविनियम पात्र तक भारत के प्रतिरिक्त हुनियों के क्लिंग प्रत्य देग में पात नहीं किया गया है। इस प्रविनियम में कुत ४१ पाराएं हैं और माठ Chapters हैं। राष्ट्रपति ने १७ दिरम्बर सन् १६१७ को इस प्रविनियम पर प्रतनी क्लीकृति दो पी। यह प्रविनियम १ प्रत्येत सन् १६१८ से लाझ हुमा है।

व्यय-कर नीचे लिखे हुए करदाताओं से सिया जाता है :--

(१) व्यक्ति (Individual), या

(२) हिन्दू सिमालित परिवार (Hindu undivided Family)।
परनु व्ययनर उन नरवाशामी है विचा वाश है जिनको राज्यमें की इर सामनों से मात हुई बुत साथ में से इस साम पर विसे हुए करों ( सायनर व स्रीक कर) की रक्त भटाकर बचने वालों साथ ३६,००० रु० हे समिक होती है सीर स्प

कर ) की रक्तम प्रदाकर बचने वाली मांग ३६,००० रु० के मांग्क होती है भीर रूप के व्या, भारा ४ व ६ में बताई हुई लूटों व घटाने मोग्न रक्तमों की बीट कर, ३०,००० रु० के मांग्कि हों। व्यापकर मण्डार का पूर्व इस स्वितियम के मुक्तनें मांग्यन मन्तर है है।

करदेय व्यय (Taxable Expenditure)—

पारा २ (०) के प्रतृत्वार करवेर रूप का द्वारान करवाज के उस हुन स्वर से है वो इस प्रितिनम के प्रत्यांत करवेर है। १९ करदेप व्यय में शामिल होने वाली एकमें (Amonnis to be included

in Taxable Expenditure)— वारा ४ के बनुवार नीचे तिले हुए ध्यय करदाता के कुल ब्यय को हात करी

के लिए उसने शामिल किये गये हैं।

करवाता को छोडकर, मन्य किलो ध्यक्ति द्वारा, करवाता के लिए या उनके प्राप्तियों के लिए किया हुया ऐसा ध्यम रिले यदि वह व्यक्ति न करता तो करवाता को करता पढ़ता। यह क्ष्मय करवाता के हाथ में २,००० रचने तक करदेन हैं।

मंदि करदाड़ा के साधित ने कोई स्वयं करदाता के लाम के लिए या एउके सन्य साधितों के लाम के लिए करदाता होगा दिए हुए वस वस्तार (दान) या सन्य प्रकार के मिली हुई रहन से किया है तो यह स्वयं भी करदाता के स्वयं में गामित किया सरमा है नीचे लिखे हुए ध्यय करमुक्त हैं भीर करदाता के करदेव व्यय मे शामिल नहीं किये जाते हैं (Following expenditures are exempted from tax and are not included in the taxable expenditure of an assessee) —

- (१) करदाता द्वारा अपने व्यापार, पेशा व व्यवसाय के लिए किया हुआ। व्यय चाहे वह आप व्यय हो या पूँजी व्यय ।
  - (२) करदाता द्वारा प्रमनी नीकरों के क्तंत्र्यों को पूरा करने के लिए किये हुए व्यय या उसकी थोर से इसी काम के लिए उसके मालिक द्वारा किये हुए व्यय ।
  - (३) सरकार द्वारा दिने हुए कर्तब्यो के निवाहने मे करदाता द्वारा किये हुए व्ययः।
  - (४) क्षाय-सर् विधान से करदाताओं को घर जाने के लिए मिला हुआ यात्रा व्यय, जिसे कि करदाता ने व्यय किया है, परन्तु यह १,५०० ६० प्रति वर्ष से प्रधिक नहीं होना चाहिये।
  - (५) किसी मचल सम्पत्ति के बनाने या मरम्मत के लिए करदाता द्वारा किया हमा व्यव ।
    - (६) करदाता द्वारा ऋणो, मसों, प्रतिमृतियो या मन्य विनियोगो में क्यि। गया ध्यय ।
  - (७) भारतवर्ष में किसी कुटीर उद्योग की वस्तुमों के अय करने मे या चित्र-कता के किसी काम पर, यदि इस प्रकार की किसी वस्तु की वीमत १,००० के से प्रचित्र है, भीर किसाबी आदि के अय करने में कर-याता द्वारा क्रिया हमा व्यव ।
    - ( ) यदि कोई करदाता फर्म या सब से नाम प्राप्त करने के लिए फर्म मे पूजी लगाता है तो यह पूजी ब्यय ।
    - ( ६ ) करवाता द्वारा एक ऋणु और उसके ब्याज के मुगतान के तिए किया जाने वाला व्यय, परन्तु यह ऋणु ऐने व्यय के लिए न लिया गया हो जो कि इस मीधनियम के मलागत करदेय है।
    - (१०) करवाता द्वारा दूसरे भावभी के लाभ के लिए दिया हुमा जपहार, दान या भन्य प्रकार का स्थय !
    - (११) करवाता द्वारा अपने जीवन व अपने आधितों के जीवन बीमा पर सा भपने आधितों की सिक्षा व सादी के बीमा पर सा अपने स्वास्थ्य के बीमा पर या अपनी सम्मति की आग व अन्य प्रकार की हानि से बजाने के बीमा पर दिया हुआ सर्च।
    - (१२) जानवरों के क्रय करने में व उनकी सुरक्षा में किया हुआ ब्यय !

- (१३) किसी मानिक व पुन्न कार्य के लिये किया हुन्ना व्यय, परन्यु वह व्यव देश के बाहर नहीं किया बाता चाहिए।
- (१४) मनोरवन के लिए मिले हुए भर्ती, ची वि बाय-कर से मुक्त है, में के विमा कमा व्यव।
- (१५) यदि करदाता निदेशी है तो उसके द्वारा देश के बाहर किया हुए। व्यय ।
- (१६) प्रमास्ति प्रोडीडेन्ट फाए या मुक्तरपुतुरम्न एन्ड में दिया हुए। स्थानम्
- (१०) नेन्द्रीय सरकार द्वारा दिने हुने Privy Parse में से बाने नियों स्थान ना छोडकर धनने नर्मनारियों को दिने हुए नेतन या पेंगन बारि ने कर्म में बियों हुए स्थार ।
- (१४) करवाडा क्षा सा उनके किसा साधित द्वारा यदि करवाता हिंदू सम्मिन्ति परिवार है तो उनके किसी सहस्य द्वारा सबद सा सुनिकि-पैलियो या अन्य किसी स्थानीय सरकार के चुनाव के सम्बन्ध भारत में किया हुआ व्यय । यदि करवाता स्वय इस चुनाव के सम्मीयदार हो । परन्तु यह स्थय कांत्रन द्वारा तिन्दित स्थय से भिक्त नहीं होना चाहिये।

करदेय व्यय में से घटाने योग्य रक्में (Deductions to be made in

Computing the taxable expenditure)— घारा ६ व अनुसार करदेव व्यय निजातने के लिए नीचे लिखे हुए आवं र

- इटें पटाई जावेंगी :— (१) वरकार या स्थानीय सरकार को दिया हुन्ना कर, परन्तु इन कर मे
  - नीचे तिसे हुए कर ग्रामिस नहीं हैं :---
    - (1) करवाता या उसके झाशित द्वारा प्रयोग की जाने वानी किटी चन सम्मति पर दिया हुआ कर।
    - (11) तरदाता हारा भवत या अपने किसी आधित के प्रयोग के
    - वित् क्रायान की हुई वस्तुको पर दिने हुए कर । (m) करवाता द्वारा स्थानीय सरकार की क्रानी सम्पत्ति के सम्बन्ध
    - (111) करदाता द्वारा स्थानीय सरकार की अपनी सम्पत्ति के सम्बन्ध में दिये हुए कर।
  - (२) करदाता द्वारा भारते किसी दीवानी या फाँक्दारी के मामले में किया हमा व्यय ।
  - (३) करवाता झारा कार्यने व कार्य कार्याव्य को साथी में किया हुआ ब्याप । यदि करराजा सम्मित्वत हिन्दू परिवार है तो इस परिवार के कर्यों क्षमता उसने किसी असमा की साथी में किया हुए स्थाप परणु कर्य क्षम १,००० दाए से प्रोप्ते कार्यों में सर्विक नहीं होना चाहिए।

- (४) करवाता द्वारा अपने या अपने आशिनों के प्रयोग के लिए हम किये हुए सोना, चौदी, कीमती जवाहरात, फर्नीवर, मोटर कार या अन्य घर के सामानी पर किये हुए पुँजी व्यय का ४/४ भाग।
- (१) करदाता द्वारा अपने माँ वाप के निर्वाह के लिए किया हुआ व्यय, परन्तु यह व्यय ४,००० रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
- (६) वरदाता द्वारा घरनी या अपने झाश्रितो की या मां-बाप की दवाई में किया हुया स्थय। अगर करदाता हिन्दू सिम्मिनित परिवार है तो इसके कत्ती व इतके सदस्य वी दवाई में विया हुमा स्थय, परन्तु यदि करदाता स्थित है या सिम्मिनित हिन्दू परिवार है, जितमें कत्ती उसकी स्त्री और वस्के है तो यह स्थय ५,००० को स्रिवन नही होता चाहिए और सन्य अवनर के हिन्दू सिम्मिनित परिवारों में यह स्थय १०,००० राग्ने ने अधिक नही होता चाहिए श्रीर सन्य अवनर के हिन्दू सिम्मिनित परिवारों में यह स्थय १०,००० राग्ने ने अधिक नहीं होता चाहिए।
  - (७) करदाता द्वारा श्रमनी तिक्षा व श्रमने आश्रितों को शिक्षा पर किया हुआ विदेश में थ्यय और यदि करदाता सम्मिलित हिन्दू परिवार है तो इसके किसी सदस्य की शिक्षा पर किया हुआ व्यय, परन्तु यह व्यय ८,००० रुपये से प्रियक नहीं होना चाहिए।
  - ( c ) प्रत्येक व्यक्ति को ३०,००० रुपये की बाधार छूट (Basic Allowance) यो गई है और प्रत्येक हिन्दू वरिवार, कर्का, उसकी की बोर बच्चे के तिये भी ३०,००० रुपये की कूट वी गई है, और इस कुटुम्य के प्रत्येक श्रतिरक्त (Additional) सदस्य पर सीम हजार रुपये की कूट है, परन्तु सम्मिनत हिन्दू परिवार की कुल भावार छूट मिलकर ६०,००० रुपये से समिक नही होनी चाहिए।

व्यय कर की दरें (Rates of Expenditure tax)-

एक व्यक्ति व सम्मितित हिन्दू परिवार के क्रद्रिय व्यय पर लगने वाली दर्-

(1) जो व्यय १०,००० रु० से ग्रधिक नहीं है १०%

(11) जो व्यय १०,००० र० से अधिक है, परन्तु २०,००० र० से अधिक नहीं हैं २०%

( 111 ) जो ब्यय २८,००० इ० से मधिक है, परन्तु ३०,००० इ० से मधिक नहीं है

श्रविक नहीं है 

✓०%
(17) जो ब्यय ३०,००० र० से अधिक है, परन्तु ४०,००० र० से
प्रिक नहीं है 

६०%

( v ) जो ध्यम ४०,००० र० से अधिक है, परन्तु ४०,००० र० से

## महत्त्वपूर्ण नियम—

व्यय कर उद्यो पर लगता है जिसको उस वर्ष की हुन साथ प्राय-कर व प्रकि कर को छोडकर ३६,००० रु० से प्रतिक हो और उसका स्वय का व्यय भाग ५ वें दिने हुए करमुक्त व्ययों को छोडकर ३०,००० रुवने से स्विक हो। प्रवांत ३०,००० रुवने तक के व्यय पर व्यय-कर नहीं सगता है।

## व्यय-कर का स्पर्धाकरण--

Example 1. If the income of Mr. X from all sources, whether subject to income tax or not, is Rs. 80 000 and income tax and super-tax thereon is Rs. 35.000. The balance income after payment of taxes as stated above is Rs. 45.000. If the personal expenditure of the assessee is Rs. 29,000, what will be the expenditure-tax payable by him?

Solution I. Mr X will not pay any expenditure tax, because his per-onal expenditure is only Rs 29,000, while the basic allowance allowed as deduction according to section 6 is Rs 30,000  $^{\prime}$ 

Example 2. If the moome of Mr. X after payment of incometax and super tax is Rs. 35,000 and the personal expenditure is Rs 60,000 What will be expenditure tax payable by Mr. X?

Solution 2 Mr X will not pay any expenditure tax, because his income is less than Rs 36,000 and for levying of expenditure tax, the income of assessee must be more than Rs, 36,000.

Example 3 If the income of Mr. X after payment of tax is 37,000 and the personal expenditure is Rs 60,000 (after deducting exemptions and deductions, if any). What will be the amount of expenditure tax navable by Mr. X >

Soution 3.	-	ъ.
Expenditure	Rs-	Rs.
Less Basic Allowance	60,000	
(A) C + Allowance	30 000	30,000
(i) on first Rs. 10,000 @ 10%	1,000	
(11) on next Rs- 10 000 @ 20%	2 000	
(m) on next Rs 10 000 @ 40%	4.000	
Expenditure-tax payable by Mr. X	Rs. 7 000	
Example 4. Mr. K. Lal had an inco	me of Da coo	00 41-

Example 4. Mr, K. Lal had an income of Rs 80,000 in the previous year ended 31st March, 1959. His expenditure for the same year was Rs. 54,000. It included the following expenditures:—

(a) Rs. 4,000 given in the marriage of his daughter by way of gift.

Rs

54 000

(b) Rs 4,000 paid as premium for the insurance of his life Find out the amount of Expenditure tax payable by Mr.

Solution 4

#### Assessment Year 1959 60

K. Lal for the assessment year 1959-60.

Total Expenditure

Total Expenditure		34,000
Deductions	Rs	
Basic Allowance	30,000	30 000
		24 000
Less Exemptions		
(a) Gift in daughter's marriage	4,000	
(b) His Life Insurance Premium	4 000	8,000
Taxable Expenditure		Rs 16 000
(Method of Calculation	a of Tax)	
		Rs.

		Rs.
(1) on First Rs 10,000 @ 10%		1,000
(11) on the next Rs 6,000 @ 20%		1.200
Tax payble by Mr K. Lal on his expenditure	Rs	2 200

### अध्याय १८

## धन-कर अधिनियम, सन् १९५७

(Wealth-tax Act. 1957)

गुद्ध-धन (Net Wealth)---

इस अधिनियम की धारा २ (M) के अनुसार Net Wealth का आश्रय यह है :—

मूल्याकन तिथि पर एक करदाता की शब सम्पतियों का मूल्य (वे चाहें वहीं स्थित हों) असके उस तिथि तक के सब ऋषों के मूल्य से जितना प्रक्षिक हों उसे पुढ़ें भन कहते हैं, पर-जु उसके ऋषों में चारा ६ में दिये हुए ऋषा व ऐसे ऋषा को किया सो सुरक्षित (Secured) हैं या ऐसी सम्मति के सम्बन्ध में निए गए हैं जिनके कार इस सिमियम के मनुकार कर नहीं देना है. शामिल नहीं किसे वार्यों।

Net Wealth to include certain assets-

घन-कर अधिनियम को घारा ४ के अनुसार--

(१) एक ब्यक्ति का प्रसली घन निकालने के लिये नीची लिखी हुई सम्प चिमो को ध्यान में रखा आएगा :---

( ध ) उन सब सम्पत्तियों का मूल्य जो कि मूत्याक्त के दिन निम्नलिखित के पास हैं :--

(1) वे सम्पत्तियाँ जिन्हे उसने अपनी स्त्रों को बिना किसी पर्याप्त प्रतिफल के हस्तान्तिरित किया है या उसे अलग रहने के लिए नहीं दिया है।

( 11 ) वे सम्पत्तियाँ जिन्हे इसने प्रपने मन्यस्क बच्चो को, विवाहित लडनियों को छोड कर, बिना निसी पर्यात प्रतिकल के हस्ता-स्तरित किया है।

( 111 ) एक व्यक्ति या व्यक्तियों के सब के पास की ऐसी सम्पत्तियाँ, जिन्हें, उसने विना किसी पर्याप्त प्रतिफल के हस्तान्तरित किया है।

- (17) एक व्यक्ति या व्यक्तियों के संघ की सम्पत्तियाँ जिन्हे उसने खडन करने योग्य हस्तान्तरण (Revocable Transfer) के ब्रन्तर्गत हस्ता तरित किया है।
- ( व ) यदि करदाता किसी फर्म का साभेदार है या व्यक्तियों के सथ का सदस्य है तो उस फर्म व उस सध में उसका जितना हित है उसका मूल्य ।
- (२) उत्पर दी हुई उपघारा १ (य) में बताए हुए व्यक्ति के हित का मृत्याकत करते समय बोर्ड उस समय के प्रचलित उन सब नियमों को ध्वान में रखेगा जोकि सामेदारों में व संघ के सदस्यों में हिसाब करते समय व्यान में रखे जाते हैं।
- (३) यदि ऊपर दी हुई उपधारा १ (प्र) की सम्पत्तियों के मूर्त्यांकन की करदाता के प्रसन्ते धन में सम्मितित किया जाता है तो इस कीमत में से उन समस्त ऋ हो। को घटाया जाएगा जो कि करदाता द्वारा सम्पत्तियों के मूल्यांकन करते समय देव (Owng) थे।

(४) उन सम्पत्तियो का मुख्याकन जो पहली श्रप्रैल सन् १६४६ के पूर्व

हस्तान्तरित की गई थी. करदाता के असली धन मे शामिल नही होगी।

( प्र ) यदि करदाता ने सम्पत्ति का Irrevocable Transfer किया है तो यह सम्प्रति उस समय उसके घसली घन में घामिल की जायगी, जब कि यह हस्तान्तरस खक्ष्म करने योग्य होगा ।

ं ऐसी सम्बक्तियाँ जिल्लास न तो धन-कर ही लगता है और न वे ध्यसली धन में ही शामिल की जाती हैं (Assets which are neither taxable under Wealth-tax nor included in net wealth of the assessee)-

घन कर अधिनियम की धारा ५ के अनुसार नोचे लिखी हुई सम्पत्तियो पर न तो धन-कर ही लगता है और न ये सम्पत्तियाँ करदाता के श्रसत्ती घन मे ही शामिल को जाती है:---

(१) ऐसी सम्पत्ति जोकि करदाता के पास किसी प्रन्यास (Trust) है या ग्रन्य वैधानिक दायित्वों के ग्रन्दर किसी धार्मिक या पृथ्य कार्यों के लिए रखी जाती है।

(२) किसी ऐसे सम्मिलित हिन्दू परिवार की सम्मित में करदाता का हित जिसका कि वह सदस्य है।

(३) ऐसी एक इमारत (building) जो कि भारतीय सघ में मिली हुई रियासती के राजा के प्रधिकार में उसके रहने के लिए है और जिसे केन्द्रीय सरकार ने इंबर्का Official Residence घोषित कर दिया है।

(४) एक घर, जोकि पूर्णतया करदाता द्वारा अपने रहने के लिये प्रयोग किया जाता है और एक ऐसे स्थान पर स्थित है जहा की मावादी दस हजार से मधिक नहीं है भौर जोकि किसी ऐसे स्थान से ५ भीत से धिषक दूर है. जहां के लिए एक म्युनिसिपैसिटी है भीर जहाँ की भावादी १० हजार से भावत है।

मा०क०वि०खा० (१५)

( ५) करदाता के पेटेन्ट व कॉपीराइट के प्रधिकार, परन्तु शर्त यह है कि इन्हें करदाता व्यापार, पेसा या व्यवसाय की सम्मत्ति की तरह न रखता हो।

(६) करदाता द्वारा उसकी ऐसी दीमा पॉलिसी मे हित (Interest) जिनका कि रुपया भभी करदाता को देय (Due and Payable) नहीं हुमा है।

ननका कि रुपया अभी करदाता को देय (Due and Payable) नहीं हुमा है। (७) करदारा द्वारा अपने मालिक से पुरानी सेवाओं के उपलक्ष में पेन्सन र

Life Annuity पास करने का भिषकार।
( = ) फर्नीचर, पर के बर्तन, पहनने के कपडे व ग्रन्य वस्तुएँ, बोकि कराउँ व

के घरेलू प्रयोग में माती हैं। ( ६ ) करवाता द्वारा खेडी की उपन पैदा करने में प्रयोग करने वाले भीवार (Tools and Implements) । यहाँ यह ध्यान देने योग्य दाल है कि मौनारी में

प्लान्ट भौर मरोन शामिल नहीं हैं। (१०) वे सब भौजार जोकि करदाता को मपने पेशा या व्यवसाय को जाने

मे मदद करते हैं भीर जिनका मूल्याइन २० हवार रुप्ये से मधिक नहीं है। (११) वैज्ञानिक खोज के लिए करताता द्वारा प्रयोग निए जाने वाते भीवार (Instruments and Apparatus)!

(१२) करदाता की पुस्तक Manuscripts, Scientific Art.

Collections इत्यादि, जिन्हें कि वह विक्री के लिए नहीं रखता है। (१३) करदाता के Paintings, Photographs, Prints,

Drawings, जिन्हें कि वह विको के लिए नही रखता है, परन्तु इसमें Jeweller

(१४) किसी सातक (Ruler) के प्रिषकार वाली jewellery, वरन्तु यह उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति न ही भीर विशे इस अभिनियम के ग्रुक होने के पूर्व केन्द्रीय सरकार ने उसके Heirloom की तरह मान तिया हो या यदि इस अग्रार तो मान्यता न दी यई हो तो प्रथम बार धन-कर लगते समय बोर्ड द्वारा इस प्रकार की मान्यता दी गई हो।

( १५ ) करवाता की ज्वैतरी (Jewellery), परन्तु यह मूल्य में २५,०००

रुपए से प्रधिक की नहीं होनी चाहिए।

(१६) उसके दस-वर्षीय द्वारी सेविश्व सर्टोफिक्ट्स, १५-वर्षीय एन्ट्री, सर्टोफिक्ट्स, उसकी डाक्साने के सेविश्व बैक में अमा रक्षे, पोस्ट प्रॉफिस कैंग सर्टोफिक्ट्स, पोस्ट प्रॉफिस नेशनल सेविश सर्टोफिक्ट्स इत्यादि।

(१७) करदाता के कुत प्रॉवीडेन्ट फण्ड की रकम, यदि उपका प्रॉवीडेन्ट कुछ सन् १९२५ के प्रनुशार है या Recognised Provident Fund है।

(१८) यदि करवाता ने कोई सम्पत्ति सरकार से बहादुरी के इनाम में पाई

है, जिसे केन्द्रीय सरकार ने मान्यता दी है।

(१६) यदि करदाता कम्पनी है तो ऐसे करदाता द्वारा उन प्रशो (Shares) ना मुल्य जो कि वह इसरी कम्पनी में लिए हए है।

(२०) करदाता द्वारा लिए हुए ऐसी कम्पनी के प्रशो का मृत्य जिनका

वर्णन घारा ४४ (D) में किया गया है।

(२१) यदि एक कम्पनी बारा ४५ (D) के अनुसार उद्योग स्थापित करने के लिए भारत में शुरू हुई है तो इस कम्पनी के असली घन का वह भाग जोकि इस विधान के शुरू होने के बाद कम्पनी के नए हिस्से पर प्रयोग किया गया है।

(२२) यदि करदाता ने कोई रक्म केन्द्रीय सरकार पर जमा की है या सरकार या स्थानीय सरकार की ऐसी प्रतिभृतियों में लगाई है जिन्हें केन्द्रीय सरकार कर-मूच घोषित करती है तो इन पर धन कर नहीं लगेगा।

### Exclusion of Assets and debts outside India-

घारा ६ के भ्रनसार एक व्यक्ति या सम्मिलित हिन्द्र परिवार, जोकि भारत का निवासी नहीं है या निवासी है, परन्त साधारण निवासी नहीं है या एक कम्पनी जोकि भारत की निवासी नहीं है के असली घन की निकालते समय उसकी विदेशों में स्थित सम्पत्ति व कर्जी (Debts) को च्यान में नहीं लाया जाएगा। भारत की ऐसी सम्पत्तियों के मत्य को भी ध्यान में नहीं लिया जाएगा जोकि किसी ऐसे ऋएा के कारण है जिस पर दिया जाने वाला ब्याज ग्राय कर की धारा ४ (३) के शनुसार करदाता की कल साथ में शामिल नहीं किया जाता है।

### How to determine the Value of Assets-

घारा ७ के बनुसार नकदी को छोड़ कर किसी भी सम्पत्ति का मुल्याङ्गन उस मूल्य पर किया जाएगा जो घन कर अधिकारियों के दृष्टिकोए से खुले बाजार में यदि वह Asset बेचा जाए तो प्राप्त किया जाएगा । सेन्ट्रन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने उन नियमों को बनाया है जिनके आधार पर धन कर लगाने के लिये सम्पत्तियों का मुल्याइन विया जाता है ।

## Wealth tax Authorities-

Wealth tax Officers-प्रत्येक साय कर अधिकारी ही धन-कर अधिकारी का काय करता है। इसके प्रतिरिक्त अन्य अधिकारी भी होते हैं. जिनके नाम नीचे दिए हए हैं :---

Appellate Assistant Commissioners of Wealth-tax, Inspecting Assistant Commissioners of Wealth-tax, Wealth tax Officers to be subordinate to the Commissioner of Wealth tax and the Inspecting Assistant Commissioner of Wealth-tax, Wealth tax Authorities to follow orders, etc , of the Board

इन सब अधिकारियों का विस्तृत वर्णन धन कर अधिनियम की धारा है, १० ११, १२ और १३ में किया गया है।

## Exempted Companies-

विस्त प्रधिनियम सन् १६६० की धारा १३ के अनुसार एक कम्पनी के सुद्ध धन पर १ अप्रैस सन् १६६० से कोई धन कर नहीं समेगा ।

## चिदेशियों को छड (Relief to Foreigners)-

जितना धन कर एक व्यक्ति को यन कर प्रधिनियम के प्रनुसार देना होता है उसका प्राथा धन कर एक विदेशी से भारतीय सम्पत्ति पर तिया जाता है, धणा वह नीचे जिल्ली हुई दोनो सार्वे पूरी करें .—

(म्र) बह भारत का नागरिक न हो, और

(ब) बहुभारत का निवासी न हो।

धन-कर की दरें (Rates of Wealth tax)-

(म) प्रत्येक व्यक्ति के लिए—	कर की देरें
(1) असली धन के प्रथम दो लाख रूपये पर	क्छ नहीं
(11) ग्रसली धन के धगले दस लाख रुपये पर	1%
(111) ग्रसली घन के ग्रमले दस लाख रुपये पर	13%
( 1v) ग्रक्षली धन के दोप पर	₹%

(17) प्रतिकों पन के रोप पर र%
(व) प्रतिके समिनिकत हिन्दू परिवार के लिए—
(1) प्रतिके वन के प्रयम चार लाख रुपरे पर
(11) प्रतिकों घन के प्रयम चार लाख रुपरे पर
(11) प्रतिकों पन के मणने दस लाख रुपरे पर
(11) प्रतिकों पन के रोप पर
र%
(11) प्रतिकों पन के रोप पर
र%

नियम १—यदि कोई ऐती सप्पत्ति नरदाता के Not wealth ने सामित है जिस पर पारा ४ (२) के प्रमुगार पन कर नहीं काता है तो इस Not wealth पर जो धन कर लगेगा उसका हुल धन कर के साथ नहीं धनुपात होगा जाकि कर न समने वाली सप्पत्ति के साथ होता है।

नियम २—कम्पनी की छोडकर खन्य करदाताओं की Net wealth में यदि ऐसी कम्पनी के घंगी का मूल्य गामिल है जोकि कम्पनी ग्राधितयम तर १६४६ की बारा व में समकाई गई है तो वरदाता द्वारा अपनी Net wealth पर दिया जाने वाला घन कर उस रक्तम के मन कर दिया जाएगा, जिससे कि निम्मांकित का जोड़, Net wealth में शामिल अशो के मूल्य पर २ प्रतिसत की दर से निकाली हुई रक्तम से कम होता है —

(अ) कि करदाता द्वारा दिया जाने वाला घन कर का वह भाग जीकि हुन कर के साम वही प्रमुखत रखता है जो कि ऊपर समकाई हुई Net wealth मे शामिल अबो का मूरच उसके कुल Net wealth के साथ रखता है।

(ब) उसी करदेय वर्ष में कम्पनी द्वारा भुगतान किए जाने वाले घन कर का

वह भाग जोकि कुल कर ने साथ वही अनुपात रखता है जोकि करदाता के Assessment मे शामिल स्रपो की Paid up value का कम्पनी की कुल स्रघ दूँ जी की Paid up value के साथ है।

नियम ४ -- भारत के एक नागरिक, व्यक्ति व मस्मिलित हिन्दू परिवार के Net wealth मे यदि कोई ऐसी सम्पत्ति वामिल है जीकि भारत के बाहर स्पित है, हो कुछ Net wealth पर दिया जाने वाला कर उतने रुपयों से कम कर दिया जायगा जितना कि विदेशों सम्पत्ति पर कुल सम्पत्ति पर कर का प्रमुणातिक कर है।

धन-कर का निर्धारण (Wealth-tax Assessment Procedure)-

यदि किसी व्यक्ति का गुद्ध घन भूमतम करदेय रकम से अधिक हो तो वमें करदेय वर्ष में ३० जून के पहले इस धन का विवन्त प्रायन्तर प्रिवकारी, जोकि धन- कर अधिकारी, जे ने पहले किस मिन प्रायन्ति में होता है, के पास भेजना चित्रिए। यदि घन-कर अधिकारी को यह सिक्शास हो जाय कि एक व्यक्ति का गुद्ध घन पर-कर लगने योग्य है तो वह समती और से ऐने व्यक्ति को चन का विवर्श्य देने के लिए नीटिंग देता है। इन नीटिंग के प्राप्त होने पर एक निरिचत समय के अन्दर आमतीर से ३५ दिन के बाद उस व्यक्ति को प्राप्त घन कर अधिकारी के पास में वेदना चाहिए। घन का विवर्श्य पन कर अधिकारी के पास में वेदना चाहिए। घन का विवर्श्य पन कर अधिकारी के पास न पहुँचाने पर पन-कर अधिकारी अपनी इच्छा- मुसार कर लगाता है और कर को रमन के डेड पुने तक जुपीना कर सहता है।

जब घन का विवरण प्राय-कर प्रधिकारों के पास भेज दिया जाता है तब यह प्रधिकारी इस पम से सम्बिप्तत लेखे या प्रमाण देने के लिए नोटिस देता है। कर-दाता द्वारा दिए हुए विवरणों भीर प्रमाणों के धाघार पर धन-कर भिषकारी कर निर्धारण करता है। तत्रदश्यात् एक नोटिस, जिसे माग-पत्र (Demand Notice) कहते हैं, करदाता के पास धन कर की रकम जमा करने के लिये भेजा जाता है। किजने समग के सन्दर यह रक्म जमा होनी चाहिए, यह नोटिस में दिया रहता है। जब करदाता धन-कर की रकम जमा कर देता है तो धन-कर की कार्यवाही समास हो जाती है।

#### धन-कर की श्रापील---

यदि करवाता धन-कर वाधिकारी द्वारा किये हुए कर निर्धारण से प्रमन्तुष्ट है तो वह परिवट प्राधिस्टेट कमिस्तर के यहाँ प्रशोज कर सकता है। यदि इस किम्हिनर के निर्हाद से सत्त्रीप नहीं है तो प्रशोज परिवेट हिन्सूनन से की जा सकती है। इस दिन्सूनन का दिया हुया निर्होच तरण के विषय (Pont of Fact) पर प्रतिस निर्संग्र माना जाता है। परन्तुकातून के विषय पर हाई कोर्ट मे ब्रपील की जा सकती है।

धरैलेट ट्रिस्पूनल की झाज़ा प्राप्त करने के बाद बातून के प्रकृत पर हाई कीर्ट में फरील की जा सकती है। यह प्रशील एक निष्टित कार्य पर होनी बाहिए।

हाई कोर्ट में दिए हुए फीसले के विरुद्ध सुधीम नोर्ट में घरीस की जा सनती है, परन्तु ऐसा,करने के लिए हाई कोर्ट का प्रमास-पत्र लेता धावस्यक है। यह प्रमीस देवत कानुनी प्रस्त पर हो होती है। कानून के प्रस्त पर इस कोर्ट द्वारा दिया हुमा निर्संप भन्तिम निर्संग माना जाता है।

Mustration 14Mr Surendra Bahadur Shukla, a resident in the taxable territories, had the following assets and liabilities on the valuation date 31st March 1960. Find out the amount of wealth tax payable by him.

x payable by him.		K5.
Capital in business as on 31-3 1960		80,000
Savings account with Bank of India, Joint		
with his wife		10,000
Agricultural land in Bombay State		40 000
Value of property transferred in the name of		
minor children on 15-10 1953		10,000
Value of property transferred in the name of		
minor children 15-10-1956	•••	20 000
House property (market value)		30,000
Shares in joint stock companies registered		
ın Indıa (market value)		1,25,000
Government securities (market value)	•••	12,000
Interest accured upto 31-3-1960 on Government	;	400
securities	•••	200
Jewellery & ornaments	•••	30,000
Motor car for personal use (market value)	•••	7,000
National savings certificates		40 000
(Purchased before 1st Oct 1959)		300
Cash in house		18,700
Shares in sterling companies (market value)	•••	15,700
Amount advanced on morrgage Rs 54,000		54,300
Interest accrued300	•••	
Household goods		2,000
Interest in Joint Hindu family	•••	20,000
Policy on his wife maturing on death		25,000 5,24,500
• •	4**	3,24,300

		,
Less Debts and outstanding exp	enses	
Description of the second of t	Rs	
Grocer s bill	500	
Rent outstanding	250	
Taxes-Income Tax		
Municipal Tax etc	4 750	
Brantospar van ove		5 500
		5 19 000
Less Value of property not liab	la & evemnt	
Less value of property not than	Rs	
Agricultural lands	40 000	
Transferred to minor		
children prior to 31 3 1956	10 000	
Jewellery and ornaments	25 000	
Motor car for personal use	7 000	
National savings certificates	40 000	
Household goods	2 000	
Interest in Jt Hindu family	20 000	
Pol cy money not matured	25 000	1,69 000
Net Wealth		3 50 000
Wealth tax on the first Rs 2 00	000	Nil
	000 @ 1%	1 500
Wealth tax	-	Rs 1500
Rebate on assets situated outsid	la lada viz sharan	

Rebate on assets situated outside India viz shares in sterling companies in terms of Rule 4 of the Schedule

=Rs 80 (Approximately)
Wealth tax Rs 1500
Less Rebate @ 50% of Re 80/ Rs 40

Balance wealth tax payable Rs 1460

### Notes

- Agricultural lands are outside the slope of wealth tax and hence excluded

  Ans amount transferred to wife or minor children prior to
- 2 Any amount transferred to wife or minor children prior to 1-4 56 is exempt
  - 3 Jewellary and ornaments upto Rs 25,000 is exempted and

२१२ ]

only the excess over Rs. 25,000 is to be included in the net wealth.

- National savings certificates, household goods and interest in Jt. Hindu family etc. are exempt.
- Insurance premiums paid, but the policy amount not due for payment, are exempt.

. .

## श्रध्याय १६

# उपहार-कर अधिनियम सन् १६५=

### (The Gift tax Act, 1958)

यह एक्ट जम्मू और दादमीर को छोडकर सारे नारत पर १ मर्प्रल सन् १६५० से लागू हुन्ना है। निम्नादित पर यह कर तगता है.—

- (१) व्यक्तियो पर,
- (२) हिन्दू सम्मिलित परिवारो पर,
- (३) कम्पनियो पर,
- (४) फर्म ग्रीर अन्य व्यक्तियों के संगठनों पर। परस्त निम्नाकित पर यह कर नहीं लगता है:---
  - (१) सरकारी कम्पनियाँ.
- (२) केन्द्रीय व राज्य सरकारो द्वारा स्थापित किये हुए काँपेरिशन.
- (३) ऐसी पब्लिक कम्पनियों जो ६ या ६ से अधिक व्यक्तियों ने नियन्त्रण में है और जिनके अधिक का प्रचालन व्यक्तियों के पास हैं।
- (४) जगर नम्बर ३ में समकाई हुई कम्पनियों की सहायक वम्पनियाँ (Subsidiary Companies) ।
- ( ६ ) प्रनासित पुण्यार्थं सस्यार्थे या ग्रधिशोष (Recognised Charitable Institutions or funds) !

उत्तर दी हुई सूची के नम्बर ३ मे पब्लिक कम्पनियाँ कर देने से मुक्त हैं। प्राइवेट कम्पनियाँ मुक्त नहीं हैं।

स प्राथमियन में उपहार (Gift) को परिभाषा इस प्रकार है—एक व्यक्ति के हारा दूसरे को किसी विश्वमान (Existing) चल था प्रचल सम्मिन को ऐज्जिक (Voluntarily) और विना अंतिकल के हसान्दरण करना । उपहार में उन सम्मिन को भी भामिल किया गया है जो इस एकट की धारा ४ में समझाई गई हैं। इसके मनुवार उन सम्मित्तियों का हस्तान्दरण भी उपहार में आता है जोकि केवल नाम मात्र अधिकल लेकर हस्तान्दरियों को हस्तान्दरियां में उपहार की शहर हिस प्रकार है की प्रदान में इसमें पानिल है। साराय यह है कि उपहार की परिभाग बहुत विस्तुत है और इसमें बहुत में वस्तुत्व मानिल है। साराय यह है कि उपहार की परिभाग वहुत विषाय प्रवृत्ति के बहुत की वस्तुत्व में अपनिल अपनिल मुक्त पर इसने को जात्री प्रवृत्ति की उपहार की प्रवृत्ति की उपहार की प्रवृत्ति की अपनिल है अर इसमें इसमें हमानिल है अर इसमें इसमें हमानिल है अर इसमें की अपनिल उपहार की आधिक उपहार (Partial Gift)

कहा जाता है, परन्तु जितना प्रतिफल इस हस्तान्तरण में सम्पत्ति के हस्तान्तरण करने चाले की मिलता है उसे कर के लिए छोड़ दिया जाता है।

ऐसे भी बहुत से उदाहरण हैं जहां विना सम्पत्ति का हस्तान्तरण किये दूपरे व्यक्तियों को सम्पत्ति में लाभ पहुँचाया जाता है, उन्हें भी उपहारों में शामित किया गया है।

नीचे लिखे हए उपहारी पर कर नहीं लगता है :---

(१) भारतवर्ष के बाहर स्थित ग्रचल सम्पत्ति का उपहार।

- (२) भारत के बाहर स्थित चल सम्पत्ति का उपहार, यदि उपहार देने बाला भारत का नागरिक नहीं है।
- (३) ऐसे सेविंग सर्टीफिकिट का उपहार जिन्हे उपहार मुक्त-कर (Glib tax iree) घोषित किया गया है।

( ४ ) सरकार या स्थानीय सरकारों को दिए हुए उपहार .

- ( ४ ) प्रमाणित पण्यार्थं संस्थाओं और कोयों में दिए हुए उपहार ।
- (६) किसी भी पुण्याचं कार्य के लिए दिया हुआ उपहार, जोकि १०० ६० से अधिक नहीं होना चाहिए।
- (७) ब्राभित स्त्रियो की बादी में दिया हुआ। उपहार, परन्तु यह १०,००० २० से अधिक नही होना चाहिए।
- ( = ) की (Wife) को दिए हुए उपहार इस कर से मुळ है। यदि यैयर एक लाख रुपये से प्रियम के नहीं है, परन्तु यदि की इस उपहार ने के किसी को उपहार देती है तो यह उपहार उसके पति के द्वारा दिया हम्म माना जायेगा और हमें करदेय उपहार में जोड़ विधा जायेगा।

#### Illustration No. 1-

Mr. A makes a gift of Rs. £0,000 to his wife on 1st May 1959 and of this amount his wife makes a gift of Rs. 40,000 to her son on 1st October 1959. Find out the amount of gift on which tax will be levied.

#### Solution No. 1-

Gift by husband to his wife is exempted upto Rs. 1,00 000. Therefore no tax is payable on 1-5-59. But out of this gift wife has gifted to her son Rs. 40,000 on 1-10-1959 This gift will be treated taxable gift.

(६) प्रपने ग्राधितो को उपहार रूप में दी हुई बीमा पॉलिसी, जिस्की प्रविक से ग्रविक रक्षम प्रत्येक दान लेने वाले के लिए १०,०००

ह़∘ है ।

- (१०) एक इच्छा पत्र (१४०१।।) के प्रन्तगत दिया हुन्ना उपहार।
  - ( ११ ) ऐसे उपहार जो मृत्यु के समय दिए जाते हैं।

- (१२) करदाता के बच्चों की शिक्षा के लिये दिये हुये उपहार, परन्तु इनकी राशि उचित होनी चाहिये।
- (१३) मालिक द्वारा नौकर को उपनार के रूप में दिये हुये दोनस या पेन्सन की उचित रकम।
- (१४) किसी व्यापार, पैशा या व्यवसाय करते समय दिये हुए उचित उपहार।
- (१५) विभी ऐसे व्यक्ति को दिये गमे उपहार जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भवान या सम्पत्तिदान का अधिकारी (moharge) हो।

## आधार हट की सीमा (Basic Exemption Limit)-

उरहार-कर के लिये घाषार छूट की सीमा (Basic exemption limit)
१०,००० रु है, प्रयोद यदि एक व्यक्ति ने गत वर्ष मे १०,००० रुप्ये तक उपहार
दिया है तो उसे कोई कर नहीं देना पडेगा, परन्तु यदि एक व्यक्ति दूसरे को एक साल
मे १,००० रु से अधिक व्यहार देता है और उसके कुत उपहार मिनकर ४,००० रु
से धर्षिक हो जाते हैं तो उसे प्रयिक उपहारों पर कर देना पढेगा, अर्थाद ऐसे मामलो
मे प्राधार छट की सीमा ४,००० रुप्ये हैं।

#### Illustration No. 2-

If A gives a gift of Rs 5.000 to his son and of Rs 2,500 each to his two daughters—What will be the basic exemption limit and on what amount he will have to pay Gift tax

#### Solution No. 2-

There is a basic exemption given upto Re. 10,000, but if the value of taxable gifts of one donce exceeds Rs. 3,000. then this limit is reduced to Rs. 5,000. In this example as A has given a gift of Rs. 5,000 to his son hence the basic exemption is Rs. 5,000 to his son hence the basic exemption is Rs. 5,000 to each of his two daughters)

## उपहारों का मृल्यांकन (Valuation of Gifts)-

पत-कर (Wealth tax) के धनुसार उपहार-कर में भी उनहारों का मुल्याकन तकद उपहारों को खोड कर, उपहार देने की हारीख की बाजाक कीमत (Market Rate) पर किया जाता है। इस प्रीपित्यम की बारा ६ में उपहारों के बाजाक कीमत के सम्बन्ध में तीने दिखी सर्त जुडी है.—

उपहारों का मूल्याकन उस मूल्य पर किया जावेगा जिसे उपहार-कर मॉफीसर उपहार की तिथि का बाजास मूल्य समभता है।

### कर की दर (Rate of Tax)-

कर की दर

(२) घगले करदेय उपहारों के (३) घगले करदेय उपहारों के (४) घगले करदेय उपहारों के (४) घगले करदेय उपहारों के (६) घगले करदेय उपहारों के (६) घगले करदेय उपहारों के	४०,००० रु. पर ४०,००० रु. पर ४०,००० रु. पर १,००,००० रु. पर	5% 5% 20%
(७) ध्रगले करदेय उपहारो के ( प ) ध्रगले करदेय उपहारो के ( ६ ) घ्रगले करदेय उपहारो के (१०) घ्रगले करदेय उपहारो के	२,००,००० ह० पर ४,००,००० ह० पर १०,००,००० ह० पर १०,००,००० ह० पर २०,००,००० ह० पर	१४% २०% २४°, ३०%
(११) करदेय उपहारों की शेष रका	र पर	80%

## महत्त्वपूर्ण नियम—

जपहार-कर घिषितियम के झन्तर्गत कर लगते वाले कुल उपहारो वा मूल्य मिर्द १०,०००) के या इससे कम है तो इन रक्तम पर उपहार कर नहीं लगेगा गरि उपहार की रक्तम १०,०००) स्पये से मिश्रक है तो करदेय उपहार की रक्तम निकावनें से पहले प्रवार का धिनियम की धारा ४ (२) के झनुसार १०,०००) स्पये की धुट धटाई जायगी। उदाहरण के लिए—यदि करदेय उपहारों की कुल रक्तम ४४,०००) स्पर की प्रतार होता पर ४ प्रतिश्त से १,०००) उपहार कर होता।

# उपहार कर श्रधिकारी (Gift-tax authorities)---

उपहार-कर लगाने व बमूल करने के अधिकारी आय कर प्रधिकारी हैं। इस कर लगाने के तरीके, अपोल करने, यसूल करने आदि के तरीके लगभग वेते ही हैं, जैसे कि घन-कर व ध्यम कर के हैं।

प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने गत वर्षे मे उनहार दिया है, करदेव वर्षे मे ३० ड्रॉ के पहिले मिपट टैक्स ब्रफ्तर के पास एक दिवरस (Return) देना पडता है।

## Rebate on Advance Payment of Gift-tax-

इस अधिनियम के धनुसार यदि एक मनुष्य करदेय उपहार देने के बाद १५ दिन के अन्दर निहिन्नत दरों पर जपहार कर सरकार को दे देता है तो उस व्यक्ति की Regular Assessment के समय कर के रूप में दी हुई रकम का क्रेडिट दी दिया ही आयेगा पर अधिम दी हुई रकम पर १०% की छूट और मिलेगी। यह छूट उसी पसमय नियोग जबकि प्रशिम कर नीचे लिले हुए दरी पर दिया जाय —

४०,००० रुपयो के उपहार तक ४% ५०,००० रुपयो मे २,००,००० रुपयो तक ८%

दोष रकमो पर १४%

#### Illustration No. 3-

Mr X trans'ers on 1 9 59 his immoveable property to his son 'B' for Rs, 60,000 and receives the amount from his son 'He also transfers on the same date certain moveable property to his son 'A' for an agreed value of Rs 50,000 but does not receive the said amount from 'A' The Gift tax Officer while making assessment finds that the market value of the numoveable property to his son 'B' is Rs 90,000 and is also of the opinion that the moveable property transferred to his son 'A' for Rs. 50 000 is not likely to be received by him Find out the taxable gift, if any.

#### Solution No. 3-

As in the Gift-tax Officer's opinion market value of the property given to 'X' is Rs 90,000, while actually it is transferred for Rs. 60,000. Rs. 30 000 is taxable gift in the first case. In the case of his second son, full amount of Rs. 50,000 is taxable gift. Therefore total taxable gift is Rs. 80,000 (Rs. 30,000+ Rs. 50 0.00).

#### Illustration No. 4-

Mr. A has made certain investments out of his own capital on 1-5-2090 but for the sake of convenience, the investments are in joint names of himself and his son B. On selling, part of the investments on 1-1 1960, the proceeds to the extent of Rs. 20,000 is appropriated by the son B and deposited in his own Bank account. What will be the position from Gift tax point of yies?

#### Solution No 4-

The sale proceeds to the extent of Fs 20,000 which is appropriated by B will be treated as gift made by A to B and will be included in the taxable gifts made by A.

## Illustration No 5-

Mr. A makes the following guts from 1 4 1959 to 31-3- 60  $\,-\,$ 

- (a) Rs 10,000 in saving certificates to be declared as Gifttax free by the Central Govt
- (b) Rs. 15,000 as donation to institution for charitable purposes within the meaning of sec. 15 (B) of Income tax Act, 1922.
- (c) Rs 5,000 is donation to charitable institutions not within the meaning of Sec. 15 (B) of the I T. Act, 1922
- (d) Rs 10,000 as gift to his three sons and two daughters each receiving Rs. 2,000.

Are the above gifts liable to taxation under Gut-Tax Act of 1958? If so, what is the amount of tax which Mr. X will pay under Gut tax Act?

Salation No. 5-

Rs. 5,000 donation to charitable institution not within the meaning of 15 (B) of I. T. Act, 1922 and Rs. 10,000 as gifts to be three sons and two daughters each receiving Rs. 2,000 are lable to \( \) tax under Gift-Tax Act.

Mr. X will, therefore, be required to pay gift tax on Rs 5 000 only though this total taxable gift is Rs. 15 000. This is so because he is entitled to claim statintory reduction of Rs. 10,000,

The amount of tax on Rs. 5,000 @ 4% will be Rs 200

### क्रियारमक प्रश्न

## (Practical Questions)

All the Questions in this part have been answered as per the Income-tax Law up to-date, and as modified by the Finance Act. 1960

- 1 An employee is in receipt of a salary of Rs 600 per month. 8 per cent of which he contributes to a provident fund to which his employer contributes 12 per cent. He is provided with a rent free house by the employer, the rental value of the house being Rs 600 per annum, and he also received from the employer Rs 1,200 as bonus. The amount of interest credited to his provident fund account for the year at 5 per cent per annum is Rs 450. He paid Rs 2000 as life insurance premium. Ascertain his total income ard evempted income for the assessment year 1959—60 if the provident fund in question is
  - (a) a provident fund to which the Provident Funds Act 1925, applies.
  - (b) a recognised provident fund, or
  - (c) an unrecognised provident fund

(Agra, B Com., 1960)

R.

(See also Illustration No. 4 of VI Chapter)
Note—In this question 1959 60 has been treated as 1960 61 for the
sake of solution

### Solution No. 1-

(a) When the Provident Fund is such to which the Provident Funds Act of 1925 applies

	7/2
Salary	7 200
House Allowance	600
Bonus	1,200
	Total Income Rs 9000
Exempted Income	
P. F. Contribution	Rs.
(By employee only)	576
Life Insurance Premium	1 674
	Rs. 2.250

Note-(1) Full premium of Rs 2 600 will not be exempted because employee's contribution to P. F. olus insurance premium should not be more than 2 of the total in come or Rs 8,000 whichever is less (11) Full house allowance has been taken into consi deration as per sub rule (ii) of clause (a) of sub rule (i)

of Rule 24 A (It has been explained in the VI Chapter

dealing with salary)		•
(b) When the P F is a Recognised	PF	
		Rs
Salary		7,200
House Allowance		600
Bonus		1 200
Employer's Contribution to PT (in e	excess	
of 10 per cent of his salary of	Rs	
Rs 7,200) is	144	
Interest credited to P. F in excess of		
of his salary and prescribed		
rate of 6 per cent per annum is	λıl	144
To	tal Income	Rs 9 144
Exempted Income		
•	Rs.	
P. F Contribution by employee only	576	
Life Insurance Premium	1 710	

	44.54
P. F Contribution by employee only	576
Life Insurance Premium	1 710
Rs	2 286

Note-P F by employee and premium are limited to tof total income or Rs 8 000 whichever is less

(c) When the P. F is unrecognised P F

1/21
7,200
600
1,200

ъ.

Total Income Rs 9 000 Exempted Income

Rs Life Insurance Premium 2 000

2. The profit and Loss Account for 1957 of a firm consisting of three partners A, B and C (with shares 4 3 and 1) showed a net loss of Rs. 16,000 after charging the following items -

Interest on Capital A-Rs 3.000, B-Re 2.000. C's salary Rs 3000

A's taxable income from other sources is Rs. 5,000, while B and C have no other income Explain how the assessment would be made (a) when the firm is registered. (b) when it is unregistered. (Agra University, B. Com , 1959)

(See also Question No 27)

D.

Note-In this question 1957 has been treated as 1959 for the sake of colution

Solution	No.	2	

•

R۹ Loss as per P & L A/c. 16 000 Re 2 000

Interest on Capital

4.4	2,000	140	
В	2 000	5 000	
C's salary		3 000	8 000
			Rs 8 000

Allocation of firms income amongst the Partners

	A	В	C
Interest on Capital	Rs 3 000	Rs. 2 000	Rs Nil
Salary	1		3 000
Share of firm's loss	-8,000	-6 000	<u>-2 000</u>
Rs .	1 <u>5</u> 000_	<u>-4 0</u> 00	+1000

#### When the firm is registered-

A can set off his share of firms loss of Rs 5 000/- against his income of Rs 5000/- which is from other sources pay any tay as his income becomes zero after writing off his share of firms loss. As B has no other income, he can carry forward his share of Rs 4,000 m order to set it off against his share of future profit of the firm or against any other business profit, but maximum limit for this carry forward is eight years

C's income is only Rs 1.000/- hence he is not liable to tax When the firm is Unregistered -

Unregistered firm itself will carry forward its loss to future years in order to set it off from future income, but maximum limit

मा०क०वि०खा० (१६)

Re 672

for this carry forward is eight years A will pay tax on Rs 5000 because he is not allowed to set off his share of firm s loss from his other income

B cannot carry forward his share of firm's loss to future years
C is not liable to pay tax as his total income is only Rs 1000

which is below the minimum exemption limit

3 A professor in a college gets a salary of Rs 800 per month. He contributes one annu per rupee of his salary to a recognized provident fund to which the college also contributes an equal amount. The interest on his provident fund account for the year ended. 31st March. 1958 (at 5 per cent per annum) amounted to

He is also the owner of two houses one (municipal valuation Rs 800) occupied by him for his own residence and the other (municipal valuation Rs 1000) let at Rs 100 per month. His expenses for the two houses were—

Municipal taxes Rs 180 Land revenue for the house let Rs 40 Interest on loan taken to repair the residential house Rs 200 Fire Insurance premium Rs 120 Cost of extension of electric fittings in his residence Rs 250

Ascertain his taxable income from the property his total income and the amount exepint from income tax for the previous year ending 31st March 1958 Assume that the house let remained vacant for two months and that he paid Rs 850 as premium of his his policy for Rs 8000

(Agra University B Com 1959) (See also question No 24)

Nois-In this question 31st March 1958 has been treated as 31st
March 1960 for the sake of solution and it has been assum
ed that both the hoses were constructed after 1st April
1950

### Solution No 3-

Less ½ Municipal tax 50
Annual Value Rs 1150

Annual Value of Residential house calculated on the basis

of the house let

the house let Rs
$$Rs \left(\frac{1200}{2000} \times 800\right) = 960$$

Less & Municipal tax

920 Less & Statutory Allowance 460 460 Annual Value

Annual Value of both the houses

(Rs 1 150 + Rs 460) = Rs 1610

Rs Tess 268 33 & for repairs

Land revenue for the house let 40

Int on loan taken to rapair

the residential bouse 200

Fire Insurance Prem um 120 Vacancy Allowance 191 67

Taxable Income from Property Total Income

Exempted Income

Employees P F Rs Contribution 600 Insurance Premium 800 Rs 1 400

- Note-(1) Cost of electric fittings in his residence is not allowed as deduction under Income-tax Act because it is treated as capital expenditure
  - (ii) Insurance Premium is exempted only up to the 10% of the policy amount hence only Rs 800 has been treated as exempted premium
- 4 From the following informations calculate the total income and exempted income of an individual for the assessment year 1960 61.
  - (a) Salary after deduction of provident fund contribution and income tax Rs. 14,200
  - (b) Income tax deducted from salary, Rs 2000
  - (c) His contribution to recognised provident fund. Rs 1800

- (d) Employer's contribution to his provident fund Rs. 1 500
- (e) Interest at 9 per cent per annum credited to provident fund Rs 1 200
- (f) Dividends received Rs 4 400 income tax deducted at source being Rs 1 885 71
  - (g) Life Insurance permum paid Rs. 1 800 (Agra B Com 1958 adapted)

## Solution No. 4-

Salary Net salary after deduction Ŕ۱ R۹. of provident fund & Income tax 14 200 4 44 Income tax 2 000

Provident fund 1 800 18 000 Total Salary

Anunal accretion

(10 view of the fact that salary is Rs 18 000 where of its 10% comes to 1800 employer has contributed

to that extent) Interest on provident fund in excess

(1200 - 800)

of 6% Dividend

Rs (4 400 + 1 885 71) Total Income

6 285 71 Rs 2 4685 71 Exempted income Provident fund contribution R۶

by employee 1.800 Life Insurance Premium paid 1 800 Rs 3 600

5 Shri Murli Manchar owns two bungalows one of which is let at Rs 120 per month and the other is occupied by him for his residence the annual value of the same being Rs 960 -He has pa d Rs. 200 as ground rent and insurance charges in respect of the first burgatow and Rs 150 in respect of the second The munici pal taxes paid by him in re part of the two bungalous amounted

to Rs. 150 and Rs. 120 respectively, and he spent Rs. 300 onwhitewashing and petty repairs in respect of both the bungalows

You are required to find out his taxable income from property, assuming that both of these bungalows were constructed after 1st April, 1950

(Agra, B Com : 1938 adapted) [See also question No 12]

## Solution No.5-

, u.u., u.		
		Re
Annual rental value		1,440
Less ½ Municipal tax		75
Annual value of the rented Bangalow		1 365
Less	Rs	
t for repairs	227 5	
Ground rent and Insurance charges	200	427 5
Taxable income of the rented Bangal	0.23	Rs. 937'5
Annual value of residential house	960*	
Less ½ statutory allowance	480	
	480	
But this should not exceed 10% of		
the total income		
hence —		
$\Gamma_{(037.5-350)} \times 1 \times 12^{\circ}$	1-050	
$[(937.5-150)\times\frac{1}{10}\times\frac{12}{11}]$	-039	
	_	

Less

Repairs \$\frac{1}{6}\$ 14 3
Ground rent and
Insutance 150 164 3
Taxable income from property

Rs- 278 4

- \*As the annual value of the residential house is given, half of municipal taxes should not be deducted. Had the municipal valuation of residential house been given, half of municipal taxes would have been deducted. It is assumed that the half Statutory allowance has not been deducted from the annual value, hence it has been deducted here.
  - 6 Ramesh Mahesh and Naresh are three partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio of 4 3 1 The Profit and Loss account of the firm for the year 1957 showed a net loss of Rs 20 000 after charging the following items —

२४६	]		

Interest on Capital Salary

Ramesh Rs 4 000 Mahesh Rs 3 000 and Naresh Rs 2000 Ramesh Rs 1 000 Mahesh Rs 800

Rs

9 000

R.

20 000

12 800

and Naresh Rs 2000 Taxable income of Ramesh from other sources was Rs 8 000 while Mahesh and Naresh had no other incomes

Explain how assessment would be made (a) when the firm 19

registered and (b) when it is unregistered (Agra B Com 1957) Note-In this question 1957 has been treated as 1959 for the sake

#### of solution Solution No. 6-

Loss as disclosed by P & L A/c

T.ess

Interest on Capital

Ramesh Mahesh Narech

Salary Ramesh

1 000 Mahesh 800 Naresh 2 000

3 800 Net loss of the firm from Income tax point of view Rs 7 200 The Respective Shares of the Partners

R۹

4,000

3 000

2 000

Naresh Mahesh Rame h Ŕs Rs R ţ. 2 000 Interest on Capital 3 000 4 000 2 000 Salary 1 000 800 -2 500 Share of firm a loss 7 500 -10 000 +1 500 3 700 5 000

## When the firm is Registered

Ramesh can set off his share of firm s loss of Rs 5 000 against .. his taxable income of Rs 8 000 which is from other sources will not be liable to pay tax as his remaining income is (Rs 8 000-5 000) Rs 3 000 only

Mahesh can carry forward his share of the firm's loss of Rs 3 700 in order to set it off against his share of future profits of the firm or against any other business profits but the maximum

limit for this carry forward is eight years. Naresh's total income is only Rs 1 500 hence he is not liable to tax

#### When the firm is Unregistered

Unregistered firm itself will carry forward its loss of Re 7 200 for future years in order to set it off from future income but the maximum limit for this carry forward is eight years

Ramesh will pay tay on Rs 8 000 because he is not allowed to set off his share of firm sloss of Rs 5 000 from his other income Mahesh cannot carry forward his share of the firm's loss

Naresh is not lable to pay tax because his total income is only Rs 1 500

- 7 The following are the particulars of the income of Shri Ram Chandra Sharma who is ordinarily resident in the taxable territory for the year ended 31st March 1956 You are required to ascertain his tola . scome for the year 1956 57
  - (a) His salary was Rs 300 per month and his travelling allo varce hills for the year amounted to Rs 1,500, the actual expenditure incurred by him in travelling being only Rs 1 100
    - (6) He was getting a house rent allowance of Rs 50 per month and a cycle allowance of Rs 10 per month
    - (c) He contributed one anna in the rupee to a provident fund governed by the Provident Funds Act of 1925 his employer contributing an equal amount. Interest on his provident fund account amounted to Rs 400
      - (d) He received Rs 300 from tax free government securities Rs 500 as dividend and Rs 100 as interest on fixed deposits in a bank
      - He owns a house half of which is occupied by his son for his residence and the other half is let out at Rs 50 per month
      - (f) He gets 8% dividend from P Co Ltd on an investment of Rs 12 000 (Agra B Com 1957)

Note-In this question 1956 57 is treated as 1960 61 and 31st March 1956 is treated as 31st March 1960

#### Solution No 7-

	Rs	Rs
Salary	3 600	
House allowance	600	
Cycle allowance	120	4 220

120

4 320

N

Interest on securities:			Rs
Tax free Govt. securities			300
Income from property	Rs.	Rs.	50)
Annual value of house let		600	
Income of house occupied	600		
Less 2 statutory allowance	300	300	
Annual value of both the house	25	900	
Less:			
for repairs		150	750
Income from other sources:			
Dividend (500×10)		714'29	
7			
8% dividend		960	
Interest on fixed deposits		100	
Travelling allowance (Surplus)		400	2.174*29
Total Income			Rs. 7.544'29
Exempted Income		Rs.	117112
P. F contribution		225	
Interest on the tax free			
Govt securities		300	
	Rs.	525	
Tota (i) The house occupied by the so	m 1e f	rested as	occupied by
Fire by the so	** 12 6	TOTAL NO	Cocceptod by

assessee for his residence, because it is not clearly mentioned in the question that the son is living separate
(ii) On dividend, tax is deducted at source in the same way as it is deducted on interest from securities.

8. X is employed in a Business office at Rs 300 per month. He owns Rs. 20,000, 41% Gout. Tax Free securities He also owns a big house, the municipal valuation of which is Rs. 200 He has let out \(\frac{1}{2}\) of the house at Rs 50, while the remainder of the house is occupied by him. The house is mortaged for a loan which he

took for meeting the expenses of his sister's marriage. The interest on the Mortgage was Rs 250 for the year and the Municipal taxes paid in respect of the house amounted to Rs 150

Ascertain his taxable mome from property and also his total moome for the previous year ending 31st March, 1955.

(Agra, B. Com, 1956)

Note—In this question 1955 has been treated as 1960 for the sake of solution, and it has been assumed that the house was constructed after 1st April, 1950.

Rs 281 25

843 75

390 62

Rs 453 13

### Salution No. 8-

Rental value of the house let  Less ½ of proportionate Municipal taxes	600 37.50_
Annual value of the property let Value of residential portion on the basis of the	Rs 562 50
portion let	562 50
Less 1 statutory allowance	281 25

Less 1 statutory allowance Annual vlaue of residential portion

Annual value of full house (Rs 562 5+ 281 25)

Less admissible deductions Repaires 2

Interest on Mortgage Taxable income form property

Statement of Total Income of Mr X Salary

Interest on tax free Govt Securites Income from property

Total Income

Re

140 62

250

Following are the particulars of the income of Shri M V Mathur who is ordinary resident in the taxable territory for the year ended 31st March 1953 You are required to prepare his

total income in proper form for the year 1953 54 (a) Salary Rs 300 per month House rent allowance Rs 50 per month contribution to unrecognised provident fund 5% Employees contribution to above 5%, Interest on P F (5% per annnum) Rs 350

(b) His investments during the year were

(1) Rs 5 000 in 6% preference shares of a company (11) Rs 2 000 in 3% fixed deposit in a Bank

(iii) Rs 4 000 in 4% Tax Free Govt loan

(c) He owns a house, 2 of which is occupied by his son for his residence and the other half is let at Rs 40 per month

(d) He paid a premium of Rs 240 on his life policy and Rs. 120 on the policy of his wife

(Agra B Com 1955)

Note-In this question 1953 54 has been treated as 1960-61 and 31st March 1953 as 31st March 1960 for the sake of solution

### Solution No. 9.

	Rs	Rs
Salary	3 600	
House allowances	600	4 200
Interest from securities		
4% tax free Govt Loan		160
Income from property		
Annual value of the		
rented portion	480	
Value of the		
portion occup ed by his son 480		
Less 2 Statutory Allowance 240		
Annual Value	240	
Annual value of full house (480 + 24	0) 720	
Less & for Repair	120	600
Income from other sources		
Dividend on pref shares		
of a company	300	
Interest on Banks fixed deposit	60	360_
Total Income of Shri M V Ma		Rs 5 320
Exempted Income		
Interest on tax free Govt loan	160	
Insurance Premium	360	
R	s 520	
ofe-The hou e occupied by Son of assese	e is trea	ited as the
house u ed by as es ee himself for his r		

Note—The house occupied by Son of assesse is treated as the house used by assessed himself for his residence because it is not clearly mentioned in the question that the son is living separate

10 Gopal is employed in a factory on a monthly salary of Rs 120 He is the owner of a big house whose municipal valuation is Rs 800 p a He has let \$\frac{1}{2}\$ portion of his house on a monthly rent of Rs 30 and the remaining \$\frac{2}{3}\$ is occupied by his family He has mo tgaged the house for a loan of Rs 5 000 taken at 6% p a for educating his son in America. The house is subject to a local tax of Rs 150 p a Gopal's taxable income from other sources during the previous year was Rs 1 400 Find out Gopal's total income.

Note-It has been assumed that the house was constructed after 1st April 1950

Rя

642.5

407 1

Re.

### Salution No. 10-

Rental value of the portion let	360
Less ½ of proportionate local tax	25
Annual value of the portion let	335
Value of residential portion	
determined in the same manner	
as that of portion let	670
Less 1 of statutory allowance	335
Annual value of property	335
But this Rs 335 should not be more	
than 1/10 of total income hence -	
$\left\{ (3019*-200) \times \frac{1}{10} \times \frac{12}{11} \right\} = 307.5$	
Total annual value of both	

the houses (335+307 5) Tece

for repairs 107 1 Interest on Mortgage 30n

Income from property Statement of Total Income of Mr. X

Salary 1.440 Income from property 235 4 Income from other sources 1.400

3 075'4 Total Income Re This amount has been calculated as Rs. 1.440+1.400+179 This amount of Rs 179 has been found out by deducting & of Rs

- 335 for repairs and Rs 100 proportionate interest on mortgage, from Rs 335 the annual value of rented portion. 11. Following are the particulars of income of Shri O. P.
- Varehney for the previous year ended 31st March 1952 -
  - (i) Salary Rs 300 P. M
  - (ii) His contribution towards'P F. @ 61% and his employer's contribution at the same rate
  - (iii) He is provided with rent free quarters of the annual value of Rs. 400
    - (in) Interest credited to his P. F. during the year was Rs. 520.

He paid Rs 450 Insurance Premium on his own life policy, Ascertain his total income and the income exempted from tax.

- (1) When the P. F. is recognised
- (11) When it is not recognised.

(Agra. B. Com., 1953)

Note-In this question 1952 has been treated as 1960 for the sake of solution.

0.1 .. ..

3010tion No. 11 -	
When he is a	Member of Recognised P. F.

Salary

Annual accretion : House allowance (Assumed unfurnished

not exceeding 10% of salary) Total Income

Exempted Income Employee's P. F.

Insurance Premium Rs

# When he is Member of Unrecognised Provident Fund

Salary House Allowance Total Income

Exempted Income Insurance Premium 12. The following are the particulars of the income of P. K.

Datta a Govt. servant for the year ended 31st March, 1953 -(a) Salary at Rs. 750 pm. and his travelling allowance bills for the year amounted to Rs. 1,800 the actual amount spent by him on travelling being Rs 1,500.

(b) He contributed one anna per rupee for his Provident Fund to which the Govt- contributed an equal amount The interest on his Provident Fund amounted to Rs. 250.

(c) He owns two bungalows, one of which is let at Rs 120 per

3,600 M-1

675

Rs 450

360 Rs 3 960 120 225 450

> Rs. 3,600 360 3.960 Rs.

, Rs.

month and the other is occupied by him for his residence, the annual value of the same being Rs 960. He has paid Rs. 200 as ground rent and Insurance charges in respect of the first bungalow and Rs. 150 in respect of the second. The Municipal Taxes paid by him in respect of the two bungalows amounted to Rs. 150 and Rs. 160 respectively and he spent Rs 300 on white washing and petty repairs in respect of both the bungalows.

Ħ٩.

(d) He received during the year Rs. 250 as Tax Free interest on Government securities and Rs. 300 as dividend from a company. He has insured his life and pays an annual premium of Rs. 1.250 on his policies. Ascertain his total income, taxable income and exempted income.

(Agra, B. Com., 1952)

Note-In this question, 1953 is treated as 1960 for the sake of solution and it has been assumed that both the bungalows were constructed after 1 April, 1950.

Statement of total income of Mr. P. K. Dutta.

### Solution No 12-

Statement of total income of Mr.	r. Dutta.	172.
Salary		9.000
Interest on securities		250 •
Income from property		
	Rs	
Rental value of bungalow let	1,440	
Less 2 of local taxes	75	
Annual Value	1,365	
Less . Rs		
tor repairs 227°50		
Ground Rent	427 50	937 50
Value of the residential house	960	
Less ½ statutory allowance	450	
Annual Value of residential house	480	
Rs		
Less for repairs 80		
Less ground rent 150	_230	
Income from residential Bungalow		250
Income from other sources.		
Excess of Travelling Allowance		300
Dividend (300×10)		
7		<u>428.57</u> 360
Total Income	Rs	11.166 07
Exempted Income.	Rs.	
Employees P. F. Insurance Premium	562 50	
	1,250 /	
Int. on Tax Free Govt. Security	250	
	Rs 2,062 50	

Note-(1) Whatever may be the amount of repairs only t of annual value is allowed as remark

(2) It is assumed that annual value given in the question is such from which statutory allowance was not deducted Half of M, tax has not been deducted because annual value

of residential house is given. Had it been municipal valuation, half of M. tax would have been deducted.

13. The following are the particulars of the income of a University professor (a) Salary Rs 1 200 p m. from which 8 P C, is deducted for

P F to which the university contributes 12 P C

(b) Proctorship allowance Rs 1,200 per annum

(c) Rent free Bungalow of which the annual letting value

1s Re. 720 (d) 5% dividend on 50 shares of Rs. 100 each in a limited Company

(e) 3% tax free interest on Govt. loan of Rs 5,000

(f) Income from property let Rs- 1,200

(g) Interest on Postal Savings Bank Deposit Rs. 120 Profit on sale of property Rs. 1 00 000

During the year he paid Rs 900 as Life Insurance Premium

on his own policy. Find out his total income, taxable income and exempted

(Agra, B Com., 1951) income for the year 1953 54

Note-In the question 1953 54 has been treated as 1960-61 for the sake of solution.

### Solution No. 13

Statement of Total Income of the University Professor		
Salary	Rs. 14,400	Rs.
Proctorship Allowance House Allowance	1,200 720	16 320
Interest on Securities 3% tax free Govt. loan		150
Income from property  Less & for repairs	1,200 200	
Taxable income from property		1.000

Rs

Income from other sources		
5% tax free dividend	2	0
Total taxable income	Rs 17.72	0_
Taxable Income for capital gams tax	Rs. 1,00 00	0
Exempted Income	l-s -	
Employee's P F	1,152	
Tax free Govt Securities	150	
Insurance Premium	900	
	Rs 2.202	

Note- In case of rent free bungalow as actual value given is less than 10% of the salary actual will be taken into consideratron

Shri Radhey Lal, the proprietor of a flour mill has pre pared the following P. & L Account for the year ending 31st March 1953 You are required to compute his total taxable income from business Also give reasons why you treat some of the expenses as madmissible

Rs

10 1rade Expenses	430
"Establishment charge	s 2 200
" Rent, rates & taxes	1 400
" Household exps	1 850
., Discounts & Allowand	es 200
, Income tax	700
, Advertisement	450
"Postage & Telegrams	100
, Gifts and presents	125
, Fire Insurance	
premium	25C
" Charities	375
, Donations	4(0
Denama 6	
Repairs & renewals	250
Loss on sale of	
motor-car	1,400
Life Insurance	
premium	850
Reverve for bad debts	600
, Interest on capital	150
, Salaries	250
. Net profit transferred	
to capital acount	13 000
$R_s$	25 000

By Gross Profit Profit on Sale of	22 400
Investments	2 600

Solution No. 14-

Note-1953 in this question has been treated as 1960 for the sake of solution.

Rs.

Dolatton 110 11-		1100	
Profit as disclosed by P & L acc	ount	13 000	
Add Inadmissible Exps	Rs.		
Household expenses	1,650		`
Income-tax	700		
Gifts and presents	125		
Charities	375		
Donations	400		
Loss on sale of Motor-car	1,400		
Life Insurance Premium	850		
Reserve for Bad Debts	600		
Interest on capital	150	6 450	
•		19,450	
Less			
Profit on sale of Investment		2 600	
Total Taxable Income fro		Rs 16 850	
Note-Consult the chapter of Incom	e from Business,	Profession	
and Vocation for finding out i	easons of treatm	g the above	-
mentioned expenses as inadmis	sible		
15 Shri Lappat Rai owns ser	zeral properties.	the annual	
letting value of which amounts to Rs	25 000, includi	ig Ks 1,000	
for a bungalow where he resides. He	claums the follows	ng expenses	
in addition to the Statutory allows	ince for repairs V	1Z RS- 100	
insurance premium. Rs.700 for intere	est on mortgage,	KS 300 IOI	
vacancy allowance, Rs 25 for ground	rent. Rs 10 for la	nd revenue	
and Rs 1 200 for rent collection char	ges.		
Ascertain his tavable income from	m property.		
(Agra B Con	, 1950 , Raj , B	Com., 1956)	
Solution No. 15-			
Annual Rental Value		Rs	ł
(Rs 25 000—7,000)		18,000	١
Less	Rs.		•
Repairs	3 000		
Premium (100 $\times$ <sup>18</sup> / <sub>25</sub> )	72		
Interest on Mortgage (700×18)			
Vacancy Allowance	500		
Ground rent (25×16/25)	18		
Otoning some feet . 1201			

Land revenue (10×18/20	)	7	
Collection charge (limite	d to 6%)	1,080	5,181
_			12,819
Annual value of residentia	1 house		
restricted to 1/10 of total		Řs.	
income		1,372.9	
Less	Rs		
Repairs &	228*8	3 *	
Premium	28		
Interest on mortgage	196		
Ground rent	7		
Land revenue	3	462'8	910.1
Total Taxable In	come		Rs. 13,729 1
<ol><li>The following is the</li></ol>	Manufactu	ring and P	. & L. A/c. of
Sugar Co., for the year ending 3		, 1933.	_
	Rs.		Rs.
To opening stock	1,82,000	By Sales	24,51,500
., Cost of cane crushed	12,57,700	Misc.	
,, Manufacturing exps.	7,98,500	receipts	
., Repairs and renewals	40,700	" Closing	
, Establishment charges	41,600	Stock	3,66,000
"Misc Exps.	17,800		
., Commission of Sales etc.	63,800		
., Directors fees	1.600		
, Auditors fees	2,000		
., Managing Agent's Allow	nce		
and commission	78,600		
" Depreciation written off	1,30,700		
,, Balance being Profit c/d	2 09,200		
_	28,24,200		28,24,200
To Reserve Fund	25,000	By Profit	
Reserve for Income-tax	90 000	b/d.	2.09.200
Balance carried to			
Balance Sheet	94,200		
Rs.	2.09,200		Rs. 2 09 200
Prepare the Company's a	ssessment f	or the wear	1053-51 ofter
to the total and	os os suith i	or the year	L JOJ DT MILES

taking the following information into consideration:—

(a) Cane crushed includes Rs. 1.54,000, the cost of cane

मा०क०वि०सा० (१७)

grown on companies own farms the average market price of the same being Rs 1 96 000

- (b) Manufacturing Expenses include -
- 1 Rs 4 26 000 for excise duty
- 2 Rs 78 000 spent on Scientific Research as follows Rs. 67 000 on Capital Expenditure on the fitting of a new Research Laboratory and Rs 11 000 for current expenditure
- (c) Establi hment Charges include Rs 3 200 for contribution towards Employees Provident Fund which is unrecogni ed
- (d) Misc Exps include Rs 5,000 for donation to local educational institutions and Rs 2 000 for donations to a public hospital where the companies employees are treated free-
- (e) Sugar worth Rs 1 000 was distributed free which is included in Misc. Exps

  (f) Rs 15 000 cost of additions to factory building has been
- charged to repairs and renewal..

  (a) Amount of Depreciation admissible according to rules
- (g) Amount of Depreciation admissible according to rules work out at Rs. 95 200
  (Agra B Com. 1949)

No c—In this question 31st March 1953 is treated as 31st March 1960 and 19 3 54 is treated as 1960 61 for the sake of solution

### Salation No. 16-

(1 96 000-1 5+ 000)

Total Income

			Rs.
Profit as disclosed by P & L. A/c.			2 09 200
Add Inadmissible Exps	Rs		
Contribution to unrecognised P F	3,200		
Ex ess Depreciation	37,500		
Capital Expenditure on Research			
Laboratory (*/s)	53 600		
Donations to local institution	5 000		
Sugar given in chari y	1 000		
Cost of Addition to factory building	_15 COO		1 10,300
		Rs.	3 19 500
Less -			
Agricultural income			

42 000

17. State whether any tax is payable on the following incomes by an assessee who is an ordinary resident. Give reasons for your answer in each case.—

(a) Rs. 6 500 income from investments in a foreign country of which Rs. 4.800 has been remitted

(b) Rs 3 200 net income from house property which is mortgaged against a loan of Rs 25 000 carrying interest 6% per annum

(c) Rs 7,200 income from speculation in Bullion

(d) Rs 4,500 mcome from black marketing in sugar(Agra. B Com., 1949, Rai., B Com., 1951)

### Solution No. 17-

now been stopped

(a) Whole income of Rs 6 500 from investments in a foreign country will be included in total income for taxation because statutory eventuon of Rs 4,500 on unremitted foreign income has

| Rs. | Accordance | Rs. | Accordance | Rs. | Accordance | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | R

(c) If the assessee is usually doing speculation, this income of Rs. 7 200 from speculation on bullion will be taxable.

- (d) He will have to pay tax on Rs 4.500 income from blackmarketing of sugar because income tax is charged on all legally and illegally earned incomes
- 18 Mr. Harı Har Nath is an employee in the Capital Stores Ltd., New Delhi The following are the particulars about his income for the year ending 31st March 1948 —
- (a) Salary R<sub>5</sub> 480 p. m. He contributes 6½% of his salary 7, towards a recognised P F. his employer contributing an equal amount. On the oxassion of independence day celebration, he received two months salary as bonus Rs 375 was credited to his provident fund account during the year in respect of interest on accumulated balance.
  - (b) He owns a house at Agra which is let at Rs. 60 a month. At the same rent he hired a house for his residence in New Delhi.

(c) He received Rs. 385 as dividend on his investment in the ordinary shares of the Indian Iron & Steel Company Ltd

(d) He received Rs. 4.000 from the Post Office in respect of cash certificates which he purchased 5 years ago at the rate of Re. 88/2/-.

(e) He paid Rs, 370 as premium on his life insurance policy. You are required to find out his total income, taxable income and exempted income. (Agra, B. Com., 1949) Note—In this question 31st March, 1948 is treated as 31st March.

R۹

1960 for the sake of solution.

Solution No. 18-

P. F.

Raja Ram Din Dayal

Insurance Premum

18,950

Salary		5,760
Bonus		960
Annual accretion		Nii
	Rs.	6,720
Income from Property	720	
Less & for repairs	120	600
Income from other sources:		
Dividend $\left(\frac{385 \times 10}{7}\right)$		550
Total Income		Rs. 7870
Exempted Income	Rs.	

360

370

19. Raja Ram and Din Dayal are partners in an unregistered firm sharing P. & L. in the proportion of \$\frac{2}{3}\$ and \$\frac{1}{3}\$ respectively. Their P. & L. A/C. for the year ending 31st March, 1960 was as

Their P. & L. A/c. for	the year	ending 31st March,	1960 was as	
follows :		,	Rs.	
	Rs.	1	143-	
To Sundry Exps.	22,800	By Profit on Sale of	55,600	
., Charity	570	goods		
,, Reserve for Bad		Commission Reed.	620	
Debts	1,480			:
, Legal charges	860		'	ſ
, Interest on Capital :				
Raja Ram 1,280				
Din Dayal760	2,010			
" Profits:			-	

Rs. 26,120

The item of Sundry expenses includes salary of Raja Ram Rs. 1.800 and that of Din Dayal Rs. 1.200. It also includes Rs. 1.500 in respect of the rent of residential house of the two partners. The house is shared by the two partners half and half according to terms of agreement Legal charges are incurred in recovering the amount due from a customer. Depreciation on Plant and Machinery which is calculated at Rs 3,340 and accrued interest on loan which amounts to Rs. 1,060 have not been provided for in the P. & L. Alc. above:

the other taxable incomes	as ionows :	
	Raja Ram	Dın Dayal
	Rs	Rs.
Interest on securities	400	2,100
Income from property	600	-
Interest on Post Office Sav	ing	
Bank account	27	
	1.027	2,100
** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	, . <del></del> .	4.12 . 5 .

You are required to calculate the taxable income of the firm and to prepare the assessment of Ram Ram and Din Daval. The amount of the parable by the partners need not be obtained

### Sa

nount of tax payable by the partners	s nee	d not be o	alculated.
olution No. 19—			
			Rs.
Profit as per P. & L account			28,470
Add Inadmissible exps. :		Rs.	
Salary of Raja Ram		1,800	
Salary of Din Dayal		1,200	
Rent of residential house		1,500	
Charity		570	
Reserve for Bad Debt		1,480	
Int. on capitals		2,040	
	Rs.	8,590	8,590
			37.060
Less:—			
Depreciation		3,340	
Interest on Loan		1 060	4,400
Tavable Income of Firm			Rs. 32,660
Less:			
Interest, Salaries and Rent of th	te		
Partners (2,040+3,000+1,50	00)		≈6,540
Balance divisible to Partne	rs		Rs. 26.120

Interest on Capital Salaries Rent allowance Profit (26 120)	Raja Ram Rs 1 280 1 800 750 17 413 21 243	Rs 760 1 200 750 8 707
--	---	------------------------------------

### Taxable Income of Raja Ram

		Rs
Interest from securities (gross) $\left(\frac{40}{2}\right)$	$\frac{0\times10}{7}$ )	571 4
Income from Business		21 243
Income from property	Rs 600	
Less & for repairs	100	500_
Total	Ks	22 314 3

## Taxable Income of Dig Dayal

Interest from securities	$(\frac{2\ 100\times 10}{7})$		3 000
Income from Business	( , ,	Rs	11 417 14 417

20 The following are particulars about the income of Mr X of Allahabad University -

(a) He was employed at the Starting Salary in the grade of Rs 500 30 800 plus D A at 10% of the salary

(b) He is member of statutory P F and contributes 8% of the salary towards his P F while the University contributes 12%

(c) As a Proctor of the University he received -

(1) An allowance of Rs 100 p m

(11) House allowance Rs 540

(in) An orderly who was paid Rs 35 p m by the University

(iv) A motor car allo vance of Rs 45 per month

(d) His income from examinersh p amounted to Rs 1 150 and from royalty to Rs 750

(e) He holds 50 shares of Rs 100 each in the Upper India Trading Company Ltd on which he received a dividend of 12% less tax

(f) He received a prize of Rs 350 in a commonsense cross word competition

He paid Rs 1 520 as premium on his life insurance policy You are required to prepare his assessment for the year 1947 48 Actual amount of tax payable by him need not be calculated

(Agra B Com 1948)

Note-In this question 1947 48 has been treated as 1960 61 for the sake of solution

### Solution No. 20-

### Total Income of Mr X

	Rs		Rs
Salary	6 000		
Dearness Allowance	600		
Proctor's Allowance	1 200		
Hou e Allowance	540		
Motor car Allowan e	540		
Total Salary			\$ 880
Examinership	1 150		
Royalty	750		
Dividend	600		2 500
Total Income		$\mathbf{R}\mathbf{s}$	11 380
Evempted Income	Rs		-
Provident Fund (employee)	480		
Insurance Premium	1 520		
	Rs 2 000		

Note-Prize of Rs 350 in a commonsense crossword competition has not been taken into consideration because it is casual income and the salary of orderly Rs 35 is also excluded because it is necessary expenditure

21 The following are the investments of the Upper India Trading Company You are required to calculate their income from securities

Investment on 1st April 1946

Rs 60 000 4% UP Govt loan

(b) Es 30 000 5% Cascutta Improvement Trust Debentures

(c) Rs 15 000 6% Preference Shares of a Cotton Mills Co.

(d) Rs 20 000 5% Free of Tax Govt loan

(e) Rs 40 000 6% Debentures of the Imperial Trading

Company

Or 1st September 1946 the company sold the above Rs. 40 000 6° Debentures of the Imperial Trading Company CumInt and purchased Re 70 000 61% Debentures Cum Int of the Eastern Bengal Jute Co Ltd The additional sum of Rs 30 000 needed for the purpose was borrowed from the bank at 71% interest. The Banker of the company charged commiss on on selling and buying of the investments at the rate of one anna per cent and on the collection of interest and div dend @ of /4/ per cent calculated on the gross amount Interest or dividerd on Invest ment is payable half yearly on 1st July and 1st January each (Agra B Com 1947) vear

Note-In this question 1946 is treated as 1959 for the sake of splittion

Rs⊳

2 400

### Solution No 21-

Rs 60 000 4% U P Govt loan

Rs 30 000 5% Calcutta Improvement Trust

Debentures			1,500
Rs 20 000 5% Free of tax Govi	loan		1 000
Rs 40 000 6% Debentures of th Trading Co (half Rs-70 000 6½% Debentures of t)	e Imperial year)		1 200
Bengal Jute Co (1		Rs	2 275 8 375
Less	Rs		
Interest on loan (on Rs 30 000)			
@7½% for 7 month	1 312 50		
Bank Commission	20 94		1 333 44
Income from Securities		Rs	7 041 56

Note-(1) 15 000 6% shares of a Cotton Mill Co have not been taken into consideration. Dividend on these shares will go under the heading of Income from other sources

(2) Commission paid to Bank on selling and buying of in vestments @ of one anna per cent will not be taken into consideration as it is not the amount of collection charges and only collection charges are allowed as deduc tion

(3) Bank Comm ssion of Rs 20 94 has been calculated on Rs 8 375 @ /4/ per cent

22 From the following Profit and Loss Account of a Mer chant for the year ended 31st March 1946 Find his taxable income from business

	Re		Rs.
To Office Salaries	7,220	By Gross Profit	27,635
General Expenses	2,640	Interest on Govt.	
, Interest	- '	Securities	1,460
on Bank loan 48	0 '	. Discount	365
on capital 1,58	0 2,060	, Bad debt Recovered	640
, Fire Insurance cha	rges 775	, Profit on sale of	
" Reserve for B.,d d		Investment	750
Audit Fee	400	, Sundry Receipts	350
, Income tax	1,760	2, 2411-19	
,, Charity	485	į	
" Law charges	370		
., Compensation to	0.0		
retreached employ	ees 1,500		
. Rent	1,155		
. Net Profit	12 000		
R		Rs∙	31,200
	S. 31 200		311200

consideration

- (a) In the item of rent, Rs 600 is included in respect of the rent of office building which belongs to the proprietor himself
- (b) In the amount of salaries Rs. 320 is included in respect of employer's contribution to P F. which is recognised.
- General expenses include Rs 350 in respect of cost of new furniture purchased during the year.
- Amount of depreciation allowance according to rules, on assets used for business purpose is worked out at Rs 1,475

Note-In this question 31st March 1946 is treated as 31st March 1960 for the sake of solution.

### Sal

		Rs.
Profit as disclosed by Profit and !	Loss A/c	12,000
Add Inadmissible Expenses	Rs.	
Interest on capital	1.580	
Reserve for Bad debt	835	
Income tax	1,760	
Charity	485	
Rent of Office Building which		
belongs to the proprietor	600	
Cost of Furniture	350_	5 610 17.610

	J.		
	Less Interest on securities Profit on sale of Investment	Rs 1 460 750	
	Depreciation Taxable Income from business	1 475 R	s - 3 685 13 925
D D	23 Following are the particulars ab Pandey, a Govt servant	out the mo	me of Mr
	(a) His salary was Rs 750 per month whole year amounted to Rs 1660 T ered by him on travelling being Rs 114	he actual e	
Fund P F	(b) He contributed one anna in a rup His employer contributing an equal account balance for the year amounted	mount. Inter	est on his
which Rs	(c) He owns two bungalows in the civ. Rs 125 p m and the other the m. 11s Rs 150 is occupied by him for his o 150 per year as ground rent and insure first bungalow and Rs, 210 per year in	nthly rental wn residence ance charges	l value of He pays in respect
one	(d) His investments during the year w (i) Rs 5 000 in 5% Free of tax (ii) Rs 8 000 in 6% Preference sl	Fort Securit iares of a Sug	ies gar Mill
ted n	(e) He is insured and pays an annual You are required to find out his total income	premium of I income and I (Agra, B. Co	us exemp
Solu	tion No 23—		Rs
	alary		9 000
	Interest from Securities 5% Free of tax Govt Securities		250 、
	Income from property Annual value of the bungalow (rented) Rental value of residential House Less ½ Statutory allowance	Rs 1 500 1 800 900	ì
	Annual value of residential bungalow	900	

2,400

Rs400

(1 500 + 900)

for repairs

Less

Ground rent and			
Insurance charges			
(150+210)	360	760	
Income frrom property			1 640
Income from other sources			
Dividend		480	
Travelling allowance	(Excess)	520_	1 000
Tot	al Income	,	Rs 11 890
Exempted income		Rs	
P F contribution		562 50	
Insurance Premium	1	250	
Interest on tax Free	Govt		
Securities		250	
•	Rs Z	062 50	
_			

24 X is employed as a professor in a college on Rs 800 pm He contributes 51% of his calary to a recognised Provident Fund the college also contributing the same amount to his P F account The interest on his P F, account for the year amounted to Rs 672

He also owns hou e one (municipal valuation Rs 800) occupied by him for his residence and the other (muni ipal valuation Rs 1 000) let at Rs 100 per month. His expenses in respect of pro-

perty were -(a) Interest on Mortgage of house

Rs. 1,200

(b) Land Revenue for both the houses

40

(c) Premium for fire Insurance 120 (d) Interest on loan taken to repair his residential house 105

(Agra B Com 1946 Rat B Com 1951)

The house which is let remained vacant for two months during the year. He paid Rs 850 as premium on his life policies Acertain his total income and exempted income

Solution No 24-

Rs Salary 9,500 Annual accretion Nil

Rs Annual value of the rented house 1 200 k Rental value of residential house on the basis of house let  $\left(\frac{1200}{1000} \times 800\right)$ 9.0

1
Le s ½ statutory allowance 480 Annual Value of residential house Rs 480
Total annual value of both the houses (Rs 1,200+480) 1 680
Less Rs 1 for repairs 280
Int on Mortgage of
house 1 200 Land revenue 40
Premium for Fire Ins 120 / Int on loan taken for
repairs 105 Vacancy allowance 200 1 945 — 265 — 265
Total Income Rs 9335
Exempted Income Rs P F by employee 528 Insurance Premium 850
Rs 1378  25 A and B are partners in a Registered Firm sharing
its and losses equally and following is their profit and loss unt -

prof

account -				
	Rs	!	Rs	
Salaries	10 750	Gross Profit	51 040	
Rates Taxes and		Interest on Tax Free		
Insurance	1 260	Govt Security	900	
Travelling Exp	654	Profit on sale of		
Interest on Bank Loan	1 650	Investment	1 200	
Legal charges	403	Illestinent		
Discounts	897			
Caritage	601			
General Expenses	2 050			
Marketing	2 300			
Depreciation on Motor	2 300			
car	500			j
Inte est on Gapital	200			ì
A 1 700 B 1 550	3 250			
		1		
Reserve for Bad debt	1 000			
Net Profit	27 875	1 ,	Rs 53 140	
Rs	53 140		As	

(fter considering the following matters compute the taxable profit of the firm

- (a) Salaries include a partnership salary of Rs 200 p.m. to B.
- (b) the legal charges consist of Rs. 300 for alternation of the Partnership agreement and the balance for Debt collection.
- (c) the general expenses include Rs. 210 for additional filing cabinet and Rs 360 for a new [typewriter and I's. 30 donated to a war fund.
  - (d) The car was used for domestic purpose-

#### Spinton No. 25-

ution No 25—		
		Rs.
Profit as disclosed by P. & L. A/c		27,825
Add Inadmissible Expenses:	Rs	
Interest on Capital	3,250	
Reserve for bad debt	1,000	
Partners Salary	2,400	
Capital Expenditure (Rs. 210+Rs	360) 570	
Donation to war fund	30	
Depreciation on motor car	500	
Legal charges	300	8,050 35,875
<b>†</b>		331013

### Les

13033			
Interest on Tax Free Govt Securities	900		
Profit on Sale of Investment	1 200		2 100
Taxable Profit of the firm		Rs.	33 775

26 A is a manager of a firm drawing a salary of Rs. 600 and a house rent allowance of Rs. 50 per month. He contributed Rs. 700 to a recognised Provident Fund. The employer contributed the same amount. The interest on his P. F. account for the year was Rs. 915. He received his two months salary as bouns during the year. His other income consisted of (a) Rs. 900 as a share of profit from an unregistered firm which has been taxed. (b) Rs. 1,275 from property, (c) Rs. 500 interest from Tax. Free Govt securities, (d) Rs. 810 received as dividends. The premium paid on his life Insurance Policy was Rs. 600 and that on his wife s. Insurance Policy was Rs. 265. Find out his total income for the year ending 31st March 1945.

(Ral-, B. Com , 1956)

Note—In this question 31st March, 1945 has been treated as 31st March, 1960 for the sake of solution.

### Solution No. 28

Solution No. 28-	•
Interest from securities-	Rs
3% War Bond (Free of tax)	600
Income from unregistered firm	750
Income from other sources	Rs.
Devidends	750
Dividend less tax	500 1,250
Total Income	Re. 2 600
Exempted Income ·	Rs.
Interest on 3% War Bords	
(Free of tax)	600
Insurance Premium (‡ of total	income) 650
	1 250
Note—As the income from unregis would be taxed here	tered firm is untaxed, it
29 A doctor's income consists 5% interest on Rs 10,000 tax free Go director's fees. He owns a Bungalov dence The municipal valuation of the fire insurance premium and Rs. 50 is mortgaged and the interest amour 1,200 life insurance premium on his taxable income for the year 1957-58.	wit. Securities and Rs 190 as which he uses for his resi- is is Rs 1,000 and Rs 150 is a ground rent. The Bungalow atts to Rs 800. He paid Rs sown life. Ascertain his (Agra, B. Com. 1914)
Note- In this question 1957-58 has be- sake of solution.	en treated as 1960-61 for the

Sol

mortgaged and the interes 200 life insurance premium	on his ow		He paid Rs.
xable income for the year 19	37-58.	(Agra, B	. Com . 1944)
ots- In this question 1957-58 sake of solution.	has been tr	exted as 19	50-61 for the
olution No. 29.			Rs.
Interest from tax free Go	vt securities		500
Income from Property -	•	Rs	
Municipal Valuation of th	he Bungalow	ıs 1,000	
Less 1Statutory Allowand	·a	500	
Annual Value		500	
Less .	Rs.		
for repairs	83 33		
Tire insurance Premium	150		
Ground rent	50		
Int, on mortgage	800	1,083 33	-583.33

				$\mathbf{R}\mathbf{s}$
Insome from Profe	TOLOGO			5 400
	551021			100
Director s fees			De	5 416 67
Total Income		~	172	3 110 07
Exempted Income		Rs		
Int on tax free G	ort securit	ies 500		
Insurance Premiu	m	1_200		
		Rs 1700		
	, the Pro	ofit and Loss A	A/c of t	he Bhatia
30 Given below	S the III	A 31st Dec. 194	1	
otton Mills Co for th	e year ende	(L) JISC DCC XXI	•	Rs
	Rs 17 82 105	Sales		61 90 327
tock 1st Jan 1941	25 83 685	Rent of Staff		
otton consumed	9 45 395	Quarters		25 362
lanufacturing Exp	8 65 972	Stock 31 Dec 1	1941	13 59 480
Vages and salaries	61 215			
Marketing Insaranc	27 156			1
Establishment	2 79 762			
Welfare Expenses	17 825			
Balance c/d	10 12 054		_	
Rs	75 /5 169	l .	Rs	75 75 169
Directors Fee	2 500	Balance b'd		16 12 054
Auditor Fee	2 50€	Transfer Fees		1 500
Law charges	3 250			
Interest	250 د 1 1			
Repairs to Building		1		
and Machinery	14 640	•		
General Charges	25 875	1		
Managing agents	60 420	į		
Contribution to war		1		
Fund	10 000	1		
Contribution to staf	20 000	i		
Debenture Sinking	20 000	1		
Fund	25 000 د2	ļ		
General reserve	1 00 000			
Tavation reserve	3 GO 000			
Balance	3 44 119			_

You are required to compute the company's taxable income from business and also its total income fr the year 1941 after taking into account the following informations—

Rs 10 13 554

(a) Welfare expenses include Rs 825 the cost of pucka well built for the use of the Cos workmen.

Rs 10 13 554

	Rs.
	5,400
Insome from Profession	100
Director's fees	
Total Income	Rs 5 416 67
Exempted Income Rs.	
Int. on tax free Goat securities 500	
Insurance Premium 1.200	
Rs 1.700	
30 Given below is the Profit and Loss A	/c. of the Bhatia
30 Given below is the Profit and Loss 1	1.
Cotton Mills Co. for the year ended 31st Dec., 194.	Rs.
Rs Stock let Jan. 1941 17 82 105 Sales	61,90,327
Stock 1st Jan. 1941 17 02 105 Pout of Stoff	,
Viscoli Consumed Exp. 9 45,395 Quarters	25,362
Wages and salaries 8,65 972   Stock 31 Dec. 1	13,59,480
Marketing 61,215	
Insurance 27 156	/
Establishment 2,79,762	
Welfare Expenses 17,825 Balance of 10 12 054	
Datatice (1d	Rs. 75 75 169
Rs. 75 75 169 Balance b'd	16.12.054
Directors Fee 2 300 Tanafar Fan	1,500
Auditor Fee 2,500	-,
Law charges 3 250 Interest 1,05,250	
Repairs to Building	
and Machinery 14,640	
General Charges 25.875	
Managing agents 60,420	
Contribution to war	
Fund 10,000	
Contribution to staff P. F. 20,000	
Debenture Sinking	
Fund 25,000	
General reserve 1,00,000	
Taxation reserve 3 00,000	
Balance 3 44 119	
Rs 10 13 554	Rs 10 13 554
You are required to compute the company	's taxable income
for business and also its total income for the	
taking into account the following informations	
(a) Welfare expenses include Rs. 825 the	
, stemate expenses menure Rs. 323 the	core of brown Mell

built for the use of the Co's workmen.

### Solution No. 20

unon 140. 25~-			
Interest from securities-			Rs
3% War Bond (Free of tax)			600
Income from unregistered firm			750
Income from other sources :	Rs.		
Devidends	750		
Dividend less tax	500		1,250
Total Income		Rs.	2 600
Exempted Income:	Rs.		
Interest on 3% War Bonds			
(Free of tax)	600		
Insurance Premium († of total :	income) 650		
	1,250		

Note-As the income from unregistered firm is untaxed, it would be taxed here.

29. A doctor's income consists of Rs. 5,400 from profession, 5% interest on Rs. 10,000 tax free Govt. Securities and Rs. 100 as director's fees. He owns a Bungalow which he uses for his residence The municipal valuation of this is Rs 1 000 and Rs 150 is of fire insurance premium and Rs. 50 is ground rent. The Bungalow is mortgaged and the interest amounts to Rs. 800. He paid Rs. 1.200 life insurance premium on his own life. Ascertain his taxable income for the year 1957-58.

(Agra. B. Com , 1944)

Not

### Sol

te-In this question 1957- sake of solution.	58 has been	treated as 1966	0-61 for the
lution No. 29.			Rs-
Interest from tax free C	ovt. securit	ies	500
Income from Property	-	Rs	
Municipal Valuation of	the Bungalo	w 1s 1,000	
Less Estatutory Allowa	nce	500	
Annual Value		500	
Less.	Rs.		
tor repairs	83 33		
Fire insurance Premiun	150		
Ground rent	50		-583°33
Int. on mortgage	ა00	1,083 33	-203-23

				- 6.
				Rs
Insome from Profes	sion			5 400
Director's fees				100
			De	5 416 67
Total Income		Rs	11.2	5 110 01
Exempted Income				
Int on tax free Go	nt secur t	ies 500		
Insurance Premius	3	1 200		
		Rs 1/00		
30 Given below	s the Pr	ofit and Loss	Vic of t	he Bhatia
otton Mills Co for the	rear ende	d 31st Dec 194	1	
otton Mills Co for the	Rs			Rs
	17 82 105	Sales		61 90 327
	25 83 685	Rent of Staff		
	9 45 395	Quarters		25 36°
Manufacturing Exp Wages and salaries	8 65 972	Stock 31 Dec	1941	13 59 480
Marketing	61 215			
Insuranc	2/156			
Establishment	2 79 762			
Welfare Expenses	17 825			
Balance c/d	10 12 054		_	
Rs	77 /2 169		Rs	75 75 169
Directors Fee	2 500	Balance b/d		11 12 054
Auditor Fee	2 500	Transfer Fees		1,500
Law charges	3 250			
Interest	250 د 1			
Repai s to Building		1		
and Machinery	14 640	•		
General Charges	25 875	1		
Managing agents	60 420			
Contribution to war	10.000	į		
Fund Contribution to staff	10 000	1		
P F	20 000	1		
Debenture Sinking	20 000	1		
Fund	25 000	1		
General reserve	1 00 000	Ì		
Taxation reserve	3 00 000			
Balance	3 44 119	_1		_
⊃ Rs	10 13 554	_\	Rs	10 13 554
You are require	d to compu	te the company	s tova	ble income
from business and als				
A. I	o no total	MACHINE I I II	io Jear	ADIA alter

L 715;

taking into account the following informations -(a) Welfare expenses include Rs 825 the cost of pucka well

built for the use of the Cos workmen.

- (b) Insurance Rs. 1,000, Repairs Rs. 3,750 and Municipal Taxes Rs. 2,150 (included in general charges) were in respect of staff quarters.
- (c) Law charges amounting to Rs. 1,500 were incurred in connection with additional land purchased during the year.
- (d) The staff P. F. is a recognised one.
- (a) The amount of depreciation allowable is Rs. 2.64,325.

  (Agra. B Com., 1942)

Rc.

•

Note—In this question 1941 is treated as 1960 for the sake of solution and it is assumed that staff quarters were constructed after 1st April, 1950.

### Salution No. 30-

Profit as per P. & L. Accour	ı <b>t</b>		3,44,119
Add Inadmissible Expenses	-	Rs.	
Contribution to war fund	1	10,000	
Debenture sinking fund		25 000	
General reserve		1,00,000	
Taxation reserve		3.00 000	
Cost of pucka well		825	
Law charges		1,500	
Expenses for staff quarters	Rs.		
Insurance	1,000		
Repairs	3 750		
Municipal tax	2,150	6,900 Rs	4,44,225 7.88,344
Less:		163-	
Rent of staff	$Rs_{\bullet}$		
quarters	25,362		
Depreciation 2	64 325	_	2 89,687
Taxable income from but	iness	Rs.	4,98 657

### Statement of Total Income

		110
Income from business		4,95 657
Income from property	Rs.	

Annual rent 25,362

Less ½ municipal tax 1,075
24,237

Less	Rs
Repairs	4 048
Insurance	1 000 * 048 19 239
	avable income Rs 5 17 896
	in partnership under the name of Mr X
% C. therebye Profit	and Loss in the ratio of and 1 respec
to they share Profit or	nd Loss Account for the year ending 31st
December 1940 is as follo	
December 1940 Is as toll	
Office salaries	Rs 75 000 Gross profit 1 64 000
General exp	20 000   Other receipts (Business) 19 000
Bad debts	5 000
Bad debts reserve	5 000
Interest on A s loan	6 000
Partners Salary A 6 000	
B 3 000	9 000
Interest on capital	5 000
A 5000	
B 10 000	15 000
Balanca	•
A 32 000	40.000
B 16 000	48 000 1 83 000 Rs 1 83 000
<u>R</u> s	1 83 000 Rs 1 83 000
As other incomes	s for the year 1940 consisted of the follow-
ıng —	-

- (1) A net dividend of Rs 2/8/ per share on 2 000 ordinary shares in a Jute Mill
- (2) Rs 750 as directors fees
- (3) Interest on Rs 30 000 31% Govt paper
- (4) Rs 350 interest on postal cash certificates

During the year A paid Rs 8 500 as premium on his life policy

Ascertain A s taxable income if the firm is (a) registered (b) unregistered (Agra B Com 1941 adapted) Note-In this question 1940 is treated as 1959 for the sake of solu

tion

Solution No 31-

Profit as per P & L. Account Add madmiss ble expenses Bad debt reserve

Rs 5 000

Rs 48 000

Interest on A's loan Partners' salary Interest on capital Taxable income of business Less Interest, salary, etc., to pa (6,000+9,000+15,000) Balance divisible between partne		Rs. 35 000 83.0 0 30 000 Rs. 51,000
Particulars of Income	A	В .
Interest on loan Partners salary Interest on capital Firm's computed share of profit Rs 53,000 (in the ratio of 2 1)	Rs 6 000 6,000 5 000 35 333	Rs- 3,000 10,000 17,667
Rs	52 333	.0,667
When the firm is registered— Statement of A's To Interest from securities Income from business Income from other sources Director's fees Dividends (Gross) Total Income Exempted Income Insurance Promum When the firm is unregistered— Total Income of—	Rs. 750 7.142 & Rs. 8 500	Rs 1 050 52,333 6 7.892 86 Rs. 61 275 86
Exempted Incom :  Insurance Premium  Share of unregistered fire	Rs. 8 500 52,333 Rs. 60,833	- I

32. The following is the Profit and Loss A/c of the Standard & Co. Ltd You are required to find out its total income.

Trading & P. & L. Account 50,000 By Sales

Rс

Rs

9,000

1,03,750

3.00 000

Rs.

To Opening Stock

" Purchases 1.50 000 l	. Stock 45,000
,, Direct Charges 5,000	
, Gross Profit 1 41 000	
Re. 3 45 000	Rs 3,45 000
, Rent 6 000	. Gross Profit 1 40 000
Salaries 24 000	" Interest on fixed
"Commission 10 000	deposit 9 000
, Depreciation 2 000	"S Receipts 7,000
, Contribution to war	
Fund 15 000	
" Repairs 1 000	
Bad debt 250	
"Bad debts Reserve 2 500 "Income-tax 40 000	}
"Income-tax 40 000 "Donation to Calcutta	
Relief Fund 6 000	(
Net Profit 49.250	1
,, 1.00 110110	1
Re 1 56 000	Po 1 56 000
Rs 1 56 000	Rs 1 56 000
Rs 1 56 000	Rs 1 56 000
Solution No 3!-	Rs. * 49,250
Solution No 3?- Profit as per P. & L. A/c.	Rs. · 49,250
Solution No 3?— Profit as per P. & L. A/c. Add madmissible Expenses	Rs. · 49,250
Solution No 3?— Profit as per P. & L. A/c. Add madmissible Expenses Contribution to war Fund	Rs. · 49,250 : Rs. 15,000
Solution No 3:— Profit as per P. & L. A/c. Add inadmissible Expenses Contribution to war Fund Bad debts reserve Income-tax	Rs. 49,250 1:- Rs. 15,000 2,500 40,000
Solution No 3?—  Profit as per P. & L. A/c. Add inadmissible Expenses Contribution to war Fund Bad debts reserve	Rs. · 49,250 i:- Rs. 15,000 2,500 40,000 er Fund 6000 63,500
Solution No 3:— Profit as per P. & L. A/c. Add inadmissible Expenses Contribution to war Fund Bad debts reserve Income-tax	Rs. 49,250 15,000 2,500 40,000 40,000 Rs. 1,12,750
Solution No 3:— Profit as per P. & L. A/c. Add inadmissible Expenses Contribution to war Fund Bad debts reserve Income-tax Donations to Calcutta Rel Less	Rs. 49,250 15,000 2,500 40,000 40,000 Rs. 1,12,750 Rs.
Solution No 3:— Profit as per P. & L. A/c. Add madmissible Expenses Contribution to war Fund Bad debts reserve Income-tax Donations to Calcutta Rel Less Interest on fixed deposits	Rs. ' 49,250 15,000 2,500 40,000 40,000 Rs. 1,12,750 Rs. 9,000 9,000
Solution No 3:— Profit as per P. & L. A/c. Add inadmissible Expenses Contribution to war Fund Bad debts reserve Income-tax Donations to Calcutta Rel Less	Rs. 49,250 15,000 2,500 40,000 40,000 Rs. 1,12,750 Rs.

Total taxable Income Rs 1.12 750 Note-Sundry receipts are of business nature, hence treated as business income.

Income from business

Income from other sources Int. on fixed Deposits

33. Mr. A. N. Vakil, a solicitor has prepared the following Income and Expenditure Account for the year:

	Rs	Ks
To Office expenses	13.000	By Professional earning 1,25,000
" Purchave of orname	ents	, Profit on sale of pro-
f∩r his wife	9,000	perty purchased in
,, Household exps	36,000	1920 20 000
Wedding exps for 1	bis	. Ground rent 1 000
daughter	10 000	, Fees as director 3,000
,, Charity	5 000	Interest from tax
, Life Insurance Prem	aium	free Govt. securities 8,000
His own life 12 000		Gifts on the occasion
Wife's 5 000	17,000	of daughter's weddings 16 000
, School and college f	ees	1
children	4 000	
., Net loss share baza Transactions (allow	r	
able)	15 000	
Balance being exces	55	
of income over expe		
diture	64 000	
Rs	1 73 000	Rs 173 000

He lives in a bungalow which belongs to him. Its net of rebateable value as per Municipal Bill is Rs. 16 000 Expenses on this bungalow were—Ground Rent Rs. 1,000 Fire insurance premium Rs. 200 Prepare his Income tax Liability

(Patna, B Com, 1948)

Income as per Income and Expenditu Account	ire	Rs 64,000
Add Inadmissible expenses,	Rs	
Purchase of ornaments for his wi	fe 9,000	
Household expenses	36,000	
Wedding expenses for his daughter	10,000	
Charity	5 000	
Life Insurance Premium	17,000	
School and College Fees etc	4 000	81 000 1,45,000
Less:	Rs	
Profit on sale of property	20 000	
Ground rent	1 000	
Director's Tees	3,000	

Interest from Tax	E		8,000		
Gifts on the occass			0,000		
weddings		0	16.000		48 000
Income from P				Rs	97,000
Statem	ent of	Total Inc	ome		Rs.
Interest from tax fre		ties			8,000
Income from Professi			<b>.</b> .		97,000
Income from other so Director's Fee			R <sub>\$</sub>		
Ground rent	15		3,000 1,000		4,000
	u,				4,000
Income from property (Restricted to	1/10 to	tal incom	e)		
[(1.09.000—1,	300) ×	6 7	11.760		
L(1,03,000—1,	200,71	55 <b>J</b>	11,100		
<b>-</b> 1.		Rs.			
Less & for repairs Ground rent		1,960			
Insurance Pr	emuum	1,000 200	3 160		0.000
Total Inc				Rs.	8,600
Taxable income for		rains Tax	Rs 20.00		1.17 600
Note-It has been assume					b
a loss of 15 000 is g	nea is i	ot on ac	count of	meent.	thon but
on actual delivery.				_	
on actual delivery.  34 Mr Z requests	sou t	o ascerta	in his t	ntal s	sseechla
on actual delivery- 34 Mr Z requests income and his income fro	sou t	o ascerta	in his t	ntal s	sseechla
on actual delivery.  34 Mr Z requests	you tom busin	o ascerta	in his t	ntal s	issessable s account
on actual delivery- 34 Mr Z requests income and his income fro for the year is as follows	sou t	o ascerta	nn his t profit ar	otal a id los	sseechla
on actual delivery- 34 Mr Z requests income and his income fro	you tom busin	o ascerta	s Profits	otal a id los	Rs
on actual delivery- 34 Mr Z requests income and his income fre for the year is as follows  To Salaries including Z's Salary Rs 2 400  Office Expenses	you tom busing—	o ascerta	s Profits	otal a id los	issessable s account
on actual delivery.  34 Mr Z requests income and his income fre for the year is as follows  To Salaries including Z's Salary Rs 2 400  "Office Expenses Reserve for doubtful	Rs. 8,400	o ascerta	s Profits	otal a id los	Rs
on actual delivery.  34 Mr Z requests income and his income fre for the year is as follows  To Salaries including Z's Salary Rs 2400  "Office Expenses "Reserve for doubtful debts	Rs.	By Gros	s Profits	otal a id los	Rs 35,000
on actual delivery.  34 Mr Z requests income and his income fir for the year, is as follows  To Salaries including Z's Salary Rs 2 400  "Office Expenses Reserve for doubtful debts Fire Insurance	Rs. 8,400 1,500	By Gros	s Profits	otal a id los	Rs 35,000
on actual delivery.  34 Mr Z requests income and his income fre for the year is as follows  To Salaries including Z's Salary Rs 2400  "Office Expenses "Reserve for doubtful debts	Rs. 8,400	By Gros	s Profits	otal a id los	Rs 35,000
on actual delivery.  34 Mr Z requests income and his income fre for the year is as follows  To Salaries including Z's Salary Rs 2 400  "Office Expenses "Reserve for doubtful debts "Fire Insurance Premium "Bad debts "Rent.	Rs. 8,400 1,500	By Gros	s Profits	otal a id los	Rs 35,000
on actual delivery.  34 Mr Z requests income and his income fre for the year is as follows  To Salaries including Z's Salary Rs 2 400  "Office Expenses Reserve for doubtful debts Fire Insurance Premium Bad debts "Reat" Advertising	Rs. 8,400 1,500 1,200 300 3 000 1,000	By Gros	s Profits	otal a id los	Rs 35,000
on actual delivery.  34 Mr Z requests uncome and his income fre for the year is as follows  To Salaries including Z's Salary Rs 2 400  "Office Expenses Reserve for doubtful debts Fire Insurance Premium Bad debts Rent Advertising Income-tax	Rs. 8,400 1,500 1,200 300 500 1,000 600	By Gros	s Profits	otal a id los	Rs 35,000
on actual delivery.  34 Mr Z requests income and his income fir for the year is as follows  To Salaries including Z's Salary Rs 2400  "Office Expenses Reserve for doubtful debts Fire Insurance Fremum Bad debts "Rent" "Advertising Income-tax Discount	Rs. 8,400 1,500 1,200 300 500 3,000 1,000 600 800	By Gros	s Profits	otal a id los	Rs 35,000
on actual delivery.  34 Mr Z requests uncome and his income fre for the year is as follows  To Salaries including Z's Salary Rs 2 400  "Office Expenses Reserve for doubtful debts Fire Insurance Premium Bad debts Rent Advertising Income-tax	Rs. 8,400 1,500 1,200 300 500 3,000 1,000 600 800	By Gros	s Profits	otal a id los	Rs 35,000
on actual delivery.  34 Mr Z requests income and his income fre for the year, is as follows  To Salaries including Z's Salary Rs 2 400  10 Office Expenses 10 Reserve for doubtful debts 10 Fire Insurance 11 Frenium 12 Bad debts 13 Rent 14 Advertising 15 Income-ta\10 Discount 15 Loss on sale of furnity 16 Interest on Bank 10 over draft	Rs. 8,400 1,500 1,200 300 500 800 ure 125	By Gros	s Profits	otal a id los	Rs 35,000
on actual delivery.  34 Mr Z requests mome and his income fir for the year is as follows  To Salaries including Z's Salary Rs 2 400  "Office Expenses Reserve for doubtful debts Fire Insurance Fremum Bad debts "Rent" Advertising Income-tax Discount Loss on sale of furnit, Interest on Bank over draft Interest on Z's capital	Rs. 8,400 1,500 1,200 300 3000 1,000 600 800 ure 125 350 450	By Gros	s Profits	otal a id los	Rs 35,000
on actual delivery.  34 Mr Z requests income and his income fre for the year, is as follows  To Salaries including Z's Salary Rs 2 400  10 Office Expenses Reserve for doubtful debts Fre Insurance Premium Bad debts Rent Advertising Income-tav Discount Loss on sale of furnit Interest on Bank over draft Interest on Z's capita Deprecation (allowab	Rs. 8,400 1,500 1,200 300 5000 3 000 600 600 800 ure 125 1 450 1 450	By Gros	s Profits	otal a id los	Rs 35,000
on actual delivery.  34 Mr Z requests mome and his income fir for the year is as follows  To Salaries including Z's Salary Rs 2 400  "Office Expenses Reserve for doubtful debts Fire Insurance Fremum Bad debts "Rent" Advertising Income-tax Discount Loss on sale of furnit, Interest on Bank over draft Interest on Z's capital	Rs. 8,400 1,500 1,200 300 5000 3 000 600 600 800 ure 125 1 450 1 450	By Gros	s Profits	otal a id los	Rs 35,000

Rs. 36 400

Rs. 36,400 last assessment year.

Z's Salary

Income-tax

Profit as disclosed by P & L. A/c. Add madmissible Expenses:

Reserve for doubtful debts

Loss on sale of Furniture

Less interest from securities

Income from Business

Interest on Z's capital

Solution No. 34-

Interest from securities (1,400×10)	2,000
•	Rs
Income from business	21,150
Less business loss carried	
forward from last year Fotal Income	1.560 19 590 Rs. 21.590
35. From the following particular	rs find out the thank
income of Mr A.	
(a) Salary Rs. 350 p. m.	
(b) Interest on 4% tax free Victory	Bonds on an investment
of Rs. 15,000.	hound
(c) Rent from house property Rs. 1,80	0 (Municipal value being
Rs 1,500).	
(d) Fees as directors Rs 600.	
(e) Business profit Rs. 1.200.	
(f) Interest on 3% (Free of Tax)	Independence bonus on
a _ investment of Rs. 4,000.	. 2. 1.050
(g) Insurance Premium paid by A dur	ing the year (\$ 1 950 Sunn)
(Pat.	na, B. Com., 1950. Supp)
Solution No 35.	Rs.
C 1	4 200
Salary Interest from securities	Rs
on 4% Victory Bonds (Tax-free)	600
on 3% Independence Bonds free of tax	
Off 2 to Trinchemente pourts area or and	

Statement of Total Income

There is a carried forward business loss of Rs. 1,560 from the

(Patna, B. Com., 1948)

Rs

2.400

1.200

600

125

410

Rs.

4 775

22,550

Rs.

Rs. 21 150

17.775

Less & for repairs	300	1 500	
Income from other sources			
Directors fees		600	
Total Taxable Inc	ome	Rs 8 220	
Exempted Income -			
Life Insurance Premium	1,950		
Interest on tax free securitie			
	Rs 2 670		
36 From the following inform			
year find out total income and exen	pted meome of M	ir A —	
He is the chief accountant of a salary of Rs 600 and a house reint the year he contributes Rs 700 to a employers also contribute the sar P F account for the year was has 9	allowance Rs. 50 recognised P F ne amount. The	p m During to which his	
On the occasion of company s silver jublee he was given two months salary as bonus during the year. His other taxable income consisted of (a) Rs 900 as share of profits from unregistered firm which has been taxed, (b) Rs 1275 from property, (c) Rs 500 as interest from tax free Govt securities and (d) Rs 180 received as dividend.			
The premiums paid on his Life Rs. 865 (Patna, B	Insurance policy Com 1949, Ral I		
Solution No. 36—			
	Rs		
Salary	7 200		
House rent	600	Rs	
Bonus	1 200	9,000	
Interest from tax free			
Govt Securities		500	
Income from property	1 275		
Less tor repairs	212 50	1 062 50	
Income from an unregistered f	ırm	900	
Dividend $\left(\frac{180\times10}{7}\right)$		255 56	
Total Income		Rs. 11 718 06	

1 20L

1.800

Profit from business

Income from property

Sol

Exempted income

apied moonie	
Provident fund contribution	R
by employee only	70
Life Insurance premium	86
Income from unregistered firm	90
Interest from Govt tax free	
securities	50

Rs 2 965

37 A Co started business on 1st Jan 1950 with new machi nery costing Rs. 3 50 000 It closes its accounts on 31st December On 1st January 1953 a fire broke out in the factory and the machinery was destroyed. As the company had insured the machinery, it received compensation of Rs. 1 50 000 Work out the profit or loss to be assessed or allowed in the 1954 55 assessment year, the rate of depreciation being 10%

•		(8	atna M C	om ' 1920)
lution No 3	37			
Tax year				Rs
1951 - 52		Cost of Machinery		3 50 000
		Initial Depreciation	Rs	
		@ 20 p. c	70 000	
	Less	Normal Depreciation		
		@ 10 р с	35 000 ]	
		Additional Depreciation	·	70 000
		(same as normal)	35 000 J	2 80,000
1952-53		Written Down Value		2 50,000
	79	Normal Depreciation		
		@ 10 p. c	28,000	
	**	Additional Deprecia-		
		tion	28 000	55 000
1953 - 54		Written Down Value		2 24,000
	,,	Normal Depreciation	22,400	
	,	Further Depreciation	∠2 4 <u>00</u>	44 800
195455		Written Down Value		1,79,200
	Less	Initial Depreciation		70 000
		w D. v	Rs	1,09 200
	Insura	nce Money Recd is	1 50 000	
Less	Writte	en Down Value	1,09 200	
	Profit	taxable Rs	40 800	

Furni-

ture

 $R_s$ 

10.000

38 An assessee established a new industry on 1st Jan, 1951 for which he purchased new machinery for Rs 50 000 and new furniture for Rs 10 000 He also purchased secondhand machinery for Rs 20 000 on 1st April 1951 His accounting year ends on 31st Dec each year Find out the allowable depreciation for the assessment year 1952-53 and the written down valu of machinery and furniture for the assessment year 1953 54 taking the rate of normal depreciation at 10% on machinery and 6% on furniture (Agra B Com , 1951)

### Solution No. 3 .-

Cost 1-1 1951 Initial Depreciation 0.000/ ----

### Calculation of Depreciation for the Assessment Year 1952 53 New machinery

Rc.

50.000

Second hand

machinery

Rε

20 000

R۹ 22 100

(Agra, B Com. 1956)

The incomes of an individual (a resident and ordinary resident) for the year ending 31 st March 1954 are as fo lows -Business Profits (after setting off Rs. 5,000 donations paid to a University and Rs 2 000 life insurance pre-

@ 20% on new				
machinery	10,000			
Normal Depreciation				
@ 10% on machinery	5 000			
@ 10% on second mach	1			
nery for 9 months			1 500	
@ 6% on furniture				600
Additional Dep				
Equal to normal on				
new machinery	5 000			
	20 000		1 500	600
W D V for 1953 54	40 000		18 500	9 400
Total Depreciation Allowable		Rs	(20,000+1 50	0+600)

(b) Interest on tax free Govt securities Rs 8 000 Dividend from a limited Co which has paid tax on

for the assessment year 1952 53

mum) Rs 31 000

its entire income Rs 3 000 Find out his total assessable income

# २=४ ]

Nate—In this question 31st March, 1954 has been treated as 31st March 1960 for the sake of solution.

Solution No. 39-

Int. on tou for Co. 1. 0			3.03
Int. on tax free Govt. Securities			8,000
Businesss Profits		Rs. 31,000	
Add: Donations	Rs.	31,000	
Lue Insurance Premium	5,000 2,000	7,000	
Business Income	2,000	7,000	38 000

Dividend  $\left(\frac{3,000\times10}{7}\right)$ Total assessable income

38,000 4,285 71 Rs- 50 285\*71

D.

- 40 The following are the particulars of income of a Government servant for the year ended 31st March, 1958 --
  - (a) Salary at Rs 900 p m. His travelling allowance bills for the year amounted to Rs. 2,005. the actual expenditure on travelling being Rs 1,730
  - (b) He contributed to his provident fund at 8% of his salary and the Government contributed an equal amount The interest on his provident fund amounted to Rs. 350 for the year.
  - (c) He owns two houses, one of which is let out at Rs. 150 p m and the other, whose annual value is Rs. 1,200, is occupied by him for his own residence. He has paid Rs. 300 as ground rent and insurance charges in respect of the first house and Rs. 180 in respect of the second. The municipal taxes in respect of the two houses amounted to Rs. 160 and Rs. 175 respectively, and he spent Rs. 600 on whitewashing and other repairs in respect of both the houses.
  - (d) He received Rs. 350 as interest on tax-free Government securities and Rs. 500 as dividend from a company.
  - (e) He pays an annual premium of Rs. 1,800 on his life

Prepare the assessment for 1958-59.

(Allahabad, B. Com. 1959 (See also question No 12) lote—In this question 1958-59 has been treated as 1960-61 for the sake of solution and it h s been assumed that his both the houses were constructed after 1st April 1950

# Solution No 40-

3.4					Rs.
Salary					10 800
Interest on tax free Go	ovt securi	ties			350
			Rs		
Rental value of the ho	use let		1 800		
Less 1 Municipal tax			80		
Annual Value		Rs	1 720		
Less	Rs				
for repairs	286 67				
Ground Rent	300		586 67		1 133 33
Annual value of reside	ntial hous	е	1 200*		
Less 2 statutory allow	ance		600		
-			600		
Less					
1/6 for repairs	100				
Ground Rent	180		280		320
Income from other So	urces	-			
Dividend (500×10)					714 29
7					114 25
Excess of travelling a	llowance				275
Taxable Total Income	e e			R۹	13 592 62
Exempted Income			Rs		
Employee's Contribut	ion to P	F	864		

\* As the annual Value of the residential house is given, ½ of municipal taxes should not been deducted. Had the Municipal Valuat on been given ½ of municipal taxes would have been deducted. It is assumed that ½ statutory allowance has not been deducted from the annual value hence it has been deducted here.

1 800

es 350 Rs 3 014

Insurance Premium

Interest on Tax free Govt Securities

41 From the following particulars of income of Shri L. B Saxena a Govt servent for the year ended 31st March 1957, you are required to ascertain his total income taxable income and exempted income —

- (a) Salary for the year Rs 6 000, Travelling allowance bills for the whole year amounted to Rs 1,500, while the actual expenditure incurred by him on travelling was Rs 1,000 only
- (b) He contributed 61 percent of his salary to the Govt. Provident Fund (under Act of 1925), the Govt also
- (e) His income from property is as follows :-
  - First house let at Rs. 100 per month, payment for ground rent and insurance charges being Rs 100 and local taxes Rs 266.
    - (n) Second house occupied by him for his own residence gross annual value being Rs. 2 000.
- (d) His income from investment was (i) Tata Debentures interest received Rs. 500, (ii) Dividend gross Rs. 800 from the Modi Soap Company
- (e) He pays Rs 800 as insurance premium on his life while a sum of Rs 200 is paid as insurance premium on the life of his wife. (Allahabad, B Com., 1958)

me of ms wife.	(21	ганарац, в	COM, ISSU	•
Note—In this question 31st March March 1960 for the sake of se that his houses were construct	lution a	and it has b	een assume	
Solution No 41			Rs	
Salary			6 000	
Interest on Securities				
Interest on Debenture (gross)			714 29	•
Income from property		Rs		
Rental value of the house let		1 200		
Less ½ taxes		133		
_	- Rs	1 067		
Less Rs				
for Repairs 177'83				
Ground Rent and			789 17	
Insurance Charges100		277 83	189 11	^
Gross annual value of resident	ial hou:	se		
Rs. 2 000 but it is restricted				
to $^{1}/_{10}$ of the total income				
$(8,803.46 \times \frac{6}{5})$	<u>6</u> 5 )= 1	Rs- 960 38		

Less & for Repairs

160 06

800 32

Income from other sources .

(1) Dividend

800 (ii) Excess of Travelling Allowance 500 Rs. 9 603 78

Total Taxable Income Exempted Income

Re. 375

Employee's P. F. Insurance Premum 1 000 Rs 1 375

500×10 \*Note-This amount is calculated thus .

42. A and B are partners in a registered firm Their Profit and Loss Account for the year ending 31st Murch 1956 is as follows -

	Rs.		Rs.
To Salaries	20 000	By Gross Profit	1 50 000
To Rent	2 400	By Dividend (gross)	900
To Advertisement	2.600	By Bad Debts	
To Charity	1,000	recoveries	1.000
To Bad debts Reserve	2,500		
To Income-Tax	5,000	1	1
To Sundry Exps-	6 000	ĺ	1
To Interest on Capital	1	]	]
Rs	[	1	(
	ì	l	ł .
A 1.000 B 1.000	2.000	!	1
1,000	,	1	1
To Partner's Commi-	1	ł	)
ssion	1	ľ	1
Rs.	ł	ł	1
A' 2,500	∤ ,	}	)
A' 2,500 B 2,000	4,500		!
To Net Profit			ì
	5,900		1_
Rs	51 900	Re	51,900

The item salaries includes Partner's Salaries A Rs 3,000, B Rs 3 000. Furniture purchased for Rs. 2,000 has been debited to 'Sundry Expenses' Find the total incomes of the partners (Alld , B Com , 1957)

Note-In this question 31st March, 1956 has been treated as 31st, March, 1960 for the sake of solution.

## Solution No. 42-

		Ks.
Profit as disclosed by P. & L. A/c.		5,900
Add:	Rs.	
Charity	1,000	
Bad debts reserve	2,500	
Income-tax	5,000	
Partners Salaries Rs. (3,000+3,000)	6.000	
Furniture purchased	2.000	
Interest on Partners' Capital	2,000	
Partners' Commission	4,500	23,000
		28,900
Less:		-
Dividend		900

Firm's income from Business	Rs.	28 000
Add Dividend		900
Total income of the firm	-	28,900
Less interest, salaries and commission		

of partners (2,000 + 6 000 + 4,500) Balance Divisible to Partners Distribution of Firm's income among A and B

Particulars	A	В
Interest on Capital Salaries Commission Profit Total income of partners R	Rs. 1,000 3,000 2,500 8,200 s 14,700	Rs. 1,000 3,000 2,000 8,200 14,200

- 43. Sita Ram has the following incomes for the year ending 31st March, 1954 .
  - (a) Salary Rs. 500 per month. He has contributed 6 per cent of his salary to a recognised provident fund, to which an equal amount has been contributed by his employer. The interest at 42 percent per annum on his provident fund amounts to Rs. 300. (b) He owns a house the municipal valuation of which is
    - Rs. 1,800. The house has been let out on a rent of Rs. 175 per month. He has incurred the following expenses in respect of this house: Interest on the

mortgage of the property Rs. 120, Land revenue Rs. 40, premium for fire insurance Rs. 150, municipal taxes Rs. 50. The house remained vacant for two months during the year.

- (c) He has received dividend at 5 percent on 50 shares of rupees 100 each
- (d) 3 percent interest (free of tax) on Govt. securities of Rs 5.000
- (e) Profit on sale of property Rs. 10,000.
- (t) He is a member of joint Hindu family getting Rs. 2,400 as his share of income.

During the year he paid Rs. 1,000 as premium on his hife insurance policy. Prepare his assessment for the year 1954-55.

(Alld., B Com, 1955)
Note—In this question 31st March, 1954 has been treated as 31st
March 1960 and 1954-55 as 1960-61 for the sake of solution.
It has also been assumed that his house was constructed
after 1st April, 1950.

# Solution No. 43-

			Rs.
Salary			6.000
Interest on Govt. Securit	ties (free of tax	.)	150
Income from property		Rs.	
Annual Rental value of t	the house let	2,100	
Less 1 of M tax		25	
Annual value	Rs-	2,075	
Lsss	Rs		
for Repairs	345*83		
Interest on Mortgage	120		
Land Revenue	40		
Fire insurance premium	150		
Vacancy Allawance	345 83	1.001 66	1,073.34
Income from other source	es:		
Dividend			250
Total Taxable Income			7,473'34
Profit on sale of Property	y (will be taxe	d as	
capital gains)		Rs-	10 000
Exempted Income:	Rs.		
Employee's P. F.	360		
Premium	1,000		

Int. on tax free Govt.

securities 150
Rs. 1510

- 44 Prepare assessment of Mr. X from the following particulars of his income for the previous year ended 31st March 1953 -
  - (a) He is the secretary of a company on a salary of Rs. 750 per month. He contributes at the rate of S. P. C to a recognised P. F. to which the employer contributes at the rate of 12 percent. Interest on his Provident Fund balance amounted to Rs. 500 during the year.
  - (b) He owns a house which he lets out at Rs. 12 000 p a. The admissible deduction for insurance is Rs. 200. His collection charges are Rs. 800.
  - (c) He earned Rs. 2 600 from dividends and Rs. 1,800 from tax free Govt securities.
  - (d) He is an equal partner with F in an unregistered firm from which he gets Rs. 3,000 as his share of profits
- (e) As a member of a Hindu joint family, he gets Rs 3,600. During the year he paid Rs 1 200 as premium on his life insurance policies.

(Alld , B. Com , 1954)

Note—In this question 31st March, 1953 has been treated as 31st
March, 1960 for the sake of solution

#### Solution No. 44-

t for repairs Insurance

Salary			Rs- 9,000
			2,000
Annual accretion			
Employer's contribution to			
P. F. (in excess of 10% of			
Salary)		180	
Interest on P F. (in excess			
of 6. P. C. or 3 salary)		Nıl	180
Int on tax free Govt securities			1,800
THE OR CAN ITEG GOVE SECURITIES		Rs	
Annual value of rented house		12,000	
Less	Rs		

200

200

					L	• • •
Collection charges						
(limited to 6% of an	nuai				10	880
value)		720	1 120		10	000
Income from other s	ources					
Dividend (assumed a	gross as if	tis earn	ed"			
and not ' received')					2	600
Share of profit from	anunreg	istered fir	m		3	000
Total Taxable Incor				Rs	27.	460
Exempted Income				_	_	
a logapito into inc			Rs			
Employees P F.			720			
Insurance Premium			-			
			1,200			
Profit of unregd fir	m		3 000			
		Rs,	4 920			
45 X and Y are e						
d loss account for the y	ear ende	d 31st De	ec 1951	ıs as fol	low	s
	Rs				_	Rs.
o Rent and Rates	2 600	By Gros	s Profit		71	200
Salaries	8 000		on Inves	tments		400
. Sales tax	6 000			(gross)	6	000
G neral Exps.	12 000					
,, Bad Debts	- 00					
written off Bad Debts Reserve	6 00					
Cub amotion and	1,600	)			ļ	
charity	2 000	1				
, Advertising	4 000	1				
" Depreciation Reserve	2 400	1				
		ì			1	
Loss of Building	4 000	1				
. Partner s Salaries	[	ĺ				
X 2 400	1	Į.			,	
Y 3 600	6 000	1				
, Commission to Y	2 000	}		i	ł	
, Int on Capitals	2000					
Rs	1	1				
X 3 000	j	1				
Y 3 000	6 000	1			1	
, Net Profit	20 000	J			_	
Rs.	77,200	1		Rs	77	200
_	•	1			1	

General Expenses include Rs 400 legal charges regarding (a) a new partnership deed

(b) Subscription and charity include-

(1) Rs 1,000 cost of constructing a shed for pilgrums
(11) Rs 400 subscription to a trade association.

(iii) Rs. 600 donation to a school,

(c) Advertising represents Rs 1,400 cost of permanent sign and Rs. 2,600 cost of insertion in trade journals.

(d) The amount of allowable deprenation is Rs. 1,000. The other incomes of the partners were as follows:

The other incomes of the partners were as follows.

X—Interest from securities (gross) Rs. 10,000, dividends

(gross) Rs 3,000 and rent from property Rs 3 600
Y-Interest from securities (gross) 14,000, dividends (gross)

Rs 8,000 and rent from buildings Rs. 12,000.

Compute the assessable income of X and Y for income tax

year 1952-53 (Alld, B. Com, 1953)

Note—In this question 31st Dec., 1951 has been treated as 31st Dec., 1959 and 1952 53 as 1960-61 for the sake of solution.

Solution No. 45-			
			Rs.
Profit as per P. & L Account			20,000
Add	Rs.		
Bad Debts Reserve	1 600		
Depreciation Reserve	2 400		
Loss of Building	4 000		
Partners Salaries	6,000		
Commission to Y	2,000		
Int- on capitals	6,000		
Legal Charges of a Partnership Deed	400		
Subscription and Charity	1,600		
Advertising (Cap exp)	1,400		25 400
		Rs.	45,400
Less •	Rs		
Int. on Investment	6 000		1
Depreciation	1 000		7 000
Firm's Business Income		Rs•	38,400
Int on Investment	`		6,000
Firms total Income			44,400
Less Salaries, Interest and Commission	of Partn	ers	14 000
(6 000+6 000+2 000)		Rs	30 400
Balance Divisible to Partners		r.s	-

# Distribution of Firm's Income Amongst X & Y

Particulars	X	Y			
Salarie, Interest on Capital Commission	Rs 2,400 3,000	Rs- 3,600 3,000 2,000			
Profit	20 600	15,200 23,800			
Total Income of X & Y					
Particulars	X	Y			
Interest from Securities Dividends	Rs. 10,000 3,000	Rs. 14.000 8,000			
	is. 500				
Less & repair	000	1			
	000 000	-			
Taxable Income from Property Firm's Share Total Taxable Incom	3,000 20 600 Rs 36,600	23 800			
46 A Hindu undivided family carrying on business in gold, silver, money lending, brokerage and share dealings showed the following particulars in the return of income filed for the previous year ended Dewalt Samuat 2015.—					

46 A Hindu undivided family carrying on business in gold, silver, money lending, brokerage and share dealings showed the following particulars in the return of income filed for the previous year ended Dewali Samuat 2015.—				
Loss in Silver Loss in Share dealings Law Charges Bad Debts Establishment and contingencies Net Profit	70,000 30,000		Rs- 1,50,000 75,000 1,00,000 50,000	
Total Rs.	3,75,000	Total Rs.	3,75,000	

Less			
tor repairs	1,370		
Int on mortgage	450		
Fire insurance premium	350		
Ground rent	50_	2,220	6 000
Share of unregd. firm			5,000
Director s fee			500
Total Taxable Income		Rs.	19 000
TO 1 1 1 1 T		-	

Exempted Income

| Rs. | Share of unregd firm | 5,000 | Insurance Premium | 1 200 | Rs. | 6 200 |

\* As annual value 12 given, no deduction has been made for Municipal taxes.

† Insurance premium should not be more than  $^1/_{10}$  of the policy money.

48 A, B and C are partners in a registered firm whose P and L Account for the year ended 31st Dec., 1949 shows a loss of Rs 40,000 after charging Rs. 10,000 interest on B's capital

The other incomes of the partners for the same period is A Rs 10 000 from director's fees and B Rs 3000 from bank interest. C had no other income that year, but he claimed a loss of Rs 10,000 brought forward from the preceding assessment year on account of his individual cloth business which he managed himself personally.

On 1st April, 1950, A retired and D joined as a partner talling over As share.

The firms loss for the year ended 31st Dec. 1950 has been computed at Rs. 12,000, the partners having no other income for that year.

State clearly how the assessments would be made for the years 1950-51 and 1951-52.

(Rai. B Com. 1951)

Note—In this question 31st Dec., 1949, 1st April, 1950, 1950-51 and 1952-53 have been treated as 31st Dec., 1958, 1st April, 1959, 1959-60 and 1960-61 respectively for the sake of solution.

#### Salution No. 48-

# Assessment for 1959-60

Rs. 40,000

Less:

Loss as per P, & L. A/c. Int. on B's capital

10,000

Loss of the firm from income-tax point of view. Rs. 30,000 Distribution Amongst A. B & C for the Assessment Year 1959-60

<del></del> -		A	В	ć
Interest on Capital		Rs. Nıl	Rs• 10 000	Rs Nıl
Firm's Loss	Rs.	-10.000 -10 000	-10 000 Nil	-10 000 -10,000

A can write off his share of firm's loss from his income of other sources which is Rs. 10,000 His income now becomes zero, he will pay no tax-

B's income from bank interest is Rs 3.000 and he has no gain or loss from the firm, hence Rs. 3,000 will not be taxed as it is minimum exemption limit-

C will carry forward his share of firm's loss of Rs. 10,000 and also his business loss of Rs. 10,000 to the next year. These losses can be carried forward for a maximum period of 8 years.

### 1 1000 CI

Assessment Lea	I 1900—01	
		Rs.
Total Loss for the year		12,000
Loss up to 1st April, 1959 (thre	ee months)	3,000
	Rs.	
A's share	1,000	
B's share	1,000	
C's share	1,000	
	Rs. 3 000	
Loss from 1st April, 1959 to		
31st Dec , 1959		Rs. 9,000
	Rs.	
D's share	3,000	
B's share	3,000	
C's share	3 000	
	Rs 9 000	

Thus A's share of loss is Rs. 1.000, B's share of loss is Rs. 4.000 (Rs 1.000+Rs, 3.000), C's share of loss is Rs, 4.000 (Rs. 1.000 +Rs. 3 000) and D's share of loss is Rs. 3,000.

As all these partners have no other incomes they will carry ' forward their losses to future years. The maximum limit for this nurnose is 8 years

49. Mr. X is the owner of a house, its municipal valuation is Rs. 3,000, but he receives Rs. 280 per month as rent. He claims the following expenses

tuo ton	owing expenses	1	Rs.
(1)	Repairs		1,200
(11)	Interest on mortgage of property		1,500
(111)	Collection charges		185
(iv)	Interest on loan taken to construct the		
	house .		1.800
(v)	Ground rent		120
(v1)	Fire insurance premium		300

His income from interest on fixed deposits is Rs. 4.500. Ascertain his taxable liability.

Solution	No.	49.	

(Raj., B. Com., 1952) Re. Annual rental value of the house 3.360 As municipal taxes are not given hence same amount will be treated as Annual value. Less : Rs. I for repairs 560 Int on Mortgage 1,500 Collection charges 185 Int on loan taken to construct the house 1,800 120 Ground rent Fire insurance premium 300 4.365 Rs. -1.005 Loss on property Income from interest on fixed 4,500 deposits Total Income

50 Mr. A's investments are '-Rs 20,000 5% Govt. Paper. Rs. 10,000 4% Municipal Debentures. Rs. 10 000 6% Pref. Shares of a Co.

Rs. 3,975

His bankers charged Rs. 25 as commission for collecting interest. He paid Rs 500 as interest on a loan which he had "specially taken for purchasing the securities. His other income from property in this period was Rs 3,000. Calculate his assessable income
(Raj, B Com., 1952)

Solution No. 50.		Rs.
Int. on 5% Govt. Paper		1,000
Ins. on 4% Municipal Deb		_ 400
		1,400
Less:	Rs.	
Banker's Commission	25	
Int- on loan	500	525
Int on Investments		Rs 875
Income from property	Rs. 3,000	
Less & for repairs	500	
Taxable income from property		2,500
Income from other sources .		
Dividends		600

51 A and B are partners in a regd. firm sharing profits and losses equally and following is their P. & L. account:

Total Taxable Income

	Rs.	1	Rs.
Salaries	10,750	Gross profit	51,040
Rent, rates and in-		Int. on tax free	22,010
surance	1,200	Govt securities	900
Travelling exps-	954	Profit on sale of	900
Interest on Bank	, ,,,	investment	1 400
Loan	1,650	miscarment.	1,200
Legal Charges		1	
	1,103	}	
Discounts	897	1	
Carriage (car)	601	i i	
General exps.	2 050	) (	
Marketing	2,300	i l	
Dep. on Car	500	l i	
Int. on Capitals	i	i i	
Rs.	1 .	1 1	
A 1,700	1	1	
B 1,550	3,250	i i	
	3,230	1	
Reserve for bad	]	1	
debts	1,000	1	
Net profit	26,885	1	
	1	1	
Rs.	53,140	, r	53 140
142.	55,140	Rs	33 140

After considering the following matters compute the total income of the firm for the year ended 31st March, 1958

- (1) Salaries include a partnership salary of Rs 200 p.m. to B
- (ii) The legal charges consist of Rs, 500 for alteration of the partnership agreement and the balance for debt collection
- (iii) Rs 200 paid as premium on an insurance policy on the life of a debtor is included in insurance
- (iv) The general exps. include Rs. 210 for additional filing cabinet and Rs. 360 for a new typewriter.
  - filing cabinet and Rs 360 for a new typewriter.

    (v) The car was used for domestic purposes.

(Raj, B Com, 1959)

Note—In this question 31st March, 1958 has been treated as 31st

March 1960 for the sake of solution.

# Solution No. 51-

			Rs.
Net profit as disclosed by P. &	L account		26,885
Add	Rs.		
Reserve for bad debts	1.000		
B's Salary	2,400		
Charges of alteration of parti	er-		
ship agreement	500		
Insurance premium on life of t	he		
debtor	200		
Additional filing cabinet	210		
New typewriter	360		
Dep on car	500		
Carriage (car)	601		
Int on Capitals			
A	1,700		
B	1 550 3 250		9,021
_			35,906
Less •	Rs		
Int. on tax free Govt. securities			2 100_
Profit on sale of investment	1,200		33 806
Business Income of the firm			900
Int. on tax free Govt securiti	es	т-	34,706
Total Income		Rs_	31,100

52. X is the principal of a college in Rajasthan drawing Rs 800 pm. He received income as royalty Rs 1,800.

He held 4% Debentures of B. I C. Ltd. to the value of Rs. 15,000. He owned two houses one let out for Rs. 100 p. m. and the other occupied by him of the municipal valuation of Rs. 600 per annum. He paid Rs. 200 as fire insurance premium and Rs. 200 as ground rent in respect of let out house. He paid fire insurance premium of Rs. 150 and Rs. 125 as interest on loan taken for repair in respect of the house occupied by him for purposes of his residence.

Find out his total income and assessable income.

		(Raj., E	3. Com., 1959)
Solution No. 52—			Rs.
Salary			9,600
Int on Deb.			600
Income from property:		Rs	
Annual rental value of the ho	use let	1,200	
(The same will be annual value	1e		
as municipal taxes are not give	en)		
Less.	Rs.		
for repairs	200		
Fire insurance premium	200		
Ground rent	200	600	600
Municipal value of residentia	1 —		
house		600	
Less ½ statutory allowance		_300	
Annual value		300	
Less	Rs.		
for repairs	50		
Fire Insurance premium	150		
Int on loan for repairs	125	325	25
Income from other sources .			
Royalty			1 800
Total Taxable Income			Rs. 12,575
53 A. Band Care three s	e rtrure	in a firm .	horas makke

53. A. B and C are three partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4 3:1. The P. & I., A/c. of the firm for the year ended 31st March showed a net loss of Rs. 24,000 after charging the following items

Ð.

Int. on Cap	A 2,000	B 1,000	C 1,000
Salary	A 4,000	B 3,000	C 2,000
Commission	A 1,500	B 1.000	C 500

D.

Þ.

Taxable in ome of A from other sources was Rs. 7,500 while B and C had no other incomes. Explain how assessment would he made (a) when the firm is registered and (b) when it is unregistered.

(Rai, B. Com., 1960) (See also O No 2)

# Solution No 53-

			Rs∙
Loss as per P & L. A/c.			24 000
Less			
Int on Capital:			
-	Rs.		
A	2,000		
$\boldsymbol{B}$	1,000	Rs	
c	1,000	4,000	
Salary			
A	4,000		
$\boldsymbol{B}$	3,000		
c	2 000	9,000	
Commission			
A	1,500		
В	1,000		
c	500	3 000	16,000
			Rs. 8,000

# Allocation of Firm's Income Amongst the Partners

		-		
		A	В	С
Int on Capital Salary Commission Share of Firm's loss		Rs 2,000 4,000 1,500 –12,000	Rs- 1,000 3,000 1 000 -9,000	Rs. 1,000 • 2,000 500 -300
Total	Rs	-4,500	-4,000	+500

# When the Firm is Registered-

A can set off his share of the firm's loss of Rs. 4,500 against his other income of Rs 7,500, and thus his income remains only Rs. 3,000 He will not pay any tax. As B has no other income, he can carry forward his share of firm's loss of Rs. 4,000 in order to set it off against his share of future profit of the firm or against any other business profit, but the maximum limit for this carry forward is eight years. Cs income is only Rs 500, hence he is not liable to tax.

# When the Firm is Unregistered-

Unregistered firm will itself, carry forward its loss of Rs. 8,000 for eight years in order to set it off against its future income

A will pay tax on Rs 7 500 because he is not allowed to set off his share of firm's loss from his other income

B cannot carry forward his share of firm's loss to future years.

C is not liable to pay tax, as his total income is only Rs 500, which is below the minimum exemption limit.

54. The following are the particulars of the income of an individual for the year ended 31st March, 1959—

- (a) His salary was Rs 1000 per month and his travelling allowance bills for the year famounted to Rs 2000 the actual expenditure incurred by him in travelling being Rs 1.500
  - (h) He contributed 8% of his salary to a provident fund governed by the Provident Funds Act 1925, his employer contributing an equal amount Interest on his P F, account for the year amounted to Rs 600
  - (c) He owns two houses one of which is let at Rs 150 per month and the other whose municipal value is Rs. 1,200 is occupied by him for his own residence. He pays Rs 300 per year as ground rent and insurance charges in respect of the first house and Rs 200 per year in respect of the second.
  - (d) He received Rs 600 as interest on tax free govt securities and Rs, 500 dividend from a company
  - (e) He pays an annual premium of Rs. 3,000 on his life policies of Rs. 25,000

Ascertain his total income and exempted income for the assessment year 1959-60.

(Raj. B Com., 1960) (See also Q No 40)

In this question 1959 60 has been treated as 1960 61 for the sake of solution.

# Solution No. 54-

		Rs.
Salary		12,000
Int. on tax free Govt, securities		600
Annual rental value of the	Rs.	
house let	1,80	0
Same amount of Rs. 1,800 is treate	d	
as annual value because municipa	i i	
or local taxes are not given.		
Less :	Rs.	
for repairs	300	
Ground rent and insurance charges	300 60	0
Taxable income of the house let		1 200
Municipal valuation of Fesidential		
house	1,200	
Less ½ statutory allowance	600	
Annual value	600	
Less Rs.		
for repairs 100		
Ground rent etc. 200	300	
Taxable income of the residential		
house		300
Income from other sources		
500×10		
Dividend $\left(\frac{500\times10}{7}\right)$		714 29
Excess of travelling allowance		500
Total income	Rs.	15.314 29
Exempted Income .	Rs.	
P F. by employee	960	
Insurance Premium	2,500	
Int on tax free govt. securities	600	
	s. 4 060	

Note-Insurance premium should not be more than 10 P. C. of the amount of the policy.

# MISCELLANEOUS THEORETICAL OUESTIONS

(On Short Notes only)

Note —These questions are given in order to give the idea to the examinees regarding the style in which questions on short notes are asked.

Define any four of the following
 Agricultural income previous year, dividends, development
 rebate, balancing depreciation, charitable donations.
 (Agra B Com. 1960)

Explain the following terms —

 (a) Previous Year.
 (b) Set off and carry forward.
 (c) Earned income relief.
 (d) Capital gains
 (e) Total world income.

(Agra, B. Cc ... 1959) निम्नलिखित को समभाकर लिखिये :—

(क) गत वर्ष, (ख) घाटेकी पूर्ति और उसका स्रापे ले जाना, (ग) कमाई हई स्राय की छट. (स्र) पूँजी लाभ, (ड) कुल विश्व स्राय ।

न विश्व भाग । (मागरा, बी० कॉम०, १९५९)

3 Distinguish between -

(a) recognised P F, and an unrecognised P F,

(b) a registered firm and an unregistered firm

(Agra, B Com., 1958)

State with reasons, whether the following items are admissible or inadmissible in the P and L A/c of a business —

(a) Interest paid on loans taken to pay off income tax

(b) Gift made to employees in return for services rendered, though such gifts were not legally claimable by employees (c) Payment of compensation to an employee for compelling

him to retire before the contracted date.
(d) Bad debts in respect of loans and advances given to cus-

 Bad debts in respect of loans and advances given to customers.

(e) Interest on Govt Securities. (Agra, B Com, 1955, 1958)

5. Explain the following terms —

(a) Set off and carry forward, (b) Earned income,

(c) Previous year, (d) Unabsorbed depreciation.
(Agra, B. Com., 1956)

# ₹° [

- 6. Write short notes on the following :-
  - (a) Extra sh.ft allowance.(b) Initial depreciation.
  - (c) Vacancy allowance,
  - (d) Bond washing transactions, and
    - (e) Capital gains.

(Agra, B Com, 1958 S)

- 7. What will be the tax liability of an individual under the following circumstances
  - (a) When he is a member of a Hindu undivided family.(b) When he is a member of an unregistered firm
  - (c) When he is a member of a regd. firm.
  - (d) When he is a member of an association of persons.
  - (e) When he is a shareholder in a joint stock company.
- 8. Explain the following terms .--
- (a) Less tax and free of tax,
  - (b) Non-resident.
    (c) Recognised Provident Fund.
  - (d) Agricultural income.
  - (e) Casual income.

9.

(Agra, B. Com., 1957)
Discuss, giving reasons, if the following receipts are subject

- of charge to income-tax —

  (a) A receives Rs 50 000 as compensation for termination of managing agency.
  - (b) On the failure of a debtor to pay, B, a moneylender, accepts a piece of land in satisfaction of his debts. He sells the same and makes a profit of Rs 500.
  - (c) C is a student who receives a monthly scholarship of Rs. 200.
    - (d) D wins a bet amounting to Rs. 1,500 on a race-course.
      - E, who is the manager of an agricultural farm, draws a salary of Rs. 350 p m.
         (Allahabad, B. Com., 1956)

- 10. Explain any four of the following terms :-
  - (a) Previous year,
  - (b) Agricultural income;
  - (c) Capital gams;
  - (d) Dividends:

- (e) Extra shift allowance,
- (f) Bond washing .

Initial depreciation ,

(h) Balancing charge

(Agra, B Com, 1955)

Write explanatory notes on the following -11

- (a) Annual value of property (b) Unabsorbed depreciation
  - (a) Best udgement assessment
- (d) Free of tax and less tax securities

(Allahabad, B. Com., 1955) 12 Distinguish between -

- (a) Free of tax and less tax securities.
  - (b) Slab system and step system of taxation
- (Alld, B Com., 1954)

13 Discuss briefly the following from the noint of view of Income tax -

- Advance payment of tax (a)
- (b) Bonafide annual value
- (c) Best judgement assessment
- (i) Previous year (e) Hindu undivided family

14

(Alld , B. Com , 1953)

Answer any two of the following -(a) Explain clearly the difference between slab system and step system of taxation

(b) Explain the difference between set off losses and carry forward of losses

(c) State the conditions necessary for claiming exemption from tax by a newly established industrial undertakings.

(Ray B Com , 1954)

Write short explanatory notes on any four of the following 15 terms used in connection with Income tax assessment -(a) Provisional assessment

- (b) Grossing up of dividends-
- (c) Unregi tered firm
- (d) Earned income relief
- (a) Written down value

(t) Agricultural income.

(Raf. B Com . 1950)

16. Write short explanatory notes on any four of the following terms used in connection with Income tax assessment:—

(a) Taxable territories.

(b) Bond-washing transactions

(c) Resident and ordinary resident.
(d) Cash system of accounting.

(d) Cash system of accounting

(e) Unabsorbed depreciation
(f) Total world income.

(Raj , B Com, 1951)

17. Write short notes on any four of the following —

(a) Agricultural income
(b) Grossing up of Dividends

(c) Casual income
(d) Unabsorbed depreciation

(d) Unabsorbed depreciation
(e) Total world income.

(f) Previous year.

(Raj, B Com, 1952)

18 Explain any two of the following — (a) Recognised Provident Fund

(b) Capital gains (ধূ जो लाभ) (c) Development rebate (বলনি হুত)

(d) Assessment of a Registered firm

(s) Provisional assessment

(Ra], B Com, 1960)

### THE FINANCE ACT, 1960

(Received the assent of the President)

To give effect to the financial proposals of the Central Govi for the financial year 1960-61

Be it enacted by Parliament in the Eleventh Year of the Republic of India as follows --

- 1 (1) This Act may be called the Finance Act 1960
- (2) Save as otherwise provided in this Act sections 3 to 17 inclusive shall be deemed to have come into force on the first day of April 1960
- 2 (1) Subject to the provisions of sub sectious (2) (3) and (4) for the year beginning on the 1st day of April 1960 -
  - (a) income tax shall be charged at the rates specified in Part I of the First Schedule and in the cases to which Paragraphs A B and C of that Part apply shall be increased by a surcharge for purposes of the Union and a special surcharge calculated in either case in the manner provided therein and
    - (b) super tax shall for the purposes of section 55 of the Indian Income tax Act 1922 (heremafter referred to as the Income tax Act) be charged at the rates specified in Part II of the First Schedule and in the cases to which Paragraphs A B and C of that Part apply shall be increased by a surcharge for purposes of the Union and a special surcharge calculated in either case in the manner provided therein
  - (2) In making any assessment for the year ending on the 31st day of March 1961 -
    - (a) where the total income of an assessee not being a comp, ny includes any income chargeable under the head Salaries or any income chargeable under the head Interest on Securities or any income from dividends from which income tax has been or might have been deducted under the provisions of section 18 of the Income tax Act or in respect of which by virtue of section 49B of the Income tax Act as continued in force by subsection (4) of section 19 of the Finance Act 1959 he is deemed himself to have paid the income tax imposed under the Income tax Act the income tax payable by the assessee

on that part of his total income which consists of such inclusions shall be an amount bearing to the total amount of income-tax payable according to the rates applicable under the operation of the Finance Act. 1959, on his total income the same proportion as the amount of such inclusions bears to his total income.

(b) where the total income of an assessee, not being a company, includes any income chargeable under the head "Salaires" on which super tax has been or might have been deducted under the provision is of sub-section (a) of section 18 of the Income-tax Act, the super tax payable by the assessee on that portion of his total income which consists of such inclusion shall be an amount hearing to the total amount of super tax payable according to the rates applicable under the operation of the Finance Act, 1959, on his total income the same proportion as the amount of such inclusion bears to his total income

(3) In making any assessment for the year ending on the 31st day of March, 1959, or for the year ending on the 31st day of March 1960, or for the year ending on the 31st day of March 1961, where the total income of a company, other than the Life Insurance Corporation of India established under the Life Insurance Corporation Act, 1956 includes any profits and gains from life insurance business, the super-tax payable by it shall be the aggregate of the tax calculated—

(s) on the amount of profits and gains from life insurance business so included, at the rate applicable to the Life Insurance Corporation of India in accordance with the Finance Act of the relevant year, and

(11) on the remaining part of its total income, at the rate

applicable to the company on its total income

(4) In cases to which section 17 of the Income-tax Act applies, the tax chargeable shall be determined as provided in that section, and with reference to the rates imposed by sub section (1).

(5) In cases in which tax has to be deducted under section 18 of the Income-tax Act at the prescribed rates, the deduction shall be

made at the rates specified in Part III of the First Schedule-

(6) For the purposes of this section, and of the rates of tax imposed thereby, the expression "total income" means total income as determined for the purposes of income tax or super-tax, as the case may be, in accordance with the provisions of the Income tax Act, and the expression "earned income" has the meaning assigned to it in clause [6.44] of section 2 of that Act.

- 3 In section 19 of the Finance Act, 1959,-
- (1) after sub section (3), the following sub section shall be inserted, and shall be deemed always to have been inserted, namely -
  - "(3A) The amendments to the Income-tax Act made by section 5, section 7, section 12, section 14 and section 15 shall, in relation to dividends declared or payable by a company in respect of the previous year relevant to the assessment for the year ending on the 31st day of March, 1961, have effect on and from the 1st day of April, 1959.":
  - (11) in sub-section (4), after the words "declared or payable by a company", the words and figures "on or before the 30th day of June. 1960, shall be inserted, and shall be deemed always to have beed inserted.
- 4. In section 9 of the Income-tax Act, in sub-section (2), for clause (a) of the third proviso, the following clause shall be substituted, namely
  - "(a) in the case of a property the construction of which was completed before the 1st day of April, 1950, the total amount of such taxes and in the case of any other property, one half of the total amount of such taxes, shall, notwithstanding anything contained in such law, be deemed to be the tenant's liability for such taxes, and '.
- 5 In section 10 of the Income tay Act, in sub-section (2), for clause (xm), the following clause shall be substituted, namely —

"(xiii) any sum paid to a scientific research association him gas its object the undertaking of scientific research or to a university, college or other institution to be used for scientific research or to a university college or other institution to be used for research in social science or statistical research related to the class of business carried on

Provided that such association, university, college or institution is for the time being approved for the purposes of this clause by the prescribed authority,".

- 6 In section 14 of the Income-tax Act, for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:—
- '(3) The tax shall not be payable by a co operative society—
  - in respects of its profits and gains of business carried on by it, if it is—

- (a) a society engaged in carrying on the business of banking or providing credit facilities to its members, or
  - (b) a society engaged in a cottage industry, or
- (c) a society engaged in the marketing of the agricultural produce of its members, or
- (d) a society engaged in the purchase of agricultural implements, seeds, livestock or other articles intended for agriculture for the purpose of supplying them to its memhers, or
- (e) a society engaged in the processing without the aid of power of the agricultural produce of its members, or
- (f) a primary society engaged in supplying milk raised by its members to a federal milk co-operative society.

Provided that, in the case of a co operative society which is also engaged in activities other than those mentioned in this clause, nothing contained herein shall apply to that part of its profits and gains as is attributable to such activities and as exceeds fifteen thousand rupees,

(ii) in respect of so much of its profits and gams of business carried on by it as does not exceed fifteen thousand rupees if it is a co-operative society other than a co-operative society referred to in clause (i)

(ti) in respect of interest and dividends derived from its investments with any other co operative society,

(12) in respect of any income derived from the letting of godowns or warehouses for storage, processing or facilitating the marketing of comodities.

(t) in respect of any interest on securities chargeable under section 8 or any income from property chirgeable under section 9 where the total income of the co-operative society does not exceed twenty thousand rupees and the society is not a housing society or an urban consumer's society or a society carrying on transport business or a society engaged in the performance of any manufacturing operations with the aid of power

Provided that nothing contained in this sub-section shall apply to-

(i) the Sanikatta Salt Owner's Society ,

(ii) a co operative society carrying on insurance business in respect of the profits and gains of that business computed in accordance with rule 9 in the Schedule.

Explanation.—For the purposes of this sub-section, an 'urban consumer's co operative society' means a society for the benefit of the consumers within the limits of a municipal corporation, municipality, municipal committee, notified area committee town area or canton ment."

- 7 In section 15B of the Income tay Act, in clause (b of the second proviso to sub-section (f), for the words "one twent eth of the assessee's total uncome" and "one hundred thousand rupees", the words 'seven and a half per cent- of the assessee's total uncome" and "one hundred and fifty thousand rupees" shall respectively be substituted.
  - S In section 15C of the Income tax Act,-
    - (a) in clause (11) of sub section (2), for the word "thirteen", the word "eighteen" shall be substituted, and
    - (b) to sub section (6), the following proviso shall be added namely -

'Provided that where the assessee is a cooperative society this sub-section shall have effect as if for the words 'six assessments' had been substituted.'

- 9 In section 18 of the Income tax Act .-
  - (i) in sub section (3D), after the words "declaration and payment of dividends" the brackets and words (including dividends on preference snares) shall be inserted
    - (11) sub section (3E) shall be omitted.
- 10 In section 184 of the Income tax Act,-
  - (i) in clause (a) of sub-section (1), for the words "In the case of income in respect of which provision is not made under section 18 for deduction of income-tax at the time of payment", the words "In the case of income other than income chargeable under the head 'Salaries' " shall be substituted, and after the words "the amount of such inclusions bears to his total world income", the following word, shall be inserted, namely —

"The income tax and super tax so calculated shill be reduced by the amount of income-tax and super-tax which would be deductible during the said financial year in accordance with the provisions of section 18 on any income fother than income chargeable under the head "Salaries" included in the said total income: "."

- (11) in sub-rection (3), for the words "to which the provisions of vection 18 do not apply", the words "which is not chargeable under the head 'Salaries'" shall be substituted.
  - (sss) in sub-section (6),-
    - (a) for the words 'regular as-essment,' so far as such tax relates to income to which the provisions of siction 18 do not apply", the following words shall be substituted, namely —

"regular assessment (redu ed by the amount of tax deductible in accordance with the provisions of section 18 on any income, other than income chargeable under the head Salaries', included in such assessment), so far as such tax relates to income other than income chargeable under the head 'Salaries'

(b) in the second proviso, for the words to which the provisions of section 18 do not apply", the words other than income chargeable under the head "Salaries" shall be substituted

### 11. In section 23A of the Income tax Act .-

- in sub section (2), in clause (i) for the words 'ninety per cent', the words "eighty per cent' shall be substituted.
- (ii) in Explanation 2 for the figures '100%, where they occur, the figures 90% shall be substituted.
- 12. After section 49B of the Income-tax Act, the following section shall be inserted, namely
  - relevant to the assessment year commencing after the 31st day of March. 1950, an Indian company or a company which has made the prescribed arrangements for the declaration and payment of dividends within India pays any dividend wholly or partly out of its profits and gains actually charged to incometax for any assessment year ending before the 1st day of April, 1960, and deducts tax therefrom in accordance with the provisions of section 18, circli shall be given to the company against the income-tax, if any, payable by it on the profits and gains of the previous year during which the dividend is paid, of a sum calculated in accordance with the dividend is paid, of

(2), and where the amount of credit so calculated exceeds the income-tax payable by the company as aforesaid, the excess shall be refunded.

(2) The amount of income tax to be given as credit under sub-section (1) shall be a sum equal to ten per cent, of so much of the dividends referred to in sub-section (1) as are paid out of the profits and gams actually charged to income-tax for any assessment year ending before the 1st day of April, 1960.

Explanatio i I — For the purposes of this section, the aggregate of the dividends declared by a company in respect of any previous year shall be deemed first to have come out of the distributable income of that previous year and the balance, if any, out of the urdistributed part of the distributable income of one or more previous years immediately preceding that previous year as would be just sufficient to cover the amount of such balance and as has not likewie been taken into account for covering such balance of any other previous year.

Explanation II — The "distributable income" of any previous year shall mean the total income assessed for that year as reduced by—

- (\*) the amount of income tax and super tax payable by the company in respect of the said total income.
- (11) the amount of any other tax levied under any law for the time being in force on the company by the Government or by a local authority in excess of the amount, if any, which has been allowed in computing the total income.
- (iii) the amount paid to any charitable institution or fund to the extent to which it is e empt from tax under section 15B, and
  - (w) in the case of a banking company, the amount actually transferred to a reserve fund under section 17 of the Banking Companies Act, 1949,

and as increased by-

(a) any profits and gains or receipts of the company not included in its total income, and

(b) any amount attributable to any allowance made in computing the profits and gains of the company for purposes of assessment, which the company has not taken into account in its profit and loss account." 13. Notwithstanding anything contained in the Wealth-tax Act 1957 (Incremafter referred to as the Wealth tax Act), no tax shall be charged in respect of the net wealth of a company for any financial year commencing on or after the 1st day of April, 1960.

14 In section 5 of the Wealth tax Act, in clause (xx) of subsection (I), for the words 'if on the relevant valuation date the provisions of this Act are not applicable to the company by reason of the provisions contained in that 'ection', the following words shall be substituted namely —

nor a period of five successive assessment years commencing with the assessment year next following the date on which the company is established, which period shall, in the case of a company established before the commencement of this Act, be computed in accordance with this Act from the date of its establishment as if this Act had been in force on and from the date of its establishment.

15 In section 5 of the Expenditure tax Act 1957 (heremafter referred to as the Expenditure tax Act) in clause (d), for the word, brackets figures and letter 'clause (110)', the words, brackets, figures and letters 'sub clause (a) of clause (110) shall be substituted

16 In section 6 of the Expenditure-tax Act,-

(i) in sub-section (1) -

(a) for clause (g) the following clause shall be substituted, namely -

(g) any expenditure incurred by the assessee in respect of the education of himself or any of his dependants and where the assessee is a Hindu undivided family of any member of the family—

(i) if the expenditure is incurred in India, subject to a maximum of rupees three thousand

per year and

(ii) if the expenditure is incurred in any country outside India, subject to a maximum of rupees eight thousand per year,",

(b) after clause (i), the following clause shall be inserted, namely -

(r) any expenditure incurred by the assessee for travel in India in connection with his proceeding on a holiday and any expenditure incurred on behalf of the assessee by his employer by way of travel concession or assistance in connection with his proceeding on leate in India, subject in the aggregate to a maximum of rupses one thousand five hundred per tear'.

(ii) for sub-section (4)—the following sub-section shall be substituted, and shall be desired always to have been substituted, namely—

"(4) If the as-essee proves in any year that, in respect of any sum out of which any expenditure incurred is chargeable to tax under this Act, he has paid in any foreign country any income tax, wealth tax, expenditure tax, git-tax or estate duty under any law for the time being in force in that country and that any such tax or duty has been included in the expenditure chargeable to tax under this Act, he shall be entitled to a deduction of the full amount of such tax and duty paid in the foreign country."

17 For section 18 of the Gift tax Act, 1958, the following section shall be substituted, namely -

"18 If a person making a taxable gift pays into the treasury within fifteen days of his making the gift the amount of tax due on the gift calculated at the rates specified in the Schedule, he shall, at the time of assessment under section 15 be given credit, in addition to the amount so paid, for an amount equal to ten per cent. of the amount so paid

Explanation.—If a person makes more than one taxable gift in the cour e of a previous year the amount of tax due on any one of such gifts shall be the difference between the total amount of tax due on the aggregate value of all taxable gifts so far made including the trivable gift in respect of which tax has to be paid, calculated at the rates specified in the Schedule and the total amount of tax on the aggregate value of all the gifts made during that year excluding the taxable gift in respect of which tax has to be paid.

# THE FIRST SCHEDULE

(See Section 2)

# Income tax and surcharges on income tax

# Paragraph A

(i) In the case of every individual who is married and every Hindu undivided family whose total income does not exceed is 20,000 in either case—

# Rates of Income tax

Where the individual has no child wholly or mainly dependent on him or where the Hindu undivided family has no minor coparcener.	dual has one child wholly or mainly dependent on him	child wholly or mainly dependent on him or where the Hindu un- divided family has more than one minor
(1) O- 41 - 5 Rs•	Rs	Rs-

(1) 0	ICS.	Rs	Rs-	
(1) On the first	3 000 o' total	3,300 of total	3 600 of total	Nıl
(2) On the next	ıncome	income	income.	
(3) On the next		1,700 ,	1,400 ,,	3%
(4) On the next	2 500 2 500	2 500 .,	2 500 ,,	3% 6% 9% 11%
(5) On the next	2 500	2 500 ,,	2,500 ,,	9%
(6) On the next	2 500	2,500 ,	2 500	11%
(7) On the next	5 000	2 500 , 5 000 .	2,500 ,,	14% 18%
	<del></del>	3 000	5 COO ,,	10/0

(ii) In the case of every individual who is not married and every individual or Hindu undivided family whose total income in either case exceeds Rs 20,000 and in the case of every juriegistered firm or other association of persons, not being a case to which any other Paragraph of this Part applies.—

				- 41.	"P	bries	•—		
41.0.4				Rs					
(1) On the first				1,000	of	tota	l incon	ne.	Nil
(2) On the next				4,000		.,	.,		3%
(3) On the next				2,500		,,	-		6%
(4) On the next				2 500			••		9%
(5) On the next		i		2,500		**	**		
(6) On the next	•	•				**	**		11%
	٠	-	•	2,500			,,		14%
(7) On the next	•			5,000		,,	**		18%
(8) On the balance	of	total	income						25%

Provided that for the purposes of this Paragraph-

(t) no income tax shall be payable on a total income which does not exceed the limit specified below

(ii) the income tax payable shall in no case exceed half the

amount by which the total income exceeds the said limit

(iii) the income tax payable by an individual who is married or a Hindu undivided family whose total income exceeds in either case Rs 20 000 shall not exceed the aggregate of—

(a) the income tax which would have been payable if the total income had been Rs 20 000

(b) ha f the amount by which the total income exceeds Rs 20 000

The limit aforesaid shall be-

- (s) Rs 6 000 in the case of every Hind; undivided family which as at the end of the previous year satisfies either of the following conditions namely
  - (a) that it has at least two members entitled to claim partition who are not less than eighteen years of age or
  - (b) that it has at least two members entitled to claim partition who are not lineally descended one from the other and who are not lineally descended from any other living member of the family
    - (11) Rs 3 000 in every other case

Surcharges on encome tax

The amount of income tax con puted at the rates herein before specified shall be increased by the aggregate of the surcharges calculated as under —

- (a) A surcharge for purposes of the Union equal to the sum of—
- (i) five per cent of the amount of income tax and
- (n) where the earned income included in the total income exceeds Rs-100000 five per cent of the difference between the amount of income tax which would have been payable on the whole of the earned income included in the total income if such earned income had been the total income and the amount of income tax payable on a total income of Rs 100 000
  - (b) A spec al urcharge at fifteen per cent of the difference between the amount of income tax on the total income and the amount of income tax on the whole of the earned income if any included in the total income if such earned income had been the total income.

Provided that ...

(r) no surcharge for purposes of the Union shall be payable where the total ircome does not exceed the limit specified below .

(ii) no epecial surcharge shall be payable in the case of an assesse whose total income does not include any income from dividend on ordinary shares if his total income does not exceed the limit epecified below, and where the total income includes any dividends on ordinary shares, such limit shall be increased by Rs 1 500 or the amount of the said dividends, whichever is lece

Provided further that-

(a) where the total income includes any dividends on ordinary shares, the surcharge for purposes of the Union and the special surcharge shall not in each case exceed half the amount by which the total income exceeds the respective limits applicable in either case

(b) the surcharge for purposes of the Union and the special surcharge both together, shall not exceed half the amount by which the total income exceeds the limit specified below .

The limit aforesaid shall be-

(1) Rs. 15 (0) in the case of every Hindu undivided family which sati fies as at the e d of the previous year either of the following condit ons namely -

(a) that it has at least two members entitled to claim partition who are not less than eighteen years of age, or

(b) that it has at least two members entitled to claim partition who are not lineally descended one from the other and who are not lineally descended from any other living member of the family

(11) Rs 7 560 in every other case.

Experiation - For the purposes of this Paragraph, in the case of overv Hudu undivided family governed by the Milakshara law a sen shall be deemed to be entitled to claim partition of the coparcenary property against his father, or grand father rotwithstanding any custom to the contrary

Paragraph B In the case of every local authority -

Rate of se come- az

On the whole of the total income

30%

Surcharge on encome lax

The amount of income tax computed at the rate herembefore

specified shall	be	ıncreased	bу	a	surcharge	for	purposes	of the
Union of 5 per	r ce	nt. of the a	mo	unt	of income-	tax.		

#### Paragraph C

In every case in which under the provisions of the Income-tax Act, meome tax is to be charged at the maximum rate,-

# Rate of sucome-tax

On the whole of the total income 25% Surcharges on income-tax

The amount of income tax computed at the rate hereinbefore specified shall be increased by the aggregate of the surcharges calculated as under :-

(a) a surcharge for purposes of the Union of five per cent. of the amount of income tax, and

(b) a special surcharge of fifteen per cent. of the amount of income tax.

# Paragraph D

In the case of every company .-

Rate of income-tax On the whole of the total income 20% Paragraph E

# In the case of every registered firm.-

Rates of sucame-tax

(1) On the first Rs 40,000 of total income Nıl (2) On the next Rs 35 000 of total income 5% ... (3) On the next Rs 75,000 of total income 6%

# (4) On the balance of total income Part II

9% ...

### Super-tax and surcharges on super-tax Paragraph A

In the case of every individual, Hindu undivided family. unregistered firm and other association of persons, not being a case to which any other Paragraph of this Part applies --Rates of super-tax

(1)	On the first Rs. 20,000 of total income	***	Nıl
(2)	On the next Rs. 5,000 of total income	•••	5%
(3)	On the next Rs. 5,000 of total income		15%
(4)	On the next Re 10,000 of total accome		000/

next Rs. 10.000 of total income 20% On the next Rs. 10,000 of total income (5) 30% (6)

On the next Rs 10 000 of total income 35% (7) On the next Rs. 10,000 of total prome 40%

(s) On the balance of total income 45% ...

# Surchazes on suber tax

The amount of super tax computed at the rates herembefore specined shall be increased by the aggregate of the surcharges calculated as under :-

- (a) A surcharge for purposes of the Union equal to the sum of-
  - (s) five p r cent of the amount of super-tax, and (a) where the earned accome ancluded in the total income exceeds Rs. 1 00,000, five per cent- of the difference between the amount of super-tax which would have been payable on the whole of the earned income included in the total income, if such earned income had been the total income and the amount of super-tax payable on a total income of Rs. 1,00 000 .
- (b) A special surcharge at fifteen per cent, of the difference between the amount of super tax on the total income and the amount of super tax on the who e of the earned income, if any, included in the total income, if such eirned income had been the total income

# Paragraph B

In the case of every local authority, -

Rate of super 'ax
On the whole of the total income

Surcharge on super-tax

... 16%

Nil

The amount of super tax computed at the rate herembefore specified shall be increased by a surcharge for purposes of the Union of 121 per cents of the amount of super-tax.

### Paragraph C

In the case of every association of persons being a co-operative society as defined in clause (5B) of section 2 of the Income tax Act,-

# Rates of super-tax

(1) On the first Rs- 25,000 of total income 16% (2) On the balance of total income

# Surcharge on super tax

The amount of super-tax computed at the rates hereinbefore specified shall be increased by a surcharge for purposes of the Union of 121 per cent of the amount of super tax.

# Paragraph D

In the case of every company other than the Life Insurance Corporation of India established under the Life Insurance Corporation Act, 1956,—

# Rates of super-tax

On the whole of the total income

55%

- (i) a rebate at the rate of 45 per cent. on so much of the total income as consists of dividends from a subsidiary Indian company at the rate of 40 per cent. on so much of the total income as consists of dividends from any other Indian company formed and registered on or after the 1st day of April, 1959 and at the rate of 35 per cent on the balance of the total income shall be allowed in the case of any company which—
  - (a) in respect of its profits hable to tax under the Income tax Act for the year ending on the 31st day of March 1961, has made the pre-scribed arrangements for the declaration and payment within India of the dividends payable out of such profits in accordance with the provisions of sub-section (3D) of section 18 of that Act, and
  - (b) is such a company as is referred to in sub section (9) of section 23A of the Income tax Act with a total income not exceeding Rs 25 000.
  - (at) a rebate at the rate of 45 per cent on so much of the total moome as consists of dividends in om a subsidiary Indian company at the rate of 35 per cent on so much of the total income as consists of dividends from any other Indian company formed and registered on or after the 1st day of April 1959, and at the rate of 30 per centon the balance of the total income shall be allowed in the case of any company which satisfies condition (a) but not condition (b) of the preceding clause,
    - (iii) a rebate at the rate of 45 per cent on so much of the total accome as consists of dividends from a subsidiary Indian company, at the rate of 22 per cent. on so much of the total ancome as consists of dividends from

any other Indian company formed and registered on or after the 1st day of April, 1959, and at the rate of 12 per cent, on the balance of the total income shall be allowed in the case of any company not entitled to a rebate under either of the precedure clauses:

#### Provided (urther that-

- (i) the amount of the rebate under clause (i) or clause (ii) of the preceding proviso shall be reduced by the sum, if any, equal to the amount or the aggregate of the amounts, as the case may be computed as hereunder —
- (a) on the aggregate of the sums computed in the manner provided in clause (i) of the second proviso to Paragraph D of Part II of the First Schedule to the Finance Act, 1959 as reduced by the amount, if any, which is deemed to have been taken into account, in accordance with clause (i) of the said proviso, for the purpose of reducing the rebate mentioned in clause (i) of the said proviso to in (lause (ii)  of the said
  - (5) on the amount representing the at the rate of 30% face value of any bonus shares or the amount of any bonus issued to its shareholders during the previous year with a view to increasing the paid-up capital.

(ii) where the sum arrived at in accordance with clause (i) of this provise exceeds the amount of the relate arrived at in accordance with clause (i) or clause (ii), as the case may be, of the preceding provise, only so much of the amounts of reduction mentioned in sub clauses (a) and (b) of clause (i) of this provise as is sufficient, in that order, to reduce the relate to mi shall be deemed to have been taken into account for the purpose:

Provided further that the super tax payable by a companythe total income of which exceeds rupees twenty five thousand, shall not exceed the aggregate of—

- (a) the super tax which would have been payable by the company if its total income had been rupees twenty five thousand, and
  - (δ) half the amount by which its total income exceeds rupees twenty five thousand.

Explanation.—For the purposes of this Paragraph, where any portion of the profits and gains of a company is not included in its total income by reason of such portion being agricultural income, the amount representing the face value of any bonus shares and the amount of any bonus issued to its shareholders shall each be deemed to be such proportion thereof as the average of the total income of the company in the five previous years in which the company has been in receipt of taxable income immediately preceding the relevant previous year bears to the average of its total profits and gains (excluding capital receipts) for the preceding five years aforesaid reduced by such allowances as may be admissible under the Iacome tax. Act which have not been taken into account by the company in its profit and loss accounts for the preceding five years aforesaid

## Paragraph E

In the case of the Life Insurance Corporation of India estallished under the Life Insurance Corporation Act, 1956 —

### Rate of super tax

On the whole or its profits and gains from life

22 5%

#### Part III

Rates for deduction of tax under section 18 of the Income tax Act at the prescribed rates

In every case in which under the provisions of section 18 of the Income tax Act tax is to be deducted at the prescribed rates, deduction shall be made from the income subject to deduction at the following rates,

I	ncome tax		Supe	r-tax
Rate of	Rate Surch			Rates of surcharges
income- tax	Sur- charge for purposes of the	Special sur- charge		

- 1. In the case of a person other than a company -
  - (a) in every case on 25% 1°25% 3 75% the whole mcome (excluding interest payable on any ecurity of the Central Govt issued or declared to be income tax

free), and

(b) in addition where the person is onwhom the person responsible for paying the in come has no rea son to believe to be resident in the taxable territor ies on the whole

meame

Super tax and surcharges on super tax in accordance with the provisions of clause (b) of sub section (1) of section 17 of the Income tax Act.

_	Rate of Income tax	Rate of Super- tax
2 In the case of a company— (a) in every case— (t) on the whole income (excluding interest payable on any security of the Central	۷0%	
Government ssued or declared to be in- come tax free), and		
(11) on the whole income (excluding dividends payable by an Indian company referred to in section 56A of the Income tax Act), and		10%
(b) in addition, where the company is neither an Indian company nor a company which has made the prescribed arrangements for the declaration and payment of dividends with in India,—	i	
(i) on the income from dividends (excluding dividends payable by its subsidiary Indian company if any, or by an Indian company referred to in section 56A of the Income tay Act)—		
(a) on 'dividends payable by an Indian company formed and registered on of after the 1st day of April, 1959		25%
(b) on any other dividend		33%
(11) on any other income, not being income from dividends	•	33%